शिक्षा का वैश्विक परिदृश्य
तथा
समग्र विकास
नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में

प्रबंध-संपादक
प्रो० (डॉ०) दिव्या नाथ

मुख्य-संपादक
डॉ० संजीव कुमार

संपादक

डॉ० दीप्ति वाजपेयी
श्री बलराम सिंह

श्रीमती शिल्पी
डॉ० रमाकान्ति

डॉ० मीनाक्षी लोहनी
डॉ० विनीता सिंह

शिक्षा का वैश्विक परिदृश्य तथा समग्र विकास

नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में

प्रबंध-संपादक
प्रो० (डॉ०) दिव्या नाथ

मुख्य-संपादक
डॉ० संजीव कुमार

संपादक
डॉ० दीप्ति वाजपेयी ***श्रीमती शिल्पी*** ***डॉ० मीनाक्षी लोहनी***
श्री बलराम सिंह ***डॉ० रमाकान्ति*** ***डॉ० विनीता सिंह***

ISO 9001-2015 certified
कु.मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)
College Recognized under section 2 (f) & 12 (b) of UGC

Text copyright © 2021

कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

All Rights Reserved

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner Author/Editors. Application for such permission should be addressed to the Publisher and Author/ Editors. Please do not participate in or do not encourage piracy of copyrighted materials in violation of the author's rights. Purchase only authorized editions.

Published by:
Khel Sahitya Kendra
7/26 Daryaganj, New Delhi - 110002
Ph. : 011- 42564726/43551324
Email : kehlsahitya1@gmail.com

ISBN: 978-81-7524-068-7

Typeset & Printed by
K. S. Enterprises, New Delhi
#8800553000

प्राक्कथन

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षा का वैश्विक परिदृश्य एवं समग्र विकास" विषयक इस पुस्तक की संकल्पना कोरोना महामारी के दौर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के उस महावाक्य से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने सम्पूर्ण राष्ट्र से आपदा में अवसर खोजने का आह्वान किया था । माननीय प्रधानमंत्री के उक्त कथन से प्रेरणा लेकर विषम परिस्थितियों में अमृत खोजने का यह प्रयास ऋषि दुर्वासा के श्राप से उत्पन्न धन, वैभव एवं ऐश्वर्य विहीन सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु की प्रेरणा से आयोजित समुद्र मन्थन की पौराणिक कथा का साकार रूप है। विचार आंदोलन एवं शैक्षिक मन्थन से प्राप्त अमृत कलश एक पुस्तक के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक स्वरूप में प्रकाशित अमृत कलश का यह अमृत शिक्षा जगत के लिए मंगलकारी एवं कल्याणकारी होगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बीजमन्त्र "विद्या के लिए विमर्श और शिक्षा के लिए संवाद जरूरी है" के अक्षरसः अनुसरण के साथ इस ज्ञान–गंगा में संपादन के माध्यम से विभिन्न विद्वानों के शोधालेख का सारगर्भित विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ । वस्तुतः नई शिक्षा नीति उन ख्वाबों को पूरा करने का पूर्ण सामर्थ्य रखती है, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और युगऋषि स्वामी विवेकानंद ने देखा था। यह शिक्षा नीति वैश्विक दृष्टिकोण से भारतीय ज्ञान परम्परा को संरक्षित करने के साथ विज्ञान को पूर्णतः साधने का प्रयास है।

वेदों में निहित विज्ञान ही नवीन शिक्षा नीति का मार्गदर्शक है। भारतीय दर्शन का सनातन सिद्धांत जो भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष पर लिखे उपनिषद के संस्कार वाक्य "वसुधैव कुटुम्बकम" के भाव में निहित है, ये संदेश देता है कि सम्पूर्ण धरा ही हमारा परिवार है अर्थात सम्पूर्ण संसार ही हमारा घर है। वैश्विक पारिस्थितिकी एवं ज्ञान के परिदृश्य में आज सम्पूर्ण विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है । समग्र विकास की इस प्रक्रिया में आत्मविश्वास से भरा भारत "वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" के गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहता है, जिस हेतु नई अपेक्षाओं के साथ शिक्षा नीति के नवीन महायज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई है। समाज की प्रत्येक इकाई से आशा है कि वे अपने अपेक्षित दायित्वों की आहुति से ज्ञान के जगत में भारत को चक्रवर्ती राष्ट्र बनाने के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान देंगे।

भारत को वैश्विक ज्ञानशक्ति के रूप में स्थापित हो पुनः विश्वगुरु के गौरव को प्राप्त करना है, तो नई शिक्षा नीति की समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करना होगा। इस शिक्षा नीति में व्यक्ति के समग्र विकास की संभावना विद्यमान है, जिस कारण व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का समग्र विकास निश्चित होता है । यह नीति भारत की अनुसंधान, संस्कृति तथा सामर्थ्य को अधिक सक्षम बनाकर उसे अवसरों का स्वतंत्र आकाश देने का लिखित दस्तावेज़ साबित होगी। नई शिक्षा नीति ऐसे सार्वभौमिक व्यक्तित्व के निर्माण की परिकल्पना करती है, जो बहुआयामी, प्रतिभा सम्पन्न, विश्लेषणात्मक क्षमता से परिपूर्ण तथा तार्किक दृष्टिकोण से युक्त हो। यह नीति, शिक्षा के प्रति ग्लोबल विज़न (वैश्विक दृष्टि) का समर्थन करती है। शैक्षिक संरचना को इतना व्यवहारिक और प्रासंगिक बनाकर इस नीति ने वैश्विक पटल पर आत्मनिर्भर भारत के सशक्त स्तम्भ स्थापित कर दिए है।

निष्कर्ष रूप में कहें तो यह शिक्षा नीति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील, सृजनशील एवं नैतिक मूल्यों से युक्त भारत की अभिलाषा करने के साथ–साथ अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित कर, उदीयमान विश्वगुरु भारत का स्वप्न भी दिखा रही है। इस नीति की मूल अवधारणा, जड़ से जग तक, मनुज से मानवता तक तथा अतीत से आधुनिकता के सिद्धान्त पर आधारित है।

पुस्तक में सम्मिलित समस्त शोधपत्र नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सापेक्ष समग्र विकास की वैश्विक अवधारणा और परिकल्पना को तथ्यों एवं प्रमाणिक संदर्भों के साथ परिभाषित कर रहे हैं। पाठकों के हित में व्यक्तित्व की समग्रता के समस्त शीलगुणों एवं विकास के समस्त आयामों (शैक्षिक, दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य) को बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया है, ताकि विषयवस्तु और विमर्श की प्रासंगिकता जीवन्त रहे।

विषय सूची

1.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : मातृ भाषा से राष्ट्र उदय डॉ. संजीव कुमार	1
2.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सापेक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा और पर्यावरण संरक्षण लेफ्टिनेंट (डॉ.) मीनाक्षी लोहनी	9
3.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा का बदलता परिदृश्य डॉ0 दीप्ति वाजपेयी	21
4.	नई शिक्षा नीति 2020: शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन डॉ. विनीता सिंह	30
5.	नई शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता डॉ0 कनकलता	40
6.	भाषा एवं साहित्य : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका डॉ. नीलम शर्मा	46
7.	महिला सशक्तिकरण 2020 की नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में डॉ0 शिखा रानी	57
8.	राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः संकल्पना और अनुप्रयोग (उच्च शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में) डॉ. किशोर कुमार	68
9.	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ डॉ0 अरविंद कुमार यादव	73
10.	मातृभाषा, भारतीय भाषाएं एवं साहित्य का विकास डॉ. अनुसुइया राय	82
11.	महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्चना केलकर	89
12.	आधुनिक समय में शिक्षक की भूमिका भीष्म दत्त	95

13. सतत् विकास के परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों का व्यावसायिक कोर्सो के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण 100
प्रोफेसर लाजवंती, नीता सत्संगी, शवनम कुमारी

14. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं समग्र विकास में अध्यापक की महत्त्वपूर्ण भूमिका 108
डॉ हरीश कुमार

15. स्वामी विवेकानंद के शैक्षणिक, दार्शनिक विचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 115
डॉ0 किशोर कुमार, अमित कुमार,

16. शिक्षणः व्यवसाय और आत्मनिर्भर भारत (नई शिक्षा नीति–2020) 122
डॉ मुकेश कुमार गुप्ता, श्री राजन शर्मा

17. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका 132
हेमलता शर्मा

18. वैश्विक परिदृश्य में भारतीय समाज, मूल्य, संस्कृति एवं शिक्षा 139
मधु राघव

19. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महिला सशक्तिकरण 145
डॉ. धीरेन्द्र चतुर्वेदी, डॉ. महेश जैन, सुनीता शेंडे

20. गुणात्मक शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मिश्रित अधिगम 155
डॉ. महेशप्रसाद जैन, डॉ. धीरेंद्र चतुर्वेदी, मो. आमीन शेख

21. प्राथमिक शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में 165
मनीष पोरवाल

22. मातृ भाषा, भारतीय भाषाएं एवं साहित्य का विकास : नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में 170
मुकेश कुमार यादव

23. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महिला सशक्तिकरणः महिलाओं की सुरक्षा तथा असुरक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन 178
सुमन कुमारी, डा0 नीरज कुमार

24. शिक्षक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 185
श्रीमती नीति शर्मा

25. भारतीय सामाजिक लोकाचार एवं नैतिक मूल्य : सैद्धांदिक विवेचना 197
रुचि सिंह, डॉ0 सुरेन्द्रपाल सिंह

26. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भारतीय कला का इतिहास और संस्कृति का परस्पर संबंध 206
सपना रल्हन

27. शिक्षक शिक्षा और समग्र विकास में शिक्षक की भूमिका 210
सतीश कुमार कुशवाह

28. आत्म निर्भर भारत : नई शिक्षा नीति 2020 217
शैलजा सिंह

29. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में शिक्षण 225
सक्षमता अभिवृद्धि व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
डॉ0 स्मिता मिश्रा, बद्री नारायण मिश्रा, कृष्ण कान्त

30. वैश्विक परिदृश्य में भारतीय सामाजिक लोकाचार एवं नैतिक मूल्य 231
अनामिका, डॉ0 दीप्ति वाजपेयी

31. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः आत्म निर्भर भारत की रूप रेखा 239
अरविन्द सिंह

32. आत्मनिर्भर भारत की संकल्पनाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 245
डॉ0 सतीश चन्द, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार

33. नई शिक्षा नीति 2020 : पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन 252
की आवश्यकता क्यों?
डॉ. संजीव कुमार, डॉ0 विक्रान्त उपाध्याय

1.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : मातृ भाषा से राष्ट्र उदय

डॉ. संजीव कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षक शिक्षा)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

भारतीय शिक्षाविदों में सदैव यह बहस रही है कि औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से किस भाषा मे पढ़ाया जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा से कुछ वर्ष पहले कर्नाटक सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी रखने पर यह जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है। जबकि वैज्ञानिक शोध यह स्थापित करते हैं कि मस्तिष्क की नैसर्गिक वृद्धि के लिए मातृभाषा अपना अनुपम स्थान रखती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि" जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता।"

2016 में जारी किए किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में मातृभाषा में शिक्षा,विशेषकर औपचारिक शिक्षा के रचनात्मक वर्षों के दौरान मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया था। जिसमें दक्षिण भारत की ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्यों का उपयोग करके स्कूलों में मातृभाषा के उपयोग और शैक्षिक उपलब्धि के बीच सम्बन्ध

को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें पाया गया कि मातृभाषा में शिक्षा के कारण प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के दौरान शैक्षिक उपलब्धियों में लगातार वृद्धि हुई।

कई भाषाएं सीखने की बच्चों की जन्मजात क्षमता को स्वीकार करते हुए प्रारूप में सुझाव दिया गया कि, ''सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर चाहें, तो मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर स्कूलों में कक्षा 5 तक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।'' विद्यालयों में किस भाषा में शिक्षा दी जाय,यह प्रश्न नया नहीं है। वर्ष 1938 में अपने विचार लिखते हुए जाकिर हुसैन समिति ने देशज (वर्नाकुलर) शिक्षा का पक्ष लिया था, जो 1964 में प्रख्यात शिक्षाशास्त्री डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता वाली समिति और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा भी प्रतिध्वनित हुआ। इसके बावजूद बच्चों की मातृभाषा और शिक्षा की भाषा के बीच असंतुलन दूर नहीं किया जा सका और डॉ. कोठारी ने पाया कि, ''भारत को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में शिक्षा की भाषा और विद्यार्थी की भाषा में यह संबंध विच्छेद नहीं देखा जाता है। गोविन्द शास्त्री दुगवेकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं कि" बिना मातृभाषा की उन्नति के देश का गौरव कदापि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता।"

दिनाँक 29 जुलाई, 2020 को विश्व इतिहास के सबसे व्यापक विमर्श के उपरान्त घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित ही भारत एवं भारतीयता के स्वप्नों एवं सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण करती प्रतीत हो रही है। वैश्विक महामारी के भयानक दौर में जब सारा विश्व मानव जाति के अस्तित्व को लेकर ही चिंतित था तब भारत के विद्वान एवं मनीषी आशान्वित होकर राष्ट्र निर्माण की नीति अर्थात शिक्षा नीति पर चिंतन एवं मनन कर रहे थे। वैश्विक निराशा के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारतीय जनमानस में आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की एक नई शक्ति का संचार कर रही है। इस शिक्षा नीति को यदि इस सदी की शैक्षिक क्रांति कहा जाए तो कतई कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा की सम्पूर्ण संरचना को और अधिक विकसित, गतिशील और प्रासंगिक बनाना है।

यूँ तो इस नीति ने राष्ट्र उन्नति के समस्त अपेक्षित शैक्षिक आयामों को अपनी रूपरेखा में उचित स्थान दिया है परन्तु शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा को प्राथमिकता देना निश्चित ही राष्ट्रोत्थान के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति पूरे राष्ट्र को आश्वस्त करता है। यह नीति भारतीयता के आधारभूत सामाजिक दर्शन से प्रभावित है

क्योंकि इसमें पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम रखने की बात कही गई है, जिसे आठवीं या उससे आगे की कक्षाओं तक बढ़ाया भी जा सकता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुलभ होने के कारण बच्चे का बौद्धिक और मानसिक विकास तुलनात्मक रूप से उत्कृष्ट होता है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा (वर्धा शिक्षा योजना) के प्रस्ताव को दिनाँक 23 अक्टूबर, 1937 प्रस्तुत करते हुए भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही थी। उनके अनुसार "गाय का दूध कभी मां के दूध के समान नहीं हो सकता।" अर्थात मातृभाषा का स्थान और उसकी भूमिका का निर्वहन किसी दूसरी भाषा अथवा माध्यम के लिए कतई सम्भव ही नहीं है।

मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का मुख्य उद्देश्य अपने समाज और देश में संप्रेषण प्रक्रिया को सुदृढ़, व्यापक और सशक्त बनाना होता है। वस्तुतः मातृभाषा एक सामाजिक यथार्थ है जो व्यक्ति को अपने भाषायी समाज के अनेक सामाजिक संदर्भों से जोड़ती है और उसकी सामाजिक अस्मिता का निर्धारण करती है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वह उसकी संस्कृ ति और संस्कारों की संवाहक होती है। यह पालने की भाषा होती है जिससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इससे प्रयोक्ता की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक विकास के साथ–साथ उसकी संवेदनाओं और अनुभूतियों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी होती है और बच्चा अपनी भाषा में धारा–प्रवाह बोलने में समर्थ और सक्षम होता है। राष्ट्रोत्थान हेतु भाषा की शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकार कर भारत को पुनः अपनी भाषा का गौरव देने का यह नीतिगत प्रयास निःसंदेह ही सकारात्मक सोच का परिणाम है। इस नीति ने भाषा को मात्र शिक्षा का माध्यम ही नहीं माना गया है बल्कि संस्कृति, भारतीय संस्कार, ज्ञान परम्परा और मूल्यों का वाहक मानकर उसके प्रति विश्वास और आस्था प्रदर्शित की है। शिक्षाशास्त्री भी एकमत है कि मातृभाषा केवल अभिव्यक्ति का सुलभ माध्यम नहीं है वरन वह किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान,संस्कार तथा उसकी प्राचीन संस्कृति की मूल संवाहिका भी है। युगपुरुष स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि पराधीन की न तो कोई जाति होती है और न ही उसकी कोई अपनी भाषा होती है। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो वह राष्ट्र मातृभाषा के आभाव में स्वरहीन एवं संवेदनहीन हो ही जाता है। अपने शब्दों की

ज्योति न हो तो कोई भी राष्ट्र नेत्रहीन प्रतीत होगा और उसका भविष्य अंधकारयुक्त होना सुनिश्चित है। हिन्दी भाषा के सशक्त हस्ताक्षर श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था कि निज भाषा ही सारी उन्नतियों का मूलाधार है "निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल,बिन निज भाषा–ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।'

शिक्षा और राष्ट्रीय विकास (1964–66) पर कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में, स्कूल के पहले दो वर्षों के लिए, निर्देश और पुस्तकों का माध्यम स्थानीय जनजातीय भाषा में होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए और तीसरे वर्ष तक शिक्षा का माध्यम बनना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने यह भी कहा कि जहां तक संभव हो, स्कूल में शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए ।1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पष्ट कहा गया था कि, ''भारतीय भाषाओं और साहित्य का सशक्त विकास शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास की अनिवार्य शर्त है। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक लोगों की रचनात्मक ऊर्जा बंधनमुक्त नहीं होगी, शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं होगा, लोगों के बीच ज्ञान का प्रसार नहीं होगा, और बुद्धिजीवी तथा आम आदमी के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी नहीं तो घटेगी भी नहीं।''

विश्व इतिहास का अध्ययन करें तो संज्ञान होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रायः सभी राष्ट्रों ने अपनी स्वयं की भाषा को प्राथमिकता प्रदान की है। इजराइल ने तो लगभग विलुप्त हो चुकी हिब्रू भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया और आज वही भाषा पूरी दुनिया में तकनीक की प्रमुख भाषाओं में शामिल है। आज हिब्रू का अनुवाद अन्य भाषाओं में लोग करने को मजबूर हो रहे हैं। रूस, चीन और जापान जैसे देश भी आदर्श उदाहरण हैं जिन्होंने निज भाषा को अपनी शिक्षा–दीक्षा तथा राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया। परन्तु भारत सदैव इसका अपवाद रहा है। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति के बाद एक प्राचीन राष्ट्र होते हुए भी अंग्रेजी यहां राजकाज एवं संपर्क की भाषा बनी हुई है। अन्य भारतीय भाषाएं अंग्रेजी की चेरी के रूप में उसकी गुलामी करती हुई दिखाई देती हैं। शिक्षा की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए अब तक गठित लगभग सभी आयोगों ने अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करने की संस्तुति की,किंतु वास्तविकता आदर्शों से कोसों दूर रही।

शिक्षा की व्यवस्था हो या व्यवस्था की शिक्षा,दोनों की स्थिति में भाषा की महत्ता सर्वविदित और सर्वस्वीकार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 हमें भारत की गौरवमयी

ज्ञान–विज्ञान की परंपरा का स्मरण कराते हुए ये बोध करा रही है कि भारतीय भाषाएँ ही भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान हैं। उक्त के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के विकास के सन्दर्भ में इस नीति की संकल्पना सरल स्वरूप में निम्न प्रकार समझी जा सकती है –

1. छात्रों को भाषा,कला,संगीत और संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा।

2. बहुभाषिता के विस्तार के लिए त्रिभाषा सूत्र को अधिक व्यापकता के साथ लागू किया जाएगा।

3. विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली अधिगम सामिग्री विकसित करने को प्रोत्साहन तथा अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी।

4. अतुल्य भारत की अवधारणा को साकार करने के लिए उसकी सांस्कृतिक सम्पदा एवं विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार उसकी स्थानीय भाषाओं के उन्नयन के द्वारा किया जाएगा।

5 .एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य के साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं की प्रासंगिकता एवं जीवंतता बनाये रखने के साथ साथ गत 50 वर्षों में विलुप्त हो चुकी 220 भारतीय भाषाओं (विशेषकर जिनकी लिपि नहीं थी) के पुनरुत्थान हेतु सतत एवं सार्थक प्रयास किये जायेंगे।

6. स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य,शब्द भण्डार, व्याकरण एवं शिक्षण विधि में सुधार हेतु कुशल शिक्षक आवश्यक है जिसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी अपेक्षित परिवर्तन किए जाएंगे (चार वर्षीय बी.एड.)।

7. संस्कृत भाषा को संस्कृत पाठशालाओं की सीमा से मुक्त कर उसे शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मलित किया जाएगा ताकि राष्ट्र पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन हो सके। ये सत्य है कि मातृभाषा ही सम्पूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। भारत का परिपक्व लोकतंत्र,अति प्राचीन सभ्यता,समृद्ध संस्कृति तथा अनूठा संविधान वैश्विक परिदृश्य में एक उच्च स्थान रखता है, उसी तरह भारत की गरिमा एवं गौरव की प्रतीक मातृ भाषाओं को हर कीमत पर विकसित करना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए।

नवीन शिक्षा नीति में हिन्दी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी शिक्षा में प्रतिष्ठा मिली है, इस दिशा में नवीन नीति के प्रयास उल्लेखनीय एवं सराहनीय है, लेकिन उनमें तीव्र गति दिये जाने की अपेक्षा है। क्योंकि इस दृष्टि से महात्मा गांधी की अन्तर्वेदना को समझना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाषा संबंधी आवश्यक परिवर्तन अर्थात हिन्दी को लागू करने में एक दिन का विलम्ब भी सांस्कृतिक हानि है। मेरा तर्क है कि जिस प्रकार हमने अंग्रेज लुटेरों के राजनैतिक शासन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, उसी प्रकार सांस्कृतिक लुटेरे रूपी अंग्रेजी को भी तत्काल निर्वासित करें।' लगभग सात दशक के आजाद भारत में भी हमने हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं को उनका गरिमापूर्ण स्थान न दिला सके, यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी राष्ट्रीयता पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह है।

शिक्षा में हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की घोर उपेक्षा होती रही है, इन त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थिति को नवीन शिक्षा नीति कुछ ठोस संकल्पों एवं अनूठे प्रयोगों से दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है, उनको मूल्यवान अधिमान दिया जा रहा है। ऐसा होना हमारी सांस्कृतिक परतंत्रता से मुक्ति का एक नया इतिहास होगा। इसके लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का इंजीनियरिंग की शिक्षा मातृभाषा में देने के निर्णय का स्वागत होना ही चाहिए।

निष्कर्ष–

निष्कर्ष रूप में यह कहना ही होगा कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति सशक्त भारत के निर्माण एवं प्रभावशाली शिक्षा के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका को स्वीकृ ति प्रदान करती है। निश्चित ही शिक्षा को अपने समाज एवं राष्ट्र के अनुरूप संचालित करने और अपनी भाषाओं में शिक्षण करने से ज्ञान के नए क्षितिज खुलेंगे, नवाचार के नए–नए आयाम उभरेंगे। मातृभाषा में चिंतन एवं शिक्षण से सृजनात्मक एवं स्व–पहचान की दिशाएं उद्घाटित होगी। वास्तव में स्व–भाषाएं विचारों, विचारधाराओं, कल्पनाओं और अपने व्यापक सामाजिक–राष्ट्रीय दर्शन की स्पष्टता का माध्यम बनती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करते हुए मातृभाषा को प्रतिष्ठापित करने का अनूठा उपक्रम किया जा रहा है। इसको लेकर देश में

मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने एवं इन्हीं भाषाओं में उच्च शिक्षा दिये जाने की स्थितियां निर्मित होने लगी है।

मातृभाषा में शिक्षा अधिक प्रभावी एवं उपयोगी होती है क्योंकि छात्र मातृभाषा में शिक्षा को आसानी से ग्रहण करता है, इसमें विद्यार्थी की अधिगम क्षमता ज्यादा होती है। क्योंकि अपनी भाषा के साथ जो मजबूत मनोबल एवं आत्मीयता जुड़ी होती है, उसी से विद्यार्थी का समग्र व्यक्तित्व विकास होता है, उसकी तार्किक दृष्टि भी विकसित होती है। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि मातृभाषा में विद्यार्थी का शिक्षण उसके मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। मातृभाषा में शिक्षण सरल और सहज बन जाता है। परिणाम विद्यार्थी शनैः–शनैः रुचिकर क्षेत्रों में दक्षता हासिल कर अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं। विद्यार्थी में यह दक्षता ही नए विचारों को पनपाने में और उसकी अंतर्दृष्टि को विकसित करने में काम आती है।

अंत में कहा जा सकता है कि भारत को एक सशक्त ज्ञान आधारित राष्ट्र बनाने तथा इसे वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह नीति एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी क़दम साबित होगी।

सन्दर्भ ग्रंथ–

- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी,प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- सुवास कुमार (1994); हिन्दी विभिन्न व्यवहारों की भाषा,वाणी प्रकाशन,दरियागंज, नई दिल्ली।
- डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल (2005);हिन्दी भाषा का आधुनिकीकरण, वाणी प्रकाशन,दरियागंज, नई दिल्ली।
- डॉ.कैलाश चन्द्र पाण्डेय (2007);प्रयोजनमूलक हिन्दी की नई भूमिका, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
- निखिल जैन एवं अनिका जैन (2008); मातृ भाषाः संस्कारो की जननी,आख़री कलम, नई दिल्ली।

- डॉ. श्याम चन्द्र कपूर (2009);हिन्दी साहित्य का इतिहास,प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. रामकृष्ण त्यागी (2014); मातृ भाषाः पूर्णता का सूत्र,एस. एस. पब्लिकेशन, आशिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. मीनाक्षी सिंह (2015); मातृ तत्व की भाषा,वेणु प्रकाशन, स्टेशन रोड़, कानपुर।

2.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सापेक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा और पर्यावरण संरक्षण

लेफ्टिनेंट (डॉ.) मीनाक्षी लोहनी

प्रभारी, भूगोल विभाग
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

आज जब संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की वर्तमान एवं भावी समस्याओं का समाधान खोजने का व्यापक प्रयास किया जा रहा है तो इसी क्रम में भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों में वर्णित पर्यावरणीय चिन्तन और चेतना के विश्लेषण का प्रयास प्रासंगिक होगा क्योंकि कभी कभी इतिहास की विशेषताएं भी वर्तमान की समस्याओं का समाधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकती है। आज मानवीय अस्तित्व की रक्षा के लिए इन समस्याओं का समाधान अति आवश्यक भी है। सत्य तो यह है कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान भारतीय संस्कृति के प्रकृति विषयक आध्यात्मिक चिंतन में है जिसको अपना कर मनुष्य अपने सुख, समृद्धि एवं अस्तित्व के

साथ–साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित तथा संरक्षित रख सकता है। इतिहास का यही सन्देश भी है कि जो सभ्यताएं प्रकृति का सम्मान करेंगी वही भविष्य में फलेंगी और फूलेंगी। भारतीय पारंपरिक जीवन मूल्यों और और जीवन शैली में बिगड़ते पर्यावरण की चुनौतियों को परास्त करने की शक्ति विद्यमान है,लेकिन जब हम उसका अनुसरण करेंगे तभी समाधान सम्भव होगा। ग्लोबल वार्मिग, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय असन्तुलन, जैव विविधता जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ही उत्तर है–भारतीय संस्कृति एवं जीवन पद्धति, जो पर्यावरण के साथ–साथ प्रकृति एवं वन्य जीवनों के संरक्षण की अनूठी जीवन पद्धति है।

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पौराणिक काल से ही पर्यावरण की स्वच्छता एवं संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऋषि मुनियों की पूरी दिनचर्या प्रकृति पर निर्भर थी। प्राचीन काल में किसी भी प्रकार का असंतुलन नहीं था। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की विराट अवधारणा रही है जो आज विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत की प्राचीन एवम मध्यकालीन सांस्कृतिक परम्पराओं में मिट्टी, पर्वत, नदी, पोखरे, वृक्ष तथा वनस्पतियों की आराधना के पीछे तत्कालीन समाज का लौकिक पक्ष यही था।

यह शाश्वत सत्य है कि भारतीय संस्कृति अपने स्वाभाविक स्वरूप में सदैव अरण्यक संस्कृति के रूप में प्रतिस्थापित रही है। भारतीय चिन्तन परम्परा में प्रकृति की उपासना एवं संरक्षण को सदैव आध्यात्मिक दायित्व के रूप में स्वीकार भी किया गया है। यह भी सत्य है कि भारतीय जीवन दर्शन तथा प्रकृति के मध्य सम्बन्ध सदैव सकारात्मक, सन्तुलित एवम वैज्ञानिक रहे है। इस कथन में कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत के अलावा शायद ही विश्व की कोई ऐसी संस्कृति है जहां प्रकृति के संरक्षण को संस्कार के रूप में नित्य जीया भी जाता है।

भारतीय सनातन शास्त्रों में प्राकृतिक शक्तियों के विभिन्न स्वरूपों की स्तुति भी इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति के प्रति स्नेह और आस्था हमारे संस्कारों में बीजस्वरूप विद्यमान हैं।

भारतीय जीवन दर्शन में प्रकृति के प्रति प्रेम एवं समर्पण का मुख्य कारण यह भी है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रकृति के अस्तित्व से मनुष्यता को सकारात्मक रूप से सहसम्बन्धित किया गया है।

ऋग्वेद' का उद्घोष है कि नवीन पौधों को सतत रूप से रोपना मनुष्य का अनिवार्य सामाजिक दायित्व है। इसकी ऋचाएं देवताओं को तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त किया करती हैं – जल, वायु और भूमि देवता। देवताओं का यह वर्गीकरण पहाड़ों, पौधों, वृक्षों, मरुस्थल, पर्वतों, नदियों, महासागरों झीलों, जीव–जंतुओं, चट्टानों, खनिज पदार्थों, जलवायु, मौसम और ऋतुओं आदि का प्रतिनिधित्व करता है। ये इस बात का साक्ष्य भी है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजन को प्रकृति संरक्षण के रूप में आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त है।

अथर्ववेद में विद्वानों ने वर्षों पूर्व उद्घोषित किया था,' माता भूमि : पुत्रोहं पृथिव्या' :अर्थात् वसुंधरा जननी है, हम सब उसके पुत्र हैं। ऋग्वेद (1/158/1, 7/35/11) तथा अथर्ववेद (10/9/12) में दिव्य, पार्थिव और जलीय देवों से कल्याण की कामना स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

वृक्षों के महत्व को परिभाषित करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता के दसवें अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण पीपल को अपना अवतार घोषित करते हैं। वह स्वयं कहते हैं–

'अश्वत्थः सर्व वृक्षा वृक्षाणां अर्थात् वृक्षों में पीपल मैं हूं...'

आचार्य वेदांतदेशिक ने तात्पर्यचंद्रिका में स्पष्ट लिखा है कि पीपल की महिमा स्वर्ग में स्थित पारिजात आदि वृक्षों से भी ज्यादा है। अतः भगवान कृष्ण ने स्वयं को पारिजात नहीं बल्कि अश्वत्थ (पीपल) ही कहा,क्योंकि सारी वनस्पतियों में पीपल की सर्वश्रेष्ठता निर्विवाद है।

कालिदास, सूरदास, रसखान, तुलसीदास, कबीरदास ने किसी औपचारिक संस्था से शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन अपनी रचनाओं में प्रकृति को इस दैवीय स्वरूप में प्रस्तुत किया कि इनकी रचनाएं आज भी मानव जाति को दिशा प्रदान कर रही हैं। कालिदास ने पर्यावरण संरक्षण के विचार को मेघदूत तथा अभिज्ञान

शाकुन्तलम में दर्शाया है। रामायण,महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों,उपनिषदों में प्रकृति की प्रासंगिकता एवम उपादेयता का गहन वर्णन किया गया है।

भारत विश्व का एकमात्र देश है, जिसे ईश्वर ने छः विभिन्न ऋतुओं से सुशोभित किया है यथाः ग्रीष्म, शरद, वर्षा, हेमंत, शिशिर और बसंत। ये छः ऋतुएं हमें प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा भी प्रदान करती हैं और प्रेरित भी करती हैं।

छान्दोग्यउपनिषद् में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष जीवात्मा से ओतप्रोत होते हैं और मनुष्यों की भांति सुख–दुःख की अनुभूति करते हैं। महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बसु ने भी यह सिद्ध किया था कि पेड़–पौधों तथा वनस्पति में भी जीवन होता है,ये भी हमारी तरह ही प्रेम एवं पीड़ा महसूस करते हैं। वैदिक दर्शन में एक वृक्ष की मनुष्य के दस पुत्रों से तुलना की गई है–

'दशकूप समावापीः दशवापी समोह्रदः।

दशह्रद समःपुत्रो दशपत्र समोद्रुमः।।

सृष्टि में पदार्थों में संतुलन बनाए रखने के लिए यजुर्वेद में एक श्लोक है–

ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षँ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।

वनस्पतयेः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।।

ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।

इस श्लोक से ही मानव को प्राकृतिक पदार्थों में शांति अर्थात संतुलन बनाए रखने का उपदेश दिया गया है। श्लोक में पर्यावरण समस्या के प्रति मानव को आज से हजारों साल पहले ही सचेत किया गया है। पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति आदि

में शांति का अर्थ है, इनमें संतुलन बने रहना। जब इनका संतुलन बिगड़ जाएगा, तभी इनमें विकार उत्पन्न हो जाएगा।

हमारे ऋषि जानते थे कि पृथ्वी का आधार जल और जंगल है इसलिए उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है– **'वृक्षाद् वर्षति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न सम्भवः** 'अर्थात् **वृक्ष जल है, जल अन्न है, अन्न जीवन है।** जंगल को हमारे ऋषि आनंददायक कहते हैं– **'अरण्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु'** यही कारण है कि हिन्दू जीवन के चार महत्वपूर्ण आश्रमों में से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का सीधा संबंध वनों से ही है.

हम कह सकते हैं कि इन्हीं वनों में हमारी सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन हुआ है. हिन्दू संस्कृति में वृक्ष को देवता मानकर पूजा करने का विधान है. वृक्षों की पूजा करने के विधान के कारण ही हिन्दू स्वभाव से वृक्षों का संरक्षक हो जाता है. सम्राट विक्रमादित्य और अशोक के शासनकाल में वनों की रक्षा सर्वोपरि थी. ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने प्रकृति की महत्ता को स्वीकारते हुए वन्य जीव जन्तुओं के शिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जो आज भी अशोक के शिलालेखों में अंकित है। भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मुहरों पर अंकित चित्रों से स्पष्ट है कि सिन्धु घाटी के निवासी वृक्षों की पूजा किया करते थे। ज्ञान और नीतिपरक पंचतंत्र की कहानियों तथा जातक कथाओं में वन्य जीवन सें संबंधित अनेकानेक प्रसंगों को उद्घाटित किया जाना हमारे संस्कारों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आचार्य चाणक्य ने भी आदर्श शासन व्यवस्था में अनिवार्य रूप से अरण्यपालों की नियुक्ति करने की बात कही है.

जलस्रोतों का भी वैदिक धर्म में बहुत महत्व रहा है।भारतीय सभ्यता में बिना नदी या ताल के गांव–नगर के अस्तित्व की कल्पना की ही नहीं गयी है। ऐसे गांव जो नदी किनारे नहीं थे, वहां ग्रामीणों द्वारा तालाबों का निर्माण किया जाना वैदिक चिंतन को प्रतिस्थापित करता है। अथर्ववेद में बताया गया है कि आवास के समीप शुद्ध जलयुक्त जलाशय अनिवार्य रुप से होना चाहिए। जल दीर्घायु प्रदायक, कल्याणकारक, सुखमय और प्राणरक्षक होता है.

समस्त भारतीय पर्व जैसे ; मकर संक्रान्ति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, नवरात्र, गुड़ी पड़वा, ओणम्, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, अन्नकूट, देव प्रबोधिनी एकादशी, हरियाली तीज, गंगा दशहरा आदि सभी पर्वों के आयोजन में प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश ही निहित है। वट–सावित्री पूजन में जहां वट वृक्ष की पूजा होती है। वहीं छठ जैसे त्योहार में नदियों की साफ–सफाई की जाती है।

बृज साहित्य के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान इसलिए शुरू कराया था क्योंकि गोवर्धन पर्वत गौ–धन का संवर्धन एवं संरक्षण करता है तथा उस पर औषधीय वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी। इन सभी परम्पराओं के पीछे जीव और जीवन के संरक्षण का संदेश है। वैदिक दर्शन गाय को मां के समान दर्जा देता है,उसकी अर्चना करता है। नागपंचमी के दिन नागदेव की पूजा की जाती है। नाग–विष से मनुष्य के लिए प्राणरक्षक औषधियों का निर्माण होता है. नाग पूजन के पीछे का रहस्य ही यह है. सनातन संस्कृति में प्रत्येक जीव के लिए कल्याण का भाव निहित है।

भारतीय संस्कृति में धर्म और पर्यावरण में एक गहरा संबंध है तथा यहां पल्लवित सभी धर्मों का दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति सकारात्मक ही रहा है।

सनातन चिंतन के अनुसार, जीवन पाँच तत्त्वों– क्षिति (पृथ्वी), जल, पावक (अग्नि), गगन (आकाश), समीर (वायु) से मिलकर बना है। पृथ्वी को देवी का रूप माना गया है। इसके अलावा इसके विभिन्न अवयव जैसे– पर्वत, नदी, जंगल, तालाब, वृक्ष, पशु–पक्षी आदि सभी को दैवीय कथाओं व पुराणों से जोड़कर देखा जाता है। भगवद्गीता में अनेक स्थानों पर कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा विभिन्न रूपों में सभी प्राणियों में विद्यमान है इसलिये व्यक्ति को सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिये।

वैदिक धर्म में कर्म की प्रधानता पर बल दिया जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसके अलावा

व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है अतः मानव जाति को प्रकृति तथा उसके विभिन्न जीवों की रक्षा करना चाहिये।

वैदिक धर्म का प्रकृति के साथ कितना गहरा रिश्ता है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही अग्नि की स्तुति में रचा गया है। हिन्दुत्व स्वयं में वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। इसकी प्रत्येक परम्परा के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। इन रहस्यों को प्रकट करने का कार्य होना चाहिए। सनातन धर्म के संबंध में एक बात दुनिया मानती है कि इसका दर्शन **'जियो और जीने दो'** के सिद्धांत पर आधारित है। यह विशेषता किसी अन्य धर्म में नहीं है। सनातन संस्कृति के सह अस्तित्व का सिद्धांत ही भारतीयों को प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। वैदिक वाङ्मयों में प्रकृति के प्रत्येक अवयव के संरक्षण और संवर्धन के निर्देश मिलते हैं। वैदिक धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। इसके अनुसार, मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति पृथ्वी पर विद्यमान किस जीव के रूप में जन्म लेगा यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिये सभी जीवों के प्रति अहिंसा वैदिक दर्शन का मुख्य सिद्धांत है।

भारतीय दर्शन के प्रेरित जैन संस्कृति में भी अहिंसा को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है तथा किसी भी जीव–जंतु, वनस्पति आदि को नुकसान पहुँचाना वर्जित माना गया है। इनके अनुसार पंचमहाव्रत है– सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनके अनुयायी जीवन के सभी आयामों में इन पंचमहाव्रतों का अनुपालन करते हैं। अतः जैन चिंतन धारा के अनुयायियों के लिये प्रकृति व इसके सभी जीव जंतुओं को समान माना गया है तथा इनका संरक्षण और इनके प्रति समान व्यवहार करना इस संस्कृति की मूल शिक्षा है।

बौद्ध दर्शन भी पूर्णतः प्रेम, सद्भाव तथा अहिंसा पर आधारित है। ये दर्शन 'प्रतीत्यसमुत्पाद ' पर आधारित है जिसे करण–कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार, प्रत्येक कार्य का प्रभाव होता है। इसे वैदिक संस्कृति के कर्म के सिद्धांत के समान माना जा सकता है अर्थात् मानव के व्यवहार का प्रभाव उसके पर्यावरण पर पड़ता है। बौद्ध चिंतन साधारण जीवनशैली को बढ़ावा देता है, जो

सतत–पोषणीय विकास के लिये आवश्यक है। यह संसाधनों के अतिदोहन को वर्जित करता है। बौद्ध दर्शन सभी प्राकृतिक जीवों की परस्पर निर्भरता में विश्वास करता है और इसमें सभी जीव–जंतु, वनस्पतियाँ, नदी, पर्वत, जंगल आदि शामिल हैं।

इस्लामिक दर्शन के अनुसार , पृथ्वी का मालिक खुदा है तथा यहाँ इंसान की भूमिका खलीफा अर्थात् खुदा के न्यासी की है एवं इंसान का कार्य पृथ्वी और इसके विभिन्न अवयवों की रक्षा करना है।पवित्र कुरान के अनुसार, सृष्टि की रचना जल से हुई है तथा जल को व्यर्थ करना इस्राफ (पाप) है। इसके अलावा किसी भी प्राकृतिक संसाधन का व्यर्थ उपयोग करना इस्लामिक मतानुसार वर्जित माना गया है। इसके अलावा इस्लाम में कुछ पर्यावरणीय संरक्षित क्षेत्र हैं जिसे 'हरम' कहते हैं, इन्हें इस्लाम में वर्जित माना गया है। कुरान में 6,000 से अधिक आयते हैं जिनमें 500 से अधिक प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है। इन घटनाओं में अधिकतर पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पौधे, जल आदि की चर्चा की गई है। इस्लाम में जल के सीमित उपयोग पर ज़ोर दिया जाता है।

इसाई दर्शन के अनुसार सभी जीवों की रचना ईश्वर के प्रेम का रूप है तथा मानव को जैविक विविधता तथा ईश्वर के निर्माण को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इस्लाम की भाँति ही इसाई दर्शन के अनुसार भी मनुष्य को सृष्टि के अन्य जीवों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा यह संसाधनों के सीमित उपयोग और उनके संरक्षण पर ज़ोर देता है।

सिक्ख दर्शन के अनुसार, संसार में स्थित सभी वस्तुएँ ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करती हैं तथा ईश्वर उनकी रक्षा करता है। सिक्ख धर्म के पवित्र ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' के अनुसार, सभी जीव–जंतु, वृक्ष, नदी, पर्वत, समुद्र आदि को ईश्वर का रूप माना गया है।

परन्तु आज मनुष्य की भौतिकवादी आकांक्षाओं ने संस्कृति और संस्कारों के उस अनूठे ताने बाने को तोड़ दिया है। आज हम निज़ी विलासता में प्रकृति के प्रति अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं की मान मर्यादाओं और भावनाओं को जीवन से

तिरोहित करते जा रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर हमारी प्रकृति–उपासना की आस्थाएं समाप्त हो रही हैं और यदि शेष भी हैं तो मात्र प्रतीकात्मक औपचारिकताओं के रूप में हैं। संकीर्ण जीवन शैली के कारण आज बरगद, पीपल, नीम, आंवला आदि का महत्व कम होता जा रहा है। गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर आवासीय भवन खड़े किए जा रहे है। पशु पक्षियों की जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। हमारे जल स्त्रोत अब शहर के शौचालय बनते जा रहे है। जिन नदियों को हम मातृवत् पूजते रहे हैं , अब उनमें कल–कारखानों का प्रदूषित जल और शहर का मल प्रवाहित हो रहा है। सच कहूं तो यदि आज भी हमारी पुरातन पर्यावरण संरक्षण की प्रथाओं को सामाजिक स्तर पर प्रधानता देते हुए, इन परम्पराओं का अनुगमन दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ किया जाए तो पर्यावरण संतुलन तथा संरक्षण को पुनः प्रवाह दिया जा सकता है। यदि मनुष्य पुनः धरती को मातृवत् मानकर तथा जल, हवा, नदियों, पर्वत, वृक्ष और जलाशयों को पूजनीय मानकर उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की व्यवस्था करे तो वेदों की वह आदर्श परिकल्पना साकार हो सकेगी जो ये कहती है कि यदि मनुष्य शुद्ध वायु में श्वास ले, शुद्ध जलपान करे, शुद्ध भोजन करे, शुद्ध मिट्टी में खेले कूदें और कृषि करे, तब उसकी आयु **''शं जीवेम् शरदः शतम् ''** हो सकती है।

निष्कर्ष :

वस्तुतः पर्यावरण ही मानव–जीवन का मूल आधार है और इसके लिए आवश्यक है कि मानव समष्टि कल्याण की भावना के साथ पर्यावरण से मित्रवत् व्यवहार करें। यजुर्वेद के इस श्लोक में चर–अचर सभी को मित्र की दृष्टि से देखने का संदेश भी दिया गया है–

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे

मित्रस्य चक्षुष समीक्षा महे।

सच तो ये है कि प्रकृति ने मनुष्य को अद्वितीय प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, तर्कशक्ति देकर विवेकशील, चिंतनशील एवं बुद्धिमान प्राणी बनाया है। अतः मनुष्य

का भी दायित्व बनता है कि वह प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन चक्र को बनाए रखते हुए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना अपना पुनीत कर्तव्य समझे। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरण सन्तुलन के समस्त घटकों में परस्पर समन्वय हेतु समाज में व्यापक विमर्श की महती आवश्यकता है। वैदिक तर्क के अनुसार दोहन और पोषण में विश्वास करना सनातन संस्कृति का आधार रहा है, हम किसी भी प्रकार के शोषण को स्वीकृति नहीं देते। आज प्रकृति का अत्यधिक 'दोहन' शोषण की श्रेणी में आता है। शोषण सदैव दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगी, "हम गाय का दोहन करते हैं, वह हमें दूध देती है, परंतु दोहन से पूर्व तथा पश्चात् हम उसका पोषण भी करते हैं।"अतः विकास के वर्तमान द्वन्द में प्रकृति के दोहन से पहले और पश्चात उसके पोषण की व्यापक योजना तैयार करनी होगी ताकि आने वाली नस्लों को प्रकृति के प्रकोप का सामना न करना पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि हम पुनः प्रकृति की ओर लौटें । प्रकृति की ओर लौटने के लिए भारतीय सनातन संस्कृति और संस्कारों से श्रेष्ठ मार्ग कोई और नहीं हो सकता। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और प्राणी यानी जीव और जगत का सम्बन्ध बड़ी बारीकी से समझा था और निष्कर्ष निकाला था **''यत् पिण्डे तथैव ब्रह्माण्डे"** अर्थात जो भी कुछ मनुष्य के पिण्ड यानी शरीर में है, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ इस ब्राह्मांड में है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी है वह द्रव्य एवं ऊर्जा (Matter and Energy) का संगम है। वही हमारे शरीर में भी है। इसे और स्पष्ट करते हुए कहा गया कि ''क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिलि बनेहु शरीरा । इनमें से यदि एक भी घटक न रहे या प्रदूषित हो जाए तो मात्र मानव शरीर ही नही मानव सभ्यता भी संकट में पड़ सकती है। अतः शोधपत्र के अंत में शोधकर्ती पुनः समस्त पाठकों का आह्वान करती है कि समाज की प्रत्येक इकाई अपनी संस्कृति में निहित जीवनसूत्रों को पुनः आत्मसात करे और पुनः प्रकृति को उसका नैसर्गिक वैभव प्रदान करे।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. डी. एन. तिवारी (1996); वन आदिवासी एवं पर्यावरण, शांति प्रकाशन,प्रयागराज।

- श्री शरण एवं कुँवर अशोक प्रधान (2000) पर्यावरण, प्राणी और प्रदूषण,अनुराग प्रकाशन,महरौली,नई दिल्ली
- डॉ. दामोदर सिंघल (2001),प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- राम कुमार गुर्जर एवं बी.सी.जाट (2005) जल से संसाधन भूगोल ; रावत पब्लिकेशन, जयपुर. राजस्थान।
- डॉ. आर.एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन,जयपुर,राजस्थान।
- डॉ.एस.डी. मौर्य (2006), संसाधन एवं पर्यावरण; प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- माजिद हुसैन (2006); भौगोलिक चिंतन का इतिहास,रावत पब्लिकेशन,जयपुर,राजस्थान।
- डॉ. गोविन्द प्रसाद (2006); भौगोलिक संकल्पनाएँ; डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली।
- रमेश चंद्र दीक्षित (2007) भौगोलिक चिंतन का विकास (एक ऐतिहासिक समीक्षा);प्रेन्टिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- दामोदर शर्मा एवं हरीश चंद्र व्यास (2007); आधुनिक जीवन एवं पर्यावरणःप्रभात प्रकाशन,आसिफ़ अली रोड़,नई दिल्ली।
- बी.एल.लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन,आगरा।
- डॉ. मधु अस्थाना (2009) ; पर्यावरणः एक संक्षिप्त अध्ययन,मोतीलाल बनारसी दास, जवाहर नगर, बंगलो रोड,नई दिल्ली।
- सुखदेव प्रसाद (2009) पर्यावरण और हम; प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।

- हरीश चंद्र व्यास (2009) ; जनसंख्या प्रदूषण और पर्यावरण; प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- मनोजा शर्मा (2010); पर्यावरण संरक्षण एवं कानूनः इशिका पब्लिसिंग हाउस, जयपुर, राजस्थान।
- अरुण कुमार जैन (2015),जल ही अमृत है; प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।

3.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा का बदलता परिदृश्य

डॉ0 दीप्ति वाजपेयी
एसोसिएट प्रोफेसर (संस्कृत)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

शिक्षा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। शिक्षा ही वह ज्ञान ज्योति है, जो व्यक्ति के अंतर के तमस को नष्ट कर उसे विवेक शक्ति से आप्लावित करती है। शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय ''बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।'' इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि ''मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।'' शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में निसंदेह भारत के उज्ज्वल भविष्य की अनंत संभावनाएं निहित है।

इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। इस दृष्टि से लगभग 34 वर्षों के उपरांत पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आना हम सभी भारतीयों विशेषकर शिक्षा जगत के लिए एक अत्यधिक सुखद अनुभव है।

नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रारूप सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सहर्ष अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों को लागू करने हेतु शिक्षा जगत में युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न समितियों जैसे– प्रशासनिक समितियां, टास्क फोर्स,स्टीयरिंग कमेटी,सुपरवाइजरी कमेटी, विषय विशेषज्ञ समितियों आदि के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन लक्ष्यों को अपने अंदर समाहित किए हैं, उन्हें प्राप्त करने हेतु शिक्षा व्यवस्था का एक मजबूत ढांचा बना कर आगामी सत्र से उसे क्रियान्वित किया जा सके।

भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति का सम्मान करते हुए देश की स्थानीय एवं वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर हम एक पंक्ति में परिभाषित करें तो कह सकते हैं– **भारतीयता के गौरव बोध के साथ वैश्विक नागरिक के रूप में युवा शक्ति का विकास।**

नवीन शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था के औपनिवेशिक चरित्र को समाप्त कर भारतीय शिक्षा को वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप गति प्रदान करने में सक्षम है। यह छात्र छात्राओं को लचीलेपन के साथ बहुआयामी, अंतर्विषयक, बहु संकाय, कौशल विकास से समृद्ध शिक्षा प्रदान करने हेतु तथा उद्यमिता का मार्ग प्रशस्त करने वाली नीति है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूलभूत उद्देश्य निम्नवत है–

- यह नीति मुख्य रूप से समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर बल देती है।

- विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से संपन्न करना विज्ञान–टेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए भारत को ज्ञान आधारित सुपर पावर के रूप में स्थापित करना है।
- भाषा संबंधी बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने इत्यादि के लिए तकनीकी के प्रयोग पर बढ़ावा देना है।

शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण प्रणाली में सुधार–

- नई शिक्षा नीति की संस्तुतियों के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराने वाले उचित साधन संपन्न एवं बहुविषयक संस्थानों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
- अभी तक सरकारी स्कूलों में स्कूलिंग व्यवस्था नहीं थी। यहां पर बच्चा 6 वर्ष की आयु से अध्ययन प्रारंभ करता था, किंतु अब वह 3 वर्ष से ही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द्वारा आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षा प्रारंभ करेगा।
- पहले जहां विषय चुनने की आजादी कक्षा 11 से थी वहीं अब छात्रों को कक्षा 9 से ही विषय चुनने की स्वतंत्रता रहेगी।
- नई शिक्षा नीति में कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रेरित करने का संकल्प निहित है।
- इस नीति में 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में परिवर्तन कर अब वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली द्वारा दो बार ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- NEP 2020 में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की भी संस्तुति की गई है, जिससे सुबह के समय के पोषक नाश्ते के द्वारा विद्यार्थियों में की शारीरिक और मानसिक क्षमता का वर्धन किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का बदलता परिदृश्य–

- बहु स्तरीय प्रवेश एवं निकासी (मल्टीपलएंट्री एंड एग्जिट) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में 3 वर्ष डिग्री कोर्स में यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश मध्य में पढ़ाई छोड़ देता था तो उसे डिग्री ना मिलने से की हुई पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता था, किंतु अब नई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं–

- 1 वर्ष की पढ़ाई पर– सर्टिफिकेट
- 2 वर्ष की पढ़ाई पर –डिप्लोमा
- 3 या 4 वर्ष की पढ़ाई पर– डिग्री
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट– इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा और छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- जो छात्र उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहते उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल की है किंतु जो शोध अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री अब 4 साल की होगी।
- स्नातकोत्तर कोर्स में 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प रहेगा तथा 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जा रहा है।
- संयुक्त प्रवेश परीक्षा (कॉमन एडमिशन टेस्ट) CAT– शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एग्जाम दिया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराएगी।
- केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय,डीम्ड विश्वविद्यालय एवं प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए अभी तक अलग–अलग नियम थे। अब सबके लिए एक समान नियम बनाए जाएगें।
- अंतर्राष्ट्रीय करण– भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही चुनिंदा विद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) को समाप्त कर रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी।

शिक्षक वर्ग से संबंधित नए प्रावधान–

- नेशनल मेंटरिंगप्लान के अंतर्गत शिक्षको का उन्नयन किया जाएगा। शिक्षकों को प्रभावशाली और प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति में भी योग्यता को आधार बनाया जाएगा।

- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक(NPST) तैयार मिल जाऐगें।
- इस बात पर बल दिया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 से कम हो तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्र में उनका यह अनुपात 25:1 से कम हो।
- एक शिक्षक से यह अपेक्षित होगा कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास अर्थात शिक्षण से संबंधित आधुनिक शोध, नवाचार और स्वयं के उन्नयन में स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (CPD) में प्रतिभाग करें।
- इस नीति में यह भी संस्तुति की गई है कि शिक्षण में गुणवत्ता की दृष्टि से शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों से यथासंभव मुक्त रखा जाए।
- वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B-Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।
- संविदा शिक्षकों को रखने की व्यवस्था के स्थान पर नियमित शिक्षकों की भर्ती पर बल दिया जाएगा जिससे शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

शैक्षणिक भाषा से संबंधित प्रावधान–

- NEP–2020 में भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र अर्थात हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में अध्यापन करने पर बल दिया गया है।
- इस व्यवस्था के अनुसार कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषा में कराई जाएगी।
- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा विद्यार्थियों को किसी भी भाषा में अध्ययन के चयन का अधिकार होगा।
- ई कंटेंट क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित किए जाएंगे, जो अभी तक मात्र अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध थे। वर्चुअल लैब विकसित करने तथा राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नॉलॉजी फोरम बनाने की भी इस शिक्षा नीति में संस्तुति की गई है।

- दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया जाएगा तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।
- छठी कक्षा से ही वोकेशनल कोर्स की शुरुआत की जाएगी जिसके अंतर्गत छात्रों को आठवीं क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करने का अवसर दिया जाएगा।
- नवी कक्षा के विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं को सीखने का विकल्प प्राप्त होगा तथा भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान तथा पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
- विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल–कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम में भाग ले सकें।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार–

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।
- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।

- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence & AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान–

- एक स्वायत्त निकाय के रूप में ''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'' (National Educational Technology Forum) का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन, योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान–प्रदान किया जा सकेगा।
- डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाईयों का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

पारंपरिक ज्ञान–संबंधी प्रावधान–

- भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

शोध एवं अनुसंधान संबंधी प्रावधान–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एम. फिल की उपाधि को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।
- पीएच.डी के लिए 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अध्ययन के उपरांत स्नातकोत्तर के बाद पीएच.डी हेतु नामांकन का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन– राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को उचित रूप से प्रेरित और विकसित करने के लिए सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधान पर नियंत्रण रखने के लिए एन.आर.एफ का गठन करने की संस्तुति की गई है।

विशेष बिंदु–

- आकांक्षी जिले (Aspirational districts) जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते

हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' (Special Educational Zones) के रूप में नामित किया जाएगा।

- देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) की स्थापना करेगा।
- उल्लेखनीय है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचे का निर्माण किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समय की आवश्यकता–

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये भी नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये, शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये भी शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक था। निसंदेह नई शिक्षा नीति का समुचित क्रियान्वयन देश को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में समर्थ होगा। अतीत की भांति भारतीय मेघा पुनः विश्व स्तर पर सनातन ज्ञान परचम लहराने में सक्षम होगी तथा भारत विश्व का सिरमौर बनकर पुनः अपना गौरवशाली पद पुनः प्राप्त कर सकेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008), भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।

- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015), भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018), भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार, नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

4.

नई शिक्षा नीति 2020: शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन

डॉ. विनीता सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

1986 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ठीक बाद 2020 में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2020) बनाई गई है। इतने सालों में शिक्षा नीति (NEP 2020) में पढ़ने–पढ़ाने के तरीकों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. इसीलिए पूरे देश की निगाहें नई शिक्षा नीति पर टिकी थीं और इसे युवाओं और नए भारत के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है (नई शिक्षा नीति 2020 के पक्ष और विपक्ष)। लोगों की भीड़ में अपनी खास जगह बनाना आसान नहीं होता. एक–दूसरे के पीछे भागने की बजाय अपनी पहचान बनाने के लिए हर छात्र के पास कुछ खास हुनर (Skill Baseed Education) होना जरूरी है। ऐसे में नई शिक्षा नीति काफी मददगार साबित होगी. वर्तमान समय में इसे नये भारत की नींव माना जा रहा है।

किसी देश की उन्नति का आधार उस देश की शिक्षा नीति होती है। उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सुखी जीवन जीने के लिए तैयार होने के लिए एक बच्चे के विकास में शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। 21वीं सदी में 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव जुलाई

2020 में हुआ और यह नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आई। भारत सरकार द्वारा 2030 तक नीतिगत पहलुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। 34 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए; जुलाई 2020 में हमारी केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है। नई शिक्षा नीति में स्कूल स्तर के साथ–साथ उच्च शिक्षा में भी कई बदलाव शामिल हैं। वर्तमान नीति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान ले लिया है। नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने जनवरी 2015 में शुरू की थी और 2017 में समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा तैयार किया गया है। 2017 की रिपोर्ट के आधार पर, 2019 में पूर्व इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक नई टीम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नई शिक्षा नीति के मसौदे की घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जनता और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद की गई थी। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई, 2020 को लागू हुई।

शिक्षा क्या है?

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना और सिखाना। केंद्र सरकार ने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ और बच्चे के सर्वांगीण विकास को सार्थक करने वाली नई शिक्षा नीति 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) को मंजूरी दे दी है।

शुष्क जीवन जीने के लिए तैयार रहने के लिए बच्चे के विकास में शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 2030 तक नीतिगत पहलुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह छात्र की अपनी क्षमताओं और अवधारणाओं पर आधारित सीखने की प्रक्रिया है न कि रटने की। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है.

पिछली शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरतः

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता थी।

- शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षा प्रणाली की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता थी।
- इसके अलावा नई शिक्षा नीति में छात्र किताबी ज्ञान के अलावा भौगोलिक/बाह्य ज्ञान को भी अच्छे से समझ और सीख सकेगा। बच्चे को कुशल बनाने के साथ–साथ जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि हो उसे प्रशिक्षित करना होगा। इस तरह शिक्षार्थी अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगा सकेंगे। इसी उद्देश्य से शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस हुई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा

- वर्तमान नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले चुकी है।
- नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा जनवरी 2015 में कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमणियन के नेतृत्व में समिति द्वारा शुरू की गई थी और 2017 में समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
- 2017 की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा, 2019 में पूर्व इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) प्रमुख कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में नई टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जनता और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद मसौदा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी।
- नई शिक्षा नीति 29 जुलाई, 2020 को अस्तित्व में आई।

विद्यालय शिक्षा

10+2 मापांक को 5+3+3+4 मॉडल द्वारा बदल दिया गया है। यह निष्पादन कुछ इस प्रकार से किया जाएगाः

- फाउंडेशनल स्टेज – इसमें तीन साल की प्री–स्कूलिंग अवधि शामिल होगी।
- प्रारंभिक चरण – यह 8–11 वर्ष की आयु के साथ, कक्षा 3–5 का गठन करता है।
- मध्य चरण – यह 11–14 वर्ष की आयु के साथ , कक्षा 6–8 का गठन करेगा।
- माध्यमिक चरण – यह 14–19 वर्ष की आयु के साथ, कक्षा 9–12 का गठन करेगा। इन चार वर्षों को बहु–विषयक अध्ययन के लिए विकल्प के साथ जोड़ा जाएगा। अब केवल एक अनुशासन में अध्ययन करना आवश्यक नहीं होगा।
- छात्रों को केवल तीन बार, यानी कक्षा 3, कक्षा 5 कक्षा 8वीं में परीक्षाएं देनी होंगी।
- "परख", निकाय की स्थापना की जायेगी जो छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करेगा।

उच्च शिक्षा

- स्नातक कार्यक्रम एक लचीले निकास के साथ 4 साल का कार्यक्रम होगा। जिसमे एक वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त कर लेने के बाद छात्र को प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा, इसके अलावा 2 वर्ष समाप्त कर लेने के बाद डिप्लोमा की डिग्री, स्नातक की डिग्री 3–वर्ष के बाद और 4–वर्ष पूरा कर लेने पर शोध कार्य और अध्ययन किए गए विषय से संबंधित खोज के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन और वित्त प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद रहेगी। यह एआईसीटीई और यूजीसी की जगह लेगा।
- एनईईटी और जेईई आयोजित कराने के साथ–साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए आम प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।
- मास्टर ऑफ फिलॉसफी पाठ्यक्रम बंद कर दिया जायेगा, क्योंकि यह परास्नातक और पीएचडी के बीच एक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम था।

- अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरए) विकसित किया जाना है।
- विदेशी विश्वविद्यालय के परिसर हमारे देश में और उनके देश में हमारे परिसर स्थापित करेंगे।

नई शिक्षा नीति के लाभकारी प्रभाव

- यह सीखने वाले की आत्म–क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल पर जोर देता है। यह एक बच्चे को अपनी प्रतिभा विकसित करने में मदद करेगा यदि वे जन्मजात प्रतिभावान हैं तो।
- पहले छात्रों के पास अध्ययन के लिए केवल एक ही विषय चुनने का विकल्प था, लेकिन अब अलग–अलग विषय चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए – गणित के साथ–साथ कला और शिल्प का भी विकल्प चुन सकते हैं।
- हर विषय पर समान रूप से व्यवहार करने पर जोर।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच नवीन विचारों के समावेश के साथ सहभागिता, महत्वपूर्ण सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करना है।
- स्नातक पाठ्यक्रमों में कई निकास विकल्प छात्रों को अनुभव से लाभान्वित करने और इस बीच कहीं काम करने से कौशल प्राप्त करने और फिर बाद में जारी रखने का अवसर प्रदान करेंगे।
- नई शिक्षा नीति किसी भी विषय को सीखने के व्यावहारिक पहलू पर केंद्रित है, क्योंकि यह अवधारणा को समझने का एक बेहतर तरीका माना जाता है।
- 2040 तक सभी संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थान बहु–विषयक बन जाएंगे।

नई शिक्षा नीति – भारत में युवा शक्ति की नई राह

इस नई शिक्षा नीति से छात्र सशक्त होंगे और इससे भारत एक आत्मनिर्भर, विकसित और डिजिटल राष्ट्र बनेगा। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर लाए जाने वाले विभिन्न सुधारों से छात्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने और समाज के जिम्मेदार नागरिक

बनने में मदद मिलेगी। नई शिक्षा नीति छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने में काफी मददगार साबित होगी।

- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनईपी, एक बार और सभी के लिए, हिंदी बनाम अंग्रेजी भाषा की तीखी बहस को खत्म कर देती है; इसके बजाय, यह कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर देता है, जिसे शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है।

- बच्चों को इतना हुनरमंद बनाया जाएगा कि उनके भविष्य के साथ–साथ देश का भी विकास हो सके।

- अब भर्ती योग्यता के आधार पर होगी. ईसीसीई ('प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा') के माध्यम से बच्चों की देखभाल को शिक्षा से जोड़ा जाएगा।

- ग्रेजुएशन के तीन–चार साल के दौरान छात्रों के पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा।

- विज्ञान के छात्र अपनी रुचि के अनुसार इतिहास या कला विषय भी पढ़ सकेंगे। लेकिन उन्हें डिग्री केवल मुख्य धारा– कला या विज्ञान में ही मिलेगी।

- यह शिक्षार्थी की आत्म–प्रभावकारिता, संज्ञानात्मक कौशल पर जोर देता है। यदि बच्चा प्रतिभाशाली पैदा हुआ है तो इससे उसे अपनी प्रतिभा विकसित करने में मदद मिलेगी।

- पहले छात्रों के पास पढ़ाई के लिए केवल एक ही विषय चुनने का विकल्प होता था, लेकिन अब वे अलग–अलग विषय चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए – गणित के साथ कला और शिल्प।

- प्रत्येक विषय को समान रूप से मानने पर जोर।

- इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नवीन विचारों के समावेश के साथ बातचीत, आलोचनात्मक सोच और तर्क करने की क्षमता विकसित करना है।

- स्नातक पाठ्यक्रमों में एकाधिक निकास विकल्प छात्रों को इस बीच कहीं काम करके और फिर बाद में जारी रखकर अनुभव से लाभ उठाने और कौशल हासिल करने का अवसर प्रदान करेंगे।

- भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए, एनईपी ने सिफारिश की: एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना। यह एक स्वायत्त निकाय होगा जो भारत में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए सलाह, वित्त पोषण और क्षमता निर्माण का प्रबंधन करेगा।

- इसके अलावा मार्कशीट भी पहले की तरह तैयार नहीं की जाएगी, उसमें भी काफी बदलाव होगा। अब जो मार्कशीट तैयार की जाएगी उसमें न केवल बच्चों के विषय के अंकों को ध्यान में रखा जाएगा बल्कि उनके व्यवहार, मानसिक क्षमता और पाठ्येतर गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि अब बच्चे न सिर्फ पढ़ाई के प्रति बल्कि अन्य गतिविधियों में भी रुचि लेने के लिए प्रेरित होंगे।

- नई शिक्षा नीति किसी भी विषय को सीखने के व्यावहारिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि इसे अवधारणाओं को समझने का बेहतर तरीका माना जाता है।

- नीति के अनुसार, समय–समय पर निरीक्षण के बावजूद, पारदर्शिता, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना और अनुकूल सार्वजनिक धारणा संस्थानों के लिए एक लक्ष्य बन जाएगी, जिससे उनके मानक में सर्वांगीण सुधार होगा। नीति में शिक्षा के लिए एक सुपर–नियामक स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है जो भारत में उच्च शिक्षा के मानक–निर्धारण, वित्त पोषण, मान्यता और विनियमन के लिए जिम्मेदार होगा।

- 2040 तक सभी संस्थान और उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक हो जायेंगे।

चुनौतियां

- साल पुरानी शिक्षा प्रणाली के कारण शिक्षकों और छात्रों की मानसिकता में बदलाव इस नीति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। शिक्षकों पर इस नीति को

समझने और लागू करने का दबाव बढ़ेगा, जिसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

- नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा, जो एक समस्या बन सकती है।
- इस शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन प्रोग्राम 4 साल का है, जबकि अभी छात्रों के पास 3–4 साल में डिग्री लेने का विकल्प होता है।
- नई शिक्षा नीति में निजी स्कूलों के छोटी कक्षाओं के छात्रों को अंग्रेजी सिखाने पर फोकस किया जाएगा। इससे उनके और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच दूरी बढ़ने की आशंका है।
- इस नई शिक्षा नीति को आत्मसात करने में समय लग सकता है। इसके प्रयासों में काफी समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी।
- इस नई शिक्षा नीति को प्रभावी बनाने के लिए अनुभवी और सक्रिय शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जिनकी नियुक्ति गुणवत्ता एक मुख्य कार्य और चुनौती होगी।
- नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को तकनीकी दक्षता प्रदान करने का प्रावधान है, लेकिन जो छात्र आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी।

संभावनाएं

- सहकारी संघवाद की आवश्यकताः चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है (केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस पर कानून बना सकती हैं), प्रस्तावित सुधारों को केवल केंद्र और राज्यों द्वारा सहयोगात्मक रूप से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, केंद्र के सामने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर आम सहमति बनाने का बड़ा काम है।
- शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में प्रयासः सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए 'समावेश निधि' के निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही, एक नियामक प्रक्रिया स्थापित करने की

आवश्यकता है जो बेहिसाब दान के रूप में शिक्षा से मुनाफाखोरी पर रोक लगा सके।

- डिजिटल विभाजन को पाटनाः यदि प्रौद्योगिकी एक शक्ति–गुणक है, तो असमान पहुंच के साथ यह संपन्न और वंचित के बीच अंतर को भी बढ़ा सकती है। इस प्रकार, राज्य को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए डिजिटल उपकरणों तक पहुंच में आ रही असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी गई है जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की जरूरत है। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना है। किसी भी चीज के सपने देखने से वह काम नहीं करेगा, क्योंकि उचित योजना और उसके अनुसार काम करने से केवल उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलेगी। जितनी जल्दी एनईपी के उद्देश्य प्राप्त होंगे, उतना ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। यह शिक्षा नीति सुविचारित शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रारम्भ की जा रही है। विश्वास है इसके परिणाम लाभकारी तथा देशहित में होंगे। नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन यदि सही से हुआ तो हमारा देश भी अन्य देशों के समान अधिक उन्नत गुणवत्ता युक्त शिक्षा और शिक्षित समाज की स्थापना होगी जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।

- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

5.

नई शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता

डॉ0 कनकलता
असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

34 वर्षों के पश्चात जो वर्तमान नई शिक्षा नीति आई है वह पुरानी शिक्षा नीति 1986 से कहीं अधिक व्यावहारिक, व्यवसायिक एवं प्रासंगिक है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के ज्ञान को उनके व्यक्तित्व विकास एवं व्यवहारिक ज्ञान को मूल्य एवं व्यवसायपरक बनाएगा, जिससे एक ओर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। वहीं दूसरी ओर जीवन में ज्ञान की महत्ता स्थापित होगी। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में दिनांक 29/07/2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसके साथ ही देश में व्यापक स्तर पर शिक्षा पर चर्चा आरंभ हो गई।

शिक्षा के संबंध में गांधीजी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। इसी सर्वांगीण विकास के क्रम में हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या खामियां रह गई जिन्हें दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई शिक्षा नीति उन

उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा था? गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति, 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तन की अपेक्षा की गई है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी Grass Enrolment Ratio के साथ–साथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य रखा गया है । इसी क्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। अब हम कुछ तथ्यात्मक बदलाव का पुरानी शिक्षा नीति 1986 से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए शिक्षा नीति को समझने का प्रयास करेंगे।

स्कूली शिक्षा का संरचना:–

- 3–18 वर्ष तक–5+3+3+4
- 5 वर्षों का– 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2 Foundation Stage
- 3 वर्षों का– Pre Patrery Stage ग्रेड 3, 4, 5
- 3 वर्षों का– उच्च प्राथमिक ग्रेड 6,7,8
- 4 वर्षों का– माध्यमिक स्तर, ग्रेड 9,10,11,12

भाषा–

- कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में हो।
- स्कूली व उच्च शिक्षा में संस्कृत एवं अन्य प्राचीन भाषा के चयन का विकल्प हो।
- शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, बागवानी एवं मार्शल आर्ट पर बल दिया जाए।

पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी सुधार–

1. कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा एवं इंटर्नशिप की व्यवस्था भी होगी।

2. कक्षा 10 व कक्षा 12 में सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्न पत्र शामिल किया जा सकता है।

3. छात्रों के मूल्यांकन के लिए **परख नामक** बहुआयामी उद्देश्यों वाले राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

4. मूल्यांकन हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा।

5. संगीत, खेल, योग आदि को पाठ्यतर पाठ्यक्रम के स्थान पर मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए ।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान:–

1. NER को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया इसी क्रम में शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ सीट बढ़ेगी।

2. छात्रों का कोई भी शैक्षिक सत्र बर्बाद ना हो या शिक्षा में रूकावट होने के कारण स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था होगी इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे एवं उसी के अनुसार प्रमाण पत्र पा सकेंगे। उदाहरण के रूप में–

    - 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र
    - 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा प्रमाण पत्र
    - 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र
    - 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक प्रमाण पत्र।

3. नई शिक्षा नीति में एम .फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्नातक स्तर के अंतर्गत ही चतुर्थ वर्ष को शोध के साथ स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी।

4. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा (चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर) जो उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय (सिंगल अंब्रेला बॉडी) के रूप में कार्य करेगा।

5. IIT एवं IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहु–विषय शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

7. डिजिटल शिक्षा के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा।

8. प्रौद्योगिकी इकाई का विकास।

विशेष बिंदु :–

1. आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक ,सामाजिक व जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं। उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशनल जोन वाले छात्रों को विशेष सुविधा दी जाएगी।

2. ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की जाएगी।

नई शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता

'देववाणी संस्कृतम्' संस्कृत देवों की भाषा है। सही अर्थों में संस्कृत भारत की आत्मा है। देश के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक ,धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जीवन का विकास संस्कृत भाषा से ही पूर्ण होता है। सभी भाषाओं की जननी के रूप में संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की मेरुदंड है जिसने हजारों वर्षों से हमारी भारतीय संस्कृति को न केवल सुरक्षित रखा है, बल्कि उसका संवर्धन एवं पोषण करते हुए विकास भी किया है। नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की महामहीम श्रीमती राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कहा है कि नई शिक्षा नीति से संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन में लाभ मिलेगा जिससे हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृत में अंतर्निहित महान ज्ञान संपदा का ज्ञान होगा। आज पूरा विश्व संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता एवं प्रमाणिकता को समझ रहा है तथा देश विदेश के मनीषियों ने भी संस्कृ त की महत्ता को हृदय से स्वीकार किया है। अतः भारत के साथ विदेशी विद्वानों ने संस्कृत शास्त्रों का गहन अध्ययन, मनन, चिंतन किया है।संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को आधुनिक विज्ञान की भाषा माना गया और उसे रोजगार से जोड़ें जाने के लिए कई नवीन प्रावधान लागू किए गए हैं। स्कुली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में संस्कृत एवं अन्य प्राचीन भाषा जैसे द्रविड़ भाषा के

चयन का विकल्प रखा गया है। संस्कृत के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विशेष दृष्टि रखती है। संस्कृत भाषा को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से इसे त्रिभाषा सूत्र में एक विकल्प के रूप में रखने का निर्णय अत्यंत अनूठा एवं सराहनीय रहा है। नई शिक्षा नीति संस्कृत ज्ञान व्यवस्था को बहु विषयक तथा अंतर विषयक विषय बनाने पर बल देती है। सत्य है कि कई कारण से भारतवर्ष के अकादमिक समुदाय ने अनेक वर्षों से संस्कृत भाषा की उपेक्षा की है जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारा शिक्षित समाज या तो अपनी सांस्कृतिक परंपरा से अनभिज्ञ रहा या उसे आधुनिकता के सापेक्ष में हेय दृष्टि से देखता है।

कैसी विडंबना है कि हजारों वर्षों तक ज्ञान–विज्ञान, अध्यात्म ,दर्शन ,चिकित्सा, आयुर्वेद, साहित्य, प्रशासन, चिंतन ,खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति आदि की विपुल संपदा निर्बाध निर्वहन करने वाली संस्कृत को आधुनिक भारत के लिए अल्प शिक्षितों के द्वारा मात्र एक भाषा कहने का दुस्साहस कर लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक वैभव का वैश्विक दर्शन कराने वाली संस्कृत के ज्ञान से अधिकांश भारतीय अनभिज्ञ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सकारात्मक रूप में संबोधित करती है। पांडुलिपियों का एकत्रीकरण तथा संरक्षण सभी शिक्षण संस्थाओं के शोधकर्ताओं के लिए सहायक सिद्ध होगा। संस्कृत शिक्षकों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव इस दिशा में संजीवनी प्रदान करेगा ।

निष्कर्ष–

केंद्रीय मंत्रिमंडल में 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है अगर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली निश्चित ही भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी। 34 वर्षों के पश्चात आई इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रीडी मशीन ,डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार की क्षमता में वृद्धि होगी।

इस प्रकार उपर्युक्त शैक्षिक क्रांतिकारी बदलाव हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को न केवल मानवपरक, लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी बनाएगी बल्कि उनके व्यवहारिक

जीवन में आने वाली व्यवसायिक एवं रोजगार संबधी चुनौतियों का भी सामना करना सिखाएगी ।अतः नई शिक्षा नीति भारत को एक नया रचनात्मक भारत बनाएगी जिसमें संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता चिरकाल तक बनी रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ

- नई शिक्षा नीति, 2020 रिपोर्ट (भारत सरकार)।
- यादव, जितेंद्र, 'नई शिक्षा नीति 2020 एवं मेरे विचार', नई दिल्ली।
- सिंह, प्रोफेसर दिनेश (29 जुलाई 2020) 'स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियां खोलेगी नई शिक्षा नीति'।
- नई शिक्षा नीति, (30 जुलाई 2020) नवभारत टाइम्स।
- प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त अंक, 2020।
- योजना पत्रिका, जुलाई अंक, 2020।

6.

भाषा एवं साहित्य : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका

डॉ. नीलम शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

शिक्षा ज्ञानार्जन की सतत प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके लिए व्यापक दृष्टिकोण से समय अवधि की कोई सीमा निश्चित नहीं है। संस्कृत भाषा की शिक्ष् धातु से निर्मित शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा को संकुचित एवं व्यापक दोनों ही अर्थों में लिया जाता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में निश्चित समय तथा निश्चित स्थान (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षा को उत्तीर्ण कर डिग्री प्राप्त करते हैं। वहीं व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सतत चलने वाली उद्देश्य पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसकी ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, नैतिक एवं

आध्यात्मिक विकास करते हुए उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। अच्छी शिक्षा ही ज्ञान और कौशल से समृद्ध करती है तभी वह मनुष्य को योग्य और सुपात्र बनाती है।

शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा मनुष्य में निहित दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। अतः शिक्षा स्वयं को पहचानने व अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। वस्तुतः शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी संशयों का उन्मूलन तथा समस्त बाधाओं का निवारण हो जाता है। वह वास्तविक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, विवेक एवं कुशलता में वृद्धि होती है। व्यक्ति की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के पूर्ण विकास का दायित्व शिक्षा पर है।

प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा विद्यालय, महाविद्यालय के बाद जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन मात्र नहीं था, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था । यही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है। शिक्षा जीवन के महत्व को समझाते हुए मानवीय जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है इसीलिए तो कहा गया है – ''विद्ययामृतमश्नुते'' (ईशावास्योपनिषद्,11) विद्या से अमृतत्त्व, परमानंद एवं मोक्ष की प्राप्ति संभव है। वास्तविक विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए – ''सा विद्या या विमुक्तये।'' (विष्णुपुराण 1.19.41) इस प्रकार शिक्षा सर्वांगीण विकास की कुंजी है व्यक्ति को इस प्रकार आत्म प्रकाशित किया जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके।

शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति एवं अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक अस्मिता, धरोहर एवं ज्ञान परंपरा को अभिव्यक्ति देने तथा समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले सभी सिद्धांतों एवं नियम कानूनों के समुच्चय को ही शिक्षा नीति कहा जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा पर पिछली नीतियों का बल मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था । भारतीय शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किए गए हैं । तेजी

से परिवर्तित समय के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता के कारण शिक्षा नीति में परिवर्तन की मांग की जा रही थी। ज्ञान के परिदृश्य में संपूर्ण विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए तथा भारत को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट में कहा गया है कि रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे को जो कुछ सिखाया जाए वह उसे तो सीखें ही साथ ही साथ सतत सीखते रहने की कला भी सीखे। इसलिए शिक्षा में विषयवस्तु में वृद्धि के स्थान पर अधिक बल इस बात पर जरूरी है कि बच्चे समस्या–समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखे। विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को देख पाए । कुछ नया सोच पाए और प्राप्त नवीन जानकारी को बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाए। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो। जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचि पूर्ण हो। शिक्षा ऐसी हो जो शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करें। इसलिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल, फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति, और मूल्य का अवश्य समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण हो। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए तथा उन्हें रोजगार के लिए भी सक्षम बनाना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के उज्जवल भविष्य की अनंत संभावनाएँ समाहित है। यह नीति भारत की ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बनाए रखते हुए शिक्षा के वास्तविक अर्थ को चरितार्थ करने के लिए कृतसंकल्पित है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। अतः शिक्षा में सर्वांगीणता को समाहित करने वाली नई शिक्षा

नीति भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो भारतीयता के गौरव बोध के साथ वैश्विक नागरिक के रूप में कुशल युवा शक्ति का आगाज है यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याओं जिनके कारण शिक्षा का स्वरूप और उसकी उपलब्धियां विश्रृंखलित हुई है, उन पर गहन और व्यापक विचार विमर्श के बाद नई शिक्षा नीति 2020 में भविष्य के अनुरूप कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं । इनमें शिक्षा प्रणाली की संरचना, प्रक्रिया, लक्ष्य, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अध्यापक, प्रशिक्षण आदि सभी पहलुओं पर सार्थक विचार किया गया है।

मानवीय भावों की अभिव्यक्ति एवं ज्ञान अर्जन का माध्यम भाषा ही होती है। इसलिए भाषा पर विशेष रूप से ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। भाषा कला एवं संस्कृति से भी अटूट रूप से जुड़ी हुई है। भारत की अनुपम एवं समृद्ध संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए भाषाओं का संरक्षण व संवर्धन भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह से सराहना करना बिना भाषा के संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश समुचित संरक्षण एवं अवधान नहीं मिलने के कारण विगत 50 वर्षों में भारतवर्ष ने 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। अन्यान्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत की भाषायी विविधता के उन्नयन एवं संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आरंभिक स्तर पर मातृभाषा को महत्व दिया गया है। कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन अध्यापन पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जोड़े रखते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। यह एक प्रशंसनीय प्रयास है क्योंकि यह सर्वविदित है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण और अध्यापन बच्चों के मानसिक व स्वभाविक विकास के लिए लाभदायक होता है । छोटे बच्चे मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जल्दी सीखते हैं। इसलिए विद्यालय स्तर पर भी इसका प्रयोग होगा तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को श्रम अब सीखने में करना है, अब उनकी ऊर्जा विषयवस्तु को सीखने, जानने और समझने में

लगेगी, न वह अब की भाषा के भंवर जाल में उलझे रहेंगे। नई शिक्षा नीति में प्रावधान है कि विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

नई शिक्षा नीति का यह निर्णय स्वागत योग्य है। मातृभाषा में पढ़ाई का उद्देश्य बच्चों को प्रदेश की संस्कृति, खान–पान, रहन–सहन एवं परंपराओं से जोड़ना भी है। साथ ही शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को शामिल करने का एक उद्देश्य भाषाओं को सहेजना और मजबूती प्रदान करना है, इससे लुप्त हो रही भाषाओं को नया जीवनदान मिलेगा। यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी विभिन्न भाषाएँ सीख लेते हैं और बहुभाषिकता से उनको बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है। इसलिए इस नीति में विभिन्न भाषाओं में बच्चों को अध्ययन कराने और मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाए जाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस बात पर विशेश ध्यान है बच्चों में पठन कौशल के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में लेखन कौशल विकसित किए जातें। इसके लिए भारत के विभिन्न राज्यों एवं सभी क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास किया जाएगा और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का वृद्ध उपयोग किया जाएगा।

भारत की बहुभाषाभाषी समृद्ध परंपरा को महत्व देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुरानी शिक्षा नीतियों के समान भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाना जारी रहेगा, किंतु इसमें काफी लचीलापन रखा गया है। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। भाषाओं के चयन में विद्यार्थी की स्वयं की रुचि को सर्वोपरि रखा गया है। विद्यार्थियों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प चयन में अधिगमकर्ता को महत्व देते हुए राज्य, क्षेत्र से अधिक विद्यार्थियों का स्वयं का निर्णय मान्य होगा, लेकिन कम से कम तीन में से दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन आवश्यक होगा। विद्यार्थियों द्वारा सीखी जाने वाली भाषाओं में से एकाधिक भाषाओं के परिवर्तन का भी विकल्प रहेगा।

सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में भाषाओं और तत्संबंधित साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर विशेष जोर दिया गया है । भारत की भाषाएं दुनिया भर में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यञ्जक भाषा में से हैं जिनमें गद्य व

पद्य में प्राचीन और आधुनिक साहित्य के विशाल भंडार है। इन भाषाओं में रचित साहित्य राष्ट्रीय पहचान और धरोहर है, इसलिए इनके अध्ययन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में रुचिपूर्ण और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों और स्थानीय पुस्तकालय में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है और आवश्यकता अनुसार उचित और गुणवत्तापूर्ण अनुवाद भी कराए जाएंगे। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी, जिसमें सभी भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता,पहुंच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी।

भारतीय भाषाओं के उन्नयन की दृष्टि से नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के उद्भव, विकास एवं अंतर्संबंध को समझने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के मध्य ग्रेड 6 से 8 में ''द लैंग्वेज ऑफ इंडिया'' नामक रुचिकर प्रोजेक्ट या गतिविधि में भाग लेने का सुझाव दिया गया है। इसमें समस्त विद्यार्थी प्रमुख भारतीय भाषाओं की एकता के बारे में जानेंगे। इसमें संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसमें संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्भव को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही भाषाओं की समृद्ध परंपरा, संरचना,भौगोलिक क्षेत्र, अंतर प्रभाव और अंतरों को समझना होगा। यद्यपि यह गतिविधि एक रुचिकर और आनंदायी गतिविधि के रूप में ही रखी गई है। इसमें किसी भी रूप में मूल्यांकन को शामिल नहीं किया गया है।

संस्कृत भाषा के बृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के विपुल साहित्य, अद्वितीय प्राच्य ज्ञान, सांस्कृतिक महत्व एवं वैज्ञानिकता के कारण संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्यधारा में लाया जाएगा। इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा अपितु रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से एवं अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नाटक विधा, योग आयुर्वेद, चिकित्सा आदि के संबंध में इस भाषा के प्राच्य ज्ञान को उद्घाटित करने का प्रयास किया जाएगा। अन्य विषयों एवं भाषाओं के साथ में अंतरसंबंध को भी अध्ययन अध्यापन में विशेष महत्व दिया जाएगा। साथ ही संस्कृत भाषा के जो विश्वविद्यालय हैं, वे भी उच्चतर शिक्षा के बड़े बहु विषयक

संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर करने का प्रावधान है। शिक्षा एवं संस्कृत विषय में 4 वर्षीय बहुविषयक बी0 एड0 डिग्री के द्वारा मिशन मोड में संपूर्ण देश में संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समस्त भारतीय भाषाओं के शब्दकोशों को निरंतर अद्यतन किया जाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। वहां शब्द कोषों एवं शब्द भंडार की आधिकारिक रूप से अपडेशन की बात की गई है ताकि समसामयिक अवधारणाओं, शब्दों एवं घटनाओं पर भी इन भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति दी जा सके एवं चर्चा की जा सके। इससे सभी भारतीय भाषाएं लाभान्वित होंगी। इसके लिए भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी।

संपूर्ण प्रदेश में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास भी भाषाओं के उन्नयन की दृष्टि से स्वागत योग्य है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का भी सुझाव है। भाषा शिक्षण में भी सुधार की अत्यंत आवश्यकता है ताकि वह अधिक अनुभव आधारित बने और संबंधित भाषा में वार्तालाप एवं अंतःक्रिया की क्षमता विकसित हो सके। इसके लिए भाषायी दक्षता से युक्त कुशल शिक्षकों की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया गया है।

संस्कृत के अतिरिक्त भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पालि, फारसी और प्राकृत भाषाएं शामिल है, इन भाषाओं और इनके अत्यंत समृद्ध साहित्य को जीवंत बनाए रखने के लिए विद्यालय एवं उच्च शिक्षा स्तर पर व्यापक रूप से विद्यार्थियों के लिए विकल्प के रूप में ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में अनुभवात्मक और अभिनव एप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई,जापानी, थाई,फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध कराने का प्रावधान है , ताकि विद्यार्थी न केवल भारतीय संस्कृति से अपितु वैश्विक ज्ञान एवं विश्व संस्कृतियों के बारे में भी जान सके और वैश्विक ज्ञान को भारतीय ज्ञान से तुलनात्मक दृष्टि विश्लेषण करने की क्षमता विकसित हो सके।

भाषाओं के अध्ययन–अध्यापन में उदासीनता एवं रुचि के अभाव को देखते हुए नई शिक्षा नीति में भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किए जाने का महत्वपूर्ण सुझाव है, जिनमें सरलीकरण और एप्स के माध्यम से भाषाओं के विभिन्न पहलुओं को वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करते हुए सिखाने का प्रयास किया जाएगा।

बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा (Indian sign Language& ISL) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करने का सुझाव भारतीय भाषाओं एवं उनके साहित्य की दृष्टि से उपयुक्त है।

भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री एवं अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अनुवाद एवं व्याख्यान संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन – आई आई. टी. आई.) की स्थापना की जाएगी। पाली, फारसी एवं प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं की पांडुलिपियों को संग्रहित करने, संरक्षित करने, अनुवाद, व्याख्या, अध्ययन आदि के प्रयास सम्मिलित हैं।

समस्त भारतीय भाषाओं एवं संबंधित समृद्ध साहित्य, कला, संस्कृति आदि को ऑनलाइन माध्यम से संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु वेब आधारित प्लेटफार्म (पोर्टल) विकिपीडिया आदि के माध्यम से भारतीय भाषाएँ और उनके साहित्य को न केवल स्थानीय स्तर पर अपितु देशव्यापी एवं वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिलेगी। विभिन्न भारतीय भाषा में अनुवाद के सॉफ्टवेयर भी बनाए जाएंगे।

भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति एवं उत्कृष्ट साहित्य के सृजन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

भाषा के दृष्टिगत इन समस्त विशेष प्रयासों के अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक महत्वपूर्ण नवीन परिवर्तन किया गया है जिसमें अध्ययन विषयों के चयन में व्यापक अवसरों को प्रदान करते हुए संभावनाओं के नए द्वार उद्घाटित किए गए हैं अर्थात् इस शिक्षा नीति में विषय चयन के विकल्पों में लचीलापन लाया गया है । विद्यार्थी के बहुमुखी विकास की दृष्टि से अंतरानुशासनिक (इंटर डिसीप्लिनरी) अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व निसंदेह है और यह आज की मांग भी है। अतः कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों की पारस्परिकता का सम्मान एक महत्वपूर्ण कदम है। अब कोई भी विद्यार्थी चाहे वह विज्ञान या वाणिज्य का है, यदि किसी भारतीय भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करना चाहता है तो नई शिक्षा नीति में उसे यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

निसंदेह भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं भारतीय भाषाओं के उन्नयन की दृष्टि से नई शिक्षा नीति अत्यंत सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर व्यापक एवं गहन विचार विमर्श के बाद महत्वपूर्ण व्यवहारिक सुझावों के साथ भाषा एवं साहित्य के उन्नयन की दृष्टि से सराहनीय प्रयास किए गए हैं। इसमें भाषा और संस्कृति के महत्व को केंद्रीय स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली बार भारतीय भाषाओं एवं तत्संबंधित साहित्य को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए उनको सहेजने, मुख्यधारा में लाने तथा लुप्तप्राय भाषाओं को संजीवनी देने पर जोर दिया गया है। इसमें न केवल प्राथमिक स्तर अपितु उच्च शिक्षा स्तर तक भारतीय भाषाओं एवं तत्संबंधित साहित्य के अध्ययन–अध्यापन शिक्षण,संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से न केवल शिक्षा प्रणाली में भाषा विषयक संरचनात्मक परिवर्तन अपितु उनको व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए भाषा शिक्षण प्रणाली, अंतरानुशासनिक शिक्षण, ऑनलाइन भाषा शिक्षक एवं शिक्षण संस्थानों आदि के संबंध में उल्लेखनीय सुझाव दिए गए हैं। यह सब कुछ तभी साकार हो सकता है जब इन प्रावधानों पर गहन विचार विमर्श के बाद कार्यप्रणाली निश्चित करते हुए इन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए और लागू करने का सर्वोत्तम प्रयास किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ

- ईशावास्योपनिषद् (शांकरभाष्यसहित) श्री शांकर ग्रंथावली (भाग 8), समता बुक मद्रास 1983
- विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर 2001
- https//hi-m-wikipedia-org/wiki/ शिक्षा विकीपीडिया
- https//www-education-gov-in/hi/mhrd&hi राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- https//www-prabhasakshi com/amp/news/regional &languages&given&importance&in&new& education&policy
- https//www-drishtiias-com/hindi/daily&updates/ daily&news&editorials/an&education &policy&that& is&sweeping&in&its&vision
- https//sahityacinemasetu-com/implications& of&the&concept&of&mother&tongue &in&education& up&to&primary&level&in&the&new&education&policy/
- https//www-google-com/amp/s/www-thelallantop-com/ bherant/what&is&three &language&formula& that&nep&2020&mentions&and&how&is&it&going&to& work/amp/
- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।

- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

7.

महिला सशक्तिकरण 2020 की नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में

डॉ0 शिखा रानी
असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी)
श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दनकौर, गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0

देश ने बीते एक वर्ष में कोविड–19 महामारी और चमोली जल–प्रलय के रूप में दो बेहद विषम परिस्थितियाँ देखी हैं। ऐसे हालात में पीड़ितों को संभालने और उबारने में वैज्ञानिकों–चिकित्सकों, अधिकारियों ने जो अहम भूमिका निभाई उनमें सबसे अधिक सहभागिता महिलाओं की थी। वह हम सबके लिए मंगल गान लेकर आईं।

विश्व बैंक समूह की 2018 की रिपोर्ट बताती है कि कार्यबल में लैगिंक असमानता के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को करीब 160 खरब डॉलर की क्षति उठानी पड़ी थी। कार्यबल में महिलाओं की अस्वीकार्यता कई वर्षों से है। यही कारण है कि 18वीं सदी तक महिलाऐं सिर्फ वस्त्र उद्योग से जुड़े व्यवसायों में ही संलग्न हो पायी, जहाँ उन्हें कम वेतन और भयाभय परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। स्थिति तब बदली जब प्रथम विश्व युद्ध में सभी स्वस्थ पुरुष सेना में भर्ती हो गये तब **परिवहन, अस्पताल, यहाँ तक की हथियार फैक्ट्रीयों** में भी महिलाओं को शामिल किया गया। उस विश्व युद्ध में 60 हजार रुसी महिलाऐं बटालियन ऑफ डैथ का हिस्सा रही

थीं फिर भी वह पुरुषवादी सोच खत्म नहीं हुई कि महिलाओं में मारक क्षमता का अभाव होता है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का समय पास आते देख सोची–समझी नीति के तहत ''द रेस्टोरेशन ऑफ प्री वार प्रैक्टिस एक्ट–1919'' की बहाली कर महिलाओं पर दबाब बनाया गया कि वह अपनी नौकरियाँ स्वतः ही छोड़ दें ताकि युद्ध से लौटे सैनिक पुनः आपना कार्य ग्रहण कर सकें। वर्ष 1944 में यू0एस0 वुमेन ब्यूरो के एक सर्वेक्षण में 84 प्रतिशत महिलाओं ने युद्ध के समय शुरु किये गए कार्य जारी रखने की इच्छा जतायी थी परन्तु सामाजिक दबाब के आगे उन्हें झुकना पड़ा और 30–40 लाख महिलाओं को अपना रोजगार छोड़ना पड़ा। अमेरिकी लेखिका बेट्टी फ्रीडम ने अपनी पुस्तक ''फेमिनिन मिस्टेक'' में लिखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद महिलाओं को विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती रही कि घर की चार दीवारी में ही उनके जीवन का सारा सुख हैं।

वर्ष 2018 में नंदी फाउण्डेशन के एक अध्ययन में कहा गया कि भारत की आठ करोड़ किशोरियाँ कैरियर को लेकर ढेर सारी उम्मीदें रखती हैं पर उनकी उम्मीदें पूरी हो पायेगीं यह कहना मुश्किल है। यह विद्रूप नहीं तो और क्या है कि विपदाओं और महामारियों के समय महिलाओं केा श्रम बल से जोड़ने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, पर स्थिति सामान्य होते ही उन्हें पीछे धकेलने के प्रयास किये जाते हैं।

भारतीय समाज हमेशा से ही पुरुष प्रधान रहा है। इस पुरुष प्रधान समाज द्वारा महिलाओं पर हर तरह के कठोर प्रतिबन्ध लगाये जाते रहे हैं। स्वयं मनु ने भी कहा है कि–''स्त्रियाँ कभी भी स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। बाल्यावस्था में उन्हें, पिता, युवावस्था में उन्हें पति एवं वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ता है।'' वैदिक काल में स्त्री–पुरुष के अधिकारों में समानता थी परन्तु वैदिक काल के बाद स्त्रियों को एक–एक करके उनके सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। मध्यकाल में मुसलमानों के प्रभाव बढ़ने के साथ ही स्त्रियों पर प्रतिबन्ध बढ़ते गये, जैसे– बेमेल विवाह, पर्दाप्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध आदि।

स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्या सागर, स्वामी विवेकानन्द एवं स्वामी दयानन्द ने सराहनीय प्रयास किये। आज महिलाओं की स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए कई अधिनियम लागू हो चुके हैं, जैसे– 'हिन्दु उत्तराधिकारी' अधिनियम 1956, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधि ानियम 1956, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976,

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, हिन्दु विवाह अधिनियम 1955, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि। आज महिलाओं के विकास एवं समाज में उन्हें सम्मानजनक दर्जा दिलाने हेतु लम्बे चौड़े कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। महिलाओं को हिंसा, शोषण, अत्याचार आदि से निज़ात (मुक्ति) दिलाने के लिये विश्व सम्मेलनों के रूप में प्रयास किये जा रहे हैं जिसका श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ को है। प्रथम महिला सम्मेलन 19 जून से 02 जुलाई तक मैक्सिको सिटी में 1975 में सम्पन्न हुआ जिसमें 1976 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एवं 1975–1984 को महिला दशक घोषित किया गया। उसके बाद क्रमशः 14 जुलाई से 31 जुलाई 1980 कोपन हेगन में, 15 जुलाई से 26 जुलाई 1985 नैरोबी में तथा 04 सितम्बर से 15 सितम्बर 1995 पेइचिंग में क्रमशः द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिनमें महिलाओं के विकास में लिये कई प्रस्ताव पारित हुए एवं महिला शिक्षा, महिला रोजगार, लिंग भेद मिटाने एवं महिला समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न किये गये। हर वर्ष 08 मार्च को अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाएँ शिक्षित होकर अपनी शक्ति, अधिकार और पहचान को समझ सकें।

आज देखने से यह लगता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो चुकी है परन्तु इतने प्रयासों के बाद भी आज समाज में नारी का स्थान वह नहीं है जो होना चाहिए। आज पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। महिला साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में काफी कम है। ग्रामीण अंचल में इसकी दशा और दयनीय है। महिलाएँ आत्मनिर्भर बनने के लिए श्रम कर रही हैं। अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो रही हैं, लेकिन फिर भी भारत जैसे विशाल देश में आज भी महिलाएँ शोषण का शिकार हो रही है। आज स्त्री के प्रति दहेज, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, कार्यक्षेत्र में शोषण जैसे अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। शिक्षित तथा जागरुक होने पर भी आज नारी स्वयं के बारे में स्वतंत्रता से कोई निर्णय नहीं ले सकती जबकि थाइलैण्ड तथा क्यूबा जैसे छोटे से टापू की महिलाएँ अधिक आत्मनिर्भर, जागरुक तथा स्वतंत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पायी है जबकि वहाँ पर स्त्रियाँ स्वावलम्बी है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा बांग्लादेश में महिलाएँ प्रधानमंत्री बनीं पर आज भी परतंत्र हैं। भले ही आज ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी हो, महिला चाहे किसी भी उच्च पद पर आसीन क्यों न हो पर क्या उनका शोषण बन्द हो गया है, कितनी अचरज की बात है कि जिस देश में गौहत्या होने पर दंगे होते हैं परन्तुँ कन्या भ्रूण हत्या पर खामोशी रहती है।

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।[1]''

अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है किन्तु बेटियों की दिन–प्रतिदिन कम होती संख्या हमारे दोहरे चरित्र को उजागर करती है। माँ के गर्भ में पल रही कन्या की जब हत्या कर दी जाती है, तब वह बचने के लिए कितने जतन करती होगी यह एक माँ ही समझ सकती है। गर्भ में 'माँ मुझे बचा लो' की चीख कोई स्वप्न नहीं बल्कि एक दर्दनाक सच्चाई है।

गाँधी जी ने भी कहा है कि –**''एक पुरूष को पढ़ाओगें तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, परन्तु जब एक स्त्री को पढ़ाओगें तो पूरा परिवार शिक्षित होगा।[2]''**

बालकों के पालन–पोषण में शिक्षा के द्वारा महिलायें अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरुक हुई। वे अपने मन और धन पर नियंत्रण रख सकती हैं। शिक्षित महिला शिक्षा के प्रभाव से पास–पड़ोस परिवार को अपने विचारों से प्रभावित करती हैं।

एक नारी ही माँ के रुप में बच्चे की प्रथम अध्यापिका बनती है। गाँधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लड़के–लड़कियों को स्वयं के प्रति अधिक उत्तरदायी बना सके और एक–दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा कर सकें। महिला साक्षरता से शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई है और जनसंख्या नियंत्रण को भी बढ़ावा मिला है। महिलाओं की स्थिति में जो भी सुधार आये हैं वे इसी वर्तमान युग में आये हैं।

पं0 जवाहर लाल नेहरु द्वारा कहा गया प्रसिद्ध वाक्य–**''लोगों को जगाने के लिए, महिलाओं का जागृत होना जरुरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता हैं, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है।[3]''**

नारी ने जब से इस धरती पर पदार्पण किया हैं तभी से उसे प्रकृति या अपने वातावरण के साथ द्वन्द या संघर्ष करना पड़ा है। वह अपने इस द्वन्द को कम करने के लिए अपने वातावरण के साथ समझौता करके या तो वह अपने आप में परिवर्तन कर लेती है या अपने वातावरण में कोई परिवर्तन करने का प्रयास करती है। यदि वह इन दोनों में से किसी एक में भी परिवर्तन कर लेती है, तो वह अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकती है। यदि वह इन दोनों में से किसी एक में भी परिवर्तन नहीं कर पाती है तो

उसका जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों के विरूद्ध राक्षसी सोच को मारना जरुरी है। जैसे– अशिक्षा, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, बलात्कार, वैश्यावृत्ति और भेदभाव जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है और हमारी महिलाओं को असुरक्षा प्रदान करता है।

किसी भी समाज के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिकों में सामाजिक संवेदना तथा समाज के प्रति दायित्व बोध की भावना को जागृत कर उसे विकसित किया जाये। आज की परिस्थितियों में इस बात का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि उपभोक्तावाद के आक्रमण और विकासशील देशों में आये मूल्यगत संक्रमण के कारण उपरोक्त दोनों ही बातों का ह्रास हुआ है। राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास की मूल अवधारणा आज वैयक्तिक सुखवाद और भोगवाद के तले दबती जा रही हे। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय दायित्व और सामाजिक जिम्मेदारी की भावनाओं को जगाने का कार्य मात्र शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। क्योंकि मानव के सर्वागीण विकास का मूल शिक्षा ही है, एक न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण और राष्ट्र के विकास के भी शिक्षा आवश्यक है।

जुलाई 2020 में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। यह नीति अन्तरिक्ष वैज्ञानिक के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले वर्ष 1968 तथा वर्ष 1986 शिक्षा नीतियां लागू की गई थीं। 34 वर्षों से हमारी शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वास्तव में इसमें बदलाव की आवश्यकता थी। बदलते वैश्विक परिवेश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन आवश्यक था। ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 बहुत महत्व रखती हैं। एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों द्वारा होता है और नारी इस कड़ी का अहम हिस्सा है, वैसे शिक्षा सभी के लिए चाहे स्त्री हो या पुरुष समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छा नागरिक होने के नाते शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक स्त्री का मूल अधिकार है जो देश की प्रगति उन्नति एवं विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आज नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है। सभी क्षेत्रों में उसका पदार्पण हो चुका है। परन्तु यह स्थिति सभी वर्ग की महिलाओं पर लागू नहीं होती। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र

सामाजिक, आर्थिक एवं अल्पसंख्यक रुप से पिछड़ी महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है और सशक्तिकरण का सबसे अच्छा साधन शिक्षा ही है। नारी के लिए शिक्षा और भी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वह केवल स्वयं शिक्षित नहीं होती बल्कि अपने पूरे परिवार एवं बच्चों को भी शिक्षित करती है। चाहे घर हो या बाहर वह दोनों की जिम्मेदारी निभाती है। नई शिक्षा नीति 2020 वह है जो नारी शिक्षा को बढ़ावा देती है तथा उन समस्याओं व बाधाओं को दूर करती है जो इनके मार्ग में बाधक हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किये गये है। जिसमें जेन्डर समावेशी कोष की स्थापना एक नया और क्रांतिकारी कदम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पूरी ईमानदारी से उन समस्याओं और बाधाओं को पहचाना है जो बालिकाओं, महिलाओं की शिक्षा के रास्ते में आती हैं। यह सकारात्मक संकेत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नीतिगति प्रावधान महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा नीति की प्रस्तावना में ही भारत की विदुषी नारियों गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में नारियों की सशक्त उपस्थिति को तो दर्शाता ही है साथ ही भविष्य में उनकी बढ़ती हुई सहभागिता की ओर सुखद संकेत देता है। राश्ट्रीय शिक्षा नीति में यह अनुभव किया गया है कि सामाजिक व आर्थिक रुप से पिछड़े हुए जो भी समूह हैं उनमें सभी में आधी संख्या महिलाओं की है इसलिए एस. ई.डी.जी. वर्ग के लिए जो भी योजनाएं और नीतियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित की गई हैं उनमें विशेष रुप से इन समूह की महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बालिकाओं, महिलाओं की शिक्षा के रास्ते में आने वाली बाधाओं और समस्याओं पर नई शिक्षा नीति में विचार किया गया है तथा उनको दूर करने के लिए अनेक उपाय भी किये गये हैं।

मध्ययुगीन समाज में नैतिकता की स्थापना और समाज के विकास के लिये ध ार्मिक आधार पर जिस उपदेशवादी मार्ग का अनुसरण किया जाता था वह आज निरर्थक और बेमानी हो चुका है। आधुनिक जीवन की तेज संचार व्यवस्था और जेट ने जीवन मूल्यों और उनकी स्थापना के प्रयासों की दिशा बदल दिया है। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र नागरिक के नाते 'स्व' का स्वाभिमान जगाने और विश्व नागरिकता की ओर बढ़ने के लिये उत्सुक भारतीय जन के समक्ष खड़े प्रश्नों का स्वरूप बदल गया है। सामाजिक ढाँचे में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं और जीवन शैली तीव्रता के साथ बदल रही है। ऐसी स्थिति में सामाजिक नवनिर्माण के प्रति गहरी आस्था के अभाव में

सामाजिक विकास और राष्ट्रीयता की भावना का पल्लवन अत्यन्त कठिन कार्य है। इस समस्या के समाधान के लिये आवश्यक है कि सम्पूर्ण समाज को शिक्षा के प्रकाश से आलोकित किया जाये। उपनिषदों में कहा गया है कि **''सा विद्या या विमुम्तये''**[4]– अर्थात् वास्तविक विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। प्रश्न यह है कि मुक्ति क्या है ? और किससे है? प्रत्येक व्यक्ति और समाज कुछ बन्धनों में जकड़ा रहता है। अनेक प्रश्न, समस्याएँ, रूढ़ियाँ, ब्राह्यडम्बर और कुरीतियाँ अपनी अर्गलाओं से समाज को बाँधे रखती है, इन अर्गलाओं को तोड़कर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होना ही मुक्ति है। विद्या अथवा शिक्षा ही इस मुक्ति का स्रोत है। स्वामी विवेकानन्द ने इस भाव को बहुत ही सुन्दर शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि ''मनुष्य की गुप्त, सुप्त सम्पूर्णता को प्रत्यक्ष करके उसे सच्चा और सम्पूर्ण बनाने वाला साधन तथा समग्रतः जीवन संघर्ष के लित मानव के सर्वांगीण विकास को करने, उसमें निहित प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं को उद्घाटित करने, उसको जीवनोपयोगी बनाकर सफल, उन्नत और सुखी करने वाली एक मात्र वस्तु है शिक्षा।''

स्पष्ट है कि व्यक्ति से लेकर समाज तथा जाति, परिवार से लेकर देश या राष्ट्र तक सभी को सुखी, सम्पन्न और मूल्योन्मुखी बनाने का आधार शिक्षा ही है। शिक्षा का प्रकाश ही समाज को आलोकित करके उसे नयी दिशा और दृष्टि प्रदान करता है और वही उसके विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। इतना अवश्य है कि देशकालानुसार उसकी प्राप्ति, आदान–प्रदान के साधन और उद्देश्य आदि बदलते रहते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में आज जितनी आवश्यकता युवकों और पुरुषों के लिये अपेक्षित है उससे कहीं अधिक आवश्यकता युवतियों और नारी के लिये हैं कारण स्पष्ट है। शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं हैं, उसका उद्देश्य केवल रोजगार से जुड़ना भी नहीं है अपितु, शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य इससे कहीं व्यापक और गहरा है।

शिक्षा का वास्तविक अर्थ है– व्यक्ति के स्तर पर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और समाज के स्तर पर सभ्यता और संस्कृति का विस्तार। शिक्षा मानव के चरित्र निर्माण के साथ उसमें कठोर श्रम, संयम और अनुशासन का विकास करती है। उसे अच्छी मनोवृत्ति और उत्तम संस्कार प्रदान करती है तथा समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान कर उसमें आध्यात्मिक, नैतिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था जागृत कर उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। उसे विकास के पथ पर अग्रसर कर उसमें एकता, सद्भाव और समन्वय की भावना का जन्म होता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति

शिक्षा के माध्यम से भी तक तक नहीं हो सकती जब तक कि समाज की मूल शक्ति और उसकी प्रेरणा नारी की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ट्वीट में कहा है कि– ''महिलाएं भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहीं हैं। उन्होंने कहा कि महिला दिवस पर महिलाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना हमारी सरकार के लिए सम्मान की बात है।

उ0प्र0 प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को सबसे मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के लिए सरकार द्वारा शुरु की गई योजनाओं का सकारात्मक परिणाम तभी सामने आयेगा जब इसमें जन सहभागिता बढ़ेगी। सरकार और समाज जब मिलकर कार्य करेगें तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत से कार्य किये हैं, **मिशन शक्ति अभियान** भी उन कोशिशों का ही हिस्सा है। पहले सिर्फ औपचारिकता के लिए ही महिला दिवस मनाये जाते थे, लेकिन समयवद्ध वह सकारात्मक सोच के साथ कई योजनाओं को शुरु किया गया है।

महिला दिवस पर वेकैंया नायडू ने कहा कि अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास, राजनीतिक योगदान को बढ़ाने और तरक्की करती महिलाओं के सम्मान और उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है।

हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का कहना है कि ''महिलाओं के योगदान के बिना एक समृद्ध समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। परिवार, समाज और देश के हित में महिलाओं द्वारा दिए गये बलिदानों से हम सब परिचित हैं। आओं हम सब महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।''

भारतीय शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति में पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन के साथ ही कई समाज सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील

रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन है। भारत सरकार ने सन् 2001 को महिलाओं के सशक्तिकरण वर्ष के रुप में घोषित किया था। महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति सन् 2001 में पारित की गयी थी।

आज महिलाऐं अपनी उपस्थिति हर क्षेत्र में दर्ज कराकर अपने जीवन मूल्यों का विकास कर रही हैं। महिलाएँ किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। स्त्री नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर तथा पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों को अपना रही है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में नारी की एक नई छवि उभर कर सामने आ रही है। पुरानी जंजीरों को तोड़कर वह अपनी एक नई पहचान बनाने में संलग्न हैं। आज नारी अबला नहीं रही है, वह पुरुष से दुर्बल नहीं है, बल्कि अपेक्षाकृत अधिक सक्षम और सबल है। इस संदर्भ में **स्वामी विवेकानन्द** ने वर्षों पहले कहा था– ''किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति।''

भारत के विकास में महिला साक्षरता का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों से ज्यों–ज्यों महिला साक्षरता में वृद्धि होती आयी हैं, भारत विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इसमें न केवल मानव संसाधन के अवसर में वषद्धि की है, बल्कि कामकाज और वातावरण में भी बदलाव आया है। महिलाओं के शिक्षित होने से न केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास में भी वृद्धि हुई। जहाँ एक ओर भारतीय महिलाएँ विधि, अकादमिक, साहित्य, संगीत, नृत्य, खेल, मीडिया, उद्योग आई0टी0 सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, वहीं विज्ञान के क्षेत्र में थी उनका योगदान सराहनीय है। प्रक्षेपास्त्र अग्नि–5 के सफल परीक्षण के बाद महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस की मुख्य भूमिका उभरकर सामने आई। मिसाइलमैंन डॉ0 अब्दुल कलाम की प्रमुख शिष्या रहीं डॉ0 थॉमस को भी इस परीक्षण के बाद 'मिसाइल वुमन' अथवा 'अग्नि–पुत्री' नामों से सम्बोधित किया जाने लगा। मिसाइल कार्यक्रम का सम्पूर्ण नेतृत्व संभालने वाली वे देश ही पहली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं।

जीवनभर संघर्ष करने के बाद भी महिला की सहनशक्ति, कर्त्तव्यनिष्ठा, सेवाभाव, समर्पण तथा त्याग का उचित मूल्याकंन नहीं किया जाता। महिला सम्मेलनों तथा महिला दिवस की सार्थकता भी तक होगी जब सही अर्थों में महिलाओं का कल्याण हो सके। स्वयं महिलाओं को भी अपने आपको इतना सशक्त बनाना होगा कि वह शोषण

का विरोध कर सकें एवं स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयासरत हों।

विश्व गुरु कह देने भर से तो काम नहीं चलेगा इसके लिए शिक्षा जैसे अहम मुद्दे पर ध्यान देना होगा। व्यावहारिक शिक्षा पर भी चिन्तन करना पड़ेगा, मैकाले की वर्चस्ववादी नीति से बाहर निकलना होगा, तभी वह नींव या फाउण्डेशन मजबूत होगी। इसलिए महिला सशक्तिकरण नई शिक्षा नीति, 2020 को वर्तमान के साथ बीते हुये कल और आने वाले कल के परिप्रेक्ष्य में भी समझना होगा।

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में नारी अहम भूमिका निभाती हैं। सशक्त महिला में वह ताकत है कि वो समाज और देश में बहुत कुछ बदल सकती है। वो समाज कि किसी भी समस्या का समाधान पुरुषों से बेहतर ढंग से कर सकती है। महिला अच्छी पारिवारिक योजना से देश और परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रबंधन करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आज महिला हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आधुनिक युग में जन जाग्रति के परिणामस्वरुप लोगों की सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। उनका दृष्टिकोण बदला है। आज नारी के प्रति लोगों की धारणा भी बदली है, इसलिए वह विविध क्षेत्रों में अपनी भूमिका सार्थक रूप से निभा रही हैं। आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हैं जहाँ नारी अपनी सतत् भूमिका न निभा रही हो, इसका सर्वोत्तम उदाहरण नारी का सैन्य क्षेत्र में योगदान है।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- मनुस्मृति अध्याय–3।
- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।

- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

8.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति: संकल्पना और अनुप्रयोग (उच्च शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. किशोर कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक गहन और विस्तृत प्रक्रिया के पश्चात अस्तित्व में आयी है। 29 जुलाई, 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अनुमोदन प्रदान कर इसके सिद्धांतों को क्रियान्वित करने हेतु पूर्ण मनोयोग से कार्य करना आरम्भ किया। इस नीति के निर्माण में संवाद की जो वृहद प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी उसने कुछ नवीन लोकतान्त्रिक कीर्तिमान स्थापित किये लेकिन इसके अनुप्रयोग हेतु सतत संवादों ने उन कीर्तिमानों को भी छोटा साबित कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को भारतीय शिक्षा जगत का स्वर्णिम दौर वापस प्राप्त करने का सिद्धांत माना जा रहा है। सिद्धांतों और नीतियों को उनके सही परिपेक्ष्यों में लागु करना सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अद्यतन माना जाता है कि भारतीय दुनिया में बेहतरीन नीतियों के निर्माता है, परन्तु नीतियों के अनुप्रयोग में हम काफी निचले पायदान पर है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पहले जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की घोषणा की थी उनमें से अधिकतम अभी तक अप्राप्त हैं। इन 34 वर्षों में कुछ संछिप्त और क्रमिक प्रयासों से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को गतिशीलता देने का प्रयास किया गया यथा– जनार्दन रेड्डी समिति 1992, विज़न 2020 (2000), राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, शिक्षा का अधिकार (RTE) 2009

आदि। उपर्युक्त के अतिरिक्त केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर कार्य करता रहता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव तथा अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम का निर्माण करते हुए शिक्षण और शोध हेतु अनुदान आदि भी प्रदान करता रहता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों को उच्चत्तर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्तजनों के समावेश को प्रोत्साहित किया गया। इन समस्त प्रयासों के बावजूद आशातीत लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। शैक्षिक रणनीति और शिक्षा संस्थानों की संरचना में अंतर, आर्थिक संसाधनों का अभाव, शैक्षिक प्रशासन में स्वायत्तता और नवाचारों की कमी, शैक्षिक नियंत्रण और प्रबंधन को यथासंभव कम करने की आवश्यकता, मुक्त विमर्श का अभाव, विशेषज्ञता की कमी, परिवर्तन को स्वीकार करने में इच्छाशक्ति का अभाव, शिक्षकों के प्रशिक्षण की कमी, शिक्षण/ शोध में अंतर्विषयक/ अंतर्संकाय दृष्टिकोण की कमी, शिक्षा क्षेत्र में मजबूरी में सेवायोजन लेना, शैक्षिक सामग्री की छात्र छात्राओं हेतु अनुपलब्धता और उनमे अपेक्षित जिज्ञासा तथा शिक्षा प्राप्ति के पश्चात रोजगार के साधनों का अभाव आदि बहुत से कारण हो सकते है, जिन्हे हमें मिलकर हल करना है, हम यानी भारत के लोग।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक आधारभूत नीति है। यह अंग्रेजी भाषा में लगभग 65 और हिंदी भाषा में 108 पेज में लिखित गुणवत्तापूर्ण ग्रंथ है जिसमें हर शब्द में संकल्पनाएँ और भविष्य की संस्थाओं के बीज निहित हैं। ये बीज इतने विशाल वृक्ष बनेंगे और पूरी दुनिया के छात्रों को अपेक्षित ज्ञान का माहौल देंगें कि वे सभी अपनी अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त कर पाएं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितने समर्पण से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके आधार पर देश के नीति नियंताओं, शिक्षकों और सभी हित धारकों को नवीनतम पाठ्यक्रम के निर्माण, सतत मूल्यांकन पद्धतियों का विस्तार, कौशल विकास/उद्यमिता के माध्यम से सेवायोजन के अनंत अवसरों की पहचान, अकादमिक–उद्योग सहयोग जिससे विद्यार्थी (और शिक्षक भी) सिद्धांत और व्यवहार में ज्ञान के अंतर की समझ विकसित कर सकें, साथ ही समय की मांग के अनुसार लचीली, प्रासंगिक और गतिशील (आभासी भी) संस्थाओं का विकास कर सकें। हमारी नीयत और सम्मिलित प्रयास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के

लक्ष्यों के अनुसार देश की शिक्षा को रूपांतरित करने और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अकादमिक संस्थाओं को मानक अनुसार स्थापित करने में योगदान देंगें ऐसी अपेक्षा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने प्रारंभिक उद्देश्य में सर्वोच्च मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करती है वह ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य, आत्मज्ञान, आत्मिक सुख–शांति और मोक्ष की बात करती है, जो इसके मानवीय स्वरुप को इंगित करता है। यह नीति इस बात को समझने में सक्षम प्रतीत होती है कि शिक्षा का अर्थ उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो समस्त मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि शिक्षा अर्थात सीखना पारंपरिक है, सीमित और संरचना में बंधा हुआ शब्द है, लेकिन प्रज्ञा, ज्ञान या विद्या, शिक्षा से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है क्योंकि इसमें सीखने के साथ–साथ जानना भी जरूरी हो जाता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक छात्र और शोधार्थी के मध्य का अंतर। जब हम छात्र से शोधार्थी, शिक्षा से ज्ञान और प्रज्ञा की और प्रस्थान करते है तो हमें सापेक्षिक सत्य की अपेक्षा पूर्ण सत्य से साक्षात्कार होता है। यह भारतीय संस्कृति की अद्भुत एवं युगीन परंपरा है। स्वामी विवेकानंद अपनी पुस्तक शिकागो वृतांत में लिखते है कि भारतीय सनातन संस्कृति की दृष्टि में मनुष्य असत्य से सत्य की ओर नहीं जा रहा, वह तो सत्य से सत्य की ओर, निम्न श्रेणी के सत्य से उच्च श्रेणी के सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। यह शिक्षा नीति अपने युग की शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं का यथासंभव हल प्रदान करने में सक्षम रहेगी और जहां कहीं आवश्यकता होगी तो अपनी रणनीति और संरचना में आवश्यकतानुसार बदलाव हेतु तैयार रहेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के साथ शिक्षक को समस्त परिवर्तनों का संवाहक मानती है। यह तभी संभव है कि हम पूरी दुनिया से बेहतरीन व्यक्तियों (मस्तिष्कों) को इस व्यवस्था (शिक्षण और शोध) हेतु आकर्षित कर सकें। जब कोई व्यक्ति शिक्षण और शोध को स्वांत सुखाय कर्म मानता है तो उसका स्वः स्फूर्त निष्काम कर्म उस विषय विशेष के दर्शन को प्राप्त कर लेता है और तब शिक्षक वास्तविक अर्थो में गुरु की भूमिका में होता है। शिक्षक और शिक्षण की यह अवस्था छात्रों को वास्तविक अर्थो में प्रबुद्ध बनाती है। इस हेतु शिक्षा व्यवस्था की संरचना का भी बड़ा महत्व हो जाता है कि व्यवस्था, शिक्षक को स्वायत्ता और जवाबदेही दोनों प्रदान करने में सक्षम हो, जिससे वह अपने छात्र, छात्राओं और शोधार्थियों को एक वैश्विक नागरिक बनाने में सक्षम हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सार्वभौमिक उच्च शिक्षा वह उचित माध्यम है जिसके द्वारा देश की समृद्ध प्रतिकाओं और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के

कल्याण के लिए किया जा सकता है। भारत विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश है, इन युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने पर ही भारत का उज्जवल भविष्य निर्भर करेगा। ज्ञान का परिदृश्य पूरी दुनिया में तेजी से बदल रहा है, पूरी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और इसके अनुसार होने वाली मशीन लर्निंग, बिग डेटा जैसे क्षेत्र मानवीय क्षमताओं में अनंत वृद्धि के साथ साथ चुनौती भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन पृथ्वी तथा मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए नितांत घातक है। ऐसे में सतत विकास की अवधारणा को वास्तविक अर्थ में लागू करने के साथ–साथ शिक्षण और शोध में नवाचार लाकर हमें नवीन विषय और विकल्पों की तलाश करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनी संकल्पना में इस हेतु अनेक विकल्पों की तलाश का मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति सतत सीखते रहने की कला की भी बात करती है। वर्तमान उत्तर आधुनिक विश्व में हम कितने ही योग्य और सक्षम हो परन्तु प्रासंगिक बने रहने और गतिशीलता हेतु सतत सीखना अपरिहार्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 विभिन्न विषयों, संकायों, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक/शैक्षणिक धाराओं के मध्य कोई अलगाव निर्धारित नहीं करती बल्कि ज्ञान के लचीलेपन को स्वीकार करते हुए ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बहुविषयक–बहुसंकाय कार्यक्रमों को चुनने की आज़ादी प्रदान करती है जिससे विद्यार्थी और शोधार्थी अपनी अकादमिक और अन्य क्षमताओं के विकास की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर सकें। यह नीति विद्यार्थियों में रटंत पद्धति के स्थान पर संकल्पना/अवधारणात्मक समझ विकसित करने को प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों में नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के साथ बहुलतावाद के मूल सिद्धांत की ओर अग्रसर करती है। बहुलतावाद भारतीय संस्कृति का विशिष्ट और युगीन गुण है, हालांकि उत्तर आधुनिक विश्व इसे अपना लक्षण मानता है जो हमारे यहाँ युगों से विद्यमान है। यह नीति भाषाओं की शक्ति और कौशल के महत्व को पहचानते हुए बहुभाषिक अध्ययन–अध्यापन, जीवन कौशल, तकनीकी आदि पर यथासंभव जोर देती है।

उच्च शिक्षा एवं शोध एक दूसरे के पूरक हैं, अद्यतन भारत में शोध के क्षेत्र में मौलिक, व्यावहारिक और उपयोजित शोध कार्य करने की तथा उसके माध्यम से प्राप्त आउटकम द्वारा नीतियां बनाने में योग देने के साथ ही उद्योग में अनुप्रयोग आदि के माध्यम से शोध को लैब तथा प्रोजेक्ट फाइलों से बाहर निकलने की नितांत आवश्यकता है। भारतीय सामाजिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली अपनी महत्वाकांक्षी योजना

''इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस (IMPRESS)'' के माध्यम से तथा भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली भी इतिहास एवं संबधित विषयों में उत्कृष्ट शोध कार्यो हेतु वस्तुनिष्ठ आधार पर अनुदान प्रदान कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शोध में उत्कृष्ट स्तर के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के माध्यम से एक मजबूत, जीवंत, गतिशील शिक्षा प्रणाली भारत को प्राप्त होगी जिसके लिए अभी विभिन्न स्तरों पर सम्यक दृष्टिकोण, समर्पण का भाव तथा संसाधनों की आवश्यकता है, इस हेतु शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों यथा – प्रशासन (कुलपति, निदेशक, प्राचार्य आदि) शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर आदि पर पारदर्शिता के साथ रिक्त पदों पर समय से नियुक्ति करना और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता कराना पूर्व शर्त है। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में जी.डी. पी. का 6 प्रतिशत खर्च करने की अनुशंसा करती है हालांकि मेरे हिसाब से यह खर्च नहीं निवेश है जो निवेश हम अपने भारत के भविष्य के लिए कर रहे है।

संदर्भ ग्रंथ

- Vivekananda Swami] My Idea of Education] Advaita Ashrama] Kolkata] 2015
- विवेकानंद स्वामी, शिकागो वृतांत, अद्वैत आश्रम, नागपुर, 2001
- विवेकानंद स्वामी ,भारत जागरण, रामकृष्ण मिशन, नई दिल्ली, 2011
- कुमार किशोर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद के चिंतन की प्रासंगिकता, पारस प्रकाशन, दिल्ली, 2015
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

9.

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

डॉ0 अरविंद कुमार यादव,
विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्रोफेसर (वाणिज्य)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समतापूर्ण और उचित समाज विकसित करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मौलिक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उन्नति और नेतृत्व की कुंजी है, जैसा कि राज्य नीति और मौलिक कर्तव्यों के निदेशक सिद्धांतों में उल्लिखित है। इसी को ध्यान में रखते हुए 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य अभिभावकों को सिर्फ किताबें देना ही नहीं बल्कि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान देकर उनकी मानसिक बौद्धिक क्षमता को मजबूत करना भी है। यह एक अनुकरणीय नीति है क्योंकि इसका लक्ष्य शिक्षा प्रणाली को लचीला, बहु–विषयक, समग्र और 21वीं सदी की जरूरतों और 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाना है। नीति का इरादा कई मायनों में आदर्श प्रतीत होता है लेकिन यह कार्यान्वयन प्रक्रिया है जहां हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस शोध पत्र में हमने उन सभी चुनौतियों के बारे में चर्चा की है। डेटा विभिन्न स्रोतों यानी पत्रिकाओं, रिपोर्टों, प्रिंट मीडिया और विभिन्न अन्य सरकारी

वेबसाइटों के माध्यम से एकत्र किया गया है। यह आलेख पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है।

सितंबर 2020 तक, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 नामक एक नई शिक्षा नीति पेश की है। इस नीति का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलना और इसे अधिक समग्र, लचीला और कौशल–उन्मुख बनाना है। समय के साथ शिक्षा नीति में बदलाव करना जरूरी है ताकि देश की प्रगति सही ढंग से और तेजी से हो सके। शिक्षा के बल पर ही किसी भी देश का विकास तेजी से किया जा सकता है। हालाँकि, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और उसी के अनुसार शिक्षा में भी बदलाव होना चाहिए क्योंकि पहले समय में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी दिन–ब–दिन विकसित हो रही है, लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और तकनीकी ज्ञान भी देना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकें और अपने दम पर अपना भविष्य बेहतर बना सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2020 में नई शिक्षा नीति लाने के लिए संसद में बिल पास किया गया ५ किसी देश के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर अच्छी तरह से परिभाषित और भविष्यवादी शिक्षा नीति आवश्यक है क्योंकि शिक्षा से आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है। विभिन्न देश परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को अपनाते हैं और इसे प्रभावी बनाने के लिए अपने जीवन चक्र के दौरान स्कूल और कॉलेज शिक्षा स्तरों पर विभिन्न चरणों को अपनाते हैं। नई नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का स्थान लेती है।यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। नई शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली गुणवत्ता, सामर्थ्य, समानता, पहुंच और जवाबदेही जैसी चुनौतियों का समाधान करती है। एनईपी2020 एक भारत–केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करता है जो हमारे देश को ज्ञान से भरे एक समतापूर्ण और जीवंत समाज में बदलने और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सीधे योगदान देता है।

अनुसंधान क्रियाविधिः–

यह लेख विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और वेबसाइटों से एकत्र किए गए द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। कार्यप्रणाली में एनईपी 2020 की मुख्य बातों पर एक वैचारिक

चर्चा शामिल है और इस लेख का फोकस भारत की वर्तमान शैक्षिक नीति के साथ एनईपी 2020 की तुलना पर है।

साहित्य की समीक्षाः–

के.मीनाक्षी सुंदरम (2020):–अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे; के मुख्य अंशों पर चर्चा करने के लिए नई शिक्षा नीति और इस पर जानेंगे शिक्षाविदों और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय एनईपी 2020 में करियर के अवसर अपेक्षित हैं। अध्ययन वर्णनात्मक है और प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था 89 उत्तरदाताओं के माध्यम से। उत्तरदाता छात्र, शिक्षाविद और शिक्षाविद् थे। डेटा एकत्र किया गया प्रश्नावली के माध्यम से जिसे लाइकर स्केल की सहायता से तैयार किया गया था। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैंः–एनईपी कार्यान्वयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसकी सफलता इसके कार्यान्वयन, बहु–विषयक पर निर्भर करती है, दृष्टिकोण भारत में कई कंपनियों की भर्ती आवश्यकताओं को बदल देगा और एनईपी करियर का विस्तार करेगा, बहु–विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से अवसर।

पवन कल्याणी (2020):– इस शोध का उद्देश्य एनईपी और हितधारकों पर इसके प्रभावों का अध्ययन करना है ५ हितधारकों पर एनईपी के भविष्य के प्रभाव को कवर करता है। प्राथमिक डेटा सबसे महत्वपूर्ण से एकत्र किया गया था प्छात्र, अभिभावक और शिक्षक जैसे हितधारक। स्टडी से यह खुलासा हुआ कि, छात्रों को होने वाली हैपविषयों के चयन में उनकी अपनी पसंद। डर्मेटोग्लिफ़िक्स का उपयोग कौशल सेट को समझने के लिए किया जा सकता है ५ छात्र डर्मेटोग्लिफ़िक्स के आधार पर विषयों का चयन कर सकते हैं। चयन करते समय यह भी देखा जाता है जिन विषयों पर छात्र अपने निर्णय अपने माता–पिता के प्रभाव में या कभी–कभी ले सकते हैं उनके सहकर्मी समूहों का दबाव। लेकिन एनईपी का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब छात्र सशक्त होंगे, अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना विषय चुनें। एनईपी 2020 के अनुसार, उम्मीदवार चार साल की बीएड डिग्री और टीईटी सर्टिफिकेट के साथ ही सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी। माता–पिता अपने बच्चे के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं शिक्षा और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए निरंतर वित्तीय सहायता के माध्यम से। यहां एनईपी के तहत अभिभावकों के पास एक चाबी है का अध्ययन कर बहुविषयक विषयों के चयन में सुझावों एवं अनुशंसाओं की भूमिका उनके वार्डों की ताकत और कमजोरियां।

पंकज ठाकुर एवं डॉ. राजेश कुमार (2021):— यह शोध प्रयास पूर्णतः पर आधारित है मौजूदा साहित्य के माध्यम से उपलब्ध द्वितीयक डेटा। शोधकर्ताओं ने मूलतः के बारे में चर्चा की है शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए शिक्षा नीति। पिछली शिक्षा नीतियां और उनकी मुख्य विशेषताएं चर्चा की गई और एक दूसरे से तुलना की गई। अंत में नई शिक्षा नीति की विशिष्ट विशेषताएं 2020 पर भी चर्चा हुई. यह चिंता राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यान्वयन में चुनौतियों से संबंधित है नीति 2020 को भी अलग खंड में शामिल किया गया था। अंततः संपूर्ण शोध का समापन हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु कार्ययोजना की आवश्यकता की अभिव्यक्ति।

डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा एवं संजीवन बाला (2022):— इस अनुभव जन्य अध्ययन में उद्देश्यों के साथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच जागरूकता देखने के लिए, एक नमूना प्रश्नावली के माध्यम से 80 शिक्षकों से प्रश्नावली एकत्र की गई। अध्ययन की पद्धति में वैचारिकता शामिल है चर्चाएँ जो फ़ोकस ग्रैस्प चर्चा पद्धति का उपयोग करके की गईं। अध्ययन के नतीजों से यह खुलासा हुआ ᑊ निम्नलिखित तथ्य; 1. यह पाया गया कि उत्तरदाताओं के बीच एनईपी के बारे में जागरूकता का औसत स्तर मौजूद है। 2. यह भी देखा गया कि पुरुष—महिला, अनुभवी अनुभवहीन, कला—विज्ञान स्ट्रीम शिक्षकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है ᑊ

नई शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं:—

नई शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकताः नीति प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देती है, ग्रेड 3 तक सभी छात्रों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देती है।

2. 5+3+3+4 संरचनाः एनईपी मौजूदा 10+2 शिक्षा संरचना को एक नई 5+3+3+4 संरचना से बदल देता है। इसका मतलब यह है कि स्कूली शिक्षा के वर्षों को आधार चरण (उम्र 3—8), प्रारंभिक चरण (आयु 8—11), मध्य चरण (उम्र 11—14), और माध्यमिक चरण (उम्र 14—18) में विभाजित किया जाएगा।

3. बहु—विषयक दृष्टिकोणः नीति एक बहु—विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिससे छात्रों को कला, विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों

में विषय चुनने की अनुमति मिलती है। इसका उद्देश्य सर्वांगीण शिक्षा को प्रोत्साहित करना और छात्रों को अपनी रुचियों का पता लगाने की सुविधा देना है।

4. व्यावसायिक शिक्षाः एनईपी कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर जोर देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक कौशल भी हासिल करें। इससे छात्र नौकरी के लिए तैयार हो सकेंगे और उद्योग की मांगों को पूरा कर सकेंगे।

5. प्रौद्योगिकी एकीकरणः नीति शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण, शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए डिजिटल उपकरणों और संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर देती है। डिजिटल शिक्षा की दिशा में इस कदम का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना है।

6. मूल्यांकन सुधारः एनईपी का लक्ष्य रटने–सीखने और परीक्षा–केंद्रित मूल्यांकन विधियों से अधिक योग्यता–आधारित मूल्यांकन की ओर स्थानांतरित करना है। यह छात्रों की समझ, वैचारिक स्पष्टता और ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग का आकलन करने पर केंद्रित होगा।

7. शिक्षक प्रशिक्षण और विकासः नीति शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के महत्व पर जोर देती है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी–2020) एक महत्वाकांक्षी और व्यापक रूपरेखा है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलना है। इसमें कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है और कई सुधारों का प्रस्ताव दिया गया है। हालाँकि, इसकी खूबियों के बावजूद, कुछ प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

1) वित्त पोषणः एनईपी–2020 में प्रस्तावित विभिन्न सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक वित्त पोषण एक बड़ी चुनौती है। नीति में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है, लेकिन मौजूदा खर्च उस लक्ष्य से काफी नीचे है। बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षक

प्रशिक्षण को बढ़ाने और नए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पर्याप्त धन महत्वपूर्ण है।

2) कार्यान्वयन और निष्पादनः एनईपी का सफल कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों और अभिभावकों सहित कई हितधारकों के सहयोग पर निर्भर करता है। विभिन्न स्तरों पर नीति का समन्वय, योजना और कार्यान्वयन इसकी सफलता के लिए आवश्यक होगा। शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः एनईपी–2020 शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर देता है। हालाँकि, देश भर में बड़ी संख्या में शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण निवेश, नवीन दृष्टिकोण और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों की आवश्यकता होगी।

3) प्रौद्योगिकी का एकीकरणः ई–लर्निंग, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एनईपी–2020 में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच से संबंधित चुनौतियाँ हैं। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस डिजिटल विभाजन को पाटना आवश्यक है।

4) आकलन और मूल्यांकनः नीति अधिक लचीली और बहुआयामी मूल्यांकन प्रणाली की ओर बढ़ने का सुझाव देती है। हालाँकि, एक नए मूल्यांकन ढांचे को डिजाइन करना और लागू करना जो छात्रों की समझ, कौशल और क्षमताओं का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करता है, एक जटिल कार्य हो सकता है। मानकीकरण, संयम और निष्पक्षता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौतियाँ होंगी।

5) समावेशन और समानताः एनईपी–2020 सभी शिक्षार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देती है, जिसमें विकलांग, हाशिए पर रहने वाले समुदायों और दूरदराज के क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। हालाँकि, समान पहुंच सुनिश्चित करने, बाधाओं को दूर करने और भेदभाव को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों, संसाधनों और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

6) माता–पिता की भागीदारीः एनईपी–2020 शिक्षा में माता–पिता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर देती है। हालाँकि, माता–पिता के बीच उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता और समझ की कमी है। माता–पिता को निर्णय लेने में शामिल करने, उनकी भागीदारी का समर्थन करने और घर पर सीखने का अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करने की आवश्यकता है।

7) परिवर्तन का विरोधः नई शिक्षा नीति को लागू करने में मौजूदा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है, जिसे शिक्षकों, प्रशासकों और अभिभावकों जैसे विभिन्न हितधारकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रतिरोध पर काबू पाना और नई प्रणाली में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करना सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा।

8) निगरानी और मूल्यांकनः किसी भी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में निगरानी और मूल्यांकन तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रगति पर नज़र रखने, चुनौतियों की पहचान करने और आवश्यक संशोधन करने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना एनईपी–2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होगा।

9) समावेशन और विविधताः एनईपी–2020 का उद्देश्य समावेशन को बढ़ावा देना और छात्रों की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। हालाँकि, इस बात को लेकर चिंताएँ हैं कि नीति विकलांग बच्चों, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों और वंचित जातियों और जनजातियों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों की जरूरतों को कितने प्रभावी ढंग से संबोधित करेगी।

10) विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयनः एनईपी–2020 प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों को कवर करता है। प्रत्येक स्तर पर नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना, विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों को संरेखित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

11) कौशल विकासः एनईपी–2020 कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। हालाँकि, कौशल विकास को मुख्यधारा की शिक्षा

प्रणाली में एकीकृत करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षकों को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण देना भी शामिल है।

12) सार्वजनिक–निजी भागीदारीः एनईपी–2020 शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी का आह्वान करता है। हालाँकि, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के बीच सही संतुलन बनाना, सामर्थ्य सुनिश्चित करना और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

निष्कर्षः– कुल मिलाकर, एनईपी–2020 भारत में शिक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हालाँकि, इन मुद्दों और चुनौतियों का समाधान नीति के उद्देश्यों के सफल कार्यान्वयन और प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन चुनौतियों से पार पाने और वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की ओर से निरंतर निगरानी, आवधिक समीक्षा और सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक होंगे। एनईपी 2020 शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला और 21वीं सदी की शिक्षा की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर देता है। हालाँकि, इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, हमें आने वाले वर्षों में सभी निष्पादन चुनौतियों को निरंतर तरीके से दूर करना होगा। एनईपी 2020 की मसौदा समिति ने एक ऐसी नीति तैयार करने का व्यापक प्रयास किया है जो विविध दृष्टिकोण, शिक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, क्षेत्र के अनुभवों और हितधारकों की प्रतिक्रिया पर विचार करती है। मिशन महत्वाकांक्षी है लेकिन कार्यान्वयन रोडमैप यह तय करेगा कि क्या यह वास्तव में एक सर्व–समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देगा जो शिक्षार्थियों को उद्योग और भविष्य के लिए तैयार बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, ऐसे कई मुद्दे और चुनौतियाँ हैं जिन्हें सफल कार्यान्वयन के लिए दूर करने की आवश्यकता है। पर्याप्त फंडिंग, शिक्षक क्षमता निर्माण, डिजिटल विभाजन को संबोधित करना और क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी शिक्षा के बीच संतुलन बनाना कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सावधानीपूर्वक योजना, मजबूत नेतृत्व और सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों से, इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, और एनईपी भारत के शिक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव ला सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का लक्ष्य शिक्षा के प्रति अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ना है। यह विकास के विभिन्न चरणों में बच्चे की क्षमता को पूरा करने में मदद करेगा। इसमें संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और शारीरिक विकास शामिल है। लागू होने पर यह नीति भारत को दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर लाएगी।

संदर्भग्रंथ

- डॉ वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना;
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक;
- जे.एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक
- अतुल कोठारी(2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: भारतीयता का पुनरुत्थान; प्रभात प्रकाशन;
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार;
- डॉ0 ए0 अरुण कुमार नई शिक्षा नीति 2020– प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश;

10.

मातृभाषा, भारतीय भाषाएं एवं साहित्य का विकास

डॉ. अनुसुइया राय
एम.एड. प्रथम वर्ष
आई.ए.एस.इ. भोपाल

शिक्षा किसी भी समाज या राष्ट्र का मूल आधार होती हैं, यह एक ऐसा अस्त्र है जो मानव को सभ्य, सामाजिक व विकसित बनाता हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। इसमें शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र को अपनाने की बात कही गई हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या प्राइवेट स्कूल भी इस नीति का पालन करेगें या नही ।

मातृभाषा वह बोली या भाषा हैं जो बच्चे को जन्म से ही माता के मुख से सुनाई पड़ती हैं । घर–परिवार में जो भाषा बोली जाती हैं वह मातृभाषा कहलाती हैं। भारत विविध संस्कृति एवं भाषा वाला देश हैं उसे अक्षुण्य बनाये रखने पर विशेष बल दिया गया हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नही हैं कि जो भारत की विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं हैं। उनका महत्व कम हैं। जिस क्षेत्र में जो भी भाषा प्रचलित हैं विद्यार्थी उस भाषा में सहज तरिके से एवं आसानी से समझकर शिक्षा ग्रहण कर पाऐगा तथा उसका सर्वागीण विकास होगा ।

भारत में लगभग 1365 मातृ भाषाएं हैं । संस्कृत सभी भाषाओं की जननी हैं ,यह करोड़ो वर्ष पुरानी हैं । मातृभाषा बच्चे के जीवन का आधार होती हैं । इस सम्बंध में कामताराज ने कहा हैं कि "मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा हैं"।

गांधी जी ने कहा हैं "मातृभाषा मानसिक विकास के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितना शरीर के विकास के लिये मॉ का दुध" ।

इर्मसन महोदय ने कहा हैं "भाषा एक नगर के समान हैं जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव ने एक पत्थर रखा हैं " ।

रविन्द्र नाथ टैगोर ने कहा हैं "मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्व अधिकार हैं"। उन्होने आगे कहा हैं कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाय या नही इस तरह की कोई बहस होना ही बेकार हैं। उनका मानना था कि जिस तरह हमने मां की गोद में जन्म लिया हैं उसी तरह मातृभाषा की गोद में जन्म लिया हैं, ये दोनो हमारे लिये सजीव एवं अपरिहार्य हैं। मातृभाषा की महत्ता बताते हुए हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने कहा हैं कि "मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन पाया क्योकि मैंने गणित एवं विज्ञान की शिक्षा अपने मातृभाषा में प्राप्त की"। भारत भाषाओं कला और संस्कृति का खजाना हैं। जो हजारों वर्षो में विकसित हुआ और कला, साहित्य,रीति–रिवाजो, परंपराओं कला–कृतियो, विरासत स्थलो, के रूप में प्रकट हुआ। यह हमारे अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा और परंपराओं के ज्ञान के माध्यम हैं। जिससे हम एक सकारात्मक सांकृतिक पहचान और आत्म सम्मान का निर्माण कर सकते हैं।नई शिक्षा नीति 2020 में लुप्तप्राय हो रही भारतीय भाषाओ को बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएगें। भाषाओ के शब्दकोष और शब्द भंडार को बढ़ाने ,विभिन्न भाषाओ का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद के लिए आई. आई. टी. आई. की स्थापना का भी प्रावधान हैं। जिससे संस्कृत भाषा को मुख्यधारा में लाया जाएगा। बंद पड़ी अकादमियां, संग्राहलय कला वीथिकाएं और धरोहर स्थल को पुनर्जीवित किया जाएगा। स्थानीय कलाकारो, तथा हस्तकारो को विद्यालय से जोड़ा जाएगा और उन्हे उच्च शिक्षा में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। स्थानीय भाषाओं में अधिगम सामग्री, प्रिन्ट सामग्री, और शब्द कोष बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए प्रयास किया जाएगा।

भारत को वैश्विक शक्ति बनाना– 2020 की नवीन शिक्षा नीति शताब्दी की ज्ञान सम्बंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भारत को एक सशक्त ज्ञान आधारित राष्ट्र बनाने तथा इसे वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी कदम हैं। मातृभाषा अधारित शिक्षा को ग्रहण करने के बाद

शारिरीक, मानसिक, बौद्विक,एवं सांस्कृतिक रूप से विकसित ऐसे कौशलयुक्त युवाओ का सृजन होगा जो गौरवशाली भारतीय संस्कृति की जीवंतता भारतीय भाषाओ में प्रवीणता तथा भारतीय ज्ञान विज्ञान में दक्षता स्पष्ट रूप में सामने आए ।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति– शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट कहा गया हैं कि मातृभाषा में छोटे बच्चो को शिक्षा देना ज्यादा उपयुक्त होगा।"यह सर्वविदित हैं कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणओ को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं । घर की भाषा आमतौंर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायो द्वारा बोली जाने वाली भाषा हैं। हालांकि कई बार बहुभाषी परिवारो में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा एक भाषा हो सकती हैं जो कभी –कभी मातृभाषा या स्थनीय भाषा से भिन्न हो सकती हैं। जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 05 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि ग्रेड 08 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम, मातृभाषा स्थानीय भाषा, क्षेत्रिय भाषा हो। इसके बाद घर/स्थनीय भाषा को जहां भी संभव हो पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनो तरह के स्कूल इसका अनुपालन करेगें। विज्ञान सहित सभी विषयो में उच्चत्तर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तको को घरेलू भाषाओ/मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्द ही किए जाएगें कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा औंर शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सकें। ऐसे मामलों में जहां घर की भाषा की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नही हैं, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी संभव हो, वहां घर की भाषा बनी रहेगी। विभिन्न भाषओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीकी का वृहद उपयोग किया जायेगा। (शिक्षा नीति 2020 4,11 पेज 19)

नई शिक्षा नीतियों भाषा की शक्ति को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो। प्रारंभिक शिक्षा ऐसा आधार हैं, जिस पर देश तथा इसके प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है। भारत में संसद द्वारा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इसके प्रावधान के अनुसार 06 से 14 वर्ष के सभी बच्चो के लिए का शिक्षा मौलिक अधिकार हैं। विश्व में विगत 70 वर्षो में लगभग 150 अध्ययनो का निष्कर्ष यह है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा भाषा में ही होनी चाहिए ।

शिक्षण की सहजता– मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना सहज तरीके से संभव होता है। यदि बच्चा अन्य किसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता हैं। तो उसे मानसिक दबाव सहन करना पड़ता हैं। इतना ही नहीं वह हमेंशा तनाव का भी अनुभव करता हैं क्योंकि पारिवारिक वातावरण में वह सब नही होता जो उसके पढ़ाई का माध्यम हैं। बच्चे को शुरू से ही उसे सिखाने के लिए बालकेंद्रित और क्रियात्मक प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी के भाषायी कौशलों को विकसित करने पर बल दिया दिया जाता है। वस्तुतः मनुष्य के ज्ञानात्मक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम भाषा हैं। यह सर्वविदित हैं कि प्रथम भाषा जिसे मातृभाषा कहा जाता हैं उसके बिना किसी भी देश की संस्कृति की कल्पना बेमानी हैं।

आत्मा की आवाज – मातृभाषा आत्मा की आवाज हैं। मां के आंचल में पल्लवित हुई भाषा बालक के मानसिक विकास को शब्द व प्रथम संप्रेषण देती है। इसके माध्यम से ही मनुष्य सोचता, समझता और व्यावहार करता हैं। इसलिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा बालक का प्राकृतिक अधिकार भी है। बच्चे का शैशव जहां व्यतीत होता हैं, जिस परिवेश में वह गढ़ा जा रहा है , जिस भाषा के माध्यम से वह अन्य भाषाएं सीख रहा हैं, जहां विकसित हो रहा हैं उस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा नही की जा सकती इस सम्बंध में महात्मा गांधी जी ने कहा था– विदेशी माध्यम ने बच्चों की तंत्रिकाओ पर भार डाला हैं, उन्हे रट्टू बनाया है। वह सृजन के लायक नही रहे, विदेशी भाषा ने देशी भाषाओं के विकास को बाधित किया हैं ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक रिर्पोट में कहा गया हैं कि अधिकांश बच्चे स्कूल जाने से इसलिये कतराते हैं क्योंकि शिक्षा का माध्यम वह भाषा नही है जो भाषा घर में बोली जाती हैं। भाषा भावनाओं औंर संवेदनाओं को मूर्तरूप दिए जाने का माध्यम है न कि प्रतिष्ठा का प्रतीक। विश्व के अन्य देशों में मातृभाषा की क्या स्थिति हैं इसका अनुमान वैचारिक एवं व्यावहारिक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता हैं कि विविध राष्ट्रो की समृद्वि औंर स्वाभिमान की जड़े मातृभाषा से सिंचित हो रही हैं। मातृभाषा ही राष्ट्र के वैभव की समृद्ध करती है। संस्कार, साहित्य, संस्कृति, सोच, समन्वय, शिक्षा, सभ्यता, का निर्माण विकास एवं वैशिष्ट्य मातृभाषा से ही सम्भव है।

प्रो. रामदेव भारद्धाज (पूर्व कुलपति अटलविहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल) ने मातृभाषा को राष्ट्रीय संस्कृति और संस्कारों की संवाहिका कहा है भाषा और

संस्कृति केवल भावनात्मक विषय नही अपितु देश की शिक्षा, ज्ञान–विज्ञान और तकनीकी विकास से जुड़ी हैं। मातृभाषा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान को आत्मसात करता है, नवीन सृष्टि का सृजन करता है तथा मेधा, पौरूष और ऋतंभय प्रज्ञा का विकास करता हैं । किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती हैं। यह मानवीय सभ्यता की धरोहरो की तरह एक धरोहर है।

अंग्रेजी भाषा बिना भी विकास संभव है– हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा आ जानें से पाश्चात्य ज्ञान को जानने समझने में सहायता प्राप्त तो हुई लेकिन हम उसे ही अपनी शिक्षा का आधार बनाए, यह बात निराधार है। क्योकि विश्व में कई ऐसे देश है जो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर विश्व में आर्थिक और बौद्विक दृष्टि से सम्पन्न हैं। इस सम्बंध में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी का अभिमत हैं कि ''यह तर्क आधारहीन हैं कि अंग्रेजी के बिना व्यक्ति और देश का विकास सम्भव नही है। विश्व के कई देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कोरिया, इंग्लैड, फ्रॉस जर्मनी, स्पेन व इजराईल में शिक्षा और शासन, प्रशासन की भाषा उनकी मामृभाषा ही है। 1949 तक भुखमरी की प्रताड़ना भोग रहा चीन आज प्रभावशाली ढ़ंग से विश्व में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर रहा हैं। जिस तीव्र गति से चीन ने विकास किया है, उसका प्रमुख कारण मातृभाषा में शिक्षा ही है। आज विश्व के प्रमुख 20 देश जिनकी जी. डी. पी. सर्वश्रेष्ठ है उनके समग्र कार्य उस देश की मातृभाषा में ही सम्पादित होते हैं । इससे मातृभाषा का महत्व स्वयं ही उजागर होता हैं । अतः हमें यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति और विकास का स्त्रोत मात्र पूंजी और तकनीक नही अपितु उस राष्ट्र की शक्ति होती हैं और इसका जन्म मातृभाषा से होता हैं ।

भारतीय भाषा एवं साहित्य– भारत प्राचीन काल में विश्वगुरू था। यहां का साहित्य बहुत ही समृद्व था। विश्व का सबसे प्रचीन ग्रंथ ऋगवेद है जो संस्कृत भाषा में लिखित है। सबसे पहले भारत में ही ज्ञानदर्शन शिक्षा संस्कृति पल्लवित हुई, सभी क्षेत्रों ने भारत से ही ज्ञान प्राप्त किया। भारत का साहित्य जब चरम शिखर पर था तब विश्व के अन्य देशों ने लिखना सीखा। भारत का दुर्भाग्य था कि वह अंग्रेजो का गुलाम बना। अंग्रेजो ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कर भारतीयो के मन में भारतीय शिक्षा के प्रति जो जहर भरा वह हमें पीछे ले गया। इतना ही नही भारतीय साहित्य, पुस्तकालय भी जला दिए गए, कहा जाता हैं कि नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में छः महिने तक आग जलती रही। यह विचारणीय हैं कि उस पुस्तकालय में कितना समृद्व साहित्य

भण्डार रहा होगा जो हमसे छीन लिया गया। ''भारत की शास्त्रीय भाषाओ और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नजर अंदाज नही किया जा सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति चिकित्सा, वास्तुकला, ध ातु, विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ (जिन्हे संस्कृत ज्ञान प्रणालियों के रूप में जाना जाता हैं।)'' के विशाल खजाने हैं । इन सबको विभिन्न धर्मो के लोगो के साथ–साथ गैर धार्मिक लोगो और जीवन के सभी क्षेत्रो और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगो द्वारा हजारो वर्षो के सभी स्तरो पर छात्रो के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्व विकल्प के रूप में पेश किया जाऐगा। यह उन तरीको से पढ़ाया जाएगा जो दिलचस्प और अनुभावनात्मक होने के साथ–साथ समकालीन रूप से प्रासंगिक हैं। जिसमें संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग शामिल हैं ''। (शिक्षा नीति 2020 4.17 पेज 21)

नई शिक्षा नीति, 2020– जब भारत में मातृभाषा आधरित शिक्षा होगी तब क्षेत्रीय भाषाओ का साहित्य भी लिखा जाएगा। साहित्य होगा तो ज्ञान की परंपरा को आने वाली पीढ़ी आसानी से ग्रहण कर पाएगी। जो भाषाएं लुप्तप्राय हो रही हैं उनका संर्वधन हो पाएगा।

हमारे देश का साहित्य जितना समृद्ध होगा उनता ही हम अपने नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों का परिरक्षण कर पाएंगें। आने वाली पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित करा ज्ञान प्रदान कर सकेंगें। अतः कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 सभी प्राचीन प्रतिमानों को संजोए भारतीय चिंतकों एवं दार्शनिकों के सपनो को साकार करती नजर आ रही है, जो निश्चित ही भारत को उज्जवल भविष्य प्रदान कर विश्व गुरू के स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित करेगी।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।

- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

11.

महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

अर्चना केलकर
एम. एड़ प्रथम वर्ष
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान, भोपाल

जुलाई 2020 मे केंद्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। यह नीति वैज्ञानिक के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिती की रिर्पोट पर आधारित है ।यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है ।इससे पहले 1968 तथा 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई थी। 34 सालों से हमारी शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वास्तव में इसमें बदलाव आवश्यक था ऐसे में यह शिक्षा नीति बहुत महत्व रखती है। इसमें शाला स्तर जिसमें प्री स्कूल प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्चतम स्तर तक कई बदलाव किए गए है इस शिक्षा नीति के द्वारा 2030 तक सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने एवं जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढावा देने का लक्ष्य है। यह 21वी शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित व्यक्तियों द्वारा होता है। नारी शक्ति भी इसका एक अहम भाग है। शिक्षा सभी के लिए समान आवश्यक है, चाहे महिला हो या फिर पुरूष। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नारी का मूल अधिकार है जो देश

की प्रगती का आधार होती है। आज की बात करें तो आज महिलाएँ शिक्षित होकर देश के विकास में अपना योगदान दे रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जेन्डर

मानव के सर्वांगीण विकास का मूल शिक्षा ही है, एक विकसित और समावेशी समाज के निर्माण और देश के विकास के लिए सभी के लिए समान शिक्षा आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढाने हेतु कई प्रयास किये गए है।

जेन्डर समावेशी कोष (पैरा 6.8 एन. ई. पी. 2020) की स्थापना एक नया कदम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने महिलाओं और बालिकाओं की उन समस्याओं औंर बाधाओं को पहचाना है जो बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। उदाहरणार्थ बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान की जाएगी ।

जहां विधालय अधिक दूरी पर है जैसे ग्रामीण अंचल पहाड़ी क्षेत्र आदि दूरदराज इलाकों में निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी।

कस्तूरबा गांधी विधालय जो पहले से ही भारत सरकार की सफल योजना है उसे और अधिक मजबूत व्यापक बनाया जाएगा ।

सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने वाले विधालयों का 12वी स्तर तक विस्तार किया जाएगा ताकि छात्राओं का नामांकन बढ़ सके।

छात्राओं की भागीदारी और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे उपाय किए जाएगें जिससे वह विद्यालयों से जुड़ी रहें जैसे अधिक दूरी वाले स्थानों पर छात्राओं को साइकिल प्रदान जाएगी तथा फीस आदि न भर पाने की स्थिति में उनके माता पिता एवं अभिभावको को सशर्त नगद धन हस्तांतरण किया जाएगा ताकि गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना ना पड़े।

नई शिक्षा नीति 2020 में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्कूल में नामांकित सभी बच्चें विशेषकर बालिकाओं और किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले

गंभीर मुद्दों जैसे कई प्रकार के भेदभाव, उत्पीडन तथा उनके अधिकारों, सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर न्यायसंगत प्राथमिकता दी जाऐगी।

व्यवसायिक विषयों, स्थानीय भाषाओं, इनडोर आउटडोर, खेल, चित्रकला, कठपुतली, शिल्प, नाटक, कविता, कहानी, संगीत आधारित गतिविधियों आदि को नयी शिक्षा नीति में जोड़ा जाएगा जिससे बच्चें विशेषकर बालिकाओं में रूचि विकसित होंगी।

उच्चतम स्तर पर बालिका शिक्षा के प्रावधान

परिसर में भेदभाव और उत्पीडन के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जाए यह सभी व्यवस्थाएं उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में महिला विधार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे। व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने का प्रावधान है जो कि प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं से होती हुई उच्चतर शिक्षा तक जाएगी जिससे प्रत्येक छात्र कम से कम एक व्यवसाय से जुड़ा कौशल सीख सकें, विशेषकर महिलाएं इससे आत्मनिर्भर बन सके ।

उच्च शिक्षण संस्थाओं को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों तथा लोक विधाओ में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करवाने की भी अनुमति होगी इससे उच्च शिक्षण में महिलाएं अपनी रूचि एवं सुविधा के अनुसार कौशल प्राप्त करके आत्म निर्भर बन सकेंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर समावेशी इनक्लूशन फंड की व्यवस्था की गई है

यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेंगी जिससे महिलाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके जैसे परिसर में महिलाओं के लिए शौचालय स्थापित करना, उन्हें स्वच्छता और सेनिटेशन से संबंधित अन्य सुविधाएं पदान करना, स्कूल आने के लिए साइकिल देना, फीस इत्यादि ना भर पाने की स्थिति में उनके अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तांतरण करना ताकि गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोडने के लिए मजबूर ना होना पड़े।

बलिकाओं के प्रति हिंसा और अपराध की घटनाएं

बालिकाओं के प्रति हिंसा और अपराध की घटनाओं को देखते हुए उनकी सुरक्षा उनके अभिभावकों के लिए चिंता का महत्वपूर्ण विषय है और यदि उनकी सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए जाएं तो विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ेगा।

आर्थिक विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बालिकाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों जो कि बालिका शिक्षा के लिए भारत सरकार की पहले से ही एक योजना है उनका और अधिक विस्तार किया जावेगा। निश्चित रूप से ग्रामीण अंचलों, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूर दराज के इलाकों में जहाँ विद्यालयों की कमी है वहाँ विशेष तौर पर बालिका विद्यालयों और छात्रावासों की व्यवस्था की जाएगी ताकि बालिकाओं का नामांकन बढ़ सके।

वैसे ये व्यवस्था सभी विद्यार्थियों के लिए की गई है लेकिन महिलाओं को इसका सर्वाधिक फायदा होगा क्योंकि विवाह एवं अन्य पारिवारिक कारणों से महिलाओं की गतिशीलता (मोबिलिटी) बहुत अधिक रहती है।

उपरोंक्त के अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा में आगमन और निकास के अनेक विकल्पों वाला प्रावधान भी महिलाओं के लिए उपयोगी है जिससे उन्हें विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। अनेक व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारण जो उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को कम करते है उनको दूर करने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

साथ ही साथ प्रस्तावित छात्रवृत्तियाँ महिला छात्रावासों का विस्तार अलग से समावेशी फंड, क्रेडिट ट्रांसफर, अधिक सुरक्षित स्कूल परिसर आदि अनेक कदम मिलकर बालिकाओं और महिलाओं को एक बड़ी संख्या में विद्यालयों तक लाने में कामयाब हो जाएगें इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने में नई शिक्षा नीति के बहुत विस्तृत आयाम है। शिक्षा के सभी स्तरो पर लिंग संतुलन, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापरक शिक्षा शिक्षण परिसर में महिलाओं की सुरक्षा आदि के प्रति यह नीति अति संवेदनशील है।

इस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु नई शिक्षा नीति में विस्तार से प्रावधान है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल द्वारा ओपन एडं डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाऐगा हालांकि यह प्रावधान सभी विद्यार्थियों के लिए है लेकिन बालिकाओं और महिलाओं को इसका विशेष

लाभ मिलेगा जो बालिकाएं एवं महिलाएं विद्यालय तक नहीं जा सकती वह भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

निष्कर्ष

बदलते वैश्विक परिवेश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में यह परिवर्तन जरूरी था। ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 बहुत महत्व रखती है। इसमें विद्यालय स्तर पर जिसमें प्री स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतम स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए है इस शिक्षा नीति के द्वारा 2030 तक सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने एवं जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। यह 21 वी शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है ।यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में नीहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है।

वैसे शिक्षा सभी के लिए (स्त्री हो या पुरूष सभी के लिए) समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की नागरिक होने के नाते शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक स्त्री का मूल अधिकार है जो देश की प्रगति, उन्नति व विकास के लिए आवश्यक है।

आज नारी का लगभग सभी क्षेत्रो में पर्दापण हो चुका है। हर क्षेत्र में नारी प्रगति करती हुई आगे की ओर बढ़ती हुई नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। देश में ही नहीं पूरे संसार में अपनी पहचान बना रही है ।

हमारी नई षिक्षा नीति, 2020 बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा एवं उनके विकास को लेकर अत्यंत संवेदनशील दिखाई देती है। वैसे तो यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है किंतु बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए यह अधिक लाभकारी तथा महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।

- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।

12.

आधुनिक समय में शिक्षक की भूमिका

भीष्म दत्त
असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग),
अग्रसेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, सिकंदराबाद, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)

आज के आर्थिक युग में सभी लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया जरूर करना चाहते हैं। इस हेतु कुछ लोग आवश्यक शिक्षण–प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। पुराने समय में शिक्षण को एक धार्मिक व पुण्य का कार्य माना जाता था। जबकि आज के युग में इसको एक पेशा माना जाता है। पेशा ऐसे आर्थिक कार्य को कहते हैं, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान अर्जित करने के पश्चात अपने ज्ञान पर आधारित सेवाएं आम लोगों को प्रदान करता है तथा सेवाओं के बदले में फीस के रूप में आय प्राप्त कर अपनी आजीविका भी चलाता है। अब सवाल यह है कि क्या शिक्षण भी अन्य पेशों जैसे चिकित्सा, वकालत, लेखा, आदि की तरह एक शुद्ध पेशेवर कार्य है?

मेरी नजर में शिक्षण पेशे से बढ़कर एक कल्याणकारी कार्य, सीखने–सिखाने का कार्य, चरित्र निर्माण का कार्य, स्वयं की उपयोगिता को बढ़ाने व उसको साबित करने का कार्य भी है। शिक्षक केवल अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता ही नहीं है बल्कि

उनकी सोच, समझ को भी प्रभावित करता है। एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऐसे गुण दे सकता है जो समाज के हित में हो और देश के विकास में सहायक हो। एक शिक्षक अपने व्यवहार से बच्चों में सहज तरीके से ईमानदारी, अनुशासन, देश भक्ति, दयालुता, सहयोग भावना जैसे अनेक गुण भर सकता है। किसी समाज व राष्ट्र के उत्थान में शिक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों के ऊपर अपने परिवार की ही नहीं बल्कि, विद्यार्थियों, समाज व संपूर्ण राष्ट्र की भी जिम्मेदारी होती है। वही व्यक्ति शिक्षण का कार्य प्रभावपूर्ण तरीके से कर सकता है जिसमें एक अच्छे शिक्षक के सभी गुण हो। आज के युग में एक अच्छे शिक्षक में निम्न गुणों का होना आवश्यक हैः

विषय की समझः एक शिक्षक के लिए यह प्राथमिक आवश्यकता है कि उसको अपने विषय की अच्छी समझ हो. अगर विषय की समझ अच्छी होगी तो वह अपने विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से व सरलता पूर्वक अपनी बात समझा पाएगा. विद्यार्थियों में अपने विषय के प्रति रुचि बढ़ाएगा तथा इस प्रकार उनका विश्वास भी प्राप्त करेगा.

अनुशासन प्रियः एक शिक्षक के जीवन व उसके कार्य में अनुशासन का विशेष स्थान है। इसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं में भी वहां की आवश्यकता के अनुसार अनुशासन होना चाहिए। यहां का अनुशासन ना तो सेना की तरह कठोर होना चाहिए और ना ही घर जितना अनौपचारिक। एक शिक्षक के अनुशासन प्रिय होने से मेरा आशय शिक्षक के स्वयं के अनुशासन से है ना कि विद्यार्थियों के ऊपर अनुशासन को लागू करने से।

अपने कार्य व संस्था के प्रति लगावः एक शिक्षक को अपने कार्य व अपनी संस्था से लगाव होना चाहिए। अगर लगाव में कमी होगी तो वह अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा तथा इसका असर उसके व्यक्तित्व पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा। इसके विपरीत जो शिक्षक अपने कार्य व संस्था से लगाव रखेंगे उनकी क्षमता तथा प्रभावशीलता में भी वृद्धि होगी, फल स्वरूप वह अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सकेगें।

ईमानदारः एक शिक्षक को अपने पेशे, संस्था व विद्यार्थियों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। विद्यार्थी केवल विद्यार्थी ही नहीं होते बल्कि अपने शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षक भी होते हैं। जैसे ही कोई शिक्षक संस्थान में प्रवेश करता है, विद्यार्थी उसके आने के समय, उसके स्वभाव, उसके आचरण व सभी कार्यों का परीक्षण प्रारंभ कर देते हैं। अगर शिक्षक अपनी बातों में, कार्य में व आचरण में ईमानदार नहीं होगा तो विद्यार्थियों के मन में, उसका सम्मान कम हो जाएगा और इसकी भरपाई अन्य किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती है.

व्यवहार कुशलः एक शिक्षक को व्यवहार कुशल होना चाहिए। शिक्षक के पास विभिन्न समुदायों व प्रांतों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं जिनकी संस्कृति, सभ्यता, पृष्ठभूमि आदि सब अलग–अलग होती हैं। विद्यार्थियों के साथ–साथ उसको अपने संस्थान के कर्मियों, प्रशासन, विद्यार्थियों के अभिभावक व अनेक हित धारकों के साथ भी समय–समय पर संवाद व सहयोग करना पड़ता है। अपने कुशल व्यवहार से वह सभी से संतुलित व स्वस्थ संबंध बनाकर रख सकता है।

कुशल वक्ता व श्रोताः एक कुशल वक्ता जटिल संदेश को भी आसान तरीके से समझा सकता है। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करे तथा विषय से संबंधित सूचनाओं को प्रभावी तरीके से प्रदान करे। अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करते समय उपयुक्त भाषा व शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा के माहौल को खुशनुमा रखना चाहिए। एकपक्षीय संप्रेषण नहीं होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों की बातों को अच्छे से सुनकर उनकी भावनाओं को व समस्याओं को समझना चाहिए। अगर शिक्षक विद्यार्थियों को नहीं सुनेगा तो उसका शिक्षण एकतरफा व नीरस हो जाएगा।

अद्यतनः समाज के सभी क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें समझना, समझाना तथा समाज के हित में नए परिवर्तन लाना भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। इसके लिए आवश्यक है कि एक शिक्षक को सभी प्रकार के परिवर्तनों व तकनीकी बदलावों से स्वयं को अद्यतन करते रहना चाहिए। अगर कोई शिक्षक आज के युग में नई तकनीकों से दूर रहेगा तो वह अपनी उपयोगिता ही खो देगा।

आत्म विश्वासी: आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति से कठिन से कठिन कार्य को करा सकती है. आत्म विश्वासी व्यक्ति सकारात्मक, प्रभावशाली, कुशल नेता, व अच्छा प्रबंधक भी होता है। एक शिक्षक का आत्म विश्वासी होना काफी आवश्यक है। दूसरों का विश्वास तभी हासिल किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होगा। अगर शिक्षक को अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होगा तो वह उनका प्रदर्शन भी प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएगा। यदि एक शिक्षक आत्म विश्वासी होगा तो उसके विद्यार्थी भी आत्म विश्वासी बनेंगे।

एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शक होता है– फल स्वरूप समाज को उससे काफी अपेक्षाएं रहती हैं। इसीलिए एक शिक्षक को हर उस गुण को अपनाना चाहिए जिससे उसके कार्य में निखार आए, और ऐसे गुणों का कोई अंत नहीं है। फिर भी मेरी नजर में ऊपर दिए गए आठ गुणों का एक शिक्षक में होना नितांत आवश्यक है। मैं एक शिक्षक हूं और अपने जीवन में ऊपर दिए गए सभी गुणों का पालन करने की पूरी कोशिश करता हूं और भविष्य में पूरी निष्ठा के साथ अन्य किसी भी अच्छी और आवश्यक सीख को अपने शिक्षण में शामिल करने की कोशिश करता रहूंगा।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।

- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

13.

सतत् विकास के परिपेक्ष्य में नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों का व्यावसायिक कोर्सो के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण

प्रोफेसर लाजवंती
प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
दयालबाग शैक्षणिक संस्थान दयालबाग, आगरा

नीता सत्संगी
अनुसंधान विद्वान (शिक्षा विभाग)
दयालबाग शैक्षणिक संस्थान दयालबाग, आगरा

शवनम कुमारी
अनुसंधान विद्वान (शिक्षा विभाग)
दयालबाग शैक्षणिक संस्थान दयालबाग, आगरा

नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक कोर्सो और विद्यार्थियों के कौशल विकासों पर बहुत जोर दिया गया हैं और साथ–साथ स्कूली प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा का सतत् विकास करने पर जोर दिया गया हैं। नयी शिक्षा राष्ट्रीय नीति 2020 में कक्षा 6 से उच्च शिक्षा तक व्यावसायिक कोर्स पढ़ाने जाने की मंजूरी दी है जैसे संगीत, पेंटिग, चित्रकारी, परफॉमिंग आर्ट, कृत्रिम बुद्वि, कढ़ाई–बुनाई, टेक्सटाइल, गारमेंट गृहशिल्प आदि जैसे कोर्सो को एक विषय के रुप में पढ़ाये जाने की मंजूरी देने की बात की गई है। जैसे की हम वर्तमान में अनेक समस्याओं को देख रहे हैं जैसे

रोजगार के लिए छात्र–छात्राओं को बहुत कम अवसर मिल रहे है। इसलिए हमारी नयी शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक कोर्सो को माध्यमिक से उच्च शिक्षामें एक विषय के रुप में पढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षित अध्यापक और व्यावसायिक कोर्सो से सम्बन्धित संसाधनों को भी हर स्कूल व विद्यायलय में मुहईया कराने की मंजूरी दी है। आज के वर्तमान समाज की माँग व बदलते परिपेक्ष्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने क लिए छात्रों को ऐसे विषयों का चुनाव किया जाए महत्वपूर्ण हो रहा है। कि वह अपने रोजगार परक जीवन को सुदृढ़ बना सके ताकि वह अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को दूर कर सके और अपनी राजी–रोटी कमा सके तथा शिक्षक का ऐसा लक्ष्य हो कि 'शैक्षिक विकास के साथ उनको अपने जीविकोपार्जन कराने के लिऐ सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और शिक्षा को सरल व सुगम बनाये।

कोठारी आयोग ने 1964–1966 में कहा था कि व्यावसायिक शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे बल्कि वह छात्रों को रोजगार परक बनायें और उनको जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान करें।

अतः हम कह सकते है कि शिक्षा एक ऐसा यन्त्र है जो हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती है।

अनेक शोध में यह पाया गया है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा के साथ आगे आने वाली शिक्षा में नवाचारो और कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा आदि पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए नयी शिक्षा नीति 2020 में इन बातो पर अधिक गम्भीरता से ध्यान दिया गया है। नयी शिक्षा नीति 2025 तक दक्षिण कोरिया, जर्मनी तथा अमेरिका के विद्यार्थी इतने सक्षम है। कि वो अपने रोजगार के लिए हर पल तैयार रहते है। इसे उच्च बनाने के लिए सरकार ने सत्त विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर नयी शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2025 तक 50 फिसदी विद्याार्थियों को वाकेशनल एजूकेशन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

इसलिए भारत में आत्मनिर्भर, कौशल विकास, नवाचार, नई शिक्षण विधियाँ पाठ्यक्रम आदि को बढ़ावा दिया जाना तय किया गया है। और इन विषयों पर गम्भीरता से विचार विर्मष किया जाना चाहिए।

यह नीति लक्ष्यों को सुदृढ़ बनायेगी तथा साथ ही साथ छात्रों का आर्थिक विकास के साथ उनका सर्वांगीण विकास भी करेगी तथा समाज व देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करेगी।

नयी शिक्षा राष्ट्रीय नीति 2020 में व्यावसायिक कोर्सो और विद्यार्थियों के कौशल विकासों पर बहुत जोर दिया गया हैं और साथ–साथ स्कूल प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा का सतत् विकास करने पर जोर दिया गया हैं। वर्तमान में नई शिक्षा नीति के सतत् विकास पर जोर देते हुए संकेत किया गया है कि भारत में गरीबि, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और खुशहाली शिक्षा की लैंगिक समानता जल व स्वच्छता ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाओं, उद्योग और नवाचारों उपभोग एवं उत्पादन जलवायुकार्यवाही पारिस्थिति की तंत्र, शांति और न्याय अरदि के प्रति भागीदारी छात्रों में और प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए सतत् विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की ओर पूर्व भविष्योन्मुखी लक्ष्यों की ओर संकेत किया गया है। आज वैश्विक और पारस्परिक जुड़ी, वैश्विक और पारस्परिक चुनौतियों को दूर करना है। छात्र जीवन में ऐसी समस्याओं को समझने और उनके प्रति जागरुक करने के लिए शिक्षक को एक अहम् भूमिका निभाना नहीं उनका परम दायित्व है।जे कि समाज और व्यक्तियों के बीच नए सिरे से वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है।

2030 तक वैश्विक एजेंन्डा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का मुख्य सिद्धान्त सभी का विकास और सभी को जागरुक और शिक्षित करना है। आज के वैश्विक समाज का ध्येय वाक्य होना चहिए कि –

कोई पीछे न छूटे
सब पढ़े सब बढ़े

इस मूल मंत्र के साथ हमें समावेशी शिक्षा के तहत सबको याथ लेकर चलना है और सबके हित के प्रति सकारात्मक सोच हो और शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच के साथ छात्रों को सब तरह से सक्षम बनाने के लिए ऐसे कोर्सो को वाठ्यक्म में रखा जाए जो कि छात्रों की आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में विकास करने के साथ–साथ उन को व्यवसाय के प्रति जागृत व सक्षम करें। जिससे छात्र अपनी पारवारिक, आर्थिक और आगे आने वाली पीढ़ी को हर सुविधा के साथ सक्षम बना

सकें। और उनके भावी जीवन के लिए शिक्षा ही एक मूल मंत्र के रुप में उन्हें योग्यता प्रदान करने में एक मूल साघन बनें।

मुख्य परिभाषायें–

1. सतत् विकास–

सतत् विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए योग्यता उनकी योग्यता को प्रभाति किए बिना ही वह वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करें भारतीयों के लिए पर्यावरण संरक्षण जो सतत् विकास का अभिन्न अंग है। लेकिन शिक्षा के द्वारा हम अपनी युवा पीढ़ी और समाज को जागरुक करने के लिए कर सकते है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना जरुरी है।

विद्या ददाति विनयम्

2. नई शिक्षा नीति–

नई शिक्षा नीति वह नीति है जो कि संविधान के नियम कानून तथा पूर्व में बनाए गए आयोग कमीशन के पूर्ववत् तथा वर्तमान की मांगों को सम्मिलित करके तैयार की गई है।

वर्तमान नई शिक्षा जैसे व्यवसायिक मुदद् नवाचर कौशल विकास तथा नई–नई तकनीकि आदि पर विशेष धयन दिया गया है। नई नई शिक्षा नीति का उद्देष्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों को 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आय सीमा को साव्रभौमिक बनाना है। भारत को एक विकसित देश बनाने में सक्षम होगी।

3. व्यवसायिक शिक्षा–

वर्तमान में नई शिक्षा नीति में शिक्षा जैसे व्यवसायिक मुदद् नवाचार कौशल, विकास तथा नई–नई तकनीकी आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यवसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यवसाय के साथ जोड़तें हुए विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन करने के लिए सक्षम बनाती है और छात्र अपने व्यवसाय के लिय तैयार होता है

व्यवसायिक शिक्षा कहलाती है। परंतु वास्तव में इसका अर्थ अधिक व्यापक है व्यवसायिक शिक्षा छत्रों कसो व्यवसाय चुनन एवं व्यवसाय संबंधी योगिता प्रदान करने का अवसर प्रदान करती हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि– शिक्षा के वर्तमान मांगों को ध्यान में सखते हुए समाज के हर नागरिक को सतत् विकास की ओर संकेत करते हुए कहा है कि एजेंडा 2030 के पीछे की हमारी सोच इतनी ऊचा है हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग् है। इनमें उन समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है जो पिछले कई दशकों से अनसुझी हैं जो इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक और पर्यावरणीय फलों के बारे में हमारे विकसित होती है।

वर्तमान परिपेक्ष्य में उपयोगी–

1. नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को व्यसायिक कोर्सो के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सखतें हुए साथ–साथ अच्छे संसाधनों को उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है जिससे छात्र पढ़ने के साथ–साथ उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर अपना जीविकोपार्जन का एक साधन भी बना सकते है।

2. व्यवसायिक शिक्षा लोगो को उनकी नौकरियों के बेहतर क्रियान्वयन में लाभान्वित करती है।

3. व्यवसायिक शिक्षा को प्राप्त करने के साथा शिक्षक छात्रों को कुछ व्यवसायिक छात्रों कौशलों को मैनुअल काम के महत्व को सिखातें है।

4. शिक्षक छात्रों को व्यवसायिक कोर्सो को पढ़ातें समय छात्रों को नौकरी के लिए श्रम मजबूत व स्वस्थ सक्रिय बनाते हैं ताकि वह अपनी नौकरी पाते समय व्यवसाय से संबंधित अपनी दक्षता को कमजोरी ना समझें और अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।

शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की आवशकता और महत्व–

किसी देश के विकास में उस देश की शिक्षा व्यवस्था का मजबूत होना अति अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में आज की पीड़ी को अच्छे कदम उठाने हैं क्यों कि शिक्षा आज के हर क्षेत्रों की मॉग हैं।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल ही में यह सुनिश्चित कर दिया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देष्य छात्रों को व्यवसाय दिलाना और उनकों जीविकोपार्जन योग्य बनाना हो तो उस देश का विकास एवं उन्नति निष्चित युवा के हाथ में होगी। शिक्षा अपने वास्तविक उद्देष्यों और लक्ष्यों की तभी कर सकती है। जब वह शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा को एक कोर्स के रूप में माध्यमिक स्तर के स्कूलों में रखा जाये तथा उसके लिए एक प्रशिक्षित व उसी विषय का विषेशज्ञ की नियुक्ति भी एवं कौशल विकसित करना होगा। तभी हम शिक्षा के द्वारा अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें।

वर्तमान में षिक्षा की घटती गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि शिक्षा को पूर्णतः व्यावसायिक शिक्षा में परिर्वन किया जाए। माध्यमिक स्तर के समस्त विद्यालयों में शिक्षा को बहु–विषय समग्र शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाये।

शैक्षिक उपादेयता और निष्कर्ष

व्यावसायिक शिक्षा जैसे –कढाई, बुनाई, सिलाई कास्ट ज्योतिष, कारिगरी, हस्त शिल्प आदि जैसे विषय को वैदिक काल में भी पड़ाये जाते थे और आज उसी को कौशल युक्त प्रशिक्षण देखकर प्रत्यक्ष रूप में से छात्रों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना है। समकालीन शिक्षा की घटती गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि शिक्षा को पूर्णतः व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तित किया जाए। अतः वर्तमान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (2020) फ्रेमबर्क में बन रहे नये पाठ्यक्रम में इसे विषय बनाने की बात रखी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया है। जिसे साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन के एकीकरण के लिए शिक्षा मंत्रालय नये कदम उठाने जा रहा है। कि केन्दीय बोर्ड और राज्य स्तरीय बोर्ड सभी में व्यावसायिक कोर्सो को नियमित रूप से पढ़ाया जाये। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय ने कहा है। कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने के लिए जहॉ स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, वही बच्चों को शुरू से ही कौशल विकास, आर्टिफिसीयल इंटेलीजेन्सी, शारीरिक व स्वस्थ्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा आदि को एक कोर्स के रूप में पढाया जाए।

- छात्रों को व्यावसायिक परख बनाना जिससे वह समाज में सम्मान पूर्वक रहने योग्य बन सके।

- छात्रों में जीवकोपार्जन करने की दक्षता का विकास करना जिससे वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का परिवहन कर सके।
- राष्ट्रीय आर्थिक संरचना को मजबूती प्रदान करना और प्रति व्यक्ति आय में बृद्धि करना।
- शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा देना।
- राष्ट्र का विकास और सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा प्रदान करना।
- नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने 6 के सभी स्कूलों में व्यावसायिक कार्सो को पढ़ाने की मजूरी दी है।

सन्दर्भ ग्रंथ:

- कोठारी आयोग की सिफारिश, (1964–66) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968–1986) की रिपोर्ट इनसाइकोपीडिया।
- एल0, नारायण, (1992), आधुनिक भारत की समस्याऐं और सिफारिश, शारदा बुक प्रकाशन इलाहाबाद।
- Agrawal, Rashmi (2006). Educational Vocational Guidance and CounsellingPrinciples, Techniques and Programmes. Shipra Publications, Delhi. Best, J.W. and Kahn, J.V. (1995). Research in Education. Prentice Hall of India, New Delhi. Bhargava, M. and B
- Kothari, C.R. (2006). Research Methodology: Methods & Techniques. New Age International pvt. Ltd., Delhi.
- Azizi, Nematollah (2008). "Secondary Education in Iran-Towards connecting Education to the Needs of Economy". Journal of Educational planning and Administration. Vol. XXII, No. 3, PP. 311-327.

- Barik, K. (2010). "Enrolment trend of vocational education programme in open School: A study of NIOS". Indian Journal of Open Schooling. Vol.1, No.1, PP. 60-72.
- https://in.one.un.org/sustainable-development-goal/
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

14.

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं समग्र विकास में अध्यापक की महत्त्वपूर्ण भूमिका

डॉ हरीश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
मॉर्डन इंडियन कॉलिज ऑफ एजुकेशन

वर्तमान समय मे शिक्षक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज शिक्षक केवल पुस्तकीय ज्ञान का प्रदाता न होकर पथ प्रदर्शक भी है। शिक्षक जीवन का मार्गदर्शन करने वाला है परंतु आज शिक्षक के पद का दायरा सीमित हो रहा है। इसे केवल विद्यालयी शिक्षण तक समेट दिया गया है। प्रशासकीय व्यवस्था में वह केवल शासकीय कर्मचारी जैसा बनकर रह गया है जबकि आवश्यकता है इसके व्यापक होने की। माना जाता है कि यदि शिक्षक नही होता तो शिक्षण की कल्पना भी नही की जा सकती थी। शिक्षण की आधारशिला शिक्षक के द्वारा ही रखी जाती है। प्राचीन काल से ही शिक्षक का दर्जा बहुत ही उच्च और अहम रहा है वह समाज का आदर्श होता था। ''गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः'' श्लोक में गुरु की तुलना ब्रह्मा से की गई है जिस प्रकार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है उसी प्रकार शिष्य के सम्पूर्ण जीवन के निर्माण की बागडोर शिक्षक के हाथों में होती है। गुरु का कार्य शिष्य का जीवन निर्माण करना होता है। शिक्षक ज्ञान रूपी आहार देकर ही शिष्य को जीवन संघर्ष के योग्य बनाता है, उसका चरित्र निर्माण करता है

इसलिये उसकी तुलना विष्णु रूप मे की गई है। शिष्य के दुर्गुण दूर करने के कारण उसकी बुराइयों के संहार करने के कारण, शिक्षक को महेश भी कहा गया है। शिक्षक समाज के आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है, किसी भी देश समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है यदि दूसरे शब्दों में कहे तो शिक्षक समाज का आईना होता है। छात्र और शिक्षक का संबंध केवल विद्यालयी शिक्षा देने तक सीमित नही रहता वल्कि शिक्षक हर मोड़ पर एक मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करता है। विद्यार्थी में सकारात्मक सोच विकसित करता है उसे सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और स्वयं को भी उदाहरण के तौर प्रस्तुत करता है। एक सफल जीवन यापन हेतु शिक्षक अनिवार्य प्रक्रम है संसार मे भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ शिष्यो को विद्यालयी ज्ञान के साथ उच्च मूल्यों को स्थापित करने वाली नैतिक व चारित्रिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जो छात्र के सर्वांगीण विकास में सहयोगी होती है। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, गुरू अर्थात अंधकार और रु का मतबल नष्ट करने वाला है।

परंतु बदलाव का प्रभाव सम्पूर्ण व्यवस्था पर पड़ता है। शिक्षक और शिक्षा इससे अछूते नही है। शिक्षक पथ प्रदर्शक है, ज्ञान प्रदाता है उसका आचरण और व्यवहार समाज के लिए अनुकरणीय रहा है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न उठना लाजिमी है कि शिक्षकीय गरिमा को लोग शनैः शनैः विस्मृत क्यो करते जा रहे है। शिक्षक की उपेक्षा आज हमारे लिए कमजोरी बन रही है तथा समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही है, फिर चाहे हम लौकिक शिक्षक की बात करे या फिर किन्ही अन्य गुरूओ की। राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक का योगदान जितना होता है उतना शायद ही किसी अन्य का होता हो क्योंकि राष्ट्र की उन्नति में प्रत्येक क्षेत्र मे उसके छात्रों का योगदान रहता है जहाँ कोई राजनेता,अभिनेता,खिलाड़ी, लेखक, डॉक्टर या फिर इंजीनियर की भूमिका में अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र उन्नति को दिशा दे रहा होता है। आधुनिक दौर में शिक्षक की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो गई क्योंकि अब छात्र सजग, कुशल और अधतन रहता है, जिसके सामने खुद को कुशलता और तत्परतापूर्वक प्रस्तुत करना किसी कला से कम नही है। उनके सामने शिक्षक का दायित्व बढ़ जाता है क्योंकि उसे न केवल बौद्धिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, शरीरिक विकास करना है अपितु सामाजिक, चारित्रिक एवं संवेगात्मक विकास भी तय करना है। स्वयं के आचरण द्वारा छात्रों के मानस पटल पर अमिट अविस्मरणीय छाप भी छोड़नी होती है। उसे अपने प्रेम, अनुभव, शिक्षा, समर्पण, सृजन, त्याग व धैर्य से छात्रों की मूल भावना जानकर उसे सही दिशा देने का

कार्य करना होता है क्योंकि यही भविष्य के नागरिक होते है। शिक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शिक्षा सम्पूर्ण जीवन प्राप्त होती रहती है वैसे ही शिक्षण भी सतत चलने वाली अंतहीन प्रक्रिया है। व्यक्ति पूरे जीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है और उसे कोई न कोई सिखाने वाला मिलता ही है चाहे औपचारिक शिक्षण हो या फिर अनोपचारिक शिक्षण। शिक्षक के संबंध में कहा गया कथन अपनी सार्थकता स्वमेव सिद्ध करता है ''गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ सम गड गड काढ़े खोय,

शिक्षा समाज के लिए आवश्यक व अनिवार्य तत्व है ये कहना अतिशयोक्ति नही होगा कि भोजन व पानी जितनी आवश्यक शिक्षा भी है क्योंकि इसी के द्वारा हम जीवन कौशल सीखते हैं परंतु वर्तमान में शिक्षा का स्वरुप दिन प्रतिदिन बदरूप होकर बदलता जा रहा है। शिक्षा नैतिक जीवन की आधारशिला न होकर केवल जीविकोपार्जन का साधन मात्र बनती जा रही है। यह एक कटु सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य अच्छी नौकरी प्राप्त करना रह गया है जिस तरह शिक्षा बदल रही है शिक्षक भी उससे अप्रभावित नही है। अब वह पथप्रदर्शक के स्थान पर निर्देशकर्ता बनकर रह गया है चूंकि शिक्षक भी समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज के बदलाव उसे भी प्रभावित करते है उसकी सोच भी व्यावसायिक होती जा रही है। वह भी एक हाथ दो तथा एक हाथ लो कि पद्धति का अनुसरण करने लगा है। उसी व्यावसायिकता के चलते शिक्षो का स्तर दिनोदिन गिरता जा रहा है। अधिक धन कमाने की लालसा ने शिक्षा जैसे दान के कार्य को व्यापार का रूप दे दिया है। ऐसी शिक्षा से धन तो प्राप्त हो जाएगा परंतु नैतिक पतन तो अवश्यम्भावी है। आज सब भौतिक सुख सुविधाओं में इतने तल्लीन हो गए हैं कि उन्हें खुद के दायित्व नजर नही आते, न ही समाज के प्रति कर्तव्य, आर्थिक उन्नति ही विकास का पर्याय होती जा रही है। इस प्रकार का बदलाव समाज के लिए सकारात्मक न होकर नुकसानदेह ही होता है क्योंकि शिक्षा और शिक्षक किसी भी समाज की धुरी होती है। अगर वही टूट गई तो हम सभ्य समाज की कल्पना भी नही कर सकते इसकी परिणति आये दिन शैक्षिक संस्थानों में देखने को मिलती रहती है। प्रश्न यही है कि हमारे शिक्षक के प्रति सम्मान की इतनी मजबूत नीव हिलने कैसे लगी, समाज के दिशा निर्धारक इस व्यक्तित्व को शनैःशनैःविस्मृत क्यो किया जा रहा है।

आज शिक्षा के गिरते रहे स्तर के लिए निश्चित रूप से शिक्षक को जबाबदेह ठहराया जाता है परंतु हमे यह भी देखना होगा कि क्या यह पूर्णतः सत्य है तो हम

पाएंगे कि समाज की शिक्षा के प्रति व्यवसायीकरण की सोच तथा शिक्षक को शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में समायोजित करना भी इसका एक प्रमुख पहलू है। यदि शिक्षक प्रारंभिक समय से ही शिक्षण पर पूर्ण ध्यान केंद्रित नही कर पायेगा तो उससे आगामी प्रतिफल प्राप्त नही किये जा सकते है। छात्रों द्वारा जीवन मे कुछ अच्छा करने पर आज भी शिक्षकों का हृदय गर्व से भर जाता है परंतु समय मे बदलाव स्वरूप छात्र व शिक्षक के बीच जो विश्वास का पुल बना था वह कमजोर हुआ है वे एक दूसरे को शंका व संदेह की दृष्टि से देखने लगे है यदि हम कहे तो इस गुरु शिष्य परंपरा को कमजोर करने में शिक्षक और छात्र दोनों का योगदान है। कुछ शिक्षको की कार्य के प्रति उदासीनता और बच्चों की भौतिकवादी सोच व दिशाहीनता, ये सभी शिक्षा के स्तर की गिरावट के लिए उत्तरदायी है। ये जरूरी है कि दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और ईमानदारी से उसका निर्वाहन करे। शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी बढ़ने से धीरे धीरे उनके बीच की आत्मीयता और सम्मान कम होते जा रहे हैं जो भविष्य के बड़े संकट के संकेत है। समय रहते इस बात पर ध्यान केंद्रित नही किया तो एक बड़ा संकट हमारे सामने होगा। इसका एक पक्ष ये भी है कि वर्तमान समाज शिक्षको की असुविधाओं को देखकर भी उनके निराकरण में उदासीनता दिखाता है। शिक्षको के कंधों पर बच्चों के भविष्य निर्माण का भार तो सौप देता है लेकिन शिक्षको के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाता है। इन्ही कारणों से शिक्षक के सामाजिक स्थान एवं दर्जे में भारी गिरावट आ गई है। समाज और शिक्षक के बीच की दूरी सम्पूर्ण व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रही है। यह स्थिति न तो छात्र न शिक्षक और न ही राष्ट्र के हित मे है। आज के वैश्विक दौर में हर इंसान आर्थिक हितों की सोच की ओर अग्रसर हो रहा है। शिक्षक भी इससे अप्रभावित नही है। ऐसे में कई बार ऐसे रास्ते चयन हो जाते है जो नैतिक रूप से सही नही कहे जा सकते, यही एक कारण भी है कि तमाम सरकारी प्रयासो के बावजूद शिक्षा का व्यवसायीकरण होता ही जा रहा है। संस्थान केवल प्रमाणपत्र वितरण केंद्र बनते जा रहे है। समाज का नैतिक स्तर लगातार गिर रहा है, शिक्षा व्यवसाय बनती जा रही है परंतु शिक्षकों को विचार करना होगा कि वे केवल शासकीय कर्मचारी नही है अपितु उनके ऊपर समाज के नैतिक उत्थान की महत्वपूर्ण जबाबदेही भी है। शिक्षक अपनी गरिमा समझें। यदि वह खुद को मात्र कर्मचारी मानने लगेंगे तो इससे अधिक दुर्भाग्य हो ही नही सकता। शिक्षकों को अपने अतीत के गौरव को समझना चाहिए साथ ही उसे खो देने के कारणों पर विचार करके स्वयं में बदलाव लाना चाहिए नही तो यह केवल शिक्षक का पतन नही होगा बल्कि

सारे राष्ट्र को इसकी कीमत चुकानी होगी। आज शिक्षा व्यवस्था की स्थिति के लिए राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक सभी स्तरों पर चिंतन और निकालकर आये तथ्यों का निराकरण जरूरी है राष्ट्र निर्माता है वह, जो सबसे बड़ा इंसान है, किसमें कितना ज्ञान है, बस इसको ही पहचान है"।

एक राष्ट्र को बनाने में एक शिक्षक का जितना सहयोग है, योगदान है, उतना शायद किसी और का हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक शिक्षक ही राष्ट्र को उन्नति के चरम शिखर पर ले जाते हैं। वर्तमान समय में विद्यार्थियों के संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका क्यों अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे आज–कल विद्यार्थी बहुत ही सजग, कुशल होने के साथ–साथ बहुत अस्थिर भी होते जा रहे हैं। एक शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है क्योंकि उसे ना केवल बच्चों का बौद्धिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक व शारीरिक विकास करना है अपितु सामाजिक, चारित्रिक, एवं सांवेगिक विकास भी करना है।

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।

गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः।

बंद आंखों के सामने हमारा चेहरा यानि एक शिक्षक का चेहरा उन्हें दिखाई दे। यह एक चुनौती भरा कार्य है। परंतु सच्चा शिक्षक वही है जिसे उसके विद्यार्थी जीवन भर अपना गुरु मानते रहें न कि सिर्फ विद्यालय प्रांगण के अंदर तक यह सीमा शेष रह जाए। ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक शिक्षक को स्वयं को अनुशासित करते हुए स्वयं में चारित्रिक, नैतिक ,धार्मिक आदि गुणों का विकास करना होगा। क्योंकि इन सबके बिना हमारी आंतरिक भावनाओं का उदय नहीं हो सकता।शिक्षक को अधिक से अधिक बच्चों के साथ इंटरेक्शन यानि वार्तालाप करना चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व पर यथासंभव अपना प्रभाव डाल सके। अपने अनुभव, अपनी शिक्षा, अपने प्रेम, समर्पण, अपनी सृजन शक्ति, अपने त्याग, अपने धैर्य आदि का पूर्ण प्रदर्शन करते हुए बच्चों के भी अनुभव, उनके मूल विचार, उनकी भावनाओं आदि को जानने का प्रयास करना चाहिए और यथासंभव उन्हें अभिप्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इन्ही सब विद्यार्थियों में से ही भविष्य में हमारे देश का नाम रोशन करने वाले कई नागरिक पैदा होंगे। आदर्श शिक्षक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में एक शिक्षक की वर्तमान संदर्भ में भूमिका यह है कि जो एक विद्यार्थी के लिए उचित हो, कल्याणकारी

हो, दूरगामी हो, प्रायोगिक हो, धनोपार्जन में सहायक हो, ऐसी शिक्षा को निरंतर प्रदान करते रहना। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सजग, उदात्त चरित्र, धार्मिक व नैतिकता परिपूर्ण शिक्षक की आवश्यकता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ऐसे भारतीय नागरिक बनाने में सफल हो सकें जो विश्व में भारत का नाम रोशन कर सकें और पुनः भारत को 'जगतगुरु' की उपाधि प्राप्त करवा सके। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर राष्ट्र की शिक्षा नीति अच्छी है तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। शिक्षा के अनेक आयाम हैं, जो किसी भी देश के विकास में शिक्षा के महत्व को अधोरेखांकित करते हैं। एक शिक्षक द्वारा दी गयी शिक्षा ही शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है। शिक्षकों द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ ही साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। शिक्षा हमें ज्ञान, विनम्रता, व्यवहारकुशलता और योग्यता प्रदान करती है। शिक्षक को ईश्वर तुल्य माना जाता है। आज भी बहुत से शिक्षक शिक्षकीय आदर्शों पर चलकर एक आदर्श मानव समाज की स्थापना में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ–साथ ऐसे भी शिक्षक हैं जो शिक्षक और शिक्षा के नाम को कलंकित कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है, जिससे एक निर्धन शिक्षार्थी को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है और ध ान के अभाव से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। आधुनिक युग में शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक होता है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है।आज के समय में शिक्षा का व्यवसायीकरण और बाजारीकरण हो गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण और बाजारीकरण देश के समक्ष बड़ी चुनौती है। पुराने समय में भारत में शिक्षा कभी व्यवसाय या धंधा नहीं थी। गुरु एवं शिक्षक ही वो हैं जो एक शिक्षार्थी में उचित आदर्शों की स्थापना करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। एक शिक्षार्थी को अपने शिक्षक या गुरु के प्रति सदा आदर और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। किसी भी राष्ट्र का भविष्य निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक का महत्व यहीं समाप्त नहीं होता क्योंकि वह ना सिर्फ हमको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि प्रत्येक शिक्षार्थी के सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के हाथों द्वारा रखी जाती है।

शिक्षक विद्यालय को समुदाय से जोड़ने की अहम कड़ी हैं

अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ने में शिक्षकों ने अहम भूमिका निभाई है। वे बच्चों की प्रगति के बारे में अभिभावकों को बताते और उनके सहयोग के क्षेत्रों को भी

रेखांकित करते हैं। मसलन घर पर बच्चों को खुद से बैठकर पढ़ने का समय देने और स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे बुनियादी मुद्दों पर बात करते हैं। अभिभावकों की बैठक में रोचक प्रयासों द्वारा उनकी भागीदारी को सतत बनाए रखने जैसे प्रयास किये जा सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

15.
स्वामी विवेकानंद के शैक्षणिक, दार्शनिक विचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

डॉ0 किशोर कुमार,
एसोसिएट प्रोफ़ेसर (इतिहास)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

अमित कुमार,
शोध छात्र (इतिहास)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

युवा एक ऐसी शक्ति है जो वायु की भांति चारों दिशाओं की ओर गतिशील रहती है तथा इसकी ऊर्जा को रोकना असंभव सा प्रतीत होता है। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र व समाज को 'फर्श से अर्श व अर्श से फर्श तक पहुंचाने का' सम्पूर्ण सामर्थ्य रखती है। युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस देश की शक्ति को, युवा सोच को सही दिशा में ले जाना ही प्रत्येक राष्ट्र का ध्येय होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का भी यही सपना था कि देश का युवा तब तक लक्ष्य के पीछे चलता रहे जब तक उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।

स्वामी विवेकानंद भारतीय सनातन धर्म के प्रकाण्ड विद्वान और वेदान्त के पोषक थे। ये वेदान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके दार्शनिक विचार सैद्धान्तिक स्वरूप में इनके द्वारा रचित पुस्तकों में पढ़े जा सकते हैं और इनका व्यावहारिक रूप रामकृष्ण मिषन के जन कल्याणकारी कार्यों में देखा जा सकता है। स्वामी जी अपने देशवासियों की अज्ञानता और निर्धनता से बहुत चिन्तित थे और इन्हें दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। उनके शैक्षिक विचारों को समग्र ज्ञान हेतु उनके विचारों में उपस्थित दार्शनिकता की पहचान आवश्यक है।

भारत सरकार द्वारा हाल में ही अपनाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भी युवाओं का सार्वभौमिक विकास है। भारत भूमि प्राचीन काल से ही युवा सोच व युवा जोश की पुण्यभूमि रही है। स्वामी विवेकानंद, मंगल पांडेय, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आज़ाद, अशफ़ाक़ उल्ला ख़ाँ, रामप्रसाद 'बिस्मिल', खुदीराम बोस आदि युवाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके यह साबित कर दिया कि युवा अपना योगदान जिस दिशा में देगा समाज उस ओर परिवर्तित हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के आह्वान करते हुए कहा था– 'समस्त शक्तियां तुम्हारे अन्दर हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। तत्पर हो जाओ। जीर्ण–जीर्ण होकर थोड़ा–थोड़ा करके क्षीण होते हुए मरने की बजाय वीर की तरह दूसरों के कल्याण के लिए लड़ कर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नहीं है?

आज भारत के युवाओं को विवेकानंद जी के विचारों से सीख लेकर उन्हीं के बताए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है, तभी वे बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज आवश्यकता है उन्हें स्वयं को युवा होने की इस कसौटी पर जांचने की कि क्या वे अनीति से लड़ते हैं, दुर्गुणों से दूर रहते हैं, काल की चाल को बदल सकते हैं, क्या उनमें जोश के साथ होश भी है, क्या उनमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, क्या वे समस्याओं का समाधान निकालते हैं और क्या वे कही बातों को करके दिखाते हैं? आज युवाओं को समान रुप से 'महात्मा गांधी' के कहे इस कथन के मर्म को समझने और उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि खुद वह बदलाव बनिए, जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। ''कहा जाता है कि युवा सोच व जोश से किसी भी समाज में कोई भी बदलाव लाया जा सकता है बशर्ते उनकी ऊर्जा सकारात्मक

दिशा में लगे। आज का युवा आधुनिकता की दौड़ के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत का संतुलन बनाए अपने बुजुर्गों से सांस्कृतिक हस्तांतरण कर रहा है जिससे एक सांस्कृतिक व स्वस्थ समाज की स्थापना होना तय है।'

यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 बिल्कुल स्वामी विवेकानंद की कही गई बातों की प्रतिकृति है। इस नीति का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक मूल्यों, चरित्र, ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता, अभिनव रूप से, खिलाड़ी भावना और सामूहिक चेतना के साथ एक पूर्ण मानव के रूप में बनाना है। यह नई शिक्षा नीति 2021–22 से शुरू होने वाले इस दशक में धीरे–धीरे लागू की जाएगी।

स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारतीय दार्शनिकों में प्रमुख स्थान रखते है। इन्होंने वेदान्त दर्शन को व्यावहारिक बनाने के साथ ही उसे सामान्य मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। उन्होंने दर्शन को पश्चिमी जगत् के समक्ष रखने का प्रयास किया। वैदिक दर्शन के प्रति मिथ्या आरोपों को निर्मूल सिद्ध करने के लिए विवेकानंद ने तार्किक विधि का उपयोग भी किया है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि वेदान्त दर्शन बुद्धि विलास का विषय नही है अपितु वह एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन है। यह दर्शन मात्र एक देश एवं काल के लिए नहीं है अपितु इसके आधार पर एक सार्वभौमिक जीवन पद्धति का निर्माण किया जा सकता है। इस दर्शन में मानव जीवन के वे शाश्वत् मूल्य निहित है जो हमारे जीवन को प्रत्येक प्रकार की विभीषिका से उबारने में सक्षम है। स्वामी विवेकानंद ने वैदिक दर्शन एवं धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जीवन भर प्रयास किया। विवेकानंद वेदान्त दर्शन की एक नवीन व्याख्या करते प्रतीत होते है। उन्होंने अपने जीवन काल में वेदान्त दर्शन का समुचित अध्ययन करके उसे सामान्य बुद्धि के लिए सुलभ कराकर उसे जीवन से जोड़ने का प्रयत्न किया है। उन्होंने वेदान्त के गूढ़तम सिद्धान्तों को जितने सरल व रोचक ढंग से प्रस्तुत किया किसी अन्य समकालीन दार्शनिक ने नहीं किया। उन्होंने माना है कि वेदांत दर्शन तत्व मीमांसीय सिद्धान्तों का जमघट मात्र नहीं है वरन् यह सरलतम् जीवन दर्शन है। जिसकों सामान्य व्यक्ति भी जीवन में उतार सकता है। 1893 ई. में पश्चिमी देशों में वेदान्त दर्शन से प्रभावित करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने पश्चिम की भौतिकवादी जनता के सम्मुख भारत के अध्यात्मवाद का महानतम् आदर्श प्रस्तुत करके अपने देश की वास्तविक चिन्तनधारा का चित्र प्रस्तुत किया। स्वामीजी ने वेदांन्त की युक्ति संगत

विज्ञान सम्मत, व्यवहारानुकूल व्याख्या की। विवेकानंद का मानना था कि वेदान्त दीप से दरिद्र की कुटी प्रकाशित हो सकती है। स्वामीजी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को छोटे से छोटे कार्य निष्कपट भाव से करना चाहिए। स्वामी जी ने वेदान्त को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए उसकी प्रवृत्तिपरक व्याख्या की है। उन्होंने कहा वेदान्त गृहस्थावस्था के कार्य छोड़ने के उपदेश नहीं देता। वेदान्त के आदर्श को नगरों के कोलाहल के मध्य भी प्राप्त किया जा सकता हैं स्वामी जी की प्रवृत्ति परक वेदान्त की व्याख्या नवीन है। उन्होंने द्वैत, विशिष्ट द्वैत आदि सम्प्रदायों के चिन्तन के विकास के एक सीढ़ी बतलाकर उससे अद्वैत का समन्वय स्थापित किया है। स्वामीजी के अनुसार वेदान्त में योगी, मूर्तिपूजक, नास्तिक सभी के लिए उचित स्थान है। उसमें हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई सभी एक है। जंगल में समाधि, प्रणायाम एवं अनुष्ठान को स्वामी जी ने निरर्थक बताया है। यद्यपि यह सच है कि आदर्श प्राप्ति के लिए चित्तशुद्धि की आवश्यकता है, परन्तु चित्तशुद्धि नाक दबाकर प्राणायाम कर लेने मात्र से नही होगी। जितने भी जीव जन्तु हैं, वे सभी परमात्मा के रूप और ब्रह्म रूप है। अतः भगवान् को इन दुःखी, दरिद्र और असहाय प्राणियों में खोजना चाहिए। स्वामी जी का यह मत वेदान्त को व्यावहारवादी और समाजवादी दृष्टिकोण से जोड़ता है। वेदान्त को व्यक्तिवादी दर्शन से समाजोन्मुख बनाने का उनका यह दृष्टिकोण नवीनता लिये हुए है।

माया को स्वामी जी जगत् की व्याख्या के लिए उपयुक्त नहीं मानते है। उनके अनुसार माया कोई सिद्धान्त विशेष न होकर जगत् की स्थिति मात्र की बोधक है। उनके अनुसार केवल ब्रह्म का ही स्वतन्त्र अस्तित्व है। उन्होंने माया को ब्रह्म के ऊपर आश्रित बताया है। ब्रह्म माया पर आश्रित नही है। इनके अनुसार वेदान्त एकता का नही अपितु अनेकता में एकता का प्रतिपादन करता है। उन्होंने भक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने भक्ति के द्वैत भाव को समाप्त कर उसको अद्धैत भाव में परिणत कर दिया। स्वामी जी ने वेदान्त तथा विज्ञान का सामंजस्य स्थापित किया है। स्वामी जी ने माना कि आत्मा अनन्त है, उसका कोई ओर छोर नहीं है। उन्होनें नैतिकता का अर्थ दूसरों की भलाई करना बताया है। उनकी मान्यता है कि जब कोई दूसरे को हानि पहुंचाता है, तो वह स्वयं अपनी ही हानि करता है। उनके अनुसार विज्ञान और धर्म में केवल पद्धति का भेद है। वे धर्म को भी एक विज्ञान समझते है। उनके दर्शन के मूलाधारों को सरल रुप में निम्न प्रकार से समझा जा सकता हैः—

(1) ब्रह्म तत्व – विवेकानंद ने भारतीय परम्परा में ब्रह्म को ही विश्व का चरम तत्व माना है। उनके अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है। सम्पूर्ण जगत् ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति हैं। वेदान्त का मूल सिद्धान्त यह एकत्व अखण्ड भाव है।

(2) ईश्वर तत्व – विवेकानंद के अनुसार ईश्वर वह है जिससे विश्व का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है। वह अनन्त, शुद्ध नित्य मुक्त, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र परम कारूणिक, सर्वोपरी, प्रेमस्वरूप है। उनका मानना है कि ईश्वर एक वृत्त है, उसकी परिधि कही नही हैं, उसका केन्द्र सर्वत्र है। उस वृत्त में प्रत्येक बिन्दु सजीव, सचेतन, सक्रिय और समान रूप से क्रियाशील है। ईश्वर की तुलना में समस्त विश्व कुछ नहीं है। ईश्वर ही सृष्टि की उत्पत्ति, धारणा व विनाश करता है।

(3) आत्मा विचार– विवेकानंद ने आत्मा को ब्राह्मण्ड की एक अनन्त सत्ता माना है। उनका मानना है कि हम भी वह है तुम भी वह हो, उसके अंश नहीं समग्र वही। आत्मा जगत में इसलिए आती है ताकि जगत् का विकास हो सके। आत्मा कार्य–कारण नियम से परे है, इसलिए उसमें समिश्रण नहीं है। किसी कारण का परिणाम नहीं है। अतएव वह नित्य मुक्त है। आत्मा अनादि एवं अनन्त है। आत्मा अपरिवर्तनशील वस्तु, अमर शुद्ध, सदा मंगलमय है। उच्चतम से लेकर निम्नतम सभी प्राणियों में उसी शुद्ध और पूर्ण आत्मा का अस्तित्व है।

(4) जगत् विचार– विवेकानंद के अनुसार जगत् की सत्य कोटि में गणना नहीं कि जा सकती है। जगत् का वास्तविक रूप अज्ञात है। यह भौतिक जगत् मनुष्य की सीमित चेतना का परिणाम हैं। जब मनुष्य अपने मूलतत्व को जान लेता है तो सब जड़–द्रव्य, सब प्रकृति, जैसा हम उसे जानते है समाप्त हो जाते है। उनके अनुसार यह जगत् पूर्णतः असत् नहीं है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से ही माया के समान जगत् को भी अनिर्वचनीय कह सकते है। उनके अनुसार मन का स्थूल रूप ही जड़ है और जड़ का सूक्ष्म रूप मन है।

(5) मोक्ष प्राप्ति विचार– स्वामी विवेकानंद ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति माना है। उनकी इस धारणा में अद्वैत वेदान्त से अनुकूलता है। वे मोक्ष को न तो संस्कार्य मानते है न ही प्राप्य। वे जीवन्मुक्ति को स्वीकार करते है। उनके अनुसार शुभ या अशुभ कर्मो के बन्धन से रहित हो जाना ही मुक्ति है। उनके अनुसार सत्य की उपलब्धि हो जाने पर तुरन्त मृत्यु नही हो जाती है। उन्होंने

आत्म साक्षात्कार को मानव जीवन का उद्देश्य माना हैं। वे आत्मा और ब्रह्म की एकता में विश्वास करते है। मनुष्य के रूप में ईश्वर सेवा को आदर्श मानते है। स्वामी विवेकानंद जी ने आजीवन लोगों को श्रीमद्भवगद्गीता से ही प्रभावित होकर के निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी। मद्रास में 'भारतीय जीवन में वेदान्त का प्रभाव' विषय पर दिये गए अपने व्याख्यान में यह श्लोक दोहराया है कि–

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्माणि।।[11]

अर्थात् कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं, तुम इस भाव से कर्म मत करो, जिससे तुम्हें फल–भोग करना पड़े। तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म त्याग करने की ओर न हो। निश्चय ही विवेकानंद महान् अध्यात्मवादी, भारतीय संस्कृति के भक्त, दार्शनिक और नैतिकता के पुजारी थे। उनका वेदान्त दर्शन संसार भर के दार्शनिकों, चिन्तकों के विचारों में उत्कृष्ट है।

युवाओं को राष्ट्र व समाज के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में अपने कदम रखने होंगे क्योंकि युवाओं के पास नई सोच, नए विचार, तार्किक चिंतन, ऊर्जा व ज्ञान का अथाह भंडार है। यह शक्ति भंडार जब किसी क्षेत्र में लगेगा तो निश्चित ही उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा ही। आज का युवा प्रत्येक सुविधाओं से सम्पन्न है। बस अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वह है एक सकारात्मक दिशा की, एक मंच की। युवा केवल तन से ही युवा नहीं होना चाहिए बल्कि मन से भी युवा होना आवश्यक है, तभी तन व मन की संयुक्त क्रिया से एक स्वस्थ विचार की रचना होती है। वही विचार एक स्वस्थ समाज का आधार बनता है। यहीं से समाज की विकासीय प्रक्रिया का आरम्भ होता है। सही मायने में अगर आज का युवा स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वह भारत को विश्व मानचित्र पर एक युवा विचार से परिपूर्ण राष्ट्र की अमिट छाप दिलवा ही देगा।

स्वामी विवेकानंद हर किसी को बताया करते थे कि हम अपनी मृत्यु तक सीखने वाले हैं और अनुभव ही दुनिया में सबसे अच्छा शिक्षक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के प्रपत्र के समान है। जैसा कि इस महान ऋषि ने कहा था कि मनुष्य जो सीखता है उसे अंदर नहीं रखना चाहिए। वास्तव में हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, जो न केवल बुद्धिमत्ता को धार देने में मददगार हो बल्कि हमारे चरित्र के

साथ–साथ मन के विकास में भी सहायक हो। स्पष्ट है कि ज्ञान हर किसी के अंदर है, मनुष्य केवल इसका खोजकर्ता हैं।

संदर्भ ग्रंथ:

- गंभीरानंद, स्वामी, द लाईफ ऑफ़ स्वामी विवेकानंद बॉय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, 1960, पृ0 137
- उपाध्याय, आचार्य विष्णुदेव, आरण्यक और उपनिषद्, आत्माराम ऐंड संस, दिल्ली, 1990, पृ0 73
- बर्के, मैरी लुईस, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट : न्यू डिस्कवरीज, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, 1997, पृ0 283,
- विवेकानंद साहित्य, खंड तीन, अद्वैत आश्रम, कलकाता, 2014, पृ0 29
- कम्प्लीट वर्क्स, वॉल्यूम 01, ऐड्रेस ऐट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, वही, पृ० 20
- विवेकानंद साहित्य, खंड चार, अद्वैत आश्रम, कोलकाता, 2014, पृ0 91
- श्रीमद्भगवद् गीता, अध्याय 2, श्लोक 47
- विवेकानंद साहित्य, खंड पाँच, अद्वैत आश्रम, कोलकाता, 2014, पृ0 142
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचार,, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबीनार, 19 अक्टूबर, 2020 में शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक का संबोधन,
- वही, राष्ट्रीय वेबीनार, 19 अक्टूबर, 2020 में शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक का संबोधन।

16.

शिक्षण व्यवसाय और आत्मनिर्भर भारत (नई शिक्षा नीति–2020)

डॉ मुकेश कुमार गुप्ता,
असिटेंट प्रोफेसर
शिवा ऐजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, मोदीनगर,गाजियाबाद

श्री राजन शर्मा,
असिटेंट प्रोफेसर
आई0टी0ई0, कादराबाद, मोदीनगर

विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध हमारा देश भारत आज भी शिक्षा के नये–नये आयामो को प्राप्त कर रहा है, फिर चाहे वह विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा हो या महाविद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा हो। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली औपचारिक, अनौपचारिक एवं आधुनिक शिक्षा में शिक्षक और शिक्षिका की निरंतर बढ़ती भूमिका को आज कौन नकार सकता है? वर्तमान युग में शिक्षा का स्वरुप बदल रहा है। आज शिक्षा के द्वारा समाज में नित नये–नये क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे है। चूँकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिदिन नये–नये प्रयोग हो रहे हैं जिस कारण शिक्षक की भूमिका भी अब पूर्व की तरह सामान्य नहीं

रह गई है। अतः शिक्षकों की भूमिका में भी परिवर्तन की बहुत बडी आवश्यकता है। पूर्व के शिक्षा व्यवसाय और वर्तमान के शिक्षा व्यवसाय में बहुत अन्तर है, इसलिये आज के शिक्षको की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मे भूमिका अत्यन्त ही जटिल हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षण मात्र विषय का औपचारिक व्याख्यान देना नहीं, अपितु छात्रों के अधिगम अनुभवों को प्रचुर मात्रा में विस्तार करना है। वर्तमान समय में शिक्षा, कक्षा और विद्यालय तक ही सीमित नहीं है वरन सम्पूर्ण विश्व में विस्तारित सूचनाओं का आदान प्रदान है। छात्र तथ्यों को ग्रहण करने वाले मात्र उपभोक्ता नहीं हैं। वे ज्ञान के सक्रिय सृजक हैं। वर्तमान में उत्पन्न हुये इस प्रकार के परिवर्तन प्रभावशाली अध्यापकों की मांग पैदा करते है। शिक्षा में परिवर्तन और सुधार का स्वरुप चाहे कैसा भी हो, उनका परिणाम इस पर निर्भर करता है कि शिक्षक उन परिवर्तन और सुधारो को किस रूप में देखते हैं और शिक्षण अधिगम प्रकिया में उसे किस प्रकार रूपांतरित करते हैं।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार, "शिक्षक का स्तर किसी समाज के सामाजिक–सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाता है।" यह भी एक वास्तविकता है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नीतियाँ और योजनाऐं केवल प्रशिक्षित, कुशल, समर्थ और समर्पित शिक्षकों के प्रयास से ही साकार हो पाती है। यदि हमें अपने देश को विकासशील देश से विकसित देश बनाना है तो इसके प्रथम शर्त 100 प्रतिशत साक्षरता दर को प्राप्त करना है। वर्तमान समय में देश एवं प्रदेशों के शिक्षक ने इस दिशा में अपना सम्पूर्ण योगदान देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

एक अच्छे शिक्षक के दायित्व

शिक्षकों के द्वारा ही, भारत जैसे विकासशील देश को एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। छात्रों के माता–पिता के अतिरिक्त शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा, छात्र एवं छात्राओं में ज्ञान और जीवन मूल्यों का प्रमुख आधार हैं। किसी भी छात्र और समाज का भविष्य शिक्षकों के हाथ में पूर्ण रूप सुरक्षित होता है, इसलिये शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है।सामान्यतः दो से तीन वर्ष की अवस्था में बालक "प्ले स्कूल" में एडमिशन लेते हैं और शिक्षक

एवं शिक्षिकाओं से जुड़ जाते हैं। और यही चक्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एम0फिल और पी0एच0डी0 प्राप्त करने तक चलता रहता है। यदि किसी छात्र/छात्रा को प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए या नई नौकरी मिलने पर किसी कर्मचारी या ऑफिसर को ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वह ट्रेनिंग भी किसी प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर अर्थात शिक्षक द्वारा ही दी जाती है। इस प्रकार बाल्यावस्था से लेकर व्यस्क होने तक छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व पर उनके शिक्षकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः यह एक वास्तविकता है कि शिक्षक का दायित्व केवल कक्षाकक्ष तक ही नहीं बल्कि छात्र एवं छात्राओं के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण करना है।

शिक्षक के व्यवसाय का महत्व

शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, जो राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के व्यवसाय का वैसा ही महत्व है जैसे कि ऑपरेशन करने के लिए किसी डॉक्टर का महत्व शिक्षक से ही शिक्षा और शिष्य अपने उद्देश्य पूरे करते हैं। इसलिए किसी भी शिक्षा प्रणाली या शिक्षा योजना की सफलता या असफलता शिक्षा क्षेत्र के सूत्रधार शिक्षकों के रवैये पर निर्भर करती है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई सभी शिक्षा नीतियों, योजनाओं, जैसे कोठारी आयोग की रिपोर्ट (1964–66), शिक्षा नीति (1968), और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)–में शिक्षक के व्यवसाय के महत्व को स्वीकार किया गया है। इस तथ्य को और स्पष्ट करने के लिए प्राथमिक स्तर के शिक्षण व्यवसाय का उदाहरण दिया जा सकता है। जिसे सबसे दायित्वपूर्ण व्यवसाय माना गया है क्योंकि प्राथमिक स्कूल के शिक्षक छोटे बच्चों को ज्ञान और जीवन के मूल्य, उन्हे समझ में आने वाली भाषा में प्रदान करते हैं। जिससे इन छोटे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और सुनहरा बन सके। क्योंकि आज के बच्चे भारत के कल का सुनहरा भविष्य है। तो बच्चों को आज अच्छी शिक्षा देने का अर्थ कल देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है। और इस कार्य में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक निरंतर सकारात्मक भूमिका निभाते रहते हैं। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि प्राथमिक विद्यालय के बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र और छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षक एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।

जब हम किसी विद्यालय की बात करते हैं तो उस विद्यालय में कार्यरत विभिन्न विषयों के शिक्षक ही उस विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करने वाले समस्त छात्र एवं छात्राओं को अर्थपूर्ण शिक्षा प्रदान करते है। जब ज्ञानप्रद शिक्षा देने की बात की जाती है तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले समस्त शिक्षक ही इसके प्रणेता नजर आते है। शिक्षा, शिक्षक और शिष्य के आत्मीय और निकटतम सम्बन्ध को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरुप दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जैसे– इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा इंटरनेट पर अनेको शिक्षण वेब पोर्टल होने के उपरान्त भी कक्षाकक्ष शिक्षण और शिक्षक का महत्व सर्वोच्च स्थान पर है।

शिक्षकों की प्रतिबद्धता के क्षेत्र

एक शिक्षक का कार्य इतना सरल नहीं है। जब तक उसके व्यक्तित्व में उच्चकोटि के व्यावसायिक गुणों एवं प्रतिबद्धता का समावेश नहीं किया जाता, तब तक उसका व्यक्तित्व वास्तव में अधूरा ही रहेगा। एन.सी.टी.ई., दिल्ली द्वारा विभिन्न स्तरों पर आयोजित की गई परिचर्चाओं में प्रतिबद्धता के पाँच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो कि निम्नलिखित हैं –

1) **विद्यार्थी के प्रति प्रतिबद्धता**– विद्यार्थी के प्रति प्रेम व सद्भावना, उसकी सहायता व सहयोग करना, एवं बालकों का बहुमुखी विकास करना।

2) **समाज के प्रति प्रतिबद्धता**– अध्यापक द्वारा परिवार, समाज, समुदाय और देश के विकास में योगदान देना एवं जागरूकता उत्पन्न करना।

3) **व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता**– शिक्षण व्यवसाय को स्वीकार करना, एवं अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान एवं ईमानदार रहना भले ही उसने इस व्यवसाय का चयन किसी भी परिस्थिति में किया हो।

4) **श्रेष्ठता हासिल करने की प्रतिबद्धता**– कक्षा, विद्यालय और समुदाय के प्रत्येक कार्य को यथासम्भव लगन एवं सर्वोत्तम तथा श्रेष्ठता प्राप्त करना।

5) **बुनियादी मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता**– प्रेम, नियमितता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, देशप्रेम आदि उन्नत मूल्यों को जीवन में उतारकर एक उत्कृष्ट तथा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना।

इस प्रकार उत्तम रूप से प्रशिक्षित एवं प्रभावशाली शिक्षक उस व्यक्ति को ही माना जा सकता है, जो कि योग्य होने के साथ–साथ अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध एवं व्यावसायिक ढंग से शिक्षण कार्य करते हों।

वर्तमान समय में शिक्षक की बहु आयामी भूमिका

आज के इस आधुनिक इंटरनेट युग में शिक्षक की भूमिका भी बहु आयामी हो गई है। आज शिक्षक अपने विद्यालय में शिक्षा देने के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक का अपने छात्रों से सीधा संपर्क नहीं होता है। वे अपने कोर्स या विषय की शिक्षा देते समय ही अपने छात्रों की संभावित शंकाओं और प्रश्नों का समाधान भी कर देते हैं। विशेष रूप से उच्च और उच्चतम शिक्षा हेतु इंटरनेट शिक्षण का अपना ही महत्व है और इसके साथ ही शिक्षक की भूमिका भी अपने कक्षाकक्ष से निकल कर सम्पूर्ण विश्व (जिला, प्रान्त, राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय) स्तर तक विस्तारित हो गई है।

अंततः यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि वर्तमान युग में शिक्षक छात्र/छात्राओं के मार्गदर्शक होने के साथ ही देश के भाग्य विधाता और भविष्य निर्माता भी हैं। नई शिक्षा नीति–2020 निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020' वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। इस नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक संरचना को 5,3,3,4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। इसमें तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा

को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है।

- **नई शिक्षा नीति–2020 में पाठ्यक्रम और मूल्यॉकन–**

  नई शिक्षा नीति–2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली के विकास पर बल दिया गया है, जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा [National Curricular Framework for School Education] (NCFSE, 2020&21) तैयार की जाएगी। नई शिक्षा नीति–2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence-AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जायेगा।

- **नई शिक्षा नीति–2020 में शिक्षण प्रणाली**

शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय–समय पर लिये गए कार्य–प्रदर्शन आधार पर पदोन्नति की जायेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers-NPST) का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श के आध ाार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE). का विकास किया जाएगा।

- **नई शिक्षा नीति–2020 एवं उच्च शिक्षा–**

नई शिक्षा नीति–2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति–2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण सुधार किया गया है, इसके अन्तर्गत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा (जैसे–1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) स्थापित किया जाएगा, जिससे अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M-Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

- **नई शिक्षा नीति–2020 एवं उच्च शिक्षा आयोग–**

चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India-HECI) का गठन किया जाएगा।

HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है–

- विनियमन हेतु– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council-NHERC)
- मानक निर्धारण– सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council-GEC)
- वित पोषण–उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council=HEGC)
- प्रत्यायन– राष्ट्रीय मूल्यॉकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Assessment & Accreditation Council-NAAC)

महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के अनुरूप 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities-MERU) की स्थापना की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार नई शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तीन दशकों के बाद आई नई शिक्षा नीति का देश के सभी वर्गों ने स्वागत किया है, जो प्रत्येक नागरिक में नए आत्मविश्वास को पैदा करता है। नई शिक्षा नीति, आधुनिक, नए और समृद्ध भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 छात्रों

को देश की जड़ों से जोड़ेगी और साथ ही उन्हें एक वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करने के अवसर प्रदान करेंगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "देश को विकसित करने के लिए नवाचार बहुत महत्वपूर्ण है. इस प्रकार, हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत की है. यह हमारे देश में अनुसंधान को मजबूत करेगा और भारत इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचेगा."।

कोरोना वायरस के समय में शिक्षा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि, हमारा देश ऑनलाइन शिक्षा का माहौल बनाएगा? कठिन समय अक्सर हमें ताकत और अवसर देता है। ऑनलाइन कक्षाएं हमारी शिक्षा प्रणाली में एक संस्कृति बन गई हैं। मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि एनईपी को इस तरह से तैयार किया गया है कि इससे छात्रों पर कक्षा में शिक्षण का एवं परीक्षा का बोझ कम होगा और यह देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, ''एनईपी शिक्षा क्षेत्र को खोलने की बात करती है। मकसद यह है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर भी देश में खुलें और वैश्विक अवसर हमारे छात्रों को यहीं पर मिलें।''

वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति–2020 के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढाया जायेगा। छात्रों एवं छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिये नई शिक्षा नीति–2020 के द्वारा, छात्र एवं छात्राओ के प्रदर्शन के आधार पर डिग्री प्रदान की जायेगी। शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप की जायेगी और कार्यरत शिक्षकों को कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति दी जायेगी। सफल शिक्षकों के लिये नई शिक्षा नीति अत्यन्त लाभकारी सिद्व होगी।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।

- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

17.

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका

हेमलता शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर
विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अलीगढ़

भारत देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विरासत सदैव से ही बहुत समृद्धशाली रही है। वैदिक काल से भारत में गुरुओं को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता रहा है। वर्तमान समय में भी शिक्षकों की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिये व शिक्षकों की देश के विकास में भूमिका को सुनिश्चित करने के लिये अनेक प्रयास किये हैं और अनेक बदलाव लाने के लिये अनेक आयोगों, समितियों एवं शिक्षा नीतियों को लागू किया है। प्रस्तुत शोध में शोधकर्ती ने विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों, सरकारी लेखों का अध्ययन किया है व यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय में भारत के समग्र विकास में शिक्षक–शिक्षा की क्या भूमिका है। उनके गुणात्मक सुधार, प्राचीन काल में शिक्षकों की स्थिति किस प्रकार थी। इसमें बौद्धकाल, मध्यकाल, ब्रिटिशकाल, स्वतंत्रता उत्तरकालीन अध्यापक शिक्षा के बारे में बताने का प्रयास किया है। अध्यापक शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों के बारे में तथा अनेक राष्ट्रीय स्तर के

साधनों के बारे में भी बताया है। बालक की मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका रही है, ये बताया है।

भूमिका

अखण्डमण्डलाकार व्याप्त येन चराचरम्।

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।।

उस महान गुरु को अभिवादन, जिसने उस अवस्था का साक्षात्कार करना सम्भव किया जो पूरे ब्रह्माण्ड में व्याप्त है, सभी जीवित और मृत्य में।

शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की अहम भूमिका रही है। इसलिये शिक्षक शिक्षा को अधिक बल देते हैं। शिक्षक–शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी शिक्षक–शिक्षा में ऐसे शामिल करना है जो उन मूल्यों को बढ़ाये, जो संस्कृति के प्रमुख अंग हैं व समाज में नये परिवर्तन लाने में सहायक हो। प्राचीनकाल से ही अध्यापक का स्थान अति महत्वपूर्ण है। यद्यपि उस समय अध्यापकों के लिये शिक्षा की अच्छी व्यवस्थायें नहीं थीं। ब्रिटिश शासन में भी अध्यापक शिक्षा के अनेक प्रयास किये गये। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन व अन्य ने भी शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये। शोधकर्ती ने इस शोध पत्र में अध्यापक की भूमिका के बारे में शोध करने की कोशिश की है।

संविधान में सबको बराबर शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कॉलेजों को यह मालूम होना चाहिये कि उन्हें प्रशिक्षकों को क्या ज्ञान देना है। जिससे संविधान के प्रावधानों का उचित लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। कोठारी कमीशन ने भी शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु बल दिया है कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन सभी बातों का समावेश होना आवश्यक है जो कि एक अच्छे अध्यापक का निर्माण कर सके। इसलिये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण है।

ऐतिहासिक काल

(क) प्राचीन काल (ईसा पूर्व 2500 – ईसा पूर्व 500 तक) : इस काल में शिक्षा वैदिक ज्ञान की प्राप्ति से सम्बन्धित होने के कारण उस पर समाज के उच्च कुल के लोगों का विशेषकर ब्राह्मण वर्ग का ही अधिकार था। वेदाध्ययन करना ही अध्ययन–अध्यापन का मूल लक्ष्य रहा।

(ख) बौद्ध काल (501 ई0 पूर्व से 1200 ई0) : प्राचीनकाल में शिक्षाधिकार से वंचित जातियों को भी इस काल में विद्याध्ययन अनुमति दी जाने लगी। नैतिकता और अनुशासनपूर्ण आचरण को अनिवार्य बताया गया। जाति को इसमें अधिक महत्व दिया।

(ग) मध्य या इस्लाम काल (1200 ई0 से 1700 ई0 की 500 वर्षीय अवधि) : अध्यापक शिक्षा के इस काल में विशेष प्रगति के प्रमाण नहीं मिलते हैं। मकतब और मदरसे जैसी शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से मौलवियों द्वारा कुरान का पवित्र धर्मोपदेश जन साधारण तक पहुँचे ये प्रयास किया गया।

(घ) ब्रिटिश काल (अवधि 1701 ई0 से 1947 ई0 तक) : इस अंग्रेजी शासन कालावधि से पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी और बाद में इंग्लैण्ड के ब्रिटिश शासकों ने हुकुमत की। इसमें नवीन अंग्रेजी प्रधान शिक्षा प्रणाली का प्रचलन किया गया। इस काल को दो भागों में बांट सकते हैं – प्रथम 1700 – 1850 ई0, द्वितीय 1851–1947 ई0 तक।

(ड) स्वतंत्रता के बाद अध्यापक शिक्षा : 1947 में ही केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली तथा 1948 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में विजय भवन की स्थापना। 1948 में ही डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। 1949 में आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तुतिकाल में विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ हुईं।

शिक्षक–शिक्षा की परिभाषाएँ

सी0वी0 गुड, "Teaching is the act of instructing pupils or students in any educational institution." अतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य चलने वाली सम्प्रेषणात्मक और अन्तःक्रियात्मक प्रक्रिया है।

बर्टन द्वारा, "Teaching is the stimulation, guidance, direction and encouragement of learning." यह उत्प्रेरक, मार्गदर्शक, निर्देशन तथा प्रोत्साहन से सम्बन्धित प्रक्रिया है।

शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसका संचालन एक सामाजिक–शैक्षिक वातावरण में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप में किया जाये। इस प्रक्रिया में एक सिखाने वाला एक या एकाधिक सीखने वाले तथा सीखने की विषयवस्तु का होना अपरिहार्य माना जाता है।

शिक्षक शिक्षा से अपेक्षाऐं:–

1. अध्यापकीय शिक्षा कार्यक्रम अधिक समय के लिये होना चाहिये जिससे छात्र–छात्रायें उचित लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
2. अध्यापकीय शिक्षा में शिक्षा विधि के अतिरिक्त विषयवस्तु पर अधिक ध्यान देना चाहिये।
3. अध्यापकीय शिक्षा का स्वरूप भारतीय संगठनों के अनुरूप होना चाहिये।
4. अध्यापकीय शिक्षा आधुनिक शिक्षा पर आधारित तथा लचीली होनी चाहिये जिससे बच्चों को ग्रहण करने में आसानी होगी।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में अनेक कठिनाइयाँ हैं। इसलिये पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन तत्वों को शामिल किया गया है जो प्रत्येक स्तर के अध्यापकों में उपेक्षित योग्यताओं व कौशलों का विकास कर सके।

अध्यापक शिक्षा विकास के लिये अनेक राष्ट्रीय स्तर की एवं राज्य स्तरीय एजेन्सियों की स्थापना स्वतंत्रता पश्चात हुई। इन एजेन्सियों द्वारा अध्यापक शिक्षा में होने वाले सुधारों में अनेक उपयोगी सुझाव दिये। किसी भी जनतांत्रिक देश का विकास वहाँ के शिक्षकों के स्तर पर निर्भर करता है। भारत में अध्यापक शिक्षा के विकास की अनेक अवस्थाओं को प्राप्त किया। अध्यापक शिक्षा में विभिन्न साधनों की भूमिका को दो स्तरों में बांट सकते हैं।

(1) राष्ट्रीय स्तर साधन

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0ई0आर0टी0)

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक–शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0)

(घ) उच्च अध्ययन शिक्षा केन्द्र (सी0ए0एस0ई0)

(2) राज्य स्तरीय साधन

(क) राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड (एस0बी0टी0ई0)

(ख) विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग (यू0डी0ई0)

(ग) दूरगामी अध्यापक शिक्षा (डी0टी0ई0)

(घ) ग्रीष्मकालीन संस्थान (एस0आई0ई0)

(ड) शिक्षा महाविद्यालय (सी0टी0ई0)

प्राचीन काल से अध्यापकों का बहुत सम्मान किया जाता है। फिर भी कुछ दशकों से अध्यापकों के सम्मान में कमी आयी है। इसका कारण उनकी सेवा शर्तों में गिरावट, एकाकीपन, शिक्षा पद्धति का असाधारण विस्तार, अध्यापक प्रशिक्षण का निम्न स्तर आदि।

मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में अध्यापक भूमिका

(1) स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार : अध्यापक द्वारा बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व स्नेहपूर्व व्यवहार करने से छात्रों को मन की शांति प्राप्त होती है। जोर्डन ने अपने अध्ययन में देखा कि शिक्षकों द्वारा लगातार स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो इससे छात्रों में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ता है तथा उनका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है।

(2) सन्तुलित पाठ्यक्रम : छात्रों का पाठ्यक्रम अच्छा तथा संतुलित होने पर बालक उसे पढ़ने एवं समझने में अभिरुचि दिखाते हैं। इससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि

बढ़ती है तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। ये दोनों कारक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

(3) **आवश्यकताओं के अनुकुल अध्यायन** : अध्यापक को छात्रों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के अनुकूल अपना अध्यापन करना चाहिये जिससे छात्रों का शिक्षा के प्रति अधिक लगाव रहेगा। इससे शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होगी तथा उनमें आत्मबल, आत्मविश्वास जैसे गुणों का समावेश होगा। उनका मन शान्त एवं प्रफुल्लित रहेगा।

(4) **अच्छे अनुशासन पर बल** : अध्यापक द्वारा छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना उनके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाना है। अनुशासन अधिक कठिन न हो, जिसे बालक स्वीकार न कर सके। अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक बालक सहजता से अपना सके। इससे बालक के मानसिक स्वास्थ्य का अधिक विकास होता है।

(5) **वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धान्त के अनुकूल व्यवहार** : अध्यापक को यह बात समझनी चाहिए कि भिन्न–भिन्न बालकों में अलग–अलग मानसिक क्षमताएँ होती हैं, एक जैसी नहीं। इससे बालक की मानसिक स्थिति को समझना अध्यापक के लिये आसान होगा तथा बालकों की उम्मीदानुसार व्यवहार कर पायेंगे। इससे बालकों में आत्मसंतोष बढ़ेगा तथा समायोजन शक्ति बढ़ेगी, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता जायेगा।

शारीरिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य केवल बीमारी या अंगविहीनता की अनुपस्थिति ही नहीं, वरन् शारीरिक–मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण दशा है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखद ढंग से जीवन जीने तथा सर्वोत्तम रूप से सेवा करने योग्य बनाता है। जिस देश के नवयुवक शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक रूप से स्वस्थ होंगे, वह राष्ट्र सदैव उन्नति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ:

- भट्टाचार्य, जी0सी0, ''अध्यापक शिक्षा'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2015, पृ0 1–27
- उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, ''शिक्षा में समसामयिक मुद्दे'', इलाहाबाद, पृ0 25–45
- सिंह, आर0 पी0, ''टीचर एजुकेशन टुडे'', शिप्रा पब्लिकेशन्स।
- लाल, रमनबिहार, ''अध्यापक शिक्षा'', आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
- नम्रता, ''अध्यापक शिक्षा'', आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
- lifethesimplehelp.com

18.

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय समाज, मूल्य, संस्कृति एवं शिक्षा

मधु राघव
शोधार्थी (शिक्षा विभाग)
सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ

विश्व के अन्य देश जब असभ्य जीवन यापन कर रहे थे तब भारत में एक उच्च कोटि की संस्कृति फलीभूत हो रही थी। भारत की यह संस्कृति जिसके कारण हम कभी विश्व गुरू हुआ करते थे, नगरों में निर्मित न होकर वन प्रान्तीय आश्रमों में विकसित हुई थी। इस संस्कृति के विकास में सूक्ष्म तत्वान्वेशी, त्याग, तपस्या, सच्चरित्रता एवं अनुशासन प्रिय गुरू एवं गुरूकुलों में प्रतिष्ठित शिक्षा पद्धति ने अतिशय योगदान दिया, फलस्वरूप चार–पाँच सहस्राब्दियों के व्यतीत हो जाने के अनन्तर भी यह संस्कृति सुरक्षित है। भारतीय मनीशियों एवं शिक्षकों का उत्तरदायित्वों के विधिवत् निर्वाह–भावना के विकास हेतु शिक्षा की महती आवश्यकता अनुभव की जा रही है। प्राचीन भारतीय समाज में जहाँ एक ओर यह मान्यता प्रचलित थी कि शिक्षा व्यक्ति में समस्त गुणों के आधान की माध्यम होने के साथ–साथ एक आजीविका का उत्तम साध न थी, वहीं दूसरी ओर यह भी मान्यता प्रकारान्तर से प्रचलित थी कि शिक्षा को मात्र आजीविका का साधन न माना जाय। धार्मिक एवं वैयक्तिक स्वरूप वाली शिक्षा को प्राप्त कर व्यक्ति भावी–जीवन के झन्झावातों के भय से अपने कर्तव्य पथ से विचलित या विमुख न हो जाय। वहीं हम देख रहे हैं कि मौलिक दर्शन एवं चिन्तन को छोड़कर पाश्चात्य परम्पराओं का अन्धानुकरण किया जा रहा है। पाश्चात्य शैक्षिक व्यवस्था के आरोपण से रचनात्मक सुधार की अपेक्षा करना यौक्तिक नहीं है क्योंकि पाश्चात्य जगत

में इस प्रकार की व्यवस्था के मूल में लोगों की पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी है जबकि भारत में इसका मात्र ढांचा ही है, अन्दर तो पोल ही पोल है।

आज संसार के परिदृश्य पर नजर डालने पर जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई देता है वह है भूमण्डलीकरण। भूमण्डलीकरण की त्वरित गति और परिवर्तन को उच्चतम् उपलब्धि माना जा रहा है। इस त्वरित गति और परिवर्तन की पुष्टि भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह के हेलसिंकी में भारत–यूरोपीय यूनियन शिखर वार्ता के मौके पर कही गयी बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि 'इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है कि देश इतनी तेजी से आर्थिक प्रगति करने की ओर अग्रसर है।' लेकिन भूमण्डलीकरण के फलस्वरूप जिस तरह दुनिया तेजी से बदल रही है उसके स्वरूप की समझ को लेकर तमाम वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि यह साफतौर पर दिखाई पड़ रहा है कि साहित्य, समाज, राजनीति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभी कुछ लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

यदि भूमण्डलीकरण के अर्थ को समझना है तो 'वैश्विकरण या भूमण्डलीकरण' जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विश्व तकनीकी के विभिन्न प्रकार के विचार आने लगते हैं चाहे वह स्पेस, नेटवर्किंग या मोबाइल वर्ल्ड हो साथ ही साथ सूचना एवं तकनीकी सैक्टर या मास कम्यूनिकेषन ही क्यों न हो। किन्तु जब हम लोग अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण की बात करते हैं तो यह आधुनिक विश्व आपस में जुड़कर एक बड़ा परिवार का रूप ले चुका है और कोई भी देश इससे अपने आपको पृथक नही कर सकता है। आज के आधुनिक व्यापार और वाणिज्य ने वर्तमान विश्व को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जोड़कर रखा है। अतः कहा जा सकता है कि भूमण्डलीकरण इस विश्व को एक ध्रुवी बनाने का प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक है जिसका अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। अतः यह स्वाभाविक है कि भूमण्डलीकरण से सभी देश अपनी मूल्य–सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, तकनीकी, सूचना–संचार, विज्ञान, अनुसन्धान, उत्पादन, विनियोग, विनिर्माण आदि से अबाध प्रक्रिया द्वारा परम्परागत ढंग से जुड़ जायेंगे तथा समस्त विश्व सिमटकर एक वैश्विक ग्राम के रूप में दिखाई देंगे। जिसमें सबके राष्ट्रीय हित परस्पर जुड़े होंगे।

विश्व के अनेक आधुनिक देशों पर जब सभ्यता की छाया भी नहीं पड़ी थी, उस समय से भारत में सभ्यता और संस्कृति चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी। प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों व अन्य वैदिक टीकाओं में भारतीय मनीषियों की विद्वता का प्रमाण

मिलता है। उन्हीं महत्वपूर्ण और गरिमामयी परम्पराओं में इस देश की मूल्य संस्कृति विकसित हुई है।

'मूल्य' का शाब्दिक अर्थ है– उपयोगिता, वांछनीयता एवं महत्व। किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है और जिनसे उस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित एवं नियन्त्रित होता है उन्हें उस समाज के मूल्य कहा जाता है। मूल्य किसी समाज की ताकत होते हैं, वे न केवल पूरे तन्त्र को आपस में जोड़ कर रखते हैं बल्कि किसी भी ऐसे प्रयास के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, जो उनके मौलिक स्वरूप को बदलने का प्रयास करते हैं।

'संस्कृति' हमारे रहन–सहन की विधियों, विचारों, ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति–रिवाज के रूप की अभिव्यक्ति है। किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की सम्पूर्ण जीवन पद्धति से होता है। संस्कृत एक बहुत व्यापक सम्प्रत्यय है। यह किसी समाज की जीवन शैली का द्योतक है। प्रत्येक समाज अपने आने वाली पीढ़ी को इन सबसे प्रशिक्षित कर देना चाहती है। तद्नुकूल समाज का परिमार्जन एवं संचालन करती है।

'शिक्षा' किसी भी आधुनिक सभ्य, उन्नत और विकसित कहे जाने वाले समाज का अनिवार्य लक्षण है। शिक्षा वास्तविक अर्थों में सत्य की खोज है, यह ज्ञान और प्रकाश की अन्तहीन यात्रा है। यह ऐसी यात्रा है जो मानवतावाद के विकास के लिए नए रास्ते खोजती है जहाँ ईर्ष्या, घृणा, शत्रुता, संकीर्णता और वैमनस्य का कोई स्थान न हो। यह मनुष्य को सम्पूर्ण, श्रेष्ठ और विश्व के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनाती है। यथार्थपरक शिक्षा मनुष्य की गरिमा और आत्मसम्मान बढ़ाती है। यदि शिक्षा की यथार्थता को प्रत्येक व्यक्ति समझ ले और मानवीय गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अपना ले तो रहने के लिए विश्व और भी बेहतर स्थान बन सकता है।

भूमण्डलीकरण का शिक्षा पर प्रभाव–

आज भारत संक्रमणकाल से गुजर रहा है जहाँ एक ओर तो हमारी अपनी समृद्ध संस्कृति है तथा दूसरी ओर वैश्विक संस्कृतियों के अनजान मूल्यों की आँधी। भारतीय संस्कृति ने सदैव अपने सम्पर्क में आने वाली अन्य संस्कृतियों के अच्छे मूल्यों को समाहित किया है। लेकिन पहले सांस्कृतिक मिश्रण व प्रभाव की प्रक्रिया धीमी होती थी, अतः चयनात्मकता प्रक्रिया से उसका समावेश उपयुक्त प्रक्रिया से स्वीकार्य होता था।

बड़े ही सहजभाव से वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता था परन्तु आज अनजाने, अनपरखे व अवांछित कई ऐसे मूल्यों का आक्रमण हमारे देश की सभ्यता व संस्कृति पर इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि चयनात्मकता प्रक्रिया शिथिल हो गयी है।

विभेदीकरण की क्षमता वस्तुतः जवाब दे रही है। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारी मौलिक मूल्य संरचना को ही झकझोर दिया है कभी–कभी तो दुःस्वप्न की तरह लगता है कि हमारा अपना तन्त्र इस द्वन्द में यकायक समाप्त न हो, जो संस्कृति संचार के विभिन्न माध्यमों से परोसी जा रही है उसकी चकाचौंध अपनी पहचान को भुला देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। संगीत, रीति–रिवाज, रहन–सहन, भाषा व जीवन के अन्य मुख्य आयाम इन परिवर्तनों को बिना विश्लेषण व परख के अपनाते जा रहे हैं। युवा वर्ग की सोच में आया परिवर्तन हमारी आगे की पीढ़ियों के स्वभाव को अनजान दिशा की ओर निर्देशित करेगा। इस बीच वह वर्ग जो अभी भी अपने मूल्य तन्त्र के प्रति सजग है, न चाहते हुए भी किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में है।

हमें इस तीव्रता से बदलती वैश्विक व्यवस्था के विकास के साथ चलना है। यह एक अपरिहार्य अवस्था है किन्तु इसके साथ अपनी पहचान बनाए रखना अपने समाज के जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आवश्यकता है तो केवल उस वर्ग के सदस्यों के सजग रहने की जो सदैव किसी भी समाज में दिशा देने में अग्रणी रहे हैं। वह वर्ग निःसंदेह बुद्धिजीवी वर्ग है। उस वर्ग को सचेत रहकर भूमण्डलीकरण के इस दौर में हमारे मौलिक भारतीय मूल्यों को संरक्षित करके इस प्रकार विकसित करने का प्रयास करना है कि परिवर्तन के साथ हम अपनी पहचान न खो बैठें।

यथार्थ के साथ जीवन का विकास अवश्य होगा किन्तु आदर्श का सहारा छोड़कर किया गया विकास दिशाहीन हो जायेगा। चिन्ता उन्हें होती है जिनके पास खोने के लिए कुछ है और हमें यह चिन्ता अधिक होनी चाहिए क्योंकि हमारी अपनी मूल्य विरासत काफी समृद्ध है। इसको परिवर्तन के अच्छे प्रभाव से और समृद्ध करें व सभी को साथ लेकर विकसित कर सकें। इसका प्रयास होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ्य मूल्य एवं संस्कृति विरासत में मिल सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि–

- शिक्षा के माध्यम से अपनी प्राचीन संस्कृति की धरोहर को बचाना एवं विकसित करना आवश्यक है।

- शिक्षा के माध्यम से बालकों में सत्यम्, शिवम् एवं सुन्दरम् की भावना का विकास करना चाहिए।
- शिक्षा के माध्यम से नवीन वैष्विक एवं प्राचीन संस्कृति के बीच बालक के विवेक का विकास किया जाना चाहिए।
- शिक्षक–शिक्षा के माध्यम से ऐसे शिक्षकों का निर्माण किया जायं तो हमारी संस्कृति को बचाने में सहायक हो सकें।
- आज की स्थिति में बढ़ते हुए आतंकवाद एवं हिंसा को कम करना भारतीय दर्शन के अनुकरण द्वारा ही सम्भव है।
- शिक्षा के माध्यम से ही बालक में इस प्रकार के विचारों का सूत्रपात किया जा सकता है कि उन्हें किस सीमा तक पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना है।
- अच्छे एवं समृद्ध समाज का दर्पण उसकी शिक्षा है जिसके माध्यम से संस्कृति को अक्षुण्य रखा जा सकता है।
- किसी समाज के व्यक्तियों को शिक्षा के माध्यम से ही सभ्य एवं चरित्रवान बनाया जा सकता है। अतः शिक्षा को और अधिक प्रभावी एवं दिशा बोधक बनाने की आवश्यकता है।
- नैतिक मूल्य किसी भी समाज एवं संस्कृति का मूलाधार है तथा जिसका विकास शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव हो सकता है।
- कोई भी राष्ट्र उन्नति के उत्कर्ष पर अपनी ही शिक्षा एवं संस्कृति के रास्ते से ही होता है। अतः शिक्षा को हर स्तर पर प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
- समय काल एवं परिस्थिति के अनुसार मूल्य एवं संस्कृति में बदलाव आता है किन्तु ध्यान रहे कि बदलाव समाज एवं संस्कृति की स्थिति को अक्षुण्य बनाये रखें। इसके लिए शिक्षा ही माध्यम है, जिसके आधार पर इसे पूर्णता की तरफ पहुँचाया जा सकता है।

अतः उपरोक्त चिन्तन, अनुभव और नवीन परिवर्तन जो कि भारत की जड़ों में है, परम्परा और स्वाभाविक विशिष्टता इन्हें वैश्विक चिन्तन से जोड़ती है। समय व्यतीत होने के साथ–साथ हमने भी यही देखा है कि गुरूकुल शिक्षा से लेकर आज के साइबर युग की शिक्षा तक किस प्रकार ये मूल्य परम्परागत मूल्यों में बदल गये। अन्त में यही

कहा जा सकता है कि शिक्षा के मूल आधार में मूल्यों को सन्दर्भित करना होगा जिससे आज का विद्यार्थी कल का ऐसा नागरिक बन सके जो अपने कर्तव्यबोध, जवाबदेही एवं स्वयं समाज के प्रति निष्ठा को अच्छी प्रकार से निर्वाहित कर सके।

सन्दर्भग्रन्थ :

- दूबे, अभय कुमार, 'भारत का भूमण्डलीकरण' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
- पाण्डेय, आर0एस0, 'शिक्षा के समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधार' आगरा।
- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ : शैक्षिक चेतना (चतुर्थ संस्करण)।
- मुखर्जी, आर0 एन0, 'भारतीय समाज एवं संस्कृति' नई दिल्ली।
- मदन, जी0आर0 'परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र' नई दिल्ली।
- तिवारी, जयशंकर, 'भारत का समाजशास्त्र' लखनऊ।
- विवेचनात्मक सामाजिक विज्ञान कोष' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

19.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महिला सशक्तिकरण

डॉ. धीरेन्द्र चतुर्वेदी
प्राचार्य
आई. ए. एस. ई. भोपाल

डॉ. महेश जैन
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
आई. ए. एस. ई. भोपाल

सुनीता शेंडे
छात्राध्यापक एम.एड. (शिक्षा विभाग)
आई. ए. एस. ई. भोपाल

महिलाओं की उन्नति, विकास एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लक्ष्य से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 2020 में एक राष्ट्रिय नीति अधिसूचित की गई है जिसके उद्देश निम्न हैः– महिलाओं के विकास के लिए वातावरण निर्माण करना ताकि वह राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सास्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ सामान स्वतंत्रता एवं कानून का वास्तविक उपयोग कर सके राष्ट्र के चहुमुखी विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

प्रसंग

सृष्टि के विस्तार में मानव की भूमिका अहम् है और मानव जीवन के विकास का मूलाधार शिक्षा ही है। जब मानव शिक्षित होता है तो वह न्याय संगत और समावेशी

समाज के निर्माण और राष्ट्र के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। मानव के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 में बालिका और महिलाओं की भागीदारी शिक्षा में बढाने के लिए कुछ प्रावधान किये गए है, जिसमें जेंडर समावेशी कोष (पैरा 6.8 एन. ई पी. 2020) की स्थापना निश्चित ही एक नया व क्रांतिकारी कदम है। इसके परिणाम स्वरुप स्त्रियों को घरेलु कार्यों और सामाजिक मापदंडों के भार से मुक्त करवाकर उन्हें हम निश्चित ही विद्यामंदिर तक ले जा पाएंगे। नई शिक्षा नीति में पूरी निष्ठां एवं इमानदारी से स्त्रियों की समस्याओं, बाधाओं की पहचान सुनिश्चित की है जिसके परिणाम स्वरुप लड़कियों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न हो सकेगी और यह नीति महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढाने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

"गार्गी" और "मैत्रेयी" का उल्लेख प्राचीन काल में हम विद्वषी नारियों की शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त उपस्थिति को तो दर्शाता ही है साथ में आने वाले निकट भविष्य में उनकी बढ़ती हुई सहभागिता की और सुखद संकेत भी देता है .

महिलाओं और छात्राओं की शिक्षा की दिशा में नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित हो सकती है –राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सभी स्तरों प्री स्कुल से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सामाजिक और आर्थिक द्रष्टि से वंचित समूहों (एस.इ.डी.जी.) की एक समान सहभागीता सुनिशिचित करने पर जोर देती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की व्याख्याकरते हुए रास्ट्रीय शिक्षानीति में उन्हें अनेक श्रेणियों में बनता गया है इन श्रेणियों कोलिंग (महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति) सामाजिकए सांस्कृतिक पहचान (अनुसूचित जाती, जजाती, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग) भोगोलिक पहचान (जैसे गोव कसबे आदि विद्यार्थि) विशेष आवश्यकता (जैसे सिखकने असक्षमता सहित) सामाजिक आर्थिकपरिस्थिति (जैसे प्रह्वासी समुदाय निम्न आय वाले परिवार , असहायपरिस्थिति मैं रहने वाले बच्चे , बाल तस्करी के शिकार बच्चे या उनके बच्चे अनाथ बच्चे जिनमे शहरों मैं भीख मांगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल हैं) आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है .

स्त्री शिक्षा

स्त्री शिक्षा, स्त्री और शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की तरह शामिल करने से सम्बंधित है दुसरे

रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाए गई विशेष शिक्षा पद्धति को संदर्भित करता है। भारत में मध्य और पूनर्जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरुषों से अलग तरह की शिक्षा देने के धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है की स्त्रियों को भी उतना ही शिक्षित होना चाहिए जितना की पुरूषों का यह सिद्ध सत्य है की यदि माता शिक्षित न होगी तो देश की संतानों का कदापि कल्याण नहीं हो सकता।

स्त्री शिक्षा की भूमिका

"नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति मात्रु समोगुरु :" इसका मतलब यह है की इस दुनिया में विद्या के सामान नेत्र नहीं है और माता के सामान गुरु नहीं है। यह बात पूरी तरह सच है कि बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है। माता ही अपने बच्चे को पाठ पढ़ाती है। बालक का यह प्रारंभिक ज्ञान पत्थर पर बनी अमिट लकीर के समान होता है और यह जीवन का आधार बन जाता है लेकिन आज भारत वर्ष में या कहें की सम्पूर्ण संसार में ही असामाजिक तत्व उभर आये है जिनके कारण कस्बों तक महिलाये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। असुरक्षा के कारण ही बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसी अनेक अप्रिय घटनाओं के कारण उनका जीवन अनजाने में ही नरक बन चुका है। अतः नई शिक्षा नीति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देकर उनको शिक्षित करके सरकार ने जो प्रयास किये है उससे निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों से महिलाये स्वयमेव उनसे सामना करके अपने आप को सशक्त रूप से समाज में स्थापित करने में सक्षम होंगी। तभी अत्याचार जैसी घटनाओ पर काबू भी पाया जा सकता है।

सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं की कमी–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह अनुभव किया गया है की सामाजिक ,आर्थिक, रूप से पिछडे हुए ये जो भी समूह है उनमें सभी में आधी संख्या महिलाओं की हैं इसलिए एस. ई.डी.जी. वर्ग के लिए जो भी योजनाए और नीतियां राष्ट्रिय शिक्षा नीति मैं प्रस्तावित की गई है उनमें विशेष रूप से इन समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया हैं।

(पैरा६.७.) महिलाओं की शिक्षा के रास्ते में आने वाली बाधाओं और समस्याओं पर नई शिक्षा नीति में विचार किया गया है और उनको दूर करने के लिए अनेक उपाय

भी किये गए है। सबसे पहले तो बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रिय शिक्षा नीति में जेंडर समावेशी इन्क्लुशन फण्ड की व्यवस्था की गई है। (अध्याय ६) यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जायेगा जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओ, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे महिलाओ को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षा पूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके जैसे परिसर में महिलाओं के लिए शौचालय स्थापित करना, उन्हें स्वच्छता और सेनिटेशन से सम्बंधित अन्य सुविधाएँ प्रदान करना, स्कुल आने जाने के लिए साईकिल प्रदान करना, फीस इत्यादी न भर पाने की स्थिति में उनकें अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तातरण करना ताकि गरीबी के कारण उन्हें स्कुल छोड़ने पर मजबूर न होना पड़ें। यह देखा गया हैं की छात्राएं यदि समुहों मैं पैदल या साईकिल से विद्यालय जाती हैं तो यह उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है और उनके अभिभावकों में भी सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है समाज में बालिकाओं के प्रति हिंसा और अपराध की घटनाओं को देखते हुए उनकी सुरक्षा उनके अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता हैं और यदि उनकी सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठायें जाये तो विधायलयों में बालिकाओं का नामांकन भी बढ़ेगा।

आर्थिक विकास

राष्ट्रीय शिक्षा निति में यह भी कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों के लिए मुफ्त छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा जिनमे बालिकाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों जो बालिका शिक्षा के लिए भारत सरकार की पहले से ही एक योजना है उनका और अधिक विस्तार किया जाएगा (पैरा ६.६) निश्चित रूप से ग्रामीण अंचलों, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूर दराज के इलाकों में जहाँ विद्यालयों की कमी है विशेष तौर पर बालिका / महिला विद्यालयों एवं छात्रावासों की, वहा इस योजना के अच्छे परिणाम सामने आएंगे और बालिकाओं का नामांकन बढ़ेगा। इसके आलावा यदि विद्यालय सहशिक्षा वाले हैं। तो उनमें बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट और अन्य बुनियादी सुविधाओं का होना भी उनकी सुरक्षा को बढाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 3 में भी बालिकाओं के लिए सुरक्षित छात्रावास और

यातायात के साधनों को उपलब्ध करने की घोषणा की गयी है। अध्याय १४ में कहा गया है कि एस.इ .डी.जी. वर्ग की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी नीति का निर्धारण किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक वर्ग के वंचित छात्रों को और अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृतियां एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह भी ध्यान रखा जाएगा की उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में लिंग संतुलन को बढ़ावा दिया जाय। अनेक साधनों और माध्यमों से संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं, विद्यार्थियों आदि सभी को जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाया जाय। परिसर में भेदभाव और उत्पीडन रोकने के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जाय आदि। ये सभी व्यवस्थाये उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक एकेडेमिक क्रेडिट बैंक की भी स्थापना करती है जो अलग अलग मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को एकत्रित करेगा और विद्यार्थी उस क्रडिट का उपयोग करके किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। (अध्याय १४) वैसे ये व्यवस्था सभी विद्यार्थियों के लिए की गयी है न की केवल एस . ई .डी.जी. वर्ग के लिए या महिलाओं के लिए लेकिन महिलाओं को इसका सर्वाधिक लाभ होगा क्योंकि विवाह, पारिवारिक आदि कारणों से उनकी गतिशीलता (मोबिलिटी) बहुत अधिक रहती है। उपरोक्त के अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा में आगमन और निकास के अनेक विकल्पों वाला प्रावधान भी महिलाओं के लिए उपयोगी है जिससे उन्हें विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के अनेक विकल्प उपलब्ध हो जायेंगे। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढाने हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत विस्तृत आयाम है। अब प्रतीक्षा तो इसके अति शीघ्र क्रियान्वयन की।

महिला शिक्षा

"आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं "

जवाहरलाल नेहरु

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। महिला और पुरुष दोनों सामान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की और ले जाते है। दोनों

की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है की उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाएँ। क्योंकि कोई एक पक्ष भी कमजोर होता है तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पायेगी। परन्तु देश में व्यावहारिकता शायद कुछ अलग ही है। वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर ६४.४० फीसदी है जबकि पुरुष साक्षरता ८२.१४ फीसदी थी। उल्लेखनिय है की भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत ७६.७ प्रतिशत से काफी कम है।

महिला शिक्षा की आवश्यकता

महिलाओ को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराईयों जैसे दहेज़ प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्य स्थल पर उत्पीडन आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा क्योकि अधिक से अधिक शिक्षित महिला देश के श्रम ,बल में हिस्सा ले पायेगी। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा सम्बन्ध दिखाया गया है। इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित होती है उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषक आहार मिलता है।

इसके आलावा कई अर्थशास्त्रियों ने लम्बें समय तक इस विषय का अध्ययन किया है कि किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है।

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएं

भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चार दिवारी तक सीमित कर दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों की स्थिति अच्छी है परन्तु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

हम दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहें है परन्तु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खडी

है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलायं भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती है।

समाज में यह मिथ काफी प्रचलित है की किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफी अंतर आता है।

देश में महिला सुरक्षा अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कुल भेजने से कतराते हैं। हालाकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम किया गया है परन्तु वे सभी प्रयास मुद्दे को पुर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं।

महिला शिक्षा हेतु सरकार के प्रयास

"बेटी बचाओं बेटी पढाओं" की शुरुआत बर्ष २०१५ में देश भर में घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गयी थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है जिसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढाने, स्कुल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किये गए है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष २००४ में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई थी।

महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष १९८९ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी।

यूनीसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है।

इसके आलावा महिला शिक्षा के उत्थान की दिशा में झारखंड ने भी एक बड़ी पहल की है। झारखंड स्कूल आफ एजुकेशन ने भी कक्षा ६ से १२ वी तक की सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तक, युनिफोर्म, और नोट बुक बाटने का फैसला किया है।

नई शिक्षा नीति का मध्यप्रदेश में आदर्श क्रियान्वयन होगा :

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति का मध्यप्रदेश में आदर्श क्रियान्वयन करेगी जिसके तहत

1. सभी बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ कौशल भी मिले या लक्ष्य है.
2. शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाया जायेगा। शिक्षा सर्व सुलभ हो, हर बच्चा स्कूल जाये लेकिन बच्चे पर बस्ते का बोझ न हो उनका बोझ घटे यह लक्ष्य होगा।
3. "कोरोना काल में हमारा घर हमारा विद्यालय" योजना के अंतर्गत बच्चों को घर बैठे सूचना प्रोद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पहुचाई गयी .
4. प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्रष्टिकोण के अनुरूप मध्यप्रदेश में विद्यार्थियों को कौशल ज्ञान भी दिया जाएगा।
5. नैतिक शिक्षा पर भी हम पर्याप्त ध्यान देंगे। पूर्व में नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता रहा है। पुनः महत्त्व दिया जाएगा।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय तक जाने के लिए सड़क हो, परिवहन साधन हो, पर्याप्त स्टॉप हो, इस सब पर ध्यान देंगे।

व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा ६ वी से बच्चों के हाथ में कौशल मिले साथ ही संगीत, नृत्य, योग की शिक्षा देना भी प्राथमिकता होगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तकनिकी ज्ञान हाँसिल करने वाले शतप्रतिशत प्लेसमेंट का लाभ लें।

महिला सशक्तिकरण एन.ई.पी.२०२० समीक्षा :–

हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसके साथ ही

देश में शिक्षा के ऊपर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी जी का तात्पर्य मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास से है। स्वामी विवेकानन्द का कहना है कि मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णताः को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।

केन्द्रीय मंत्री मंडल ने 21 वी सदी के भारत की जरुरत को पूरा करने के लिए तथा महिला एवं बालिका के सशक्तिकरण हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० को मंजूरी दी है उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से हम कर पाते है तो यह नई नीति भारत को विश्व के अग्रणी देशों की श्रंखला के समकक्ष स्थापित करने में सक्षम हो पायेगी। नई शिक्षा नीति २०२० के अंतर्गत ३ साल से १८ साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, २००६ के अंतर्गत् रखा गया। ३४ वर्षों पश्चात आई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी वर्गों के छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। जिसका लक्ष्य २०२५ तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा (३–६ वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशल, इन्तेलीजेंन्स, ३डी मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रोद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्य आधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमताओं में भी वृद्धि होगी अंततः मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है की वर्तमान केन्द्र एवं राज्य सरकार की भूमिका महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रति उत्तम है।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।

- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

20.

गुणात्मक शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मिश्रित अधिगम

डॉ. महेश जैन
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
आई. ए. एस. ई. भोपाल

डॉ. धीरेन्द्र चतुर्वेदी
प्राचार्य
आई. ए. एस. ई. भोपाल

मो. आमीन शेख
छात्राध्यापक एम.एड. (शिक्षा विभाग)
आई. ए. एस. ई. भोपाल

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सर्कुलर नहीं है, भारत के वर्तमान व भविष्य को बनाने हेतु हम सबके लिए एक महायज्ञ है, 21वीं सदी में हमे मिला हुआ एक अवसर है।"

माननीय प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्र मोदी (7अगस्त 2020)

हमारा भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक लोकतांत्रिक समाज है जिसमें शिक्षा के विभिन्न स्वरूप दिखाई देते है।

शिक्षा नीति में स्कूलों व महाविद्यालयों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में काफी सारे बदलाव किए है, जिसके माध्यम से भारत को ''वैश्विक ज्ञान महाशक्ति'' बनाना है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस AI) विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा एक ज्वलंत विषय है। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय–समय पर विचार–विमर्श करते रहते हैं। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेज़ी से बदल रही है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुख–सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और भूमंडलीकरण ने जहाँ विकास की गति को तेज़ किया है, वहीं इसने कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका समाधान करने के लिये नित नए उपाय अपनाए जाते हैं। जहाँ वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेकानेक लाभ गिनाते हैं, वहीं वे यह भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्यों को ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा, जो स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो वे मानव सभ्यता के लिये हानिकारक हो सकती हैं। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी।

मिश्रित अधिगम (ब्लेंडेड लर्निंग BL) एक अभिनव अवधारणा है। यह वो संकल्प है जो कक्षा और आईसीटी समर्थित शिक्षण दोनों में, ऑफ़लाइन शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण में भी पारंपरिक शिक्षाओं के लाभों को श्रेष्ठ बनाती है। इसमें सहयोगी अधिगम; रचनात्मक अधिगम, सीखने और कंप्यूटर–सहायक–अधिगम (CAI) की गुंजाइश है। मिश्रित शिक्षण के लिए कठोर प्रयासों, सही दृष्टिकोण, अच्छे बजट और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए उच्च प्रेरित शिक्षकों और छात्रों की आवश्यकता है। चूंकि यह विविध माध्यमों को शामिल करता है इसलिए यह जटिल है और इसे व्यवस्थित करना एक कठिन काम है। नवीन शिक्षा नीति भी मिश्रित सीखने की अवधारणा, इसकी मुख्य विशेषताओं और इसके क्रियान्वयन की पूर्वता पर चर्चा करती है। नवीन शिक्षा नीति यह भी समझाने की कोशिश करती है कि मिश्रित शिक्षा एक दृष्टिकोण है जिसे अपनाने की आवश्यकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

ईश्वर ने मनुष्य को सोचने और प्रतिक्रिया करने या काम करने की शक्ति प्रदान की है। इस तरह से बुद्धिमत्ता और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को समझना इंसानों में जानवरों से काफी अलग है। बुद्धिमत्ता सीखने की, तर्कशक्ति की और समस्या को सुलझाने की क्षमता है। जब यही सारे काम मशीनों के समन्वय द्वारा किए जा रहे हैं, तो इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों की क्षमता को बढ़ा रही है ताकि वह उसी तरह से काम कर सके जिस तरह से कोई इंसान करता है। विभिन्न उभरती हुई प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उत्कृष्ट बनाने में अपेक्षाकृत मदद कर रही हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, और अन्य उपकरणों के रूप में मशीन एक सहायक उपकरण होते हैं। मशीन को दिए गए इनपुट के रूप में डेटा का अलग सेट किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। इसलिए एक बेहतर तरीके से, हम आपको यह बता सकते हैं कि कृत्रिम शिक्षण में डेटा या एल्गोरिदम का एक सेट विकसित करके मानव बुद्धि के साथ मशीनों को अंतर्निहित किया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से गुणात्मक शिक्षा

1970 के दशक में पीछे जाएं जब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के तहत डॉ एलन एम कोलिन्स और जैम कार्बोनेल द्वारा अमेरिका में पहली बुद्धिमान शिक्षण प्रणाली शुरू की गई थी। हालांकि, हमें अभी तक कक्षा में शिक्षकों के रूप में मानव सदृश को देखना बाकी है, किन्तु कंप्यूटर परियोजनाओं का उपयोग करने वाली कई परियोजनाओं को शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार किया गया है। यहां बताया गया है कि कृत्रिम वृद्धि अगले स्तर पर कैसे शिक्षा को ले जा सकता है।

ग्रेडिंग

होमवर्क और टेस्ट्स की ग्रेडिंग काफी कठिन होती हैं। इसमें काफी समय लगता है, जो अन्यथा छात्रों के साथ बातचीत करने, कक्षा की तैयारी करने या व्यावसायिक विकास पर काम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कृत्रिम वृद्धि वास्तव में मानव ग्रेडिंग को पूरी तरह से बदलने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन यह इसके बहुत करीब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षकों के लिए लगभग सभी

प्रकार के विकल्पों और रिक्त स्थान भरने के लिए ग्रेडिंग स्वचालित करना संभव बना दिया है।

अतिरिक्त सहायता

एआई की सहायता से शिक्षक, छात्रों को अतिरिक्त निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। कुछ कृत्रिम बुद्धि आधारित शिक्षण कार्यक्रम छात्रों को बुनियादी गणित, लेखन और अन्य विषयों के माध्यम से मदद करते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम छात्रों को उच्च–क्रम सोच और रचनात्मकता सीखने में मदद करने के लिए आदर्श नहीं हैं, बल्कि ये केवल मूलभूत सिद्धांत हैं। फिर भी भविष्य में एआई ट्यूटर्स के इन चीजों को करने में सक्षम होने की संभावना है। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति के साथ, उन्नत शिक्षण प्रणाली एक दूर–दराज का सपना नहीं रहा।

सहायक प्रतिक्रिया

एआई शिक्षकों और छात्रों को उन पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने में मदद कर सकता है, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वैयक्तिकृत हैं और पूरी तरह से पाठ्यक्रम की सफलता के बारे में प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। एआई सिस्टम का उपयोग छात्रों की प्रगति की निगरानी करने और छात्रों के प्रदर्शन के साथ कोई समस्या होने पर शिक्षकों को सतर्क करने के लिए किया जाता है। इस तरह के एआई सिस्टम न केवल छात्रों को उनके समर्थन की आवश्यकता प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, बल्कि शिक्षकों को उन क्षेत्रों को खोजने में भी मदद करते हैं, जहां वे छात्रों के लिए निर्देश सुधार सकते हैं।

शिक्षकों की भूमिका

शिक्षा में शिक्षकों की हमेशा एक भूमिका होगी, लेकिन इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स के रूप में नई तकनीक के कारण यह बदल सकता है। एआई सिस्टम से संभावित रूप से बहुत ही बुनियादी पाठ्यक्रम सामग्री के लिए शिक्षकों की जगह ली जा सकती हैं और विशेषज्ञता प्रदान करने, छात्रों को प्रश्न पूछने और जानकारी खोजने के लिए एक जगह के रूप में सेवा देने के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है। एआई शिक्षक की भूमिका को एक फैसिलिटेटर के रूप में बदल देगा। शिक्षक एआई शिक्षा

की सुविधा देंगे, छात्रों के लिए मानव संपर्क और अनुभव प्रदान करेंगे और संघर्षरत छात्रों की मदद करेंगे।

ट्रायल एंड एरर शिक्षा

ट्रायल एंड एरर, सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कई छात्रों के लिए, असफल होने का विचार, या यहां तक कि जवाब नहीं जानने विचार भी कष्टदायक हैं। कृत्रिम बुद्धि छात्रों को प्रयोग और सीखने के लिए एक अभिनव तरीका प्रदान करता है।

कृत्रिम बुद्धि एक अपेक्षाकृत निर्णय मुक्त वातावरण में प्रयोग और सीखने के लिए एक अभिनव तरीका, छात्रों को प्रदान करता है। एआई शिक्षक भी सुधार के लिए समाधान प्रदान कर सकते हैं। असल में, एआई सिस्टम स्वयं अक्सर एक ट्रायल एंड एरर विधि से सीखते है। इसलिए यह इस तरह के सीखने का समर्थन करने के लिए एक आदर्श प्रारूप है।

मिश्रित अधिगम

मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हैं जिसमे विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करता हैं और दूसरा भाग डिजिटल एवं ऑनलाइन संसाधानो का प्रयोग करके सिद्ध करता हैं। ब्लेंडेड शिक्षा में समय, जगह, विधि तथा गति का नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में है। ब्लेंडेड शिक्षा में ईंट और चुने से बने विद्यालय में पढ़ाये गये पाठ के साथ कंप्यूटर समर्थित विद्या का मिश्रण होता है। ब्लेंडेड शिक्षा के समर्थकों का कहना है कि यह कार्यक्रम द्वारा डेटा संग्रह तथा व्यक्तिगत अनुदेश एवं मूल्यांकन का लाभ मिलता है।

शब्दावली

अन्वेषण साहित्य में ब्लेंडेड शिक्षा को प्रौद्योगिक समर्थित विद्या, वेब–वर्धित शिक्षा और मिश्रित प्रणाली शिक्षा भी कहा जाता है। ब्लेंडेड शिक्षा का विचार बहुत सालों से है लेकिन इसका संकल्प इक्कीसवीं सदी के शुरूवात में ज़्यादा प्रचलित हुआ है। ब्लेंडेड शिक्षा की सही परिभाषा, सन 2006 में बॉक तथा ग्राहम के द्वारा लिखी पुस्तिका में पहली बार हुई। आज, इंटरनेट एवं डिजिटल आधारित शिक्षा और कक्षा में पढ़ाये गये विद्या के मिश्रित शिक्षा कार्यक्रम को ब्लेंडेड कक्षा कहा जाता है।

ऐतिहासिक मूल

प्रौद्योगिक शिक्षा सन 1960 में पारंपरिक कक्षा शिक्षा के विकल्प में उभरा। एक अध्यापक सिर्फ कुछ ही लोगो को पढ़ा सकता था। मेनफ्रेम तथा मिनी–कंप्यूटर को प्रयोग करते इस पद्धति का मुख्य लाभ था कि यह बहुत सारे लोगों को पढ़ा सकता था।

प्रकार

हालांकि ब्लेंडेड शिक्षा की परिभाषा में पूरी सहमति नहीं है, ब्लेंडेड शिक्षा के विशिष्ट तरीकों का सुझाव कयि विद्वानों और शोधकर्ताओं ने दिया है। ब्लेंडेड शिक्षा को छह प्रकार में वर्गीकृत किया गया है।

स्वतः ब्लेंड – जिसमे विद्यार्थी खुद कि प्रेरणा से अपनी पाठ्यक्रम को ऑनलाइन साधनों द्वारा दुबारा दोहराता है।

रुबरु संचालन – जिसमे अध्यापक अपना उपदेश डिजिटल उपकरणों द्वारा करते हैं।

प्रयोगशाला – जिसमे विद्यार्थी लगभग अपनी पूरा अध्ययन एक समान स्थान में इंटरनेट तथा डिजिटल संसाधन का प्रयोग करके पूरा करता है।

नियमित आवर्तन – जिसमे विद्यार्थी नियत परिसंख्या का अनुसरण करके इंटरनेट पर स्वय–अध्ययन और कक्षा के रु–बरु संचालन द्वारा पढ़ता है।

फ्लेक्स – जिसमे विद्यार्थी लगभग अपनी पूरा अध्ययन इंटरनेट तथा डिजिटल संसाधन का प्रयोग करके पूरा करता है। अध्यापक यहाँ सिर्फ़ योगदान और परामर्श देता है।

ऑनलाइन संचालन – जिसमे पूरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन साधनों द्वारा पढ़ाया जाता है।

गुण

केवल ऑनलाइन शिक्षा या केवल कक्षा में पदाए गये पाठ से ब्लेंडेड शिक्षा का प्रभाव अधिक माना जाता है। ब्लेंडेड शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि "अतुल्यकालिक इंटरनेट संचार टेक्नालजी" को उच्च्तर अधय्यन में शामिल करने से समकालिक, स्वतंत्र तथा सहयोगी शिक्षात्मक अनुभव मिलता है। इस संस्थापन का विद्यार्थियों के शिक्षात्मक रवैया, संतोष तथा सफलता में प्रमुख योगदान है। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा अध्यापक और छात्र के बीच संचार बेहतर हो जाता है। छात्र अपनी शिक्षा की समझ का गुणात्मक तथा मात्रात्मक मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित अंदाज़ में करते हैं।

अवगुण

ब्लेंडेड शिक्षा तकनीकी साधनों पर निर्भर है। इस शिक्षा का सार्थक असर होने के लिए यह साधन विश्वसनीय और अद्यतन होने चाहिए। इनका प्रयोग आसान होना चाहिए।कहा गया है कि व्याख्यान अभिलेख तकनीक छात्रों को अक्सर पढ़ाई में पीछे छोड़ देता है। एक शोध अध्ययन में यह जानकारी पाई गयी कि चार विश्वविद्यालयों के सिर्फ़ आधे छात्र व्याख्यान के वीडियो देखते हैं। असल में 40□ विद्यार्थी एक ही बार में सारे वीडियोस देखते थे।

मिश्रित अधिगम से गुणात्मक शिक्षा

शिक्षा आज प्रयोगों के दौर से गुजर रही है। सीखने की प्रक्रिया का जो भविष्य नजर आ रहा है, उसमें पारंपरिक क्लासरूम के पैटर्न के साथ ऑनलाइन टैक्नोलॉजी भी शामिल है, ताकि छात्रों को आंशिक रूप से नियंत्रित किया जा सके कि कब, कहां और कैसे सीखें। आज भारत में ऑनलाइन शिक्षा का बाजार 247 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर है और इसके 1.96 बिलियन अमरीकी डॉलर की गति से बढने का अनुमान हैय। रिस्किलिंग और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आज का सबसे बड़ा वर्ग है, जबकि परीक्षण की तैयारी 2021 में सबसे तेजी से बढ़ती श्रेणी होगी (वर्तमान में 64 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ रहा है)।

केंद्रीय बजट 2017 के बाद से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बहस चल रही है। सरकार ने 'स्वयं' सहित कई उपायों की घोषणा की, एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल शुरू किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में सुधार के प्रयास किए गए हैं, एक

उच्च शिक्षा नियामक के रूप में उच्च शिक्षा अधिकारिता नियमन एजेंसी (एचईईआरए) का गठन किया गया और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) ने बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) विकसित करने के लिए शैक्षिक संस्थानों को निर्देश दिए हैं।

देश में आमने–सामने सीखने की एक लंबी परंपरा रही है। जाहिर है कि अध्यापक या गुरु को रातोंरात एक अदृश्य, तकनीकी इकाई के साथ नहीं बदला जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि कक्षाओं में छात्रों को क्या सिखाया जाता है और उद्योग अपने संभावित कर्मचारियों के रूप में कैसी मांग कर रहा है, इन दोनों के बीच की खाई हर दिन बढ़ रही है। मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि छात्र शिक्षा प्रणाली में 20 से अधिक वर्षों तक जुटे रहते हैं और आखिर में उन्हें अनाकर्षक रोजगार की संभावनाओं से लाद दिया जाता है।

इसका समाधान 'मिश्रित शिक्षा' में है, एक ऐसी अवधारणा जो भारतीय संदर्भों में तेजी से बढ़ रही है। सरल शब्दों में, यह सिखाने और सीखने का एक मिलाजुला रूप है जिसमें क्लासरूम पैटर्न और ऑनलाइन सीखना दोनों शामिल हैं। इस दृष्टिकोण में अवधारणा निर्माण और जांच–आधारित शिक्षा मिलती है, जो शिक्षा में मानवीय बातचीत को बरकरार रखती है और छात्रों को ऑनलाइन–डिजिटल माध्यमों के साथ पारंपरिक कक्षा तरीकों को जोड़ने की अनुमति देतह है। सीखने की मिश्रित प्रक्रिया पर्सपेक्टिव लर्निंग और अपनी गति से सीखने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। यहां ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मिश्रित शिक्षा प्रौद्योगिकी–समृद्ध शिक्षण के बराबर नहीं है। सीखने की मिश्रित प्रणाली किसी भी विद्यार्थी को अपना स्वयं का शिक्षण विकास का मार्ग चुनने की स्वायत्ता देती है और तकनीक का उपयोग केवल एक संयोजक के रूप में किया जाता है।

सीधे शब्दों में कहें तो यह छात्रों और शिक्षकों के लिए एक जीत की स्थिति है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग–अलग जानकारी को आत्मसात करता है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षण का उद्देश्य विशिष्ट हितों के साथ सीखने के लिए अधिक से अधिक बेहतर और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना है। स्वचालित प्रणाली शिक्षक को औपचारिक शिक्षा के दबाव से मुक्त करती है, साथ ही साथ छात्रों को ज्ञान के समंदर में डुबकी लगाने की अनुमति भी देती है और जो क्लासरूम निर्देश के साथ खत्म नहीं होती है।

मिश्रित शिक्षा व्यावहारिक और अनुभव जनित शिक्षण की संभावना पैदा करती है, जहां छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं दृ जानकारी की गति और जटिलता के मामले में भी। ऑनलाइन सीखने के प्लेटफार्मों से डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से शिक्षकों को एक विशेष व्यक्ति को सिखाने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है और इस तरह छात्रों को बेहतर ढंग से सीखने में मदद करने के लिए समय पर डेटा का उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी उन्नति, मानव जाति के विकास में एक सहायक रणनीति साबित हो रही है। आज इंसान चाँद पर बसने की योजना बना रहा है।

इसी प्रकार मिश्रित शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य नीतियों, प्रशासकों और छात्रों को परेशान करने वाली समस्याओं को हल करना है। जबकि कई शिक्षाविदों ने इस अनूठी शिक्षा को अपनाया है, तो हम यह उम्मीद लगा सकते हैं कि एक दशक के समय में मिश्रित शिक्षा एक अपवाद के बजाय आदर्श हो सकती है। इसके लिए, भारत सरकार ऑनलाइन शिक्षा को औपचारिक रूप दे रही है, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए विनियामक मान्यता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है और विश्वविद्यालयों को अपना स्वयं का ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भविष्य के मिश्रित शिक्षा प्रणाली में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शक्ति का लाभ उठाया जा सकता है और क्लासरूम प्रणाली से बचने वाले समय का उपयोग इंटरैक्टिव सहयोग और चर्चा, परीक्षण और समस्या हल करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही इस पर भी चर्चा की जा सकती है कि भारत की परंपरागत कक्षा प्रणाली के लोकाचार को बनाए रखते हुए शिक्षा को पुनः परिभाषित कैसे किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।

- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

21.

प्राथमिक शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में

मनीष पोरवाल
असिस्टेंट प्रोफेसर,
रॉयल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गाजियाबाद

आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा ही राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। देश में सभी बच्चों को सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद– 45 से लेकर आरटीई– 2009 तक है। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए सबसे विस्तृत कार्यक्रम है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रति किलोमीटर नवीन विद्यालयों की स्थापना, बालिकाओं की शिक्षा, वंचित वर्ग की शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 2010 तक सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था जिसे 2020 तक आगे बढ़ाया गया । वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, तुलनात्मक स्तर पर 3 से 6 वर्ष के छात्रों पर भी यह शिक्षा नीति विशेष बल देती है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है इस शिक्षा नीति

में इस पर ध्यान दिया गया है कि शिक्षा की व्यवस्था करने का दायित्व शिक्षकों के ऊपर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव की ओर संकेत करती है। शिक्षकों के प्रमोशन का आधार उनकी योग्यता स्वीकार करती है। किसी भी शिक्षा योजना की उपयोगिता तभी है जब उसकी कथनी व करनी में अंतर ना हो। वर्तमान में परिलक्षित है कि कागजों में योजनाएं अधिक हैं जबकि जमीनी हकीकत उतनी नहीं है। यह अध्ययन की उपयोगिता है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं एनसीटीई के कार्यों की जांच भी पूर्व में ही विशेषज्ञ समिति के माध्यम से करा ली जाए।

आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उन्नति की दौड़ में प्राथमिक शिक्षा ही राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। देश में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद– 45, राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1986, पूर्व अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, मिड डे मील, सबके लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, आरटीई– 2009 जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए गए। सर्व शिक्षा अभियान इन सभी कार्यक्रमों की तुलना में एक सर्वाधिक विस्तृत कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, जबकि नई शिक्षा नीति– 2020 में शैशवावस्था की शिक्षा का भी प्रावधान है। नई शिक्षा नीति– 2020 में 3 से 6 वर्ष बालकों की भी शिक्षा का प्रावधान है। आंगनवाड़ी केंद्र पूर्व में शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन नई शिक्षा नीति में इसकी विस्तृत विवेचना की गई है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था ,सर्व शिक्षा अभियान को 2020 तक आगे बढ़ाया गया तथा इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को जोड़ दिया गया। निःसंदेह भारतीय संविधान के मूल ढांचे से प्रेरित अनुच्छेद– 45 में 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया था तथा आरटीई– 2009 भारतीय इतिहास में आज मूल अधिकार के रूप में स्थापित हैं। सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है जिसमें एक स्पष्ट समय सीमा के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य भागीदारी का निर्धारण हो गया जिसके अंतर्गत 9वीं शिक्षा योजना के दौरान केंद्र व राज्य सरकार का

अनुपात 85:15 ,10 वीं योजना में 75 : 25 इसके उपरांत 50:50 के आधार पर दोनों का व्यय होना था ।

शिक्षा की पहुंच में सुधार

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय की स्थापना 1 किलोमीटर दूरी तथा 300 से अधिक जनसंख्या पर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 800 या उससे अधिक जनसंख्या या 2 किलोमीटर दूरी का मानक रखा गया। विद्यालय भवन का निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जाता है। वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के बाल श्रमिकों के बारे में सूचना एकत्र करना ताकि वैकल्पिक शिक्षा की विशिष्ट रणनीति को तैयार किया जा सके बाल श्रमिकों के लिए एच आई ई केंद्र एवं 11 से 14 वर्ष के बालकों के लिए सेतु पाठ्यक्रम ,महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए संप्रेक्षण ग्रहों में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

ठहराव में सुधार

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में ठहराव में सुधार के लिए जर्जर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय (बालक बालिकाओं के लिए पृथक), हैंडपंप ,ओवरहेड टैंक आदि का निर्माण किया गया।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु समेकित शिक्षा

सर्वप्रथम एस. एस. ए. के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैसे दृष्टिबाधित एच. आई, ओएच, मानसिक विकलांग, एम. डी, एल. डी एवं विकलांग बच्चों का परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े एकत्र कर के समीप के विद्यालय में नामांकन कराया जाता है। गंभीर विकलांगता से ग्रसित बालकों के लिए 6 माह का आवासीय सेतु पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। इटिनरेंट एवं रिसोर्स टीचर की नियुक्ति की गई ,बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण एवं उपकरणों की व्यवस्था करना, अकादमिक एवं सांस्कृतिक आयोजन, ब्रेल लिपि में पाठ्यपुस्तक निर्माण कराया गया।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना सर्व शिक्षा अभियान का केंद्रीय मुद्दा रहा है ।बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए प्रारंभिक बाल देखरेख एवं शिक्षा केंद्र के अंतर्गत

आंगनबाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जूडो कराटे प्रशिक्षण, सिलाई एवं कढ़ाई मशीन, व्यवसायिक प्रशिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, शैक्षिक भ्रमण आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मीना मंच के अंतर्गत सुनो कहानी अभियान, मीना मेला का आयोजन किया जा रहा है मीना उस बालिका का प्रतीक है जो बालिका शिक्षा एवं बालिका के अधिकारों के लिए यूनिसेफ द्वारा विकसित किया गया है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण किया गया ।

पाठ्यक्रम

स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज (3 से 8 वर्ष) प्री स्कूल के लिए 3 साल ,प्राथमिक स्कूल कक्षा 1,2 में 2 साल), प्रिपरेटरी स्टेज (कक्षा 3 से 5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित), मिडिल स्कूल स्टेज है कक्षा 6 से 8 ,प्राथमिक चरण मे प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा। जिसमें कला समन्वयक एवं खेल समन्वयक को शामिल किया जाएगा।

बहुभाषावाद : 2 से 8 वर्ष की अवस्था में बालक भाषा के माध्यम से सीखते हैं अतः मातृभाषा से पढ़ाने के साथ त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाएगा पढ़ाई के दौरान 'द लैंग्वेज ऑफ इंडिया' पर प्रोजेक्ट भी करना होगा ।

अनिवार्य कौशल और क्षमताओं का एकीकरणः समसामयिक विषय– आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, हॉलिस्टिक हेल्थ ,ऑर्गेनिक लिविंग, वैश्विक नागरिकता, पर्यावरण शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के पढ़ने के दौरान 10 दिवसीय वस्ता रहित पीरियड होगा जिसमें स्थानीय व्यवसायिक विशेषज्ञों के साथ छात्र कार्य करेंगे ,भारत का ज्ञान में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और योगदान शामिल होगा ।राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफएसई) 2020–21, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों, राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकारों से संबंधित विभागों एवं अन्य सभी के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा।

शिक्षकः वर्तमान में अध्यापक शिक्षा के गिरते स्तर को ऊपर उठाने के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड.कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा एवं बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रारंभ किया जाएगा । टीईटी के प्राप्त अंकों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा

।शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं है उनको करने की अनुमति नहीं होगी प्रतिवर्ष 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में शिक्षक भाग लेंगे बेहतरीन कार्य के लिए वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानकों का मार्गदर्शक सेट 2022 तक तैयार किया जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी अध्यापक शिक्षा संस्थान यदि मानकों को पूरा नहीं करते तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में RTE–2009 प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर है प्राथमिक शिक्षा की उन्नति देश की उन्नति से संबंधित है वर्तमान में मात्रात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक वृद्धि की अधिक आवश्यकता है, नई शिक्षा नीति 2020 में गुणात्मक वृद्धि पर बल दिया गया है ।प्राचीन भारतीय परंपरा को शामिल करते हुए अत्याधुनिक शिक्षण पद्धति के प्रयोगों पर बल दिया गया है ,सर्व शिक्षा अभियान की कमियों को नई शिक्षा नीति –2020 में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षकों का प्रमोशन वरिष्ठता को आधार न देकर योग्यता व कार्य क्षमता पर बल दिया जाएगा तथा भविष्य में नियमों का पालन ना करने वाले शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को बंद किया जाएगा ।

संदर्भ सूची

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट– 2020
- पाठक पी डी, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, 21 वां संस्करण 2007
- सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक आख्या 2006–07,उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद ,उत्तर प्रदेश
- अरोड़ा रीता ,शिक्षा में नव चिंतन, शिक्षा प्रकाशन, भगवान दास मार्केट चौड़ा रास्ता, जयपुर

22.

मातृ भाषा, भारतीय भाषाएं एवं साहित्य का विकास : राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 के संदर्भ में

मुकेश कुमार यादव
शोधछात्र
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

सामान्यतः भाषा विचारों के आदान–प्रदान का साधन हैं किन्तु मातृभाषा इससे बढ़कर निरंतर विचार करने हेतु बाध्य करती है। यह स्वयं ही शोधपरक चिंतन उत्पन्न करती है। छात्र बचपन से ही अपनी मातृभाषा में चिंतन करने लगता है। भारत विविध ाताओं का देश है तथा हमारी संस्कृति व भाषा हजारों साल के विकास का परिणाम है। जिसका संरक्षण करना हमारा परम् दायित्व बनता है। इसीलिए नई शिक्षा नीति के 22वें अध्याय में भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति के संरक्षण की बात कही गयी है। इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। हॉलांकि यह शिक्षा नीति तात्कालिक समय की समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त थी। किन्तु वर्तमान आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इसमें व्यापक बदलाव की जरूरत महसूस हुई। इन्ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, तथा भारत के विभिन्न वर्गों (सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक तथा व्यवसायिक) की टिप्पणियों तथा सुझावों को सम्मिलित करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माण

किया गया। जहाँ 1986 की शिक्षा नीति समानता तथा तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा को महत्व देता थी, वहीं नई शिक्षा नीति में इसके अतिरिक्त छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, कौशल परक शिक्षा तथा भाषा व संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करने आदि पर जोर दिया गया है।

मातृ भाषा का विकास

नई शिक्षा नीति 2020 में 10 + 2 की संरचना के स्थान पर 5 + 3 + 3 + 4 की संरचना को अपनाया गया है। जिसमें से प्रथम पांच वर्ष की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में दी जायेगी इसमें से प्रथम 3 वर्ष की शिक्षा प्राथमिक बाल्यावस्था की शिक्षा है। जिसमें किसी पाठ्यक्रम को न पढ़ाकर अपितु बालकों के देखभाल, गुणात्मक विकास, व्यवहारिक शिक्षा तथा व्यक्तित्व निर्माण के साथ – साथ सीखने की तीव्रता पर बल दिया गया है। इसलिए यह जरूरी है कि सीखने के लिए अपनी मातृ भाषा का प्रयोग किया जाए। चूंकि बच्चा जो भाषा अपने घरों में अपने परिवार के साथ तथा अपने दोस्तों के साथ बोलता है, सीखने की प्रक्रिया में भी उसी भाषा में सहजता महसूस करता है। बच्चों को अपनी मातृभाषा के प्रति एक लगाव भी होता है जिससे वे जल्दी बातों को पकड़ते हैं। किसी अन्य भाषा में हम विषय का ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं परन्तु बौद्धिक सोच सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही विकसित हो सकती है। नई शिक्षा नीति में पाँचवी कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है।

नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए किये गये प्रावधान :

1. पाँचवी कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान।
2. इसके पश्चात यदि कोई क्षेत्रीय भाषा है, तो प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में भी सम्पन्न कराने का प्रावधान।
3. विद्यार्थियों को सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकलप के रूप में चुनने का अवसर।
4. भारतीय संकेत भाषा (साइन लैंग्वेज) को देशभर में मानकीकृत किया जायेगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जायेगी।
5. पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना का प्रावधान।

6. मातृभाषा में कौशल परक शिक्षा प्रदान करना।

आज जब सम्पूर्ण विश्व में भारत अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है, तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आ रहा है, तो इस बात की आवश्यकता और बढ़ जाती है, कि हमारी अपनी एक विकसित भाषा होनी चाहिए जो हमारी पहचान बने। विश्व के कई विकसित देश ऐसे हैं जहां पर शिक्षा उनकी ही मातृभाषा में दी जाती है। विकसित भाषा विकसित देश का आधार बन सकती है। यथाः अमेरिका, इंग्लैण्ड, दक्षिण अफ्रीका आदि कुछ गिने चुने देशों में ही अंग्रेजी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। अन्य देश जैसे चीन की मंदारिन, रूस की रसिया, फ्रांस की फ्रेंच, जापान की जापानी तथा आस्ट्रेलिया की भी अपनी मातृभाषा है, जो उनकी पहचान बढ़ाती है तथा गौरवान्वित करती है।

आज हिन्दी विश्व में अंग्रेजी तथा मंदारिन के पश्चात तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गयी है। आज यह भारत के साथ–साथ अन्य कई देशों की भी राजकीय भाषा है। भारत में लगभग 40% जनसंख्या बोलने तथा लिखने में हिन्दी भाषा एवं साहित्य का इस्तेमाल करती है। अब आवश्यकता है इसे वैश्विक स्तर पर ख्याति दिलाने की। नई शिक्षा नीति में हिन्दी में शिक्षा देने का प्रावधान इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में निश्चित रूप से सहायक होगा।

भारतीय भाषा का विकास

भारतीय संस्कृति अत्यन्त प्राचीन संस्कृति है तथा समय–समय पर इसमें कई अन्य संस्कृतियों का समावेश व प्रभाव देखने को मिला है, जिससे भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। जिसके कारण भारत में भाषाओं में भी प्रयाप्त भिन्नता दिखाई देती हैं ऐसा माना जाता हैं कि अकेले भारत में ही सम्पूर्ण यूरोप से अधिक संस्कृतियां तथा भाषाऐं पायी जाती हैं। भारत में लगभग 150 से अधिक ऐसी भाषाऐं हैं जिन्हें कम से कम 10000 या इससे अधिक लोगों द्वारा बोला जाता है। किन्तु क्षेत्रीय आधार पर इसकी संख्या बहुत अधिक है।

भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गयी हैं किन्तु इसके अतिरिक्त अगर देखा जाय तो कई ऐसी भाषायें अथवा उपभाषायें हैं जिन्हें संविधान में स्थान नहीं दिया गया हैं। भारत की कई ऐसी क्षेत्रीय आदिवासिए भाषायें हैं जिनका चिकित्सा तथा अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष महत्व हैं। नई शिक्षानीति में यह साफ–साफ लिखा गया हैं कि हम विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो चुके हैं साथ ही साथ इनके बहुमूल्य

ज्ञान को भी हम खोते जा रहे हैं। एक समय था जब संस्कृत भाषा देवों की भाषा मानी जाती थी, तथा भारत को विश्व धर्म गुरु कहा जाता था। किन्तु आज कुछ गिने चुने लोग ही संस्कृत भाषा बोलने तथा समझने वाले मिलेंगे तथा कुछ ही संस्थान ऐसे हैं जहां पर संस्कृत भाषा पढ़ायी और सिखायी जाती है। नई शिक्षा नीति में सभी संस्थानों के अन्दर यह सुविधा उच्च शिक्षण के दौरान भी प्रदान की गयी है कि छात्र विकल्प के रूप में संस्कृत का चुनाव कर सकता है।

वैश्विक स्तर पर भारत की अनेक ऐसी भाषायें है जो प्रमुख स्थान रखती है। एक शोध में पाया गया की विश्व में बोली जाने वाली टॉप–20 भाषाओं में भारतीय की 5 भारतीय भाषायें यथाः हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, तथा तमिल व मराठी अपना स्थान सुनिश्चित करती हैं।

नई शिक्षा नीति में इन भाषाओं के संरक्षण पर बल दिया गया हैं साथ ही साथ प्राथमिक स्तर पर इन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षण प्रणाली के साथ जोड़ा गया हैं। इस प्रकार से बच्चों के मानवाधिकार की रक्षा पर भी बल दिया गया है। क्योंकि प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार उसका मानवाधिकार है और आगे की कक्षाओं के लिए उच्च शिक्षानीति में आनंददायक परियोजनाओं का विकलप रखा गया हैं इससे आप भारतीय भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा नवाचार तथा मौलिक चिंतन को बढ़ावा दे सकते हैं यह भी व्यवस्था की गई है कि हम नये माध्यमों के जरिए भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण की सुविधा को विकसित करें। अर्थात वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आनलाइन क्षेत्रों में भी भारतीय भाषाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। तथा अधिक से अधिक शैक्षिक सहायक सामाग्री भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए अनुवाद विभाग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।

वर्तमान शिक्षानीति में शोधपरक तथा कौशल युक्त शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। यह पहला ऐसा मौका है जब शिक्षा प्रक्रिया को सीधे–सीधे रोजगार से जोड़ा गया है। जिसके लिए कक्षा 6 से ही कौशल की शिक्षा पर जोर दिया गया है। तथा शोध परक सोच रखने के लिए बचपन से ही छात्रों को चिंतक प्रवृत्ति का बनाये जाने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए क्षेत्रीय भाषायें अति महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। भारतीय भाषाओं में जब शिक्षण कार्य बढ़ेगा तब नवाचार बढ़ेगा, मौलिक शोधकार्य को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जिस भाषा में हम विचार करते हैं, अच्छे बुरे की सोच विकसित करते हैं तथा सपने देखते हैं। यदि हम उसी भाषा में शोध कार्य करेंगे तो निश्चित रूप

से बहुत कुछ मौलिक करेंगे, तथा अच्छा परिणाम देंगे। 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन (भोपाल) के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी भारतीय युवाओं को कौशल वृद्धि करने तथा इस क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के महत्ता के बारे में बात की थी। नई शिक्षा नीति में इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उचित प्रावधान किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 में साहित्यिक विकास पर जोर

किसी भी भाषा को व्यापकता हॉसिल करने के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिक मात्रा में बहुसंख्यक जनसंख्या द्वारा अपनाया जाए तथा उसका एक अपना साहित्य हो। भाषा का साहित्य के रूप में लिखित होना उसे वैधानिकता प्रदान करता है।

किसी भी साहित्य के अध्ययन से हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि उस क्षेत्र की संस्कृति कितनी प्राचीन, उत्कृष्ठ अथवा विकसित अवस्था में है। भारत के संबंध में हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि अधिकतर प्राचीन साहित्यों को या तो उन्हें नष्ट कर दिया गया अथवा चोरी कर लिया गया। किन्तु प्राप्त साहित्य के अध्ययन से ही हमें वैदिक कालीन संस्कृति तथा देव तुल्य भाषा संस्कृत की व्यापकता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार चाणक्य द्वारा लिखित 'अर्थशास्त्र' के माध्यम से ही हमें चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त तथा राजदूपों के साथ–साथ मुगलों के इतिहास के बारे में तत्कालीन साहित्यों के माध्यम से ही पता चलता है। अर्थात कह सकते हैं कि साहित्य के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, जिसका आधार निश्चित रूप से भाषा है।

वर्तमान शिक्षानीति में साहित्यिक महत्व पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षानीति में भारतीय भाषाओं के नवीन शब्दकोष का निर्माण तथा साहित्यीकरण का विषय उठाया गया हैं इसी संदर्भ में अनुवाद विभाग व व्याख्या संस्थानों के गठन का भी विषय जोड़ा गया हैं जिससे लिखित व मौखिक ज्ञान को जन साधारण तक सुगमता से पहुँचाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 22वें अध्याय के 20वें अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कि भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार के रूप में विकसित किया जा रहा है। नए अनुवाद विभाग की स्थापना के पश्चात विश्व के तमाम ऐसी पुस्तकें जो अलग–अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं किनतु हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक हैं उनका अनुवाद हिन्दी में किया जायेगा। जिससे इन्हें पढ़ने और समझने में आसानी

होगी। वहीं दूसरी तरफ हमारी भाषा में लिखित महत्वपूर्ण साहित्य के बारे में दुनिया वालों को पता चलेगा तथा वे हमारे गौरवमयी संस्कृति से साक्षात्कार कर सकेंगे।

आज भारत विश्व शक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, ऐसे में आवश्यक है कि इसकी अपनी एक भाषा तथा साहित्य हो। जहाँ 18वी ंशदी आष्ट्रिया और फ्रांस की थी, 19वीं शदी इंग्लैण्ड तथा जर्मनी व इटली का था, 20वी ंशदी अमेरिका तथा सोवियत संघ रूस का था वहीं 21वीं शदी भारत और चीन का होने जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि एक भाषा में रूप में हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंघ में मान्यता दी जाय। आज पूरे विश्व में हिन्दी बोले जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। न।म जैसे खाडत्री देशों द्वारा हिन्दी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हिन्दी साहित्य में भी विकास किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि युवाओं के अन्दर हिन्दी भाषा के प्रति लगाव उत्पन्न किया जाए। उन्हें इसे महत्व को समझाया जाय तथा उन्हें अपनी मातृभाषा में रोजगार के अवसर प्रदान किये जायें। नई शिक्षा नीति 2020 में इन सभी बातों के लिए प्रावधान किया गया है।

पुरानी शिक्षा पद्धति में देखा जाता रहा है कि उच्च शिक्षा खासकर वैज्ञानिक तथा टेक्निकल शिक्षा का माध्यम सिर्फ English ही रहा है। जिसके चलते अपनी भाषा में पुस्तक तथा अन्य लिखित सामग्रियों का आभाव देखने को मिलता हैं जिससे छात्रों के लिए कोई विकल्प नहीं बचता तथा उन्हें अंग्रेजी में ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। जिससे अधिकांश बच्चों की मौलिस कोच विकसित नहीं हो पाती और वे अपना 100ः योगदान नहीं दे पाते। अनुवाद विभाग का प्रावधान केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर इसी लिए किया गया है जिससे की महत्वपूर्ण पुस्तकें हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी सहजता से उपलब्ध हो सके।

हिन्दी भाषा के साथ थोड़ा समस्या इस बात को लेकर होती ळै कि इसकी अपनी कोई मूल भाषा नहीं है जिससे इसके शब्दकोश में अधिकतर शब्द संस्कृत अरबी, फारसी, उर्दू तथा अंग्रेजी से लिए गये हैं विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अधिकाँश शब्दावलियाँ हिन्दी में उपलब्ध नहीं है तथा उन्हें अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ता है। नई शिक्षानीति में इस समस्या के समाधान के लिए नवीन शब्दकोष विभाग की स्थापना की बात कही गयी है जिसका मूल कार्य होगा हिन्दी भाषा के नये–नये शब्दों की खोज करना तथा उन्हें मान्यता प्रदान करवाना।

वर्तमान में साहित्यीकरण का स्वरूप बदला हैं। कागज कलम की जगह आज कम्प्यूटर तथा इंटरनेट ने ले लिया है। एक समय था जब इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ अंग्रेजी का बोलबाला हुआ करता था। परन्तु वर्तमान में इंटरनेट पर लगभग 4 लाख करोड़ व्यूय पेज हिन्दी में भी उपलब्ध हैं। ई–डिजिटल लाइब्रेरी तथा ई–बुक एप आदि ऐसे तमाम माध्यम मौजूद हैं जहां हिन्दी साहितय प्रयाप्त माख में आसानी से उपलब्ध हो जाते है। इंटरनेट पर हिन्दी में ठसवहम की भी संख्या बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। आज श्विश के कई देशों में हिन्दी में साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं का सम्पादन होता है। वर्तमान में जिस तीव्र गति से लाइब्रेरी का स्थान इंटरनेट लेता जा रहा है, तो यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों तथा साहित्यिक लेखों को लेगों तक पहुँचाने के लिए इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध करायें।

निष्कर्ष

हमारी भाषा के विकास में लम्बे समय के कुछ बाधायें बनी रही थीं चाहे वह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता हो, या हामारी भाषा में प्राप्त शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार की कमी। जिसके चलते युवाओं द्वारा अपनी भाषा तथा संस्कृति से लगाव कम होता जा रहा था जिसे नई शिक्षानीति 2020 द्वारा न केवल दूर करने का प्रयास किया गया है अपितु उसे किस प्रकार विकसित किया जाय जिससे की विश्वस्तर पर इसकी प्रसिद्धि स्थापित हो सके, इसका भी प्रावधान किया गया है।

किन्तु इसकी कुछ सीमायें भी हैं भारत में एक राज्य या किसी भी एक क्षेत्र में कोई एक भाषा नहीं बोली जाती। इसमें बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलता है। भारत के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि– 'कोस–कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी' इसीलिए किसी एक क्षेत्र के विद्यालयों में अनेक भाषाओं का ज्ञान देना काफी खर्चीला होगा। हाँलांकि राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 में स्कूल कॉन्प्लेक्स/कलस्टर की व्यवस्था की गयी है। जिससे (लगभग 1 किलोमीटर के अंदर स्थित) आस–पास के विद्यालयों द्वारा सीमित संसाधनों को आवस में मिलकर उपयोग किया जाए। आवश्यकता है तो बस इसके सही से क्रियान्वयन की।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।

- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

23.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महिला सशक्तिकरण: महिलाओं की सुरक्षा तथा असुरक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुमन कुमारी
शोधछात्रा (समाजशास्त्र)
मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

डा0 नीरज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति शास्त्र)
एस.एस.वी.पी.जी. कॉलिज, हापुड

अर्न्तराष्ट्रीय सम्बधों के सदर्भ में नारीवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा का रहा है। टिकनर के अनुसार 20वीं शताब्दी के आंरम्भ से ही सुरक्षा अर्न्तराष्ट्रीय संम्बधो का भी मुख्य मद्दा रहा है। यह अर्न्तराष्ट्रीय संम्बधो के नारीवादी लेखको के लिए भी केन्द्रीय विषय है। परन्तु सुरक्षा का नारीवादी दृष्टिकोण काफी भिन्न है अर्थात सुरक्षा की परिभाषा, असुरक्षा की व्याख्या तथा सुरक्षा की बढ़ाने के लिए किये जाने वाले उपाय सभी पर नारीवादी दृष्टिकोण परम्परागत अर्न्तराष्ट्रीय संम्बधो के दृष्टिकोण से भिन्न है। उदाहरण के लिए परम्परागत अर्न्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के अनुसार सुरक्षा को राजनितिक तथा सैनिक सन्दर्भ में परिभाषित किया जाता है। जैसे–देश की सीमाओं की सुरक्षा अथवा शत्रुतापूण अर्न्तराष्ट्रीय वातावरण में राज्य की एकता तथा अखण्डता की सुरक्षा आदि। नारीवादी लेखक इसे आवश्यक क्षेत्र का नाम देते हैं। अर्न्तराष्टीय स्तर पर राज्य एकल इकाई होते हैं, और वे अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए प्रायः शक्ति सन्तुलन का सहारा लेते हैं और जिनमें सेना एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग होती है परन्तु नारीवादी लेखको के अनुसार सुरक्षा की यह परिभाषा, विशेषकर उत्तर–शीत युद्ध काल में काफी संकुचित हैं। नारीवादी लेखक सुरक्षा को व्यापक स्तर पर परिभाषित करते हैं, तथा इसे बहु पक्षीय तथा बहुस्तरीय

धारणा मानते हैं। इनके लिए सुरक्षा का अर्थ है, सभी प्रकार की हिंसा का अभाव हिंसा के ये ढाँचे चाहे भौतिक हो या मानसिक क्योंकि राज्य के शक्तिढाँचे में महिलायें हमेशा हाशिये पर होती हैं, और क्योंकि नारीवादी लेखक स्त्री की सुरक्षा को केंन्द्रीयभूत मानते हैं, अतः अधिकतर नारीवादी अध्ययन व्यक्ति अथवा सामाजिक समुदाय से आरम्भ होता है, न कि राज्य अथवा अर्न्तराष्ट्रीय संम्बधो से। क्रिशिचियन सिलवेस्टर के अनुसार सुरक्षा एक भ्रामक तथा पाक्षिक धारणा है तथा इसमें संघर्ष के तत्व भी निहित हैं। यह एक आदर्श न होकर एक प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं को अनिवार्यतः अपनी सुरक्षा के लिए इसके एक एजेन्ट के रूप में कार्य करना चाहिए। दलित् तथा हाशिये पर नारी समूह का पक्ष लेते हुए ये नारीवादी लेखक उन सामाजिक श्रैणीवट्रताओं की तरफ संकेत करते हैं, जो सभी समाज में व्याप्त है और जो स्त्री की असुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। सुरक्षा के लिए संघर्ष का अर्थ है इन सामाजिक श्रैणीबद्धताओं का पर्दाफास करना, इस बात को समझना कि अर्न्तराष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार इनका निर्माण करती है, तथा इन्हें किस प्रकार तोडा जा सकता है। राजा रायमोहन राय हिन्दू महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार देने के पक्ष में थे। उत्तराधिकार की आधुनिक विधि से महिलाओं के साथ जो अन्याय होता था, उसकी राजा मोहन राय ने कटु आलोचना की। उन्होंने सन् 1822 में विद्धतापूर्ण लेख लिखा जिसकी शीर्षक था 'मॉडन एन क्रोचमेण्ट ऑन एनशेष्ट राइटस ऑफ फीमेल्स एकौर्डिग दु द हिन्दू लॉ ऑल इन हेरिटेन्स' (हिन्दू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रीयों के प्राचीन अधिकारो का आधुनिक अतिक्रमण)। इस लेख में उन्होंने याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति, व्यास आदि विद्धान धर्म शास्त्रीयों को उद्धत किया और बताया कि प्राचीन धर्म शास्त्रीयों के मतानुसार पति द्वारा छोडी हुई सम्पत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के समान भाग मिलता था और पुत्री को एक चौथाई। 20वीं सदी के आरम्भ के इस विकाशक्रम जिसमें नई चेतना और संगठनों का उदय हुआ था, ने कुछ महिलाओं के लिए उल्लेखनीय परिवर्तन अवश्य पैदा किए। इसमें से कई, प्रबुद्ध,मध्यम वर्गीय और शहरी स्त्रीयों ने सार्वजनिक क्षेत्र में कारगर ढंग से स्थान बनाया। पर वे अपनी नई सामाजिक भूमिकाओं तथा गृहस्थी और बच्चों की देखभाल की कठोर मांगो के बीच सांमजस्य स्थापित करने का प्रयास करती रही। जहाँ तक भारतीय महिलाओं का प्रश्न है, तो उनमें परिवर्तन नही के बराबर था। कारण यह था कि स्त्री–संगठनों और कार्यकत्ताओं के प्रयास उस चीज से बाधित होते रहे, जिसे गेराल्डाइन फोर्ल्स ने एक सामाजिक नारीवादी विचारधारा का ढ़ाँचा कहा है। इस ढाचे में स्त्रीयों की एक खास सार्वजनिक भूमिका को तो मान्यता दे दी गई थी, पर साथ ही स्त्री पुरूष के बीच सामाजिक, शारीरिक और मानसिक अन्तर को भी स्वीकार किया गया था।

अंग्रेज भारत पर शासन करने वाले ऐसे पहले शासक नही थे, जिनकी परम्परा और संस्कृति भारत से भिन्न थी। उनसे शताब्दियों पूर्व मुस्लिम शासको ने भी एक भिन्न धर्म

और नए शक्ति संम्बधो के साथ इस उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था, परन्तु उन्होंने भारतीय समाज के स्वरूप और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया। सामान्य जनता के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन पहली बार अंग्रेजी शासन के दौरान किये गए क्योंकि 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भारत में विदेशी शासकों ने समाज में महिलाओं की स्थिति संम्बधी पहलू पर विशेष ध्यान दिया। 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भारत में महिला संम्बधी प्रश्न केंन्द्रीय मुद्दा बन गए थे। इनका मुख्य विषय यह था कि महिलाओं को किस प्रकार आधुनिक बनाया जा सकता है? उन्होंने यह जानने का कोई प्रयास नही किया कि महिलायें क्या चाहती है? अपने सभ्यताकरण मिशन के अर्न्तगत प्रभावी ब्रिटिश लेखको ने महिलाओं संम्बधी भारतीय धर्म, संस्कृति और समाज को अपने शासको के लिए अस्वीकार्य धोषित कर दिया था।

आज कल शायद ही कोई विषय सामाजिक विज्ञानों में शोधकर्ताओं, केंन्द्रीय और राज्य सरकारों, योजना दलों और सुधारकों का ध्यान इतना आकृष्ट करता हो, जितना कि महिलाओं की समस्याओं के अध्ययन के उपागम जरा–विज्ञान (Gerontology) (वृद्ध होने की प्रक्रियाओं का अध्ययन) के अध्ययन से लेकर मनोरोग विज्ञान और अप्राध ा विज्ञान तक होते हैं। परन्तु महिलाओं से संम्बधित एक महत्वपूर्ण समस्या जिस पर ध्यान नही दिया गया है और जिससे बचा गया है, वह है महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नही है। भारतीय समाज में महिलाए एक लम्बे काल से अपमानित, यातना, और शोषण का शिकार रही है, जितने काल के हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध ा हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है। आज धीरे–धीरे महिलाओं को पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण; प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माना जाने लगा है; परन्तु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी। विचारधाराओं, संस्यागत, रिवाजों; और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया। इनमें से कुछ व्यावहारिक रिवाज आज भी पनप रहें हैं। स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के सर्मथन में बनाये गये कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे–ध ीरे बढती हुई, आर्थिक स्वतत्रंता के बावजूद असख्य महिलाऐं अब भी हिंसा की शिकार हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है उनकी हत्या कर दी जाती है, या उन्हें आत्माहत्या के लिए मजबूर किया जाता है, उनको जला दिया जाता है। नेशलन क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा जारी नवीन आँकड़े बताते है कि राष्ट्र भर में महिलाओं के विरूद्ध अपराध में 2010 के बाद से 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। (टाईम्स ऑफ इंडिया, 27 अगस्त 2013)

हिन्दू समाज में महिलाओं की परतंत्र व हीन दशा के प्रति डा0 अम्बेडकर विशेष रूप से चिंतित थे तथा चाहते थे कि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र इस दशा से स्वतंत्र किया जाए, ताकि

वे पुरूषों के समान आत्मनिर्भर जीवन जीने की स्थिति और अधिकार प्राप्त कर सकें। महिलाओं की इस हीन दशा के लिए वे हिन्दू धर्म ग्रंथो और मुख्य रूप से मनुस्मृति को उत्तरदायी मानते थे, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि वे बाल्यकाल में पिता के संरक्षण में, युवाकाल में पति के संरक्षण में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहे अर्थात उन्हें अपने जीवन के किसी भी काल में स्वतत्रंतापूर्वक जीने का अधिकार न हो तथा हर काल में किसी न किसी रूप में उनके लिए पुरूष का संरक्षण आवश्यक हो। डा0 अम्बेड़कर चाहते थे कि महिलाओ की इस हीन दशा से मुक्ति के लिए उन्हें पुरूषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने तथा अपनी योग्यता अनुसार स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त हो। यहीं नही, हिन्दू समाज के परम्परागत कानून के अनुसार, सम्पत्ति के उत्तराधिकार, निःसंतान होने पर पुत्र–पुत्री को गोद लेने, विधवा होने पर पुर्नविवाह करने आदि विषयों में महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है, उसे भी समाप्त किया जाये। हिन्दू कोड बिल पारित करवाने में उनका प्रयोग सराहनीय है। इस बिल द्वारा हिन्दू महिलाओं की दशा में सुधार हेतु उसे अन्य बातों के अतिरिक्त पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार, संतान गोद लेने तथा पुर्नविवाह करने सम्बन्धि जो अधिकार प्रदान किये गये है, उनका बहुत बड़ा श्रेय डा0 अम्बेड़कर को प्राप्त है।

यद्यपि उन्हे इस हेतु परम्परावादी हिन्दूओं के विरोध के कारण विधि मंत्री के रूप में मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र देना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी मान्यताओं पर अड़िग रहते हुए, कोई समझोता करने के बजाय यह मूल्य चुकाना उचित समझा।

वैदिक युग सें लेकर मनुस्मृति की रचना तक स्त्री के विभिन्न कर्तव्यो और अधिकारों पर विचार किया गया है। इन सभी धार्मिक व शास्त्रीय पुस्तकों में नारी को धार्मिक कर्मकाण्डों से बाँधा गया है। सोच–समझकर नियोजित ढंग से नारी को आचरण और नैतिकता के धेरे में रखकर नियम बनाए गए। पुरूष चिन्तकों ने इतनी चतुरता से धार्मिक आदर्श, मूल्य और कर्म काण्ड को सीमेन्टेड किया कि स्त्री जीवन पर्यन्त उसका खण्डन–मण्डन न कर सके। इसे भी नारीवाद का धार्मिक विचार कहुँगी, जिसने नारी को परिवार की चारदीवारी में बंदी बनाकर रखा। बौद्ध और जैन धर्म ने, जो नास्तिक धर्म हैं, अंधविश्वासों, रूढ़ियो और परम्पराओं की आलोचना की, जिन्होंने स्त्री और पुरूष दोनों को रूढ़ियो का जामा पहना दिया। नारीवादी विचारधारा स्त्री के चेतन जगत की देन है। एक शिक्षित चेतनशील नारी वर्ग की देन है। नारीवादी विचारधारा के केंन्द्र में पित्रृसत्तात्मक सत्ता व व्यवस्था है, जिसमें स्त्री जीवित रहते हुए भी जीवित नही हैं। घुटनभरी जिन्दगी के साथ उनका शोषण और उत्पीड़न होता है। लिंग और जाति भेद के आधार पर औरत को समाज में दोयम दर्जा दिया जाता है। कार्ल मार्क्स एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था के वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें किसी भी कोण से नारी का शोषण व दमन नही होगा। स्त्री का शोषण सामन्ती और पूँजीवादी व्यवस्था में होता है,

समाजवाद में नही। इसमें न स्त्री–पुरूष की सम्पत्ति होती है और न किसी प्रकार की व्यक्तिगक सम्पत्ति होती है सब कुछ राज्य का होता है।एक वर्गविहिन समाज होगा। वर्ग, लिंग और जाति के आधार पर स्त्री अलग अलग श्रेणीयों में बाँटी नही जाएगी। जाहिर है इस खुली व्यवस्था में औरत को प्रगति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे और किस प्रकार किया जाये, इस प्रश्न को लेकर विश्व की नारियाँ भी सचेत हुई और महिला मंचों, सम्मेलनों और गोष्ठियों के द्वारा विचार विमर्श किया गया कि वर्तमान की दयनीय नारी स्थिति को किस प्रकार सुधारा जाए। सितम्बर, 1925 में बीजिंग में चौथा विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय, जो गोष्ठी के केंन्द्र में था, कि नारी को राजनितिक दृष्टि से कैसे योग्य और सक्षम बनाया जाए। महिलाओं की राजनितिक स्थिति में सुधार इस रूप में किया जाए कि वह तमाम निकायों में सहभागी बनें जिससे की वह आर्थिक, समाजिक मुद्दे पर केवल सहभागी ही न बने वरण निर्णय करने में भी सहभागी बनें। आज विश्व के मंच पर नारियां यह महसूस कर रही है कि जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय किए जा रहे हैं, वे पुरूष ही करते हैं। महिलाओं की भागीदारी न के बराबर होती है। इसलिए उन्हें भी निर्णय सम्बन्धी समितियों में रखा जाए, जिससे वे भी महिला– पक्ष को रख सके। उनके आर्थिक, सामाजिक व राजनितिक मुद्दों को समिति में रख सकें। इस प्रकार की माँगे विश्व महिला सम्मेलनों में उठाई जाती रही हैं।

भारत जैसे परम्परागत समाजों में जहाँ नारी को देवताओं की भाँति पूजा जाता है, वहाँ आज दहेज, सती, बाल–विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, वैश्यावृति एवं विधवाओं सम्बन्धी अनेक समस्याँए मौजूद है। महिला सशक्तिकरण के उदेश्य से सन् 2001 में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई, जबकि 2013 को महिला सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया है। महिला कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न राज्यो में कई योजनाँए संचालित है– कामधेनु योजना (महाराष्ट्र), किशोरी बालिका योजना (बिहार), स्वस्थ सखी योजना (उत्तर प्रदेश), देवी रूपक योजना (हरियाणा), बालिका सरंक्षण योजना (आन्ध्रप्रदेश), पंचधारा योजना (मध्यप्रदेश)। धरेलू हिंसा से महिला सरंक्षण अधिनियम 2005 के माध्यम से पारिवारिक हिंसा की शिकार–महिलाओं को त्वरित अनुतोष प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय सामाजिक ढाँचा समाज में पुरूष और महिलाओं की अलग–अलग भूमिकाँए निर्धारित करता है। विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरूषों के समान नही हैं। वर्तमान सामाजिक ढाँचे में पुरूषों के अधिक अधिकार, संसाधन और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को परम्परागत भूमिकाँए सौपी गई है, वे हैं माता, पत्नी, बनाम गृहणी, रसोईया और बच्चों की देखभाल करने वाली। समान शैक्षिक योग्यता, समान पद के बावजूद, विवाह के समय दिया जाने वाला दहेज, समाज में महिलाओं की

स्थिति को स्वंय उजागर करता है। साथ ही महिलाओं का उत्पीड़न, बलात्कार, भ्रूण हत्याओं का सिलसिला समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति का धोतक है। असमान स्तर के कारण उन्हें शारीरिक एवम मानसिक हिंसा का शिकार होना पडता है। आर्थिक रूप में स्वतंत्र होने पर भी घर के मुख्य निर्णयों की जिम्मेदारी उन्हें नही सौंपी जाती। यद्यपि निर्णय करने वाले निकायों और राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई है, तथापि इन स्थितियों में अब भी महिलाओं का प्रतिशत कम है। अभी और गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। 16 दिसम्बर, 2013 को केंन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा संबन्धी 'निर्भया कोष के सन्दर्भ में तीन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। ये तीन प्रस्ताव क्रमशः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सूचना एवं संचार प्रोधौगिकी मंत्रालय के सहयोग से ग्रह मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किये गए हैं। इन प्रस्तावों के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मोबाईल हेंड सेटों में 'एस,ओ,एस' अलर्ट प्रणाली की अनिवार्यता, पुलिस प्रशासन का मोबाईल फोन नेटवर्क के साथ एकीकरण, सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 'जी.पी.एस' (Global Positioning System) की व्यवस्था अनिवार्य किये जाने, सार्वजनिक बसों में सी.सी.टी.वी, कैमरे, विशेष क्षेत्रों में रेल गाड़ियों में 'एस.ओ.एस' अलर्ट प्रणाली की व्यवस्था एवं विशेष निर्भया कोष की स्थापना इत्यादि शामिल हैं। उल्लेखनीय है की कुछ वर्ष पूर्व ही 16 दिसम्बर 2012 को नई दिल्ली में चलती बस में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसकी पीड़िता को 'दामिनी' या 'निर्भया' नाम दिया गया था और जिसकी मृत्यु 29 दिसम्बर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में हो गई थी। केंन्द्रीय वित्त मंत्री पी.चिन्दबरम द्वारा वर्ष 2013–2014 के बजट में 'निर्भया कोष' (100 करोड़ की प्राथमिकि पूँजी से) स्थापना की घोषणा की गई थी। वर्ष 2013 को महिला सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया है।

1987 में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार रोकने के लिए (Indecent Representation of Women (Prohibition) Act कानून पारित किया। 1990 के दशक में लड़कियों के यौन उत्पीड़न के कई मामले सामने आए। 1997 में विशाखा के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर नौकरी की जगह पर यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने की कोशिश की और दिशा निर्देश तैयार किए। धरेलू हिंसा के विरूद्ध भी सरकार ने धरेलू हिंसा सें सरंक्षण संबन्धी कानून (Protection of Women Domestic Uolence Act) 2005 में पारित किया जो 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ। पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार मिलने के बाद हिन्दू महिलाओं को अविभाजित हिन्दु परिवार में बराबर का हिस्सा मिला है। अन्य कई कानून समय–समय पर भारतीय संसद ने पारित किए। 1990

के अन्तिम वर्ष में जो महत्वपूर्ण मुद्दा बना था वह था स्थानीय या ग्रामीण स्तर के चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने कि व्यवस्था। इसके बाद 81 वाँ संवैधानिक संसोधन 1999 में प्रस्तावित किया गया जो महिलाओं को लोकसभा और विधान सभाओं में एक–तिहाई आरक्षण देने से संबन्धित था।

संदर्भ ग्रंथ :

- आर.सी. वरमानी, समकालीन अर्न्तराष्ट्रीय संबन्ध, (प्रथम संस्करण, 2007–8), गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली– 110049, प्रं.सं–289,290
- डॉ.वी.पी.वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, (2019–20), लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, – 282002, प्रं.सं. 92,
- अभय प्रसाद सिंह, भारत में राष्ट्रवाद, (द्वितीय संस्करण–2019), ओरियंट ब्लैकस्वान, हैदराबाद–500029, तेलंगाना, भारत प्रं.सं. 139
- अभय प्रसाद सिंह, भारत में उपनिदेशवाद, (प्रथम संस्करण–2014) ओरियंट ब्लैकस्वान, आसफअली रोड़ नई दिल्ली–110002, प्रं.सं. 113
- राम आहूजा, सामाजिक समस्याएँ (तृतीय संस्करण 2020), रावत पब्लिकेशन्स जयपुर– 302004 (भारत) प्रं.सं. 222
- विजय कुमार वर्मा, व अखिलेश पाल, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन (प्रथम संस्करण–2019) ओरियंट ब्लैकस्वान, हैदराबाद 500029, तेलंगाना भारत, प्रं. सं.137
- वी.एन. सिंह व जनमेजय सिंह, नारीवाद, (2018), रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर प्रं.सं. 275, 403, 404,
- जी.एल.शर्मा, सामाजिक मुद्दे (2020), रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, प्रं.सं 419, 421, 426
- बासुकी नाथ चौधरी, व युवराज कुमार आज का भारत राजनीति और समाज, (प्रथम संस्करण–2014), ओरियंट ब्लैकस्वान, हैदराबाद, 500029 (आन्ध्र प्रदेश), भारत प्रं.सं. 57, 58

24.

शिक्षक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति

श्रीमती नीति शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजूकेशन, अलीगढ़

शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है, और सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। वह प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यो ं का ज्ञान कराते हुए, उसके विचार एवं व्यवहार मे ं समाज के लिए हितकर परिवर्तन करती है।

शिक्षा के माध्यम से ही ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाना संभव है, जो वातावरण एवं मूल्यों के संरक्षण के साथ ही अनुकूल परिवेष के निर्माण मे ं भी सहायक सिद्ध हो सकता है, व्यक्ति मे ं मानवता बोध एवं सांस्कृतिक चेतना का उन्मेश शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसे मात्र किसी कौशल या कार्य के निष्पादन तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह वह प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति में निहित आन्तरिक क्षमताओं का विकास समग्र रूप से करने के साथ ही वैयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि में उपयोगी तथा संसाधन सम्पन्न व्यक्तित्व के निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाता है।

शिक्षा की प्रकृति रचनात्मक होती है जो हमेशा हमारे भविष्य का निर्माण करती है, यह व्यक्ति को उसके मानसिक, शारीरिक, आत्मिक स्तर को सुधारने मे ं मदद करती है आरै बहुत से क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान कर मनुष्य में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। उचित शिक्षा लोगों के बीच समानता लाकर सभी प्रकार के भेदभाव को हटाती है।

स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरूषों ने अपना पूरा जीवन शिक्षा प्राप्त करने आरै उसे समाज के कल्याण में वितरित करने में व्यतीत कर दिया। हमें भी शिक्षा के वास्तविक मूल्यों को समझकर उससे लाभान्वित होना चाहिए।

शिक्षा वह अविश्वसनीय शक्ति है जो हमें आत्मनिर्भर बनाने, नई संभावनाओं व अवसरों को प्रदान करने, समस्या निवारक बनाने का अवसर प्रदान करने आरै उत्कृष्ट निर्णय निर्माता बनने में मदद करती है। शिक्षा की चाबी के माध्यम से एक व्यक्ति सफलता के ताले को आसानी से खोल सकता है। शिक्षा हम सभी के बेहतर और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है।

शिक्षा का अच्छा स्तर प्रदान करने में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कुछ भी हम अपने माता–पिता आरै शिक्षकों से सीखते हैं, वह हमारे साथ जीवनभर रहता है, जिसे हम अगली पीढ़ी में हस्तान्तरित करते हैं। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का सच्चा सूत्रधार हैं, शिक्षक के व्यक्तित्व का बालकों के ऊपर अमिट प्रभाव पडता है, शिक्षक ही बालकों के भावी जीवन की नींव रखता है।

''गुरूर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुः, गुरूदेवो महेश्वरः, गुरू साक्षात परम ब्रह्म तस्मय सी गुरुवेय नमः''।

प्राचीन काल से ही गुरू को ईश्वर के तुल्य माना गया है। शिक्षके में समाज परिवर्तन की क्षमता तथा शक्ति है, शिक्षक ही सम्पूर्ण शिक्षा–व्यवस्था की धुरी है, विद्या दान श्रेष्ठ दान माना गया है, और यह दान एक उत्तम शिक्षक ही कर सकता है जो स्वयं जलकर अर्थात् अपने ज्ञान द्वारा अपने छात्रों के जीवन में उजाला पहुँचाता है।

शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को खुश और सफल देखना चाहते हैं। शिक्षक छात्रों की कमियों को दूर कर उन्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। कुशल शिक्षक के निर्माण में शिक्षक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक शिक्षा एक शैक्षिक अभियोजन (मिशन) है, जिसमें विभिन्न स्तरीय अध्यापकों को इस तरह से शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है, कि वे ज्ञान व मूल्यों के हस्तान्तरण के साथ ही उनके समस्त शैक्षिक

एवं विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण एवं वहन करने में सक्षम हो सके। अध्यापक शिक्षा वह है जिसमें उद्यमगत नीति बोध एवं संवेगात्मक पक्ष मे ं भी दक्षता प्रदान करने की व्यवस्था हो, इसके लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं समस्त चारित्रिक मर्यादाओं के साथ ही राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सफल प्रयास करना इस मिशन का लक्ष्य होगा।

अध्यापक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय सन्दर्भ में आधुनिक एवं परिवर्तित अध्यापकीय भूमिका के निर्वहन के लिए दक्षता तथा कुशलता प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को शिक्षित किया जा सके। शिक्षक शिक्षा सामाजिक–शैक्षिक मार्गदर्शन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सक्षम अभिकरण है।

शिक्षा–आयोग व शिक्षक–शिक्षा

स्वतंत्र भारत में शिक्षक शिक्षा के विस्तार व सुधार हेतु विभिन्न आयोगों के विचार एवं सुझाव सराहनीय है।

1. राधाकृष्णन् आयोग (1948)–

- प्रशिक्षण–संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाना चाहिए।
- पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा कक्षा–शिक्षण में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
- शिक्षा–सिद्धान्त के पाठ्यक्रम लचीले व स्थानीय वातावरण के अनुकूल होने चाहिए।
- प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा मौलिक कार्य अखिल भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

2. मुदालियर आयोग (1952–53)–

- छात्राध्यापकों को एक या एक से अधिक अतिरिक्त पाठ्य–क्रियाओं में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- छात्राध्यापकों से किसी प्रकार का कोई शुल्क न लिया जाय, उन्हें प्रशिक्षण काल में राज्य द्वारा छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए।
- ट्रेनिंग कॉलेजों में अभिनव पाठ्यक्रम, विशेष विषयों में संक्षिप्त सधन पाठ्यक्रमो, कार्यशालाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक सम्मेलनो की नियमित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए।
- विद्यालय में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण काल के लिए पूर्ण वेतन का अवकाश दिया जाना चाहिए।
- अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति हेतु अल्पकालीन प्रशिक्षण–पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

3. कोठारी कमीशन (1964–66)–

- प्रशिक्षण काल में अध्यापकों के शिक्षण–अभ्यास के लिए केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों का ही चयन किया जाना चाहिए।
- शिक्षा' विषय को विश्वविद्यालयों के बी0ए0 एवं एम0ए0 के पाठ्यक्रमों मे सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक–शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास, अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए' शिक्षा–विभागों की सृष्टि की जानी चाहिए।
- सब प्रशिक्षण– संस्थाओं में प्रसार–सेवा–विभाग का निर्माण किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य में 'अध्यापक शिक्षा की राज्य परिषद' का निर्माण किया जाना चाहिए, जिस पर सब क्षेत्रों एवं स्तरों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व होना चाहिए।
- प्रशिक्षण संस्थाओं एवं उनसे सम्बद्ध शिक्षण अभ्यास के स्कूलों के अध्यापको को समय–समय पर एक – दूसरे के स्थान पर कार्य करना चाहिए।

- सभी राज्यों में 'कॉम्प्रीहेन्सिव कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए और उनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण–संस्थानों की गुणात्मक उन्नति हेतु अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि के अतिरिक्त दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ होनी चाहिए।
- ट्रेनिंग कॉलेजों में डॉक्टर की उपाधि वाले अध्यापकों की संख्या का उचित अनुपात होना चाहिए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण–संस्था से एक प्रयोगात्मक विद्यालय संलग्न होना चाहिए।
- वर्तमान प्रशिक्षण–संस्थाओं के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि में सुधार किया जाना चाहिए।
- गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जेसै विषयों की शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए, चाहे उन्होनें प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।
- विद्यालयों में कार्य करने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय स्थानों पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओ ं की योजना आरम्भ की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षक शिक्षा

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा की गुणवत्ता तथा इसका स्तर सुधारने में शिक्षकों के महत्व को स्वीकार किया गया। इस योजना के निम्न उद्देश्य थे–

क– प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा–पुनर्व्यवस्थापन–

इसके प्रमुख कार्य –

1. औपचारिक विद्यालय प्रणाली के लिए अध्यापकीय सेवापूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षा को व्यवस्थित करना।

2. अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक और पर्यवेक्षक के लिए प्रारम्भिक और निरन्तर शिक्षा का प्रबन्ध करना।

3. संस्थान नियोजन आरै प्रबंधन हेतु संस्थानों के प्रमुखों के लिए दिशा–निर्देशन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

4. विद्यालय संकुल और शिक्षा बोर्ड को शैक्षिक सहायता देना।

5. क्रियात्मक शोध और प्रयोग करना।

6. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनोपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु मूल्यांकन केन्द्र का कार्य करना।

ख– माध्यमिक अध्यापक शिक्षा–

1. परीक्षा के संचालन, उपाधि प्रदान करने स्तर नियंत्रण आदि कार्य राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् द्वारा नियंत्रित हो। इसके अलावा माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए निरन्तर शिक्षा हेतु प्रबन्ध करना भी उनका ही दायित्व होगा।

2. कुछ अध्यापक संस्थान विकसित किए जाने चाहिए, जो प्राथमिक अध्यापक शिक्षा और उच्च माध्यमिक स्तरोपरान्त चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम भी संचालित कर सके, जो बी0एड0/एम0एड0 कोर्स के साथ ही हो।

3. शोध कार्य और एन0सी0ई0आर0टी0 के कार्यों में पूरक के रूप में सहयोग करना।

4. उत्तम शिक्षा महाविद्यालयों को नवाचार, प्रयोगीकरण आदि के लिए स्वायत्तशासी का दर्जा भी दिया जा सकता है।

ग– सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा–

1. समस्त स्तरीय अध्यापकों के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का दायित्व एन0सी0ई0आर0टी0 पर होगा, जो नियोजन, आर्थिक सहयोग, नियंत्रण और मूल्यांकन हेतु सभी कार्य करेंगे।

2. जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान प्राथमिक स्तर पर कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगें।

3. माध्यमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान और निरन्तर शिक्षा केन्द्र को जिला शिक्षा अधिकारी के तत्वाधान में दायित्व दिया जायेगा।

4. दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रयोग में लाया जायेगा, जिसके लिए अधिगम सामग्री निर्माण का दायित्व पहले एन0सी0ई0आर0टी0 पर और बाद में संसाधन और सुविधाएँ व्यापक महाविद्यालय तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डी0आई0ई0टी0) को दिये जायेगें। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से भी सहयोग अपेक्षित होगा।

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

NCTE की स्थापना एन0सी0टी0ई0 अधिनियम 1993 के तहत हुई

इस परिषद् के प्रमुख कार्य निम्न हैं–

1. देश में शिक्षक–शिक्षा का विकास, नियंत्रण तथा समन्वय करना।

2. शिक्षा–शिक्षा के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना।

3. शिक्षा–शिक्षा के क्षेत्र मे विभिन्न उपयुक्त कार्यक्रमों की भारत तथा राज्य सरकारो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा स्वीकृत संस्थाओं को संस्तुति करना।

4. शिक्षक–शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

5. शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नवीन संस्थाओं की स्थापना करना।

6. शिक्षा–शिक्षा के विभिन्न कोर्सों के लिए प्रवेश नियमो, अभ्यार्थियों की चयन–प्रक्रिया, कोर्स की अवधि का निर्धारण, कोर्स की विषय–वस्तु आदि का निर्धारण करना।

7. शिक्षा–शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति या सम्बद्धकरण से संबंधित नियमों का निर्धारण करना।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (राममूर्ति समिति) (1992)

समिति ने शिक्षक–शिक्षा के कार्यक्रमों को सुधारने हेतु निम्न संस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं–

- प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता आधारित होना चाहिए।
- सिद्धान्त तथा अभ्यास स्थिति मूलक होना चाहिए।
- शिक्षक–शिक्षा की संस्थाओं में छात्रों का चयन मात्र विश्वविद्यालय अंकों या ग्रेडो पर नहीं किया जाना चाहिए, वरन् अभिरुचि तथा उपलब्धि पर आधारित होना चाहिए।
- प्रशिक्षण में भावात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि छात्रों में व्यवसाय के प्रति अभिरुचि, समाज के प्रति जागरुकता तथा मूल्यों का विकास हो सके।
- सेवाकालीन तथा रिफ्रेशर कोर्स शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए। ये कोर्स शिक्षक के भावी विकास पर आधारित किये जाने चाहिए।
- प्रत्येक शिक्षक को उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल सेवाकालीन कोर्स अवश्य प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- समिति ने शिक्षक–शिक्षा के शिक्षकों मे ं नेतृ व क्षमता का होना आवश्यक माना है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

शिक्षक पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और फिर इसके द्वारा सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रणाली को उन निम्नस्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ उल्लंघन के लिए एक वर्ष का समय दिये जाने के पश्चात् कठोर कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जो बुनियादी शैक्षिक मानदण्डों का पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहु–विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होगें।

अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके

लिए बहु विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ ही साथ बेहतरीन मेटंरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ इनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से सम्बन्धित अद्यतन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और परम्पराओं के प्रति भी जागरुक रहें।

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जे0एस0 वर्मा आयोग (2012) के अनुसार अध्यापक शिक्षा के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, बल्कि ऊँचे दामों पर डिग्रियाँ खरीदी व बेची जा रही है। अतः इस सेक्टर और इसकी नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के द्वारा पुर्नरुद्वार की तात्कालिक आवश्यकता है जिससे गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभाविता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल किया जा सके।

अध्यापक शिक्षा के लिए बहु–विषयक के साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्तायुक्त विषयवस्तु और शैक्षिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अतः सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु–विषयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए, सभी बड़े बहु–विषयक विश्वविद्यालयों के साथ–साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बड़े बहु–विषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा, कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना आरै विकास करे, जो कि शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों को अंजाम देने के साथ ही मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास और साहित्य के साथ–साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बी0एड0 कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु–विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें भी चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमो को संचालित करना होगा।

5. वर्ष 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड0 कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड0 और साथ ही

विशेष विषय (भाषा, गणित, इतिहास, संगीत, कम्प्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि) में एक एक समग्र स्नातक डिग्री होगी। शिक्षक–शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, भारत से जुड़े ज्ञान और भी बहुत कुछ शामिल होगा।

6. चार वर्षीय एकीकृत बी0एड0 डिग्री प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान, किसी भी विषय में पहले से स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके, ऐसे विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते है उनके लिए 2 वर्षीय बी0एड0 कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। वे विद्यार्थी जिन्होनें विशेष विषय में 4 वर्ष की स्नातक डिग्री प्राप्त की है, उनके लिए 1 वर्षीय बी0एड0 कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। इन चार वर्षीय, दो वर्षीय, एक वर्षीय बी0एड0 कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना की जाएगी।

7. अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान, शिक्षा और इससे सम्बन्धित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे।

8. प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास जुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों का नेटवर्क होगा, जहाँ भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे– सामुदायिक सेवा, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण कार्य करेगें।

9. शिक्षक–शिक्षा के लिए एक समान मानकों को बनाए रखने के लिए पूर्व–सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेसीं द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा, और देश की भाषायी और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा।

10. शिक्षा–विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा। साथ ही शिक्षण/फिल्ड/शोध के अनुभवों को वरीयता प्रदान की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा से जुड़ने वाले विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यो को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में नियुक्त किया जाएगा।

11. सभी नए पी–एच0डी0 प्रवेशकर्ताओं, चाहे किसी भी विषय में प्रवेश लें, उनसे ये अपेक्षा होगी कि वे अपनी डोकटरोल प्रशिक्षण अवाधि के दौरान अपने पी–एच0डी0 विषय से सम्बन्धित शिक्षण/शिक्षा/अध्यापन/लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम ले। उनकी डॉक्ट्रेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें शैक्षणिक प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम निर्माण, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली, और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा, क्योकि संभव है, कि इनमें से कोई शोध विद्वान अपने चुने विषयों के संकाय सदस्य या प्रतिनिधि/संचारक बनेगें।

12. कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवारत सतत् व्यवसायिक विकास का परीक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से ही जारी रहेगा। हालांकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक समृद्ध शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया जाएगा।

13. शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयंम्/दीक्षा के प्रौद्योगिकी प्लेटफामों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सके।

14. सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ/सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा, इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होगें, जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता है, और जो विद्यालय/कॉलेज शिक्षकों को लघु और दीर्घकालीन परामर्श/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होगें।

निष्कर्ष–

एक शिक्षक को अपने ज्ञान का दीपक सदैव प्रज्वलित रखना चाहिए। हर व्यक्ति जन्मजात शिक्षक होता है, किन्तु उसके अंदर की योग्यता कभी–कभी छिपी रह जाती है, इसके लिए यह आवश्यक है, कि शिक्षक को प्रशिक्षिण द्वारा अपनी योग्यताओं को निखारने का मौका मिले, ताकि वह अधिकतम कुशलता से सार्थक, स्वस्थ तथा सम्पूर्ण योगदान कर सके। इस कार्य हेतु अध्यापक शिक्षा परम आवश्यक है। हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक अध्यापक शिक्षा के उन्नयन

हेतु बहुत से सुझाव व सिफारिश दी गई है। इन सुझावों पर अमल करके ही आज अध्यापक शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार होता जा रहा है। यह सुधार आवश्यक है, क्योंकि अध्यापक शिक्षा द्वारा ही देश के शिक्षक संस्थाओं को वे कुशल शिक्षक प्राप्त होते हैं, जो देश के भविष्य (छात्र) को निखारते हैं और यह छात्र ही भविष्य में अपने ज्ञान द्वारा राष्ट्र का नाम ऊँचा करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ:

- पाठक, पी0डी0 2014–15, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा 691 पेज
- भट्टाचार्य, जी0सी0 नया संस्करण, अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 532 पेज
- शर्मा आर0के0, पुरोहित, जेड0एन0 शर्मा एच0एस0, 2003, उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक, राधा प्रकाशन मन्दिर, आगरा, 480 पेज
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- www.education.gov.in.

25.

भारतीय सामाजिक लोकाचार एवं नैतिक मूल्य : सैद्धांदिक विवेचना

रुचि सिंह
शोध छात्रा (शिक्षक शिक्षा)
डी0 एस0 कॉलेज, अलीगढ

डॉ0 सुरेन्द्रपाल सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षक शिक्षा)
डी0 एस0 कॉलेज, अलीगढ़

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य वैश्विक परिदृश्य में भारतीय सामाजिक लोकाचार एवं नैतिक मूल्यों के विषय में विस्तृत एवं सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत करना है। भारतीय सामाजिक लोकाचार एवं नैतिक मूल्यों का वैश्विक स्तर पर औचित्य जानने के लिए शोधकर्ता ने विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की वेबसाइट आदि का विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया है एवं तार्किक विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है कि भारतीय लोकाचार एवं नैतिक मूल्य विश्व स्तर पर अपनी क्या भूमिका रखते हैं? शोधकर्ता ने यह जानने का भी प्रयास किया है कि भारत का फिर से विश्व गुरु बनने का जो सपना है क्या वह इन मूल्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या भारतीय जनमानस के जो लोकाचार हैं या नैतिक सामाजिक मूल्य है वह भारत को विश्व पटल पर फिर से प्रकाशित कर पाएंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत रही है प्रेम, इमानदारी, सहनशीलता, खुशी, अपनापन कुछ ऐसे सामाजिक एवं नैतिक मूल्य है जो

भारत की मिट्टी के कण कण में व्याप्त है। आज जबकि विश्व आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, गला काट प्रतिस्पर्धा आदि समस्याओं से बुरी तरह से त्रस्त है तो हम भारत को इस परिप्रेक्ष्य में एक अलग ही भूमिका में देखते हैं भारत आज भी अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक विरासत के साथ अलग ही भूमिका में दिखाई देता है और यह भूमिका है एक निर्देशक की, एक सच्चे सलाहकार की, एक विश्वगुरु की।

यह सत्य है कि प्रत्येक देश, समाज, जाति, धर्म के अपने कुछ न कुछ सामाजिक नैतिक मूल्य होते हैं, जिन्हें वे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रत्येक समाज कुछ खास तरह के नियमों का पालन करता है, क्योंकि वह नियम उस समाज की सुदृढ़ता के संरक्षक होते हैं। किसी भी राष्ट्रीय समाज के कल्याण के लिए एक व्यापक दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह व्यापक दृष्टिकोण संकीर्ण विचारधारा से बहुत ऊपर उठकर सोचने पर विवश कर देता है, जहां हम केवल अपने समाज, जाति, वर्ग, धर्म आदि के स्थान पर 'वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा को पोषित कर रहे होते हैं।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और नैतिक मूल्य और नैतिक आचरण से प्रेरित व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य कलाप ही उसके सुखी जीवन का आधार स्तंभ बन सकते हैं, क्योंकि नैतिकता मानव की सहज प्रकृति है। आज जबकि मानव समाज युद्ध, शांति, अपराध, हिंसा,आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसके मूल में मानव का नैतिक पतन ही है। आधुनिक समय तकनीकी व विज्ञान का समय है जिसमें मनुष्य के सामने भौतिक सुख–सुविधाओं के अंबार खड़े कर दिए हैं, और उसके जीवन में खालीपन पैदा कर दिया है। इस खालीपन को भरने के लिए मनुष्य आधुनिकता की दौड़ में दौड़ता चला जा रहा है और उसे ज्ञान भी नहीं है कि उसने अपने नैतिक मूल्यों की, सामाजिक व्यवहारों की, नीतियों की आहुति इसमें दे दी है।

सामाजिक लोकाचार

सामाजिक लोकाचार से पहले लोकाचार शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है शाब्दिक रूप से लोकाचार अंग्रेजी के शब्द 'mores' से बना है। Mores शब्द लैटिन भाषा के mos का बहुवचन रूप है। 'Mos' का तात्पर्य प्रथा से है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग समनर ने किया था। समनर ने लोकाचार को परिभाषित करते हुए

लिखा है कि– "लोकाचारों से मेरा तात्पर्य लोक रीतियों एवं परंपराओं से है। जब इनमें ये निर्णय सम्मिलित है कि वे सामाजिक कल्याण के लिए लाभदायक है और व्यक्ति पर उनका पालन किए जाने के लिए बल प्रयोग किया जाता है। यद्यपि उन्हें किसी सत्ता द्वारा समन्वित नहीं किया जाता है"।

सामान्यतः लोकाचार व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार, जो उसके समूह के तथा समाज के लिए उपयोगी है, ऐसी जनरीति है। लेकिन जब जनरीति को समाज या समूह द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह रीतियां सामाजिक लोकाचार का रूप ले लेती है। यह लोकाचार सामाजिक कल्याण के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे कि सदरलैंड एवं अन्य ने भी कहा है किः– लोकाचार वे लोकरीतियाँ हैं जो एक समूह के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती है। विशेष रूप से उस समूह के कल्याण के लिए उपयोगी समझी जाती हैं।" जैसा कि हम सभी जानते हैं कि, प्रत्येक समाज कुछ खास तरह के नियमों द्वारा चलता है। यह नियम ही उस समाज के लोकाचार माने जाते हैं। यह एक प्रकार के नैतिक नियम ही होते हैं जिन्हें समाज कभी टूटने नहीं देता। यह समाज के सभी सदस्यों की व्यापक स्वीकृति होते हैं और इनके टूटने से समाज के छिन्न–भिन्न होने का खतरा रहता है। यह समाज के स्थायित्व का आधार भी समझे जाते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने बताया है किः– "लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है।" और इसके टूटने पर व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। जैसे कि – यदि कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है, या शालीनता की सीमाओं को तोड़ता है तो उसे लोकाचार का उल्लंघन माना जाता है। लोकाचार सामाजिक सुदृढ़ता के संरक्षक है। लोकाचार समूहों के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है और व्यक्ति का अपने समूह से तादात्म्य स्थापित करता है।

नैतिक मूल्य

नैतिक मूल्यों पर विचार करने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक होगा कि मूल्य क्या है? मूल्य को अंग्रेजी में 'Value' कहते हैं। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के 'Valere' से बना है जिसका अर्थ है 'Ability', Utility, Importance, योग्यता, उपयोगिता। व्यक्ति का वह गुण जिसके कारण उसका सम्मान, महत्व या उपयोग है, मूल्य है। डॉ0 राधा कमल मुखर्जी ने कहा है कि "समाज में समस्त ऐसी इच्छाएं या अभिलाषाएं मूल्य कही जाती हैं जो कि अनुबंधन की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में अंतर्निहित हो जाती हैं, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा भी उस व्यक्ति की प्राथमिकता और

रुचियां महत्वाकांक्षाओं के रूप में प्रकट होती हैं।" अतः मूल्य व्यक्ति के विचारों, इच्छाओं व व्यवहार में परिलक्षित होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निर्देशित करते हैं।

जीवन का निर्माण और संयम उनका मूल्य है। यही व्यक्ति के व्यवहार का नियंत्रण और मार्गदर्शन करते हैं। उसमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का विकास करते हैं। नीति पर आधारित होने से इन्हें नैतिक मूल्य भी कहा जा सकता है। मानवीय चेतना का प्रतिदर्श होने से इन्हें मानवीय मूल्य की संज्ञा भी दी जाती है। कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, आध्यात्मिकता आदि गुण मूल्य कहे जाते हैं और इन सब नैतिक मूल्यों का आधार सत्य है। इनके द्वारा इंसान में अच्छे गुणों का विकास होता है जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास परिवार का एवं समाज का विकास होता है। नैतिक मूल्यों को समझकर व्यक्ति अच्छे रास्ते पर चलता है, जिससे व्यक्ति अपने समाज को आगे ले जाता है। नैतिक मूल्य एक ऐसी आचार संहिता या सद्‌गुण हैं जिससे व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्यों को पाते हुए अपनी जीवन पद्धति का निर्माण करता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यह परिवर्तनशील समाज की वह धुरी है जिसके कारण समाज का अस्तित्व होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का उपयोग एवं कल्याण की भावना प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है और वह उसके अनुसार अपना कार्य करता है। यह मूल्य ही व्यक्ति के लिए गंतव्य, आदर्श, उद्देश्य, लक्ष्य, मनोरथ एवं साध्य बनते हैं। उनको पाने के लिए लोग अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। इन्हीं मूल्यों के द्वारा व्यक्ति में विश्वास, दया, प्रेम, श्रद्धा, प्रेरणा, वफादारी, जिम्मेदारी, कर्तव्य परायणता आदि सद्‌गुणों का विकास होता है, और व्यक्ति नैतिक जिम्मेदारी से कार्य करते हुए स्वयं का, समाज का, देश का व विश्व का कल्याण करता है ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकाचार एवं नैतिक मूल्यों का महत्व

भारतीय वैदिक आदर्श है "वसुधैव कुटुंबकम" अर्थात यह संपूर्ण विश्व ही हमारा कुटुंब परिवार है। हमारा देश सदैव से ही इस आदर्श का पालन करता आया है, और इसी आदर्श के आधार पर भारतीय जनमानस "सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्" की प्रार्थना संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए करता है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व मूल्यों के ह्रास से गुजर रहा

है। विश्व में मूल्यों का संकट पैदा हो गया है। हमारा देश जो कि सदैव से ही नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से समृद्धशाली रहा है, ऐसे देश में मूल्य ही नैतिक जीवन की कुंजी है। बिना नैतिक मूल्यों के मानवता को जिंदा नहीं रखा जा सकता है।

दुर्भाग्यवश आधुनिक विश्व में भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। देशों में आपसी लड़ाई या मनमुटाव असहयोग की प्रवृत्ति बढ़ गई है। परस्पर मेलजोल कम हुआ है। सुपर पावर देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड दूसरे देशों को दबाकर व कुचलकर रखना चाहते हैं। विश्व के कई देशों में जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, सीरिया आदि में निध र्नता व भुखमरी फैली हुई है। आतंकवाद से पूरा विश्व जूझ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना का वातावरण तैयार करने के लिए विश्व के सभी देशों को मानव की जाति, धर्म, शक्ति, आधुनिकता आदि से ऊपर उठकर मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए भारत जैसे देश को आगे आना ही होगा। वर्तमान समय में इस वैश्विक महामारी के दौर में भारत यह करके भी दिखा रहा है और विश्व के गरीब देशों में निशुल्क वैक्सीन वितरण कर रहा है। यह भारतीय नैतिक मूल्य नहीं तो और क्या हैं?

भारतीय समाज में सदैव से ही विभिन्न नीतियां प्रचलित हैं, जैसे कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, पीड़ित लोगों की सहायता करना, दूसरों की भलाई करना, प्राकृतिक आपदाओं में एक दूसरे का हौसला बढ़ाना और सहायता देना। इन्हीं नीतियों व लोका चारों को भारत वैश्विक स्तर पर भी अमल में लाता है और विश्व में किसी भी देश में संकट के समय उसके साथ बड़े भाई की भूमिका में खड़ा होता है। जैसा कि श्रीमद्भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है "इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन का महत्व समझ कर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए।" और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं। पशुओं के लिए आगे वर्णन मिलता है कि एक पशु दूसरे पशुओं का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेन्द्रिय की पुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की महानता ही है कि यह सब बातें भारतीय जनमानस की रग रग में व्याप्त हैं, और प्रत्येक भारतीय नागरिक इनका पालन करता है और प्रकृति, पशु और पेड़ों आदि को किसी न किसी रूप में अपने जीवन का अंग मानकर उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचता है।

आज विश्व में प्राकृतिक पर्यावरण के बिगड़ने की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। ओजोन लेयर में छेद हो गया है जिसके कारण रेडिएशन स्तर तेजी से बढ़ रहा है। विश्व भर में जल की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र में जल स्तर का बढ़ना आदि अनेक आपदाएं भविष्य में आने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर उत्पन्न इन सभी पर्यावरणीय एवं अन्य समस्याओं का मूल मानव में जीवन मूल्यों का ह्रास है। स्वार्थपरता, लालच, आलस्य, राष्ट्रीय भावना की कमी, भौतिक संसाधनों की होड़, भविष्य की अनदेखी तथा आत्मविश्वास का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। मात्र भारतीय लोकाचार एवं मूल्यों को ही समाज व व्यक्ति के दैनिक जीवन का अंग बना कर इस भयंकर संकट से बचा जा सकता है। क्योंकि केवल भारत ही ऐसा देश है जहां प्रकृति को ईश्वर की तरह पूजा जाता है और इसके महत्व को समझा जाता है। भारतीय जनमानस पेड़–पौधों, पशु–पक्षियों, पहाड़, नदियों, तालाबों आदि की पूजा किसी दैवी शक्ति की भांति करता है, और इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। इसीलिए भारतीय नैतिक मूल्य व सामाजिक लोकाचार न केवल मानव जाति के लिए उपयोगी है अपितु इनसे पर्यावरण एवं प्रदूषण की समस्या का भी बहुत हद तक समाधान संभव है। यदि विश्व में सभी मनुष्य स्वयं को प्रकृति का पुत्र समझें तो कोई भी प्रकृति के किसी घटक को प्रदूषित करने, वृक्ष काटने अथवा जीव हिंसा की कल्पना भी नहीं करेगा।

लाभ (Advantages)

आधुनिक युग में विश्व के कल्याण के लिए प्रत्येक मानव में भाईचारे का संबंध हो, वे सभी विश्व मैत्री की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें, तभी संपूर्ण जगत का कल्याण संभव है। इसके लिए भारतीय नैतिक मूल्यों व लोकाचारों का प्रचार एवं प्रसार अत्यधिक आवश्यक है और इसके निम्न लाभ हैं –

1. भारतीय मूल्य इतने प्रभावशाली हैं कि वे विश्व को युद्ध के विनाशकारी परिणाम एवं विभीषिका से बचाने का साधन बन सकते हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास इनके द्वारा किया जा सकता है।

3. भारतीय मूल्य एवं लोकाचार राष्ट्रीयता की संकुचित विचारधारा से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम का भाव विकसित करते हैं।

4. विश्व के सभी देशों में प्रेम, सहानुभूति, समानता एवं सहयोग की भावना का विकास करते हैं।

5. भारत मानवता एवं मानव कल्याण की बात करता है तो इसके पीछे भारतीय नैतिक मूल्य और सनातन धर्म के नैतिक आदर्श ही हैं।

6. भारत अति महत्वाकांक्षी देशों की विस्तारवादी विचारधारा से अलग सह–अस्तित्व व सहयोग में विश्वास करता है और दूसरे शक्तिशाली देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है।

उपसंहार

भारत की छवि हमेशा से ही एक शांतिप्रिय देश की रही है। भारत शांति और देशों के सह–अस्तित्व में विश्वास करता है। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहां भौतिकता को प्रधानता न देकर मानवता को सर्वोपरि समझा जाता है। यहां त्याग, बलिदान, विश्वास, सहयोग आदि की परंपराएं रही हैं और यह रीतियाँ, परंपराएं, लोकाचार एवं नैतिक मूल्य ही भारत के जनमानस में व्याप्त हैं। आधुनिक युग में भारत ने विश्व को अपूर्व योगदान दिया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व को सहयोग और शांति से रहने का पाठ पढ़ाया है। भारत ने अपनी विदेश नीतियां, जैसे तटस्थता या गुटनिरपेक्षता अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर ही तैयार की हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा आदि मूल्य भारत द्वारा विश्व को दिखाए गए ऐसे रास्ते हैं। यदि विश्व के सभी देश इन रास्तों पर चलना प्रारंभ कर दें तो युद्धों के होने, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। महात्मा गांधी जी से प्रेरित अहिंसा, जीव एवं प्रकृति के संरक्षण से संबंधित लोकाचारों भी की वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज बहुत आवश्यकता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा है "प्रकृति रक्षति रक्षिता", यानी आप प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। आज जबकि विश्व आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति वस्तु एवं प्रकृति को भी उपयोगिता की कसौटी पर तोल रहा है, ऐसे समय में भारत अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों, रीति–रिवाजों, लोकाचारों एवं परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए हुए है, और विश्व को मानवता का पाठ पढ़ा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ :

- सक्सेना, सरोज (2012). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, साहित्य प्रकाशन, आगरा.च्च.316
- लाल, रमन बिहारी(2006). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, गंगोत्री पब्लिकेशन, मेरठ.
- स्वामी, प्रभुपाद श्रीमद् ए. सी. भक्तिवेदांत (2009). श्रीमदभगवतगीता यथारूप भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट हरे कृष्णा, जुहू, मुंबई
- शर्मा, आर. ए. (2015). शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ. च्च . 789
- रोहिल्ला, एस.पी.(2015). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा. Pp-336 & 337
- व्यास, कल्पना (2016). वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों एवं अनुशासन आचरणः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, शिक्षा विभाग, वनस्थली विद्यापीठ .
- नम्रता (2009). माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों के नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य के स्तर का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययनः इलाहाबाद जनपद के संदर्भ में, मनोविज्ञान विभाग, वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय.
- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।

- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

26.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भारतीय कला का इतिहास और संस्कृति का परस्पर संबंध

सपना रल्हन
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
मेवाड़ इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट
गाजियाबाद

कला मानव ह्रदय की मूक अभिव्यक्ति है जब मनुष्य अपनी बातों को शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर पाता है तो वह अपनी बात को कला के माध्यम से बताता है। कला का इतिहास विषय से घनिष्ठ संबंध है, कला का इतिहास विषय के साथ संबंध ा होने से इतिहास विषय भी रूचिकर लगने लगता है, क्योंकि कला स्वयं रोचक एवं मनोरंजक विषय है। कला के माध्यम से इतिहास से संबंध दृश्य कलाओं को कम समय में अधिक समझ सकते है। हमारे विश्व में जन्मी सभी कलाकृतियां किसी सभ्यता और संस्कृति की निधि होती है और इतिहास का सभ्यता और संस्कृति से घनिष्ठ संबंध ा है।

कला तो स्वयं ही संस्कृति का इतिहास है, परन्तु कला, इतिहास और संस्कृति दोनों ही हैं, क्योंकि आदि काल में प्रागैतिहासिक युग की कलाकृतियां इतिहास से

सम्बन्धित जोगीमारा तथा अल्टामीरा की पहाड़ियों की गुफाओं में मिलती है। ऐलोरा और ऐलीफेंटा की मूर्ति कला जैन संस्कृति की ओर संकेत करती है।

चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना कहा जा सकता है, जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास। सत्य तो यह है कि चित्र बनाने की प्रवृत्ति सर्वदा से ही हमारे पूर्वजों में विद्यमान रही है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आँख खोली, उस समय से ही उसने अपनी मूक भावनाओं को अपनी तुलिका द्वारा टेढ़ी मेढ़ी रेखाऐं कृतियों के माध्यम से गुफाओं और चट्टानों की मूर्तियों पर अंकित कर अभिव्यक्ति किया। उसके जीवन की कोमलतम भावनाएँ तथा संघर्षमय जीवन की सजीव झाँकियाँ उसकी तत्कालीन कलाकृतियों में आज भी सुरक्षित है। अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिए मानव ने जिन साधनों को अपनाया, उनमें चित्रकला भी एक साधन थी।

भारतीय चित्रकला का उत्थान भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। समय के साथ–2 ज्यों–2 मानव ने विकास किया, भारत में यह कला भी अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती रही। वस्तुतः भारतीय चित्रकला की प्रधानता को उनके विद्वानों ने स्वीकार किया है तथा विश्व में उसकी एक विशिष्ट पहचान है।

कला का अर्थ

''मनुष्य की रचना, जो उसके जीवन में आनन्द प्रदान करती है, कला; कहलाती है।'' भारतीय कला 'दर्शन' है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है 'कला शब्द का प्रयोग 'ऋग्वेद' में हुआ – ''यथा कला, यथा शफ, मध, शृण का नियामति।'' कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग 'भरतमुनि' ने अपने 'नाट्यशास्त्र' में प्रथम शताब्दी में किया – ''न तज्ज्ञानं न ताचछिल्पं न साविधा – न सा कला।'' अर्थात् ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं, जो कला न हो।

भारतीय कला और संस्कृति का परस्पर संबंध कला मानव संस्कृति की उपज है। इसका उदय मानव की सौन्दर्य भावना का परिचायक है। इस भावना की वृत्ति व मानसिक विकास के लिए ही विभिन्न कलाओं का विकास हुआ है। कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। कला धातु से 'ध्वनि' व 'शब्द' का बोध होता है। ध्वनि से आशय है ''अव्यक्त से व्यक्त की ओर उन्मुख होता।'' कलाकार भी अपने अव्यक्त भावों को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करता है, कला को व्युत्पति इस प्रकार भी कर सकते है–क+ला, क–कामदेव–सौन्दर्य, हर्ष व उल्लास, ला देना, 'कलांति ददातीति कला' अर्थात् सौन्दर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है।

आधुनिक काल में कलाओं का वर्गीकरण दो बिन्दुओं पर किया गया है –

1. उपयोगी कला : उपयोगी कला का वर्गीकरण दो बिन्दुओं पर किया गया है।
2. ललित कला : ललित कला सौन्दर्यप्रधान होती है। ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अतः ललित कला का नामकरण पाश्चात्य सम्पर्क की देन है। 'पाश्चात्य विद्वानों' ने ललित कलाओं के अन्तर्गत पाँच कलाएँ मानी है। वे क्रमशः हैं–स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत एवं काव्य कला। इनमें काव्य कला अर्थप्रधान, संगीत कला ध्वनिप्रधान और अन्य कलाएँ रूपप्रधान हैं।

सौन्दर्यानुभूति को व्यक्त करने के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग मानव पीढ़ी–दर–पीढ़ी करता चला आया है और इन माध्यमों में कला एक विशिष्ट माध्यम है। कला की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भारत अत्यन्त समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। कला के अन्तर्गत–चित्रकला, स्थापत्यकला, संगीतकला, मूर्तिकला तथा हस्तकला प्रमुख है और सभी कलाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारत के जनजीवन में न केवल प्रागैतिहासिक युग से बल्कि वर्तमान में भी इनका विशेष महत्व दृष्टिगोचर होता है।

जीवन पद्वति मार्ग प्रशस्त करती है, संस्कृति के नियम शाश्वत होते है, जो उस समय को एक विशिष्ट जीवन व्यतीत करने की चेतना प्रदान करते हैं, परिणामस्वरूप प्रत्येक देश, समाज अथवा राज्य एक विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। संस्कृति शब्द से क्या अभिप्राय है, इसकी जानकारी अपरिहार्य है। प्रायः सभ्यता एवं संस्कृति की पर्यायवाची मानकर विचार करने की भ्रान्तिपूर्ण प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है।

संस्कृति से तात्पर्य उन सिद्धान्तों से है, जो समाज में एक निश्चित प्रकार का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं, अतः 'के. एम. मुन्शी' के अनुसार, हमारे रहन–सहन के पीछे जो मानसिक अवस्था, मानसिक प्रवृत्ति है, जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, वही संस्कृति है।

संस्कृति के 'आन्तरिक' और 'बाह्य' दो पक्ष होते है। 'दृश्य' और 'श्रव्य' कलाएँ तथा शिल्प बाह्य संस्कृति के उपकरण मात्र है, जबकि आन्तरिक संस्कृति के उपकरण हमारे चारित्रिक गुण है। आन्तरिक संस्कृति के कुछ अंग तो सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही है।

भारतीय कला, संस्कृति की दृष्टि से न केवल राष्ट्रीय, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष छवि बनाये हुए है। देश को विरासत में मिली साहित्यिक, पुरातात्विक, लोक–संस्कृति एवं कलाओं को अधिक प्रभावी एवं सामान्य जन तक पहुँचाने तथा जीवन बनाए रखने की स्वतंत्रता ही कला संस्कृति का योगदान है।

संदर्भ ग्रंथ :

- डॉ0 अविनाश बहादुर वर्मा, भारतीय चित्रकला का इतिहास पृ0 341
- गिरीज किशोर अग्रवाल, कला और कलम पृ0 226
- डॉ0 रीता प्रताप, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास पृ0 7 एवं 8

27.

शिक्षक शिक्षा और समग्र विकास में शिक्षक की भूमिका

सतीश कुमार कुशवाह
एम.एड.(प्रथम वर्ष)
प्रगत शैक्षिक अध्ययन, संस्थान भोपाल (म.प्र.)

वर्तमान समय मे शिक्षक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है आज शिक्षक केवल पुस्तकीय ज्ञान का प्रदाता न होकर पथ प्रदर्शक भी है जीवन का मार्गदर्शन करने वाला है परंतु अब शिक्षक के पद का दायरा सीमित हो रहा है इसे केवल विद्यालयी शिक्षण तक समेट दिया गया है प्रशासकीय व्यवस्था में वह अकेले शासकीय कर्मचारी जैसा बन कर रह गया है जबकि आवश्यकता है इसे व्यापक बनाने की, माना जाता है कि यदि शिक्षक नही होता तो शिक्षण की कल्पना भी नही की जा सकती थी शिक्षण की आधारशिला शिक्षक के द्वारा ही रखी जाती है। प्राचीन काल से ही शिक्षक का दर्जा बहुत ही उच्च और अहम रहा है वह समाज का आदर्श होता था। शिक्षक के स्वरूप में ईश्वर की तक कल्पना की गई "गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।

गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः" श्लोक में गुरु की तुलना ब्रह्मा से की गई है। जिस प्रकार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उसी प्रकार शिष्य के सम्पूर्ण जीवन के निर्माण की बागडोर शिक्षक के हाथों में होती है। गुरु का कार्य शिष्य का जीवन निर्माण होता है, शिक्षक ज्ञान रूपी आहार देकर शिष्य को जीवन संघर्ष के

योग्य बनाता है उसका चरित्र निर्माण करता है इसलिये उसकी तुलना विष्णुजी के रूप मे भी की गई, शिष्य के दुर्गुण दूर करने के कारण उसकी बुराइयों के संहार करने के कारण शिक्षक को महेश भी कहा गया है। शिक्षक समाज के आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी भी देश समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, यदि दूसरे शब्दों में कहे तो शिक्षक समाज का आईना होता है छात्र और शिक्षक का संबंध केवल विद्यालयी शिक्षा देने तक सीमित नही रहता वल्कि शिक्षक हर मोड़ पर एक मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाहन करता है विद्यार्थी में सकारात्मक सोच विकसित करता है उसे सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और स्वयं को भी उदाहरण के तौर प्रस्तुत करता है। एक सफल जीवन यापन हेतु शिक्षक अनिवार्य प्रक्रम है। संसार मे भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ शिष्यो को विद्यालयी ज्ञान के साथ उच्च मूल्यों को स्थापित करने वाली नैतिक व चारित्रिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है जो छात्र के सर्वांगीण विकास में सहयोगी होती है गुरु का शाब्दिक अर्थ होता ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला।

परंतु बदलाव का प्रभाव सम्पूर्ण व्यवस्था पर पड़ता है शिक्षक और शिक्षा इससे अछूते नही है। शिक्षक पथ प्रदर्शक है ज्ञान प्रदाता है उसका आचरण और व्यवहार समाज के लिए अनुकरणीय रहा है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न उठना लाजिमी है कि शिक्षकीय गरिमा को लोग शनैः शनैः विस्मृत क्यो करते जा रहे है शिक्षक की उपेक्षा आज हमारे लिए कमजोरी बन रही है तथा समाज को घातक सिद्ध हो रही है फिर चाहे हम लौकिक शिक्षक की बात करे या फिर किन्ही अन्य गुरूओ की राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक का योगदान जितना होता है उतना शायद ही किसी का होता हो क्योंकि राष्ट्र की उन्नति में प्रत्येक क्षेत्र मे उसके छात्रों का योगदान रहता है कोई राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी, लेखक, डॉक्टर या फिर इंजीनियर की भूमिका में अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र उन्नति को दिशा दे रहा होता है। आधुनिक दौर में शिक्षक की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है क्योंकि अब छात्र सजग, कुशल और अधतन रहता है जिसके सामने खुद को कुशलता और तत्परतापूर्वक प्रस्तुत करना किसी कला से कम नही है। छात्र के सामने शिक्षक का दायित्व बढ़ जाता है क्योंकि उसे न केवल बौद्धिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, शरीरिक विकास करना है अपितु सामाजिक, चारित्रिक एवं संवेगात्मक विकास भी तय करना है। एक शिक्षक को स्वयं के आचरण द्वारा छात्रों के मानस पटल पर अमिट अविस्मरणीय छाप भी छोड़नी होती है उसे अपने प्रेम, अनुभव, शिक्षा,

समर्पण, सृजन, त्याग व धैर्य से छात्रों की मूलभावना जानकर उसे सही दिशा देने का कार्य करना होता है क्योंकि यही भविष्य के नागरिक होते है। शिक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जिस प्रकार शिक्षा सम्पूर्ण जीवन प्राप्त होती रहती है वैसे ही शिक्षण भी सतत चलने वाली अंतहीन प्रक्रिया है। व्यक्ति पूरे जीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है और उसे कोई न कोई सिखाने वाला मिलता ही है चाहे औपचारिक शिक्षण हो या फिर अनौपचारिक शिक्षण।

शिक्षक के संबंध में कहा गया कथन अपनी सार्थकता स्वमेव सिद्ध करता है –

"गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ सम गड गड काढ़े खोय,

अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट"

बेशक किसी देश की शिक्षानीति संतोषप्रद न भी हो तो ये शिक्षक का चातुर्य होता है कि बेकार शिक्षा नीति को भी अच्छी शिक्षा में तब्दील कर देता है शिक्षा और शिक्षण किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होते है, उन्नति की नींव होते है। वस्तुतः शिक्षक एक प्रकाशपुंज की तरह होता है जो अपनी आत्मा की ज्योति को समाज के मानस में ब्याप्त कर अपने व्यक्तित्व की विराट छवि से सम्पूर्ण राष्ट्र को प्रदीप्त करता है। शिक्षक समाज के अंधकार को हरण करने वाला प्रकाश स्तंभ होता है, शिक्षक वह सर्वशक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व है जो राष्ट्र हित हेतु अपने छात्रों के उत्कर्ष व कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। उसके इस त्याग समर्पण में ही राष्ट्र कल्याण निहित होता है। शिक्षक नैतिक, आध्यात्मिक व भौतिक शक्तियों का अथाह भंडार होता है। शिक्षक में राष्ट्र निर्माण की अदम्य शक्ति संचित होती है उसमें मानवता का विकास करने की अदभुद क्षमता समाहित होती है। शिक्षक के विचार और व्यवहार समाज को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते है शिक्षक का चरित्र छात्र और समाज के लिए पाठशाला ही होता है यदि शिक्षक के ह्रदय में सच्चे अर्थो में समाज निर्माण की आकांक्षा है तो निश्चित ही अपना चरित्र उन आदर्शो में व्यवस्थि करने के लिए प्रयत्नशील होगा जिससे वह समाज मे परिवर्तन लाना चाहता है। उसके हाथ मे विद्यार्थियों के रूप में वह शक्ति होती है जिससे वह पुनः समाज की रचना कर सकता है ऐसे शिक्षको के लिए कहा गया है –

"गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पांव,

बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाय"

हुमायूं कबीर के अनुसार "शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक है यह कथन प्रत्यक्ष रूप से सत्य प्रतीत होता है परन्तु अब इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है कि शिक्षक ही शिक्षा के पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण कुंजी है यह शिक्षक वर्ग की योग्यता ही है जो कि निर्णायक है। शिक्षक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, आने वाली संततियों पर अपना प्रभाव डालती है भारतीय संस्कृति का एक वाक्य प्रचलित है "तमसो मां ज्योतिर्गमय" जिसका आशय होता है अंधेरे से उजाले की ओर जाना इस प्रक्रिया को वास्तविक अर्थों में पूरा करने के लिए शिक्षा, शिक्षक और समाज तीनो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय समाज शिक्षा और संस्कृति के मामले में प्राचीनकाल से ही बहुत संमृद्ध रहा है।

शिक्षक को समाज के समग्र व्यक्तित्व के विकास का उत्तरदायित्व सौपा गया है महर्षि अरविंद ने एक बार शिक्षको के संबंध में कहा था कि "शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते है वे संस्कारो की जड़ो में खाद देते है और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति में परिवर्तित करते है"। किसी भी राष्ट्र का निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक का महत्व यही समाप्त नही होता क्योंकि वे न सिर्फ समाज को आदर्श मार्ग पर चलने को प्रेरित करते है बल्कि प्रत्येक छात्र के सफल जीवन की नींव भी इन्ही हाथो से रखी जाती है।

आज जैसे जैसे हमारे समाज ने उत्तरोत्तर प्रगति की समाज का हर ताना बाना भी प्रभावित हुआ है। सामाजिक संस्थानों में समय–समय पर जो परिवर्तन हो रहे है वो किसी से भी छिपे नही है, कुछ सकारात्मक स्वरूप लेकर समाज निर्माण कर रहे है, तो कुछ समाज के लिये विध्वंसक बन रहे है शिक्षा समाज के लिए आवश्यक व अनिवार्य तत्व है ये कहना अतिशयोक्ति नही होगी कि भोजन पानी जितनी आवश्यक शिक्षा भी है क्योंकि इसी के द्वारा हम जीवन कौशल सीखते हैं परंतु वर्तमान में शिक्षा का स्वरुप दिन प्रतिदिन बदरूप होकर बदलता जा रहा है शिक्षा नैतिक जीवन की आधारशिला न होकर केवल जीविकोपार्जन का साधन मात्र बनती जा रही है यह एक कटु सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य अच्छी नौकरी प्राप्त करना रह गया है, जिस तरह शिक्षा बदल रही है शिक्षक भी उससे अप्रभावित नही है अब वह

पथप्रदर्शक के स्थान पर निर्देशकर्ता बनकर रह गया है चूंकि शिक्षक भी समाज का एक अभिन्न अंग है समाज के बदलाव उसे भी प्रभावित करते है उसकी सोच भी व्यावसायिक होती जा रही है वह भी एक हाथ दो एक हाथ लो कि पद्धति का अनुसरण करने लगा है उसी व्यावसायिकता के चलते शिक्षा का स्तर दिनोदिन गिरता जा रहा है। अधिक धन कमाने की लालसा ने शिक्षा जैसे दान के कार्य को व्यापार का रूप दे दिया है ऐसी शिक्षा से धन तो प्राप्त हो जाएगा परंतु नैतिक पतन तो अवश्यम्भावी है। आज सब भौतिक सुख सुविधाओं में इतने तल्लीन हो गए है कि उन्हें खुद के दायित्व नजर ही नही आते न ही समाज के प्रति कर्तव्य आर्थिक उन्नति ही विकास का पर्याय होती जा रही है इस प्रकार का बदलाव समाज के लिए सकारात्मक न होकर नुकसानदेह ही होता है क्योंकि शिक्षा और शिक्षक किसी भी समाज की धुरी होती है अगर वही टूट गई तो हम सभ्य समाज की कल्पना भी नही कर सकते इसकी परिणति आये दिन शैक्षिक संस्थानों में देखने को मिलती रहती है। कभी प्रोफेसर सभरबाल के रूप में तो कभी अन्य के रूप में प्रश्न यही है कि हमारे शिक्षक के प्रति सम्मान की इतनी मजबूत नीव हिलने कैसे लगी समाज के दिशा निर्धारक इस व्यक्तित्व को शनैः शनैः विस्मृत क्यो किया जा रहा है।

आज शिक्षा के गिर रहे स्तर के लिए निश्चित रूप से शिक्षक को जबाबदेह ठहराया जाता है, परंतु हमे यह देखना होगा कि क्या यह पूर्णतः सत्य है? तो हम पाएंगे कि समाज की शिक्षा के प्रति व्यवसायीकरण की सोच तथा शिक्षक के शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में समायोजित करना भी इसका एक प्रमुख पहलू है यदि शिक्षक प्रारंभिक समय से ही शिक्षण पर पूर्ण ध्यान केंद्रित नही कर पायेगा तो उसके आगामी प्रतिफल प्राप्त नही किये जा सकते है। छात्रों द्वारा जीवन मे कुछ अच्छा करने पर आज भी शिक्षकों का हृदय गर्व से भर जाता है परंतु समय मे वदलाव स्वरूप छात्र व शिक्षक के बीच जो विश्वास का पल बना था वह कमजोर हुआ है। वे एक दूसरे को शंका व संदेह की दृष्टि से देखने लगे है यदि हम कहे तो इस गुरु शिष्य परंपरा को कमजोर करने में शिक्षक और छात्र दोनों का योगदान है। कुछ शिक्षको की कार्य के प्रति उदासीनता और बच्चों की भौतिकवादी सोच व दिशाहीनता ये सभी शिक्षा स्तर की गिरावट के लिए उत्तरदायी है। जरूरी के है कि दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और ईमानदारी से उसका निर्वाहन करे शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी बढ़ने से धीरे धीरे उनके बीच की आत्मीयता और सम्मान कम होते जा रहे हैं जो भविष्य के

बड़े संकट के संकेत है। समय रहते इस बात पर ध्यान केंद्रित नही किया तो एक बड़ा संकट हमारे सामने होगा इसका एक पक्ष ये भी है कि वर्तमान समाज शिक्षको की असुविधाओं को देखकर भी उनके निराकरण में उदासीनता दिखाता है। शिक्षको के कंधों पर बच्चों के भविष्य निर्माण का भार तो सौप देता है लेकिन शिक्षको के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाता है इन्ही कारणों से शिक्षक के सामाजिक स्थान एवं दर्जे में भारी गिरावट आ गई है। समाज और शिक्षक के बीच की दूरी सम्पूर्ण व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रही है। यह स्थिति न तो छात्र न शिक्षक और न ही राष्ट्र के हित मे है आज के वैश्विक दौर में हर इंसान आर्थिक हितों की सोच की ओर अग्रसर हो रहा है। शिक्षक भी इससे अप्रभावित नही है ऐसे में कई बार ऐसे रास्ते चयन हो जाते है जो नैतिक रूप से सही नही कहे जा सकते यही एक कारण भी है कि तमाम सरकारी प्रयासो के बावजूद शिक्षा का व्यवसायीकरण होता ही जा रहा है। संस्थान केवल प्रमाणपत्र वितरण केंद्र बनते जा रहे है। समाज का नैतिक स्तर लगातार गिर रहा है शिक्षा व्यवसाय बनती जा रही है परंतु शिक्षकों को विचार करना होगा कि वे केवल शासकीय कर्मचारी नही है अपितु उनके ऊपर समाज के नैतिक उत्थान की महत्वपूर्ण जबाबदेही भी है। शिक्षक अपनी गरिमा समझें यदि वह खुद को अकेले कर्मचारी मानने लगेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नही सकता। शिक्षकों को अपने अतीत के गौरव को समझना चाहिए साथ ही उसे खो देने के कारणों पर विचार करके स्वयं में बदलाव लाना चाहिए नही तो यह केवल शिक्षक का पतन नही होगा बल्कि सारे राष्ट्र को इसकी कीमत चुकानी होगी। आज शिक्षा व्यवस्था की स्थिति के लिए राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक सभी स्तरों पर चिंतन और निकलकर आये तथ्यों का निराकरण जरूरी है अन्यथा हमारी गौरवशाली शैक्षिक परंपरा हमारे लिए उदाहरण मात्र रह जायेगी।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।

- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

28.

आत्म निर्भर भारत : नई शिक्षा नीति 2020

शैलजा सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षक शिक्षा)
विवेकानन्द कॉलेज ऑफ ऐजुकेशन, अलीगढ

प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मूल कारण था हम भारतीयों की कर्मठता, कर्म में हमारी श्रद्धा इतनी गहरी और अटूट थी कि हम कर्म को ही जीवन मानते थे, परंतु मैकाले की शिक्षा में हमारे विचारों पर कुठाराघात किया हमें सैद्धांतिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया और व्यवहारिक जीवन और उसकी समस्याओं को समझना धीरे–धीरे मुश्किल होता चला गया। आज भारत में पढ़े–लिखे बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत में गरीबी और बेरोजगारी एक अभिशाप की तरह होती जा रही है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में इस संबंध में विचार ही नहीं हुआ महात्मा गांधी नई तालिम मैं सैद्धांतिक शिक्षा के साथ–साथ व्यवसायिक शिक्षा को भी शिक्षा में समावेश करने पर जोर दिया था और आज हमारी नई शिक्षा नीति 2020 भी इस ओर संकेत कर रही है। वास्तव में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक आशा की किरण बनकर सामने आई है। नई शिक्षा नीति पर विचार करने से पूर्व हम भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे, भारतीय शिक्षा में किस प्रकार आत्मनिर्भरता पर सदैव बल दिया गया है। भारतीय शिक्षा का इतिहास लगभग 5000 ई. पू. से भी पुराना है। डॉ. वाकड़कर ने वेदों की रचना 5000 वर्ष पूर्व मानी है। वेदों में जिस प्रकार संस्कृत भाषा की सामग्री विविध, विस्तृत एवं समृद्ध है इससे लगता है कि भाषा के

विकास में कम से कम 2500 वर्ष का समय तो लगा ही होगाद्य इसी से भारतीय शिक्षा के इतिहास का अनुमान होता है कि यह अत्यंत प्राचीन है।

वैदिक काल में आत्मनिर्भरता की शिक्षा व्यवस्था–

वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार कृषि, पशुपालन, शिल्प कला, संगीत आदि की शिक्षा दी जाती थी, उस समय की व्यवस्था कर्म आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गई और वर्ल्ड के अनुसार कार्यकुशलता की शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मणों को कर्मकांड एवं अध्ययन अध्यापन की शिक्षा, क्षत्रियों को शासन कार्य एवं युद्ध कौशल की और वैश्यों को व्यापार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। साथ ही गुरु घर एवं गुरु सेवा भी इसमें शामिल थी। यह शिक्षा जीवन जीने के विभिन्न कौशल सिखाती थी।

शिक्षा की पाठच्चर्या–

वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या में भाषा, व्याकरण छंद शास्त्र, गढ़ना का सामान्य ज्ञान, सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रिया आदि। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या को उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। सामान्य शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा इस काल में उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा, व्याकरण, धर्म एवं नीति शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त उन्हें नित्य व्यायाम, गुरुकुल की व्यवस्था तथा गुरु सेवा करते थे। इसे सामान्य शिक्षा कहा जाता था। इससे बालक को मैं कर्म के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होता था तथा बाल्यावस्था से ही वे श्रम के महत्व को समझने लगते थे। वैदिक काल में विशिष्ट शिक्षा मे कर्मकांड, ज्योति विज्ञान,आयुर्वेज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला, कौशल, राजनीति शास्त्र, राजनीति, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र आदि शामिल थे।

बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था–

बौद्ध काल में मनुष्य को संसार से विरक्त होने का संदेश दिया जाता था, परंतु उस समय कृषि, पशुपालन, कला, कौशलों की पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी। अतः बौद्ध विहारों एवं मठों मैं इसकी शिक्षा की व्यवस्था थी। उस समय के पाठ्यक्रम में व्याकरण, साहित्य, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, राजनीति, न्याय, अर्थशास्त्र, कला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, कौशल, भवन निर्माण, आयुर्विज्ञान, वैदिक धर्म, दर्शन, तर्क, ज्योतिष आदि विषयों को स्थान दिया गया द्य इसके पश्चात भी अनेक शिक्षा व्यवस्था आई।

एक समय ऐसा आया जब भारत में विदेशी शासन रहा। एक लंबे समय तक विभिन्न विदेशी शासकों के शासन के कारण भारत में आत्मनिर्भरता की शिक्षा व्यवस्था मैं कमी आ गई के दो मुख्य कारण थे–

– एक तो लोगों में "बाबू" बनने का चाव पैदा हो गया

– दूसरा कारण था शिक्षा व्यवस्था में स्वावलंबी बनाने के प्रयासों का अभाव

इस ओर गांधी जी का विशेष ध्यान गया उन्होंने 2 अक्टूबर 1937 के हरिजन में लिखा की हस्तशिल्प ओ को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। इसके पश्चात" अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन" का आयोजन किया गया इसे "वर्धा शिक्षा" सम्मेलन भी कहा जाता है स इसमें भी स्वावलंबी बनाने वाली शिक्षा का विचार रखा गया। नई शिक्षा नीति के विषय में कहा जा रहा है कि यह आप पर निर्भर भारत की संकल्पना को साकार करेगी एक सपना जो महात्मा गांध, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी देखा था, आत्मनिर्भर भारत का नई शिक्षा नीति 2020 पूरा करेगी। इसमें शिक्षा के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करने का संकल्प है जैसा कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अब प्रश्न है क्या–क्या है नई शिक्षा नीति 2020 में–

34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें आशान्वित करता है दिल्ली सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई शिक्षा नीति की घोषणा की केंद्र सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे ऐतिहासिक बताया वही मानव संसाधन विकास मंत्री (शिक्षा मंत्री) रमेश पोखरियाल नए से शिक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने वाला कदम कहा।

कमेटी का गठन नई शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए 2016 मैं ही तैयारी शुरू की इसके लिए टीआर सुब्रमण्यम स्वामी कमेटी का गठन किया गया इस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सरकार के समक्ष 2019 मई में रख दिया परंतु सरकार को पसंद नहीं आयाद्य इसके पश्चात जे.एन. यू. के पूर्व चांसलर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता मैं एक नौ सदस्यीय कमेटी गठित की गई। के. कस्तूरीरंगन समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट को केंद्र सरकार ने आम लोगों के समक्ष रखकर उनके सुझाव प्राप्त किए। इस ड्राफ्ट पर अनेक सुझाव आए जिनमें विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा मंत्री, नेता आदि के साथ–साथ साधारण जन भी शामिल थे। संसद में भी इस पर

सलाह मशवरा किया गया। इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव सामने आए।

सर्वप्रथम तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया यह एक खास कदम है जो मानव को मशीन समझने के विचार का खंडन करता है। जी. डी. पी. का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है।

शिक्षा का प्रारूप

अब तक 5 या 6 वर्ष के बालक को को ही स्कूल में प्रवेश मिलता था अर्थात कक्षा 1 में प्रवेश मिलता था परंतु अब 5 वर्ष की अर्ली स्कूलिंग होगी। इसे अर्ली चाइल्डहुड पॉलिसी का नाम दिया गया। इसमें तीन से 6 वर्ष के बालकों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया। इन छोटे–छोटे बच्चों की प्री स्कूलिंग की व्यवस्था सरकार ने आंगनवाड़ी के रूप में पहले से ही कर रखी है परंतु अब ढांचे को और मजबूती प्रदान की जाएगी जिससे बाल्यावस्था में बालकों को सही देखभाल एवं शिक्षा व्यवस्था हो सके से आगे चलकर बालों को का विकास बेहतर हो सके। अतः सरकार ने Ecce अथार्त early childhood care and education की ओर विशेष ध्यान दिया गया। fraud ने भी इस अवस्था को व्यक्ति के जीवन की आधारशिला माना है उसने कहा 5 वर्ष की अवस्था तक किया निश्चित हो जाता है कि बालक का भविष्य में व्यक्तित्व क्या होगा। (फ्रायड का मनोविश्लेषण नामक पुस्तक)

इसके अतिरिक्त जो वर्तमान शिक्षा का प्रारूप 10+2 का था उसे इन्होने 5+3+3+4 किया है, अथार्थ (RTE) शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ा दिया है। पहले 6–14 वर्ष तक शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य थी, यह सीमा 3–18 वर्ष हो गई है द्य अतः प्राथमिक, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है। पहले 5 साल बच्चों की प्री स्कूल कक्षा 1 और कक्षा दो में पढेगा इस से उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे। फिर कक्षा 3,4,5 (आयु 8–11 वर्ष) होगी और फिर 6,7,8 (11–14 वर्ष), उसके पश्चात 9,10,11,12 (14–18 वर्ष), इन्हे क्रमशः फाउंडेशन स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज, मेटल स्टेज एवं सेकेंडरी स्टेज कहा गया।

वोकेशनल शिक्षा

नई शिक्षा नीति 2020 मैं जो अच्छी बात है वह यह है कि इसमें छठी कक्षा से ही वोकेशनल कोर्सेज को शामिल किया गया है, इसमें कौशल प्रशिक्षण के साथ–साथ इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। अतः अब शिक्षा पढ़े लिखें बेरोजगार तैयार नहीं करेगी।

मूल्यांकन–

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मूल्यांकन पध्यति मैं भी बदलाव किए गए है, 10वीं एवं 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। वर्ष में दो बार परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा का प्रारूप वस्तुनिष्ठ (objective), व्याख्यात्मक (subjective) रखा जाएगा। रटने की प्रवत्ती को कम करने का प्रयास किया जाएगा। से कोचिंग के प्रभाव में कमी आएगी। 3,5,8 की परीक्षाएं भी महत्वपूर्ण बनाए जाएंगी। उनकी क्षमताओं का आंकलन होगा याददाश्त का नहीं।

रिपोर्ट कार्ड में बदलाव

बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव किया जाएगा इसमें आत्मा मूल्यांकन (अंतरदर्शन) को शामिल किया जाएगा द्य बालक के रिपोर्ट कार्ड में 3 प्रकार का आंकलन होगा–

- एक बालक स्वयं करेगा
- दूसरा सहपाठी करेगा
- तीसरा शिक्षक करेगा

नामांकन– को 100% बनाने का प्रयास किया जाएगा, अथार्त 2030 तक स्कूली शिक्षा मैं नामांकन GER (Gross enrolment ratio) को 100% रखा जाएगा। लगभग 2 करोड बच्चे जो अभी मुख्यधारा से दूर हैं उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास करने के लिए नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

भारतीय भाषाओं का विकास

सभी भारतीय भाषाओं के विकास, संरक्षण और उन्हें जीवंतता प्रदान करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशन एवं इंटरप्रिटेशन (I- I- T- I-) राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना पाली, फारसी, प्राकृत भाषा के लिए करने का प्रावधान है। साथ ही शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। सेकेंडरी स्कूल में विदेशी भाषा का विकल्प हो सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं ब्लेडेड लर्निंग–

वर्तमान शिक्षा प्रणाली को और अधिक रुचिकर एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए तथा मानवीय भूलों को दूर रखने के उद्देश्य से कृत्तिम बुद्धि (rtificial intelligence)

एवं मिश्रित अधिगम (blanded learning) को बढ़ावा दिया जाएगा। कृत्तिम बुद्धि से तात्पर्य है कंप्यूटर, सी. डी. रोबोट आदि को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। तथा मिश्रित अधिगम अथार्त शिक्षण क्षेत्र में अधिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए ई–पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जायेंगे द्यवर्चुअल लैब विकसित की जायेंगी। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव नहीं, वहाँ शिक्षा के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। ई –शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एम एच आर डी में डिजिटल संर्चना, डिजिटल कंटेंट की श्रमता बढ़ाने के लिए एक इकाई बनाई जाएगी।

उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य–

अब अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन मैं छात्र चार साल का कोर्स पढ़ेंगे। इसमें यदि छात्र की पढ़ाई बीच मैं किसी कारण वश छुटती है तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था है –पहले साल मैं छोड़ने पर सर्टिफिकेट, दुसरे साल मैं एडवांस सर्टिफिकेट, तीन साल मैं डिग्री तथा चार साल मैं डिग्री शोध के साथ प्राप्त होगी।

इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट मैं भी विकल्प है–दो साल का मास्टर्स उनके लिए जिन्होंने तीन साल का डिग्री कोर्स किया है। चार साल का डिग्री कोर्स शोध के साथ करने पर एक साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। तीसरा विकल्प है पांच वर्ष का इंटेग्राटेड कोर्स इसमें ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ हो जायेंगे।

पी. एच. डी. के लिए चार साल की डिग्री शोध के साथ मान्य होगी। एम. फिल. को हटा दिया गया है। स्कालरशिप के लिए भी नई नीति बनाई गयी है। नेशनल स्कालरशिप के दायरे को बढ़ाया गया है। प्राइवेट संस्थानों मैं भी स्कालरशिप का प्रावधान है, जो प्राइवेट संस्थान उच्च शिक्षा देंगे उनको 25 से 100% तक स्कालरशिप 50% छात्रों को देने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा संस्थानों को हायर ग्रांट कमीशन विभिन्न ग्रांट प्रदान करेगा।

प्राचीन भारतीय विषयों को भी शिक्षा मैं स्थान देने की बात भी नई शिक्षा नीति 2020 मैं की गयी है। वैदिक गढ़ित, दर्शन को भी तो शामिल किया ही गया है। साथ ही साथ अन्य विषयों को भी तार्किकता एवं वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरने पर पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है।

प्राचीन समय से लेकर आज तक भारत में आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों पर जोर दिया गया है। इससे पहले भी कई शिक्षा नीतियां आई (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित शिक्षा नीति 1986,1992 भी आयी। हमेशा यही उम्मीद की जाती है इनमें जड़ों पर कार्य किया जाएगा। परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है पांचवी कक्षा का छात्र तीसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाता जोड़ना घटाना तक नहीं जानता। नई शिक्षा नीति इस ओर उम्मीद की किरण तो दिखाती है क्योंकि शिक्षा का आधार मजबूत करने का प्रयास किया गया है अब तक बच्चा पाँच –छह वर्ष की आयु में स्कूल आता था तो वह स्वयं को पढ़ाई के लिए तैयार नहीं कर पाता था परंतु अब प्रिय स्कूल में वह मानसिक रूप से सीखने को तैयार हो जाएगा उसका मानस पटल सीखने के लिए तैयार हो चुका होगा। ऐसी स्थिति में शिक्षा का बीज आसानी से अंकुरित हो सकेगा। साथ ही साथ बालक का मातृभाषा में पढ़ने से संज्ञान (cognition) स्पष्ट होगा क्योंकि वह इसी भाषा को अब तक समझता है। इसके लिए आंगनबाड़ियों पर सरकार को कार्य करना होगा। उच्च शिक्षा में भी प्रयास करने होंगे। क्योंकि अक्सर नीतियां कागजों पर तो अच्छी ही बनती है परंतु वास्तविकता के धरातल पर वे उतनी खरी नहीं उतरती। अतः इस पर व्यवहारिक रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है तो नई शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहायक सिद्ध होगीद्य यह परिकल्पना सत्य सिद्ध हो सकती है।

(यह पेपर hindi news 18-com] www-jagran-com] news aaj tak] DD news etc- के आधार पर तैयार किया गया है।)

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।

- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- डॉ0 ए. अरूण कुमार नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख चुनौतियाँ, समाचार निर्देश।

29.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में शिक्षण सक्षमता अभिवृद्धि व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

डॉ0 स्मिता मिश्रा
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षक शिक्षा संकाय)
दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश

बद्री नारायण मिश्रा
शोध अध्येता (शिक्षा प्रशिक्षण)
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश

कृष्ण कान्त
शोध अध्येता (शिक्षक शिक्षा संकाय)
दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश

भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीय जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व का प्रयास कर रहा हैं इस प्रौद्योगिकी नेतृत्व क्षमता के विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वैश्विक स्तर पर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमुख निर्माणकर्ता शिक्षक ही हैं, नवीन ज्ञान का सर्जन करना शिक्षकों का प्रमुख दायित्व है। अतः शिक्षकों को इस प्रमुख दायित्व को स्वीकार करने के लिए अपनी शिक्षण सक्षमता को प्रौद्योगिकी के साथ समयानुकूल विकसित करना होगा। तकनीक को समझने एवं इस्तेमाल करने वाले शिक्षक अपने शिक्षण कौशलों में आवश्यकतानुसार, संशोधन करते हुए अपनी

शिक्षण सक्षमता में अभिवृद्धि कर सकेगें। 21 वीं सदी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से युक्त शिक्षण कौशलों की होगी, शिक्षण कौशलों में अभिवृद्धि के लिए अधिक से अधिक तकनीक को उपयोग में लाना होगा वर्तमान समय की मांग है कि, शिक्षण कौशलों में संचार तकनीक का उपयोग कर अभिवृद्धि की जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वंयम/दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है, जिससे कि शिक्षकों की शिक्षण सक्षमता में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अभिवृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। शिक्षण दक्षता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक तकनीक के उपयोग पर बल दिया गया हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी हस्ताक्षेपों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण–अधिगम और आंकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुँच को बढ़ांना, शैक्षिक नियोजन, प्रबन्धन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना जिसमें प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएं आदि सम्मिलित हैं। भविष्य में प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं शिक्षण कार्य में कार्यरत मानव संसाधन के विकास को कई मायनों में प्रभावित करेगी। तीव्रगामी परिर्वतनों के कारण प्रौद्योगिकी एवं शैक्षिक दोनों दृष्टि से व्यापक शोध की आवश्यकता होगी।

हमारा राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में हैं, साथ ही निरंतर विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर उन्नतशील हैं। राष्ट्र की इस यात्रा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व हैं किसी राष्ट्र कि उन्नत में शिक्षा, शिक्षक एवं पाठ्यचर्या एकीकृत होकर कार्य करते हैं। आधुनिक युग में राष्ट्र निर्माण में प्रौद्योगिकी विशेष रोल अदा कर रही है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग शैक्षिक गतिविधियों में तीब्रता प्रदान करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के समाकलन से शिक्षण अधिगम में परिर्वन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वैश्विक शैक्षिक व्यवस्था का अवलोकन करने पर, सभी वैश्विक शैक्षिक व्यवस्थाओं मे शिक्षा में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग तीब्रगति से बढ़ा है। भूमण्लीकरण के दौर में हमारा राष्ट्र इस शैक्षिक एवं प्रौद्योगिकी के एकीकरण में कैसे पीछ रह सकता हैं? शिक्षा में प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार को बढावा मिल रहा है, जिससे देश का विकास तीब्रगति से हो रहा है। हमारें राष्ट्र की विविधता, जटिलता एवं क्षेत्रफल को देखते हुए सभी जगहों पर औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना एक जटिल चुनौती है। शिक्षा व्यवस्था की इस चुनौती का समाधान कुछ हद तक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीय के व्यवहारिक अनुप्रयोग से संभव हो सकेगा। प्रौंद्योगिकी शिक्षको को सूचना, संवाद, पाठ्य योजना निर्माण से लेकर प्रस्तुतीकरण तक एक शसक्त प्लेटफाम उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 2020 में भी प्रौद्योगिकी के माध्यम से साझा मंच शिक्षकों को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है, एक स्वायत्त निकाय के रुप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का निर्माण किया जायेगा। प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास चाहिए। राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र की आधुनिक आवश्कताओं के अनुसार अपनी शिक्षण सक्षमताओं में अभिवृद्धि राष्ट्र के विकास में अहम रोल निभा सकते है। शैक्षिक और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से शिक्षक अपनी शिक्षण कौशलों में अभिवृद्धि कर सकता है।

शिक्षण सक्षमता से शोधार्थी का आशय शिक्षकों की योजनानिर्माण, प्रस्तुतीकरण, समस्या समाधान, सृजनात्मकता तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फार टीचर्स' उचित आईसीटी के अनुप्रयोग से है। यूनेस्को (2011) यूनेस्काफ्रेमवर्क 'यूनेस्काआईसीटी काम्पीटेन्सी फ्रेमवकइस फ्रेमवर्क मे शिक्षकों के कार्यों के सभी पक्षो पर ध्यान दिया गया है। फ्रेमवर्क में इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि शिक्षक आईसीटी मे पर्याप्त कार्यनिर्वाह क्षमता नही रखते है और ना ही इस योग्य है कि वह छात्रों को आईसीटी पढा सके। ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो छात्रों की सहायता कर इस योग्य बनाएं कि छात्र आईसीटी का उपयोग कर सहयोगी, समस्या समाधान तथा सृजनात्मक अधिगमकर्ता बने साथ ही वे कार्यसमूह के योग्य सदस्य और प्रभावी नागरिक बन सकें। नवीन ज्ञान के उत्पादन के लिए शिक्षकों को अपनी शिक्षण सक्षमता में अभिवृद्धि आवश्यक है। तकनीकी युग में नवीन तकनीकी ज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए शिक्षण क्षमताएं सहायक होगी। तकनीकी का इस्तेमाल करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावशीलता बढ़ा सकते है। तकनीकी की सहायता से पाठ्योजना निर्माण शीध्रता के साथ रुचिकर बना सकते है। गुप्ता, (2019) ने प्रोगात्मक अध्ययन 'कैपेसिटी बिल्डिग ऑफ टीचर एजुकेटर्स फार ई–लर्निंग टूल्सः एन एक्सीपेरीमेन्टल स्टडी' में यह पाया कि विभिन्न ई–लर्निंग उपकरणों के प्रशिक्षण का शिक्षक शिक्षकों के ज्ञान एवं ई–लर्निंग उपकरणों के उपयोग कौशलों में सार्थक प्रभाव दिखलाई देता है।

प्रौद्योगिकी का योगदान दिन प्रतिदिन बढता ही जा रहा है। आज बिना प्राद्योगिकी के त्वरित शिक्षा की कल्पना करना असंभव सा प्रतीत होता हैं। वर्तमान में तकनीकी के बढतें उपयोग से शैक्षिक परिस्थितियों में परिर्वतन दिखलाई दे रहे है। विभिन्न जटिलताओं के कारण हमारे देश में सभी जगहों पर औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना यथा संभव नहीं है ऐसे में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ अनौपचारिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से सूचनाएं त्वरित, कम लागत, ज्यादा क्षेत्रों तक एक साथ भेजी जा सकती हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना सभी का अधिकार है इस अधिकार प्रेंाप्ति म प्रौद्योगिकी का

अपना विशेष महत्व है। आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट(2010) कअनुसार, उपमहाद्वीप के अधिकतर विद्यायलों में शिक्षकों के ऊपर अतिरिक्त, प्रेरणा की कमी तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त कार्यदशाओं में असुविधा देखने को मिली है, जो आईसीटी को शिक्षणकक्ष में या दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। इसके प्रयोग से शिक्षक की भूमिका के कोई प्रभाव नहीं आयेगा ना ही अचानक पढने पढाने का अभ्यास बदलेगा। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों के निर्माण हेतु आईसीटी के प्रयोग को कक्षाकक्ष में चुनौती के रुप में स्वीकार करना चाहिए। कई रिपोर्ट एवं शोध अध्ययनों के परिणाम स्वरुप यह माना गया है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे– एआई (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस), मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन तथा स्मार्टबोर्ड इत्यादि के इस्तेमाल व अनुभव से युक्त शिक्षक परम्परागत शिक्षण कार्य में संलग्न शिक्षकों की तुलना अधिक शिक्षण सक्षमता दिखलाई देती है। तकनीक के उपयोग से शिक्षण कार्य को सरल एवं सहज बनाकर शिक्षण अधिगम को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सकता है। तकनीकी से युक्त शिक्षक शिक्षणकार्य को अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकेगा, वर्तमान में हमारी शिक्षण विधियों के अनुप्रयोग में संचार तकनीकी का उपयोग कम ही हो रहा है। शिक्षक परम्परागत शिक्षण विधियों को अधिक अनुप्रयोग में लाते है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का हस्ताक्षेपों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम और आंकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, शैक्षिक पहुॅच को बढाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना जिसमें प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन सम्बन्धी प्रक्रियाएं आदि सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्य योजना मे प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण की बात कही गई है इस नीति में भविष्य की प्रौद्योगिकी, शिक्षा को कैसे प्रभावित करेगी? इसका भी अनुमान लगाया गया है और कुछ नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे–एआई, मशीन लर्निंग इत्यादि पर विशेष चर्चा की गई तथा प्रौद्योगिकी एवं शैक्षिक शोधों की आवश्यता पर बल दिया गया है। नीति में प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार की बात कही गई है। एक स्वायत निकाय के रुप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जायेगा। यह निकाय प्रमाणित डेटा के नियमित प्रवाह को बनाएं रखेगा और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर डेटा का विश्लेषण करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख सिफारिश–

1. ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन होगा।

2. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास।
3. ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण प्रदान किए जायेगें।
4. डिजिटल अन्तर को कम किया जायेगा।
5. वर्चुअल लैब्स विकसित की जायेगी।
6. शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन पर जोर दिया जायेगा।
7. ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं के नए तरीकों का अध्ययन किया जायेगा।
8. प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र के मानक स्थापित करेगें।
9. सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार को विकसित किया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में तकनीकी पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है, जो नीति की अपनी विशेषता तो अवश्य हो सकती है लेकिन भारत जैसे बडे क्षेत्रफल, विविधता तथा जटिलता वाले देश के लिए इस नीति का लक्ष्य पाना असंभव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य प्रतीत होता है। राष्ट्र में शिक्षित बेरोजगाराकी एक फौज खडी है यदि अत्याधिक तकनीकी इस्तेमाल पर जोर दिया जायेगा तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ंती ही जायेगी। सम्पूर्ण देश मेअभी विद्युतीकरण नहीहापाया, साथ पर्याप्त विद्युत सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पाई ऐसे में डिजिटल शिक्षा को कैसे बढावा मिल पायेगा?

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक समस्याओं के निदान में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सहायक होगा। प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग से सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा शिक्षकों को उचित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सकेगा साथ ही शिक्षक आईसीटी का उपयोग करके शिक्षण सक्षमता में अभिवृद्धि कर सकेगा। प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान करने में सहायक होगी, प्रौद्योगिकीय अतिरेक से भी बचना होगा।

संदर्भ ग्रंथ :

- आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट (2010)-Retrievedfrom http://www.infodev.org/infodev-files/resource/infodevDocuments_1016.pdf

- यूनेस्को(2011).यूनेस्को आईसीटी कॉम्पीटेन्सी फ्रेमवर्क फार टीचर्स.पेरिस,फ्रांसःयूनेस्का.
- गुप्ता,डी.(2019). कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर एजकेटरस फार ई–लर्निंग टूल्सः एन एक्सपेरीमेन्टल स्टडी.इण्डियन जनरल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 1(2),1–13 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार।
- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

30.

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय सामाजिक लोकाचार एवं नैतिक मूल्य

अनामिका
शोधछात्रा (संस्कृत)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

डॉ0 दीप्ति वाजपेयी
एसोसिएट प्रोफेसर (संस्कृत)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

प्रत्येक समाज स्व व्यवहार के द्वारा विभिन्न प्रकारात्मक मूल्यों को ही मूर्त –अमूर्त रूप से प्रदर्शित करता है। वह अपने समूहों को मूल्यों से ओत – प्रोत अथवा उनकी सुरक्षा के लिए लगातार महान यत्न भी करता है। साथ ही नूतन परिस्थितियों में नूतन लक्ष्यों व आदर्शो के निमार्ण की प्रक्रिया में मूल्यों की स्थापना करता है। संस्कृत साहित्य में इन आदर्शो को ही शिक्षा की परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। मनुस्मृतिकार मनु कहते है –

"एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।" (मनुस्मृति,२/२०)

सामाजिक व्यवहार को प्रेरित करने के लिए मूल्य एक अमूर्त रूप से प्रेरक बोधक सूचक के साथ एक निर्देशक का काम करते है। यह लक्ष्य के साथ सामाजिक परम्परा एवं संस्कृति का अंग होने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा एवं धरोहर के रूप में स्वीकार किये जाते है। नूतन परिस्थितियों के प्रभाव एवं नूतन चिन्तन के कारण अथवा किसी

अन्य कारणों के कारण लगातार गतिशील रहते इन्ही गत्यात्मक कारणों में से हम सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रोद्योगिक एवं देशिक कीर्ति अभ्युदय के आधार पर सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट चयन करते है। इस प्रकार मूल्यों की स्थापना होती है। श्रुतियों, स्मृतियों, ऋषियों–महर्षियों, वेदो–पुराणों एवं लौकिक साहित्यों के माध्यम से आदि काल से समाज निर्देशित होता आ रहा है। प्रत्येक विशिष्ट उपस्थान होने के कारण बहुदेववाद से लेकर अहं ब्रह्मस्मि के मध्य जीवन मूल्य की स्थापना निम्न प्रतिमान में परिलक्षित किया गया है।

मूल्य अपने आप में एक बहुत ही व्यापक एवं अमूर्त सर्जनात्मक चिन्तन है। जिसमें नाना प्रकार के प्रतिमानों का निरीक्षण एवं परिक्षण किया जाता है। समाज विशेष की सांस्कृतिक श्रेष्ठता मूल्यों के सत्यं शिवं सुन्दरम् स्वरूप पर ही आश्रित रहती है। दूसरी ओर सामाजिक सदस्यों के व्यवहार की कसौटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः किसी भी शिक्षा प्रणाली का मूल लक्ष्य इन नैतिक मूल्यों को प्राप्त करना है। जिसे शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निश्चित किया जाता है ताकि समाज विशेषकर सामाजिक सदस्य निश्चित जीवन शैली को प्राप्त करने में समर्थ हो सके तथा समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार कर सके। वस्तुतः सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जीवन जीने की कला के निश्चित मानदण्ठ ही नैतिक मूल्य कहलातें है।

मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्‌गुण समूह है जिसे अपने संस्कारों एवं पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुप अपने निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन पद्धति का निर्माण करता है। अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। नैतिक मूल्यों में मनुष्य की धारणाएं, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था आदि समेकित होते है। नैतिक मूल्यों का प्रधान स्त्रोत संस्कृति है। संस्कृति अपने आप में समाहित मूल्यों के निर्णायक तत्वों द्वारा व्यक्ति के आचार–व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यक्ति के रूप में महापुरूष एवं समाजसुधारक नैतिक मूल्यों की पुनःप्रतिष्ठा एवं विकास करते है तथा प्रतिष्ठित एवं विकसित मूल्य पुनः संस्कृति के पोषण में सहायक होते है। इस प्रकार, संस्कृति एवं मूल्य एक–दूसरे के पूरक होते है। संस्कृति में नैतिक मूल्यों क निर्माणक तत्त्व विद्यमान होते है जो मानव के आचार–व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करते है।

किसी सभ्य समाज के लिए शिक्षा प्राण है तथा नैतिक मूल्य उसकी आत्मा के समान है। जीवन मूल्य मानवीय आचरण तथा व्यवहारों का मापदण्ड होते है। मूल्य के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन दृष्टिकोंण को बनाता है। मूल्य ही मानव जीवन को अर्थ, उच्चता तथा श्रेष्ठता प्रदान करते है।

मूल्य आङ्ग्ल भाषा के Value शब्द का अनुवाद है। यह लैटिन भाषा के VALERE शब्द से निष्पन्न है। इसके अर्थो में गुण, विषेषता, उपयोगिता, वांछनीयता तथा महत्त्व आदि आते है। वस्तुतः किसी भी समाज में जिन बातों अथवा आदर्षो को बल प्रदान किया जाता है अथवा जिससे उन सामाजिकों का व्यवहार निर्देषित एवं नियन्त्रित होते है, उन्हें इस समाज के मूल्य कहते है।

संस्कृत साहित्य में नैतिक मूल्य से सम्बन्धित विभिन्न प्रतिमानों का उपस्थापन किया जाता है।

यजुर्वेद में निरूपित है–

दृते दृह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्र स्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा
चमीक्ष्ज्ञामहे।(यजुर्वेद,)

अर्थात यदि सामाजिक राष्ट्रिय एवं स्व का सर्वागीण विकास करना चाहते है तो सभी को हम अपने नेत्रों से मित्रवत् देखें जिससे कि हम ऐसी षक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते है जो हमे सफल सामाजिक होने के साथ–साथ जीवन जीने की कला को भी उपस्थित करता है। वस्तुतः हमें अपने शिक्षा सिद्धान्तों में इस प्रकार के सुन्दर विचारों को प्रतिमान के रूप में स्वीकार कर जीवन जीने की कला को अग्रसारित करना चाहिए। समाज में सत् प्रवृत्तियों एवं उच्च मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा पर विशेष बल दिया गया है। यथा–

१. जीव हिंसा से पृथक् रहना।

२. दूसरे के धन को अपहरण करने से निवृत्ति।

३. सत्य भाषण।

४. परनारी चर्चा।

५. लोभप्रवाह का अवरोध।

६. सभी प्राणियों पर दया।

७. ज्येष्ठ के प्रति विनम्र।

८. सज्जनपुरूषों से संगति।

९. गुरूजनों के प्रति विनम्रता।

१०. विद्याभ्यास में अभिरूचि।

११. स्वभार्या के प्रति अनुराग।

१२. लोकनिन्दा के भय।

१३. अभ्युदय में क्षमा।

१४. सभा में वाक्यचातुर्य।

१५. युद्ध में पराक्रम।

१६. यश में रूचि।

१७. अथितिसत्कार।

१८. परोपकारीय तूष्णीभाव।

सामान्य तौर पर मानवीय व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास के मानक मूल्य है। परनारी चर्चा से विरति एवं स्वभार्या के प्रति अनुराग के विषय में भर्तृहरि का यह प्रतिमान उपयुक्त प्रतीत होता है–

एको देवः केशवो वा शिवो वा।
एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा।
एको वासः पतने वा वने वा।
एका नारी सुन्दरी वा दरी वा। (नीतिशतक, पृ.स.–८२)

भारतीय शास्त्रों में जीवन–मूल्य हेतु 'शील' शब्द प्रचलित है। जहाँ शील है वहाँ धर्म, सत्य, तेज तथा बल निवास करते है। शीलवान लोगों के लिए कुछ भी असाध्य नही होता। शील सभी गुणों का आधार है। इससे तीनों लोकों को जीता जा सकता है।

शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्याः जेतुं न संशयः।
न हि किञ्चिदसाध्यं वै लोके शीलवतां भवेत।। (महाभारत,शान्तिपर्व. १२४/१५)

नीतिशतक नामक ग्रन्थ में भर्तृहरि ने भी सभी कुछ का समस्त प्रकार का कारण शील– जो कि आभूषण की भाँति है भर्तृहरि का विमर्षण के प्रति कथन उपयुक्त प्रतीत होता है–

"सर्वेषामपि सर्वं कारणमिदं शीलं परं भूषणम्।" (नीतिशतक,१.८३)।।

भगवान बुद्ध ने शील की तुलना चन्दन वृक्ष से करते हुए इस पर दृष्ट–संगति के निष्प्रभाव को उद्दिष्ट कर शील का महत्त्व प्रतिपादित किया है–

चन्दनं तरगं वापि उत्पलं अथ वस्सिकी।
एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो।। (धम्मपद, ४.१२)

जीवन मूल्यों के सन्दर्भ में तैत्तिरीय उपनिषद् में शान्तिपाठ के रूप में एक प्रचलित प्रतिमान उपस्थापित किया गया है जो हमारे अन्तःकरण में विभिन्न प्रकारात्मक प्रचलित नैतिक मूल्यों का संवर्धन करता है–

सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।। (कठोपनिषद्. २/३/१६)

वस्तुतः उक्त मन्त्र में कहा गया है कि हे ईश्वर ! हमारी रक्षा करिए हमारा पालन करिए हमें शक्ति दें ज्ञान दें कि हम एक दूसरे से विद्वेष न करे। स्व की सम्पूर्ण स्वतंत्रता से पूर्व जीवन जीने की कला नैतिक मूल्यों का ज्ञान एवं व्यवहार परिष्कृत है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण उक्त विषय को प्रस्तुत करते हुए अर्जुन के लिए आचारसंहिता उपस्थापित करते है– "मैने जो कुछ कहा है, अर्थात गूढ से गूढतम विषयों के विषय में सम्प्रेषण किया है उस पर बार–बार विचार करो। सभी दृष्टिकोंणों से इसका निरीक्षण एवं परीक्षण करो। ऐसा करने के पश्चात जो अच्छा लगे वो करो। इसके लिए तुम स्वतंत्र हो।

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया।
विमृश्यैतदशेषेण यथैच्छसि तथा कुरू।। (श्रीमद्भगवद्गीता. १८/६३)

नैतिक मूल्यों की व्यवहारिकता व्यक्ति के व्यवहार में प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में मूल्य उसके व्यवहार के निर्देशन के रूप में काम करता है। वस्तुतः नैतिक मूल्य ही व्यक्ति के अधिकतम गतिविधियों को क्रियात्मक रूप प्रदान करता है। सामान्य तौर पर व्यक्ति ऐसे कार्यो का चयन नही करता जिससे उसके उसके मूल्यों से टकराव हो। इसका आशय यह नही कि जो नैतिक मूल्य एक बार स्थापित हो गया वह हमेशा वैसा ही रहेगा। इसमें देश, काल, परिस्थितिवशात् शैक्षिक नीतिनिर्धारण के स्वरूप बदलाव आता है। कभी–कभी स्वाभाविक तो कभी–कभी जानबूझकर नीति किया जाता है अर्थात् जो यह प्रत्येक बदलाव के पीछे मूर्त रूप से मूल्यों का ही बदलाव छिपा होता है।

नैतिक मूल्य और संस्कृति परस्पर व्यक्ति के सन्दर्भ में एक–दूसरे का पूरक मूल्य वही है जो महापुरूषों, समाजसुधारकों के द्वारा प्रतिस्थापित एवं विकसित किया जाता है। वही संस्कृति व्यक्ति के आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षाविद्ो के अनुसार "शिक्षा का अर्थ मूल्यों के सन्दर्भ में नही किया है किन्तु निश्चित शिक्षा जीवनमूल्यों से सहसम्बन्धित है। यह सार्वभौमिक परिवर्तन से ही सिद्ध होता है।

भारत में धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्र समानान्तर विकसित तथा प्रचलित है। इनके अनुसार नैतिक नियम ही वस्तुतः मूल्य है। प्रत्येक धर्म कतिपय नैतिक नियम होते और मनुष्य को उनका पालन निष्चित रूप से करना होता है। जब ये नियम मानव के व्यवहार को नियन्त्रित एवं निर्देशित करने लगते है तब ये उसके मूल्य बन जाते है। जैसे जैन धर्म में अहिंसा को सर्वप्रमुख नैतिक नियम माना गया है। इस धर्म के अनुयायी जनों से अपेक्षा की जाती है कि वे कर्म के सभी क्षेत्रों में इसका पालन करें।

नैतिक मूल्यों का वर्गीकरण

सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही मानव–जीवन भी वर्तमान में अन्य पशु पक्षियों की भाँति संघर्षमय रहा। मानव के सामाजिक जीवन के साथ ही प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का समावेश हुआ। इसी क्रम में धीरे–धीरे धर्म और दर्शन का समावेश हुआ। विविध अनुशासनों में मूल्यों को विविध प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।

भारतीय दर्शन में दो प्रकार के जीवन–मूल्य माने गए है–

आध्यात्मिक मूल्य– ये मूल्य हमारे आध्यात्मिक चिन्तन और व्यवहार को दिषा प्रदान करते है, जैसे– धर्म व मोक्ष।

भौतिक मूल्य– ये मूल्य हमारे सामाजिक व्यवहार को दिशा देते है। जैसे– प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि।

अमेरिकी विद्वान लेविस ने चार प्रकार से मूल्यों को वर्गीकृत किया है–

१. आन्तरिक मूल्य

२. बाह्म मूल्य

३. अन्तर्निहित मूल्य

४. साधन मूल्य

कतिपय समाजशास्त्रियों ने सकारात्मक तथा नकारात्मक मूल्यों के रूप में मूल्यों का वर्गीकरण किया है। प्रथम समाज द्वारा स्वीकृत होते है तथा द्वितीय उससे परे।

इस प्रकार आजकल मूल्यों वर्गीकरण प्रचलन अत्यधिक है। धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, सौन्दर्यबोधात्मक मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य, तथा राष्ट्रिय मूल्य आदि के रूप में इन्हें बाँटा जाता है। इनमें भी कतिपय मूल्यों को एकाधिक वर्गीकरण में रखने का प्रयास भी किया जाता है।

वस्तुतः सभी भारतीय के धर्मप्राण होने पर भी हमारा षासन तन्त्र धर्म निरपेक्ष है। अतएव किन नैतिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाय तथा किन्हें कम, यह एक अत्यधिक दुष्कर कार्य है। तथापि कतिपय नैतिक मूल्यों का मानव– जीवन की विविध अवस्थओं के परिप्रेक्ष्य में विषेष परीक्षण किया जा सकता है।

व्यक्ति के व्यक्तिव के सर्वागीण विकास के आधार पर शिक्षा के चार आयाम बतलाये गए है–

१. मानसिक शिक्षा

२. बौद्धिक शिक्षा

३. शारीरिक शिक्षा तथा

४. भावात्मक शिक्षा

उक्त आयामों के आधार पर प्रतीत होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली असन्तुलित हो गयी है क्योकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में केवल दो आयामों पर ही पाठचर्या में बल दिया गया है। प्रथम मुख्य रूप से बौद्धिक विकास तथा प्रथमापेक्षया द्वितीय गौण रूप से षारीरिक विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जबकि शेष दो आयाम मानसिक और भावात्मक बहुलांश रूप में उपेक्षित है यही षिक्षा प्रणाली का असन्तलनु है इसका कारण क्या है?

नैतिक–मूल्यों का तीव्रतम गति से विघटन के कारण भावी पीढ़ी को अतीव क्षति का भास प्रतीत होता है। यदि उचित समय रहते उन मूल्यों को पुनर्स्थापित संगठित एवं नियंत्रित नही किया जायेगा तो इसका परिणाम अप्रत्याषित रूप से विध्वंसकारी हो सकता है। अतः मानवीय जीवन के प्रति बुरे स्वचरित्र से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र चरित्र के मूल्यों की स्थापना के लिए संस्कृत साहित्य में वर्णित प्रतिमानों का प्रयोगात्मक अनुप्रयोग श्रेयस्कर प्रतीत होता है। अत एव विशेषज्ञ शोधकार्यो के माध्यम से वर्णित विभिन्न प्रतिमानों का प्रयोगात्मक स्वरूप प्रतिपादित कर समाज को 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पष्यन्तु, मा कष्चिद् दुखःभाग भवेत्।।' के प्रति बोधित करे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- मनुस्मृतिः मनु, सम्पादन,– गंगानाथ झा, परिमल प्रकाशन, नई दिल्ली, १९९२।
- मनुस्मृतिः व्या.– पण्डित रामेश्वर भटट्, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, दिल्ली
- मूल्य शिक्षा, प्रो रामषकल पाण्डेय, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
- मूल्य शिक्षणः सिद्धान्त तथा प्रयोग, डॉ. नत्थूलाल गुप्ता, औश्णा ब्रदर्स, अजमेर १९८६।
- महाभारतः वेदव्यास, गीता प्रेस, गोरखपुर।
- नीतिशतकः भर्तृहरि, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, दिल्ली ।
- नीतिशतकः भर्तृहरि, व्या–विनोद कुमार शर्मा, निर्माण प्रकाशन, रामनगर, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली।
- हितोपदेशः नारायण विरचित, सम्पा– पी. पीटरसन, भारतीय बुक कार्पोरेशन, दिल्ली– १९८६
- हिन्दु सभ्यताः डॉ. आर. के. मुकर्जी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
- प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति : डॉ. ए. एस. अल्तेकर, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी।
- भारतीय आधुनिक शिक्षाः डॉ. लोकमान्य मिश्र, मृगााक्षी प्रकाशन, लखनऊ।
- श्रीमद्भगवद्गीता, व्या–स्वामी रामदास, गीताप्रेस, गोरखपुर।

31.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्म निर्भर भारत की रूपरेखा

अरविन्द सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

आत्म निर्भर भारत अर्थात स्वयं पर निर्भर भारत दूसरों पर आश्रित न होकर स्वंय पर आश्रित भारत। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के निवेश से करना या अपनी आवश्यकता के लिए स्वयं के तौर तरीकों, उपकरणों का निर्माण करना, जिससे खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हमारे देश में नई शिक्षा नीति के रूप में ऐसी योजना का शुभांरभ किया है, जिसे हम ''आत्मा निर्भर भारत योजना'' भी कह सकते हैं। जिससे हमारे देश में बेहतर उत्पादों का निर्माण, रोजगार के अवसर, आयात की तुलना मे निर्यात में वृद्धि, उद्योग धंधो के लिए बेहतर अवसर और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने जैसे कार्य होगें। जिससे हमारा कृषि क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का निर्माण हमारे देश मे ही होगा। किसी भी आवश्यक वस्तु का आयात कम और निर्यात अधिक हो सकेगा। जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत और समृद्ध होगी। देश की आत्मनिर्भरता में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस को देखते हुए हमारी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लाने की योजना बनाई है।

21 वीं सदी के भारत की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को नवीन रूप प्रदान किया गया है। जिससे हमारा देश उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। सरकार ने राष्ट्र को आत्मानिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित किया जिससे कि हमारे देश की नींव और बुनियाद ढ़ाँचा कहे जाने वाले बच्चे स्वयं में आत्मानिर्भर बना सके, जिससे कि उनका योगदान देश के हित में हो। शिक्षा का उददेश्य व्यक्ति को ज्ञानवान, बुद्धिमान, गुणवान, चरित्रवान, आत्मविश्वासी तथा आत्म निर्भर बनाना है। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो

अपनी क्षमता और अभिरूचि के आधार पर अलग– अलग क्षेत्रों मे अपना सहयोग देगा तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार ने देश को समृद्ध और आत्म निर्भर बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं। उनसे यह सिद्ध होता है कि कुछ समय पश्चात् हमारा देश आत्मानिर्भर होगा, और विश्व पटल पर विश्व गुरू होने के लिए अग्रसर होगाा। और अमेरिका, इजरायल, इंगलैंड़, फ्रांस, रूस जैसे देशों पर आश्रित नहीं होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के उद्देश्यः

आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनानाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाना है। वास्तव मे शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण व शक्तिशाली माध्यम है। जो भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से एक विकसित देश की पृष्ठभूमि प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हमारी शिक्षा व्यवस्था को उपयोगी बनाने की पहल जारी की जा रही है। इस नीति के माध्यम से हमारा समाज शिक्षित भी होगा और प्रयोगात्मक तरीके से ज्ञानार्जन करेगा, जो कि स्थायी होगा। अब हमारा ज्ञान किताबी होने के साथ ही प्रयोगात्मक तथा अभिरूचि आधारित होगा। जो कि बच्चों मे आत्मा निर्भरता तथा स्वाधीनता उत्पन्न करेगा।

''शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिसका उपयोग
आप विश्व बदलने के लिए कर सकते है।''

–नेल्सन मंडेला

''शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते है।''

–क्रिस्टीनग्रेगाइर

संसार में एक नेतृत्व के रूप में उभरना : हमारा देश प्राचीन समय से ही नेतृत्व करता है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए हुए हमारे देश ने एक नायक की भूमिक निभायी है। वर्तमान समय मे उत्पन्न हुई विश्व व्यापी भयानक महामारी Covid 19 ने संसार मे तबाही मचा दी। बड़े– बड़े विकसित देशों को तबाह कर दिया। वही हमारे देश के कदमों मे आकर दम तोड़ रही है। हमारे देश की सरकार और जनता के सहयोग से उस महामारी की जड़ पर जो चोट की गई उससे उसकी क्षमता कमजोर हो गई। ये हमारी प्राचीन देन हमारे मशाले, जड़ी– बूटियाँ और काढ़ों का कमाल था। हमारा देश प्राचीन समय से ही बेहतर उपचार के तरीको का जानकार रहा है। जैसे वैध अश्वनी कुमार जी की बनाई गई औषधी का सेवन करने से महर्षि चमन 10000 वर्ष से 32 वर्ष के हो गए। और वैध धनवन्तरी जी ऐसे वैध थे, कि सर्प दंश वाले स्थान पर अगर नजर डाल देते थे तो रोगी स्वस्थ हो जाते थे। ऐसे वैधों की जन्म स्थली भारत ने अपने प्रयोगों से Covid 19 की वैक्सीन की खोज करके संसार में

नायक की भूमिका निभायी है। जिस कनाड़ा देश से पोलियों की वैक्सीन लेने के इंतजार करना पड़ा। आज वही देश

Covid 19 की वैक्सीन लेने के लिए कतार में खड़ा है। तथा हमारे देश की आत्मानिर्भरता और नेतृत्वता, भाईचारे का गुणमान कर रहा है।

दुनिया के अन्य देशों पर अपनी निर्भरता को कम करनाः

''आत्म निर्भर भारत योजना' के तहत बेहतर उत्पादों का निर्माण होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेगे, आयत की तुलना में तुलना में निर्यात अधिक होगा। उधोग– धंधों के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। Make in India को बढ़ावा मिलेगा, जिससे निवेश के अवसर मिलेंगे। कृषि प्रणाली को विकसित किया जाएगा जिससे हमारा कृषि क्षेत्र उन्नत होगा तथा विदेशों में निर्यात कर अपना आर्थिक निवेश समृद्ध होगा। अब हमारा देश सैन्य हथियार जिनके लिए मुख्यता अमेरिका, इरायल, फ्राँस, रूस जैसे देशों पर निर्भर रहता था उनके निर्माण के लिए निर्माणशाला का निर्माण देश मे ही करेगा। 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने पर देश रक्षा उत्पादन के साथ–साथ 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस फैसले के बाद अगले 'छह– सात' सालों में देशी रक्षा कंपनियों को चार लाख करोड़ से अधिक के खरीद के आर्डर मिलेंगे। अभी भारत को कर्नाटक में लिथियम का भंडार मिला है। इलेक्ट्रिक व्हीकलस की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम का भंडार बेंगलुरू से लगभग 100 किलोमीटर दूर मांड़या में मिला है। इससे देश में ई– व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिसके लिए भारत अब तक चीन पर निर्भर था। इसी तरह से देश को खोज करनी चाहिए ताकि जो सामग्री हम विदेशों से आयात करते हैं। वो हमें देश में ही प्राप्त हो जाए ताकि हमें दूसरों पर आश्रित होना न पड़े। हमारे देश के DRDO ने एंटी– सैटेलाइट मिसाइल का निर्माण किया है। जो हमारे सैन्य क्षेत्र में बहुत उपयोगी है।

गरीबी को दूर करके, लोगों का जीवन स्तर बेहतर करनाः

हमारी सरकार बराबर इस विषय पर कार्यरत है कि कैसे देश की गरीबी को हटाया। क्योंकि देश की जनसंख्या मे वृद्धि के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। उत्पाद से ज्यादा खपत है। इसके लिए सरकार समय– समय पर योजनाएँ लागू करती रहती है। 'आत्म निर्भर योजना' के तहत जब शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी तो लोगों में जागरूकता आएगी और जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। जिससे पूर्ति और माँग में बराबरी आएगी। जब हमारी आवश्यक वस्तु का निर्माण हमारे देश में होगा तो पूर्ति में वृद्धि आएगी जिससे गरीबी दूर होने की आशा होगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंगर्मत सरकार ने कई योजनाएँ लाँच की :

- आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना।

- इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम।
- आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरीकरण)।
- कंस्ट्रशन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बनाना।
- घर बनाने वाले तथा घर खरीदने वालों के लिए इनकम टैक्स रिलीफ।
- कैपिटल एंडं इंडस्ट्रियल स्टीमुलस।
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना।
- एग्रीकल्चर सब्सिडी फर्टिलाइजर।

इन योजनाओं को लागू करके सरकार देश को गरीबी मुक्त तथा आत्म निर्भर बनाने का प्रयास कर रही है।

देश को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के पाँच स्तंभ :

- **अर्थव्यवस्था (Economy)** : किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था का विकास होना सबसे जरूरी है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस स्टार्ट करने होगें रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, उच्च क्वालिटी उत्पादों का निर्माण करना होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें चहुमुखी विकास की तैयारी करनी पड़ेगी। जिसमे शिक्षा व्यापार स्वास्थय, जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, जैसे अनेकों क्षेत्रो में बेहतर होना पड़ेगा।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure)** : अपने देश को मजबूत बनाने के लिए देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए हमें बेहतर सड़को और हाइवे का निर्माण, इंटर स्टेट कनेक्टिविटि, यातायात संसाधनों का विकास, कारखानों का निर्माण और औद्योगिक टेक्नोलाजी का विकास करना होगा।
- **सिस्टम (System)** : किसी भी देश के विकास के लिए उसका प्रशासनिक और राजनैतिक सिस्टम बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार होगा, पारदर्शिता की कमी होगी, कानून व्यवस्था कमजोर होगी तो हम कभी भी बेहतर राष्ट्र नही बना पाएँगे।
- **डेमोग्राफी (Demography)**: जनसंख्या में लगातार वृद्धि, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, धार्मिक एवं जातीय संघर्ष जैसे कारण भी विकास की रफ्तार कम कर देते हैं। इसलिए हमें अगर आत्मानिर्भर भारत अभियान को सफल करना है। तो अपने देश की डेमोग्राफी को सुधारना होगा।
- **माँग एवं पूर्ति**: मांग और अपूर्ति के बीच का अंतर मुद्रा स्फीति को बढ़ा देता है और हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ती है। बेहत उत्पादों का निर्माण, वैज्ञानिक

एवं तकनीकी अनुसंधानों एवं स्व रोजगार को बढ़ावा देकर हम डिमांड और स्पलाई को बैलेंस कर सकते है। तथा आत्म निर्भरता में आत्मनिर्भर भारत अभियान का सपना कायम होगा।

- **आत्मनिर्भर भारत बनाने की जरूरत क्यों** : Covid 19 के दुष्प्रभाव के कारण अस्त– व्यस्त हुई जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर का मंत्र जरूरी है। कोरोना काल में देश लाकडाउन की वजह से आने वाली अनेक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, मुखमरी, गरीबी, मँहगाई, घाटे इस तरह की समस्याओं से निपटाने के लिए आत्मनिर्भरता अति आवश्यक है। आर्थिक दशा को सुधारने के लिए व्यक्ति का खुद निर्भर होना आवश्यक है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है, जो कि बेरोजगारी का मुख्य कारण है। कोरोना काल को देखते हुए भविष्य मे आने वाली इस तरह की समस्याओ से निपटाने के लिए हमें आत्मानिर्भरता से मजबूत, और समृद्ध होने की जरूरत है। पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश हैं जहाँ सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाए जाते है। जो कि बिना किसी देश की मदद लिए जीवन से लेकर राष्ट्र निर्माण की वस्तुएँ बना सकता है और आत्मनिर्भर के सपने को पूरा कर सकता है।
- हालंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का 'सपना नया है। यह सपना महात्मा गाँधी ने आजादी के बाद ही स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, पर गरीबी और भुखमरी के कारण उनका सपना साकार नही हो सका।
- Covid 19 महामारी के कारण पिछले कई महिनों से सारा विश्व बंद पड़ा है, जिसके चलते छोटे लोगों से लेकर पूँजीपतियो तक को भारी नुकसान हुआ है। और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खास तौर से हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के परिवारों को कमाने खाने की समस्या काफी बढ़ गई है। तथा भारी तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ रही है। खाने– पीने की भारी तंगी है।
- महामारी के दौरान ही चीन ने भारत के डोकलाम सीमा क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें भारत के लगभग 20 जवान शहिद हो गए। सीमा की क्षति के कारण देश हर कोने से चीनी सामान बैन के साथ ही चीनी सामानों को बंद कर दिया गया। और प्रधानमंत्री ने सारे देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। उन्होने कहा कि आत्मनिर्भर बनकर घरेलू चीजों को इस्तेमाल करे ताकि हमारा देश मजबूती के साथ खड़ा रहे।
- कोरोना महामारी काल मे सभी देश अपने आंतरिक स्थितियों और समस्याओं बेरोजगारी, भुखमरी, चिक्तिसा और कई अन्य समस्याओ, बेरोजगारी, भुखमरी, चिक्तिसा और कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे है। भारत भी उनमे से एक है। भारत इन समस्याओ से लड़ने और देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए अग्रसर है।

- **उपसंहारः** आज के महामारी काल को देखते हुए देश को आत्मनिर्भर बनने तथा अपने अंदर की कमियों को देखते हुए उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान में देश के प्रत्येक नागरिक को सहयोग देने का फर्ज है। तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे मालों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आस– पास के बाजारो में इसे बेच सकते है। इससे हम स्वयं के साथ– साथ आत्मनिर्भर भारत की राह में योगदान दे सकते हैं। ''आत्मनिर्भर भारत योजना'' अभियान हमारे देश के उत्थान के लिए कारगर होगा। इससे हमारा देश उस रूप में आयेगा जो कभी इतिहास मे था 'अखण्ड' और 'आत्मनिर्भर' भारत। जिसकी नींव मजबूत और दृढ़ थी।
- जब एक परिवार आत्मनिर्भर होगा, तो एक गाँव आत्मनिर्भर जब हर गाँव आत्मनिर्भर तो देश खुद व खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्टीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

32.

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

डॉ0 सतीश चन्द
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षक शिक्षा)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षक शिक्षा)
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

महात्मा गांधी की नई तालीम का आज का स्वरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस नीति में सैद्धातिक शिक्षा के साथ– साथ छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) स्वास्थ्य शिक्षा आदि का समावेश किया गया है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को यदि भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की " पीठिका "कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आत्मनिर्भरता की संकल्पना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। महात्मा गांधी ने भी इसे अपने चिंतन और व्यवहार में समावेशित किया था। आत्मनिर्भरता या स्वावलम्बन की संकल्पना गांधी जी की जीवन–दृष्टि का सार तत्त्व है। कोरोना संकट ने वैश्विक स्तर पर 'आत्मनिर्भरता' की संकल्पना को पुनः विमर्श के केन्द्र में ला दिया है। ऐसे में, भारत केन्द्रित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक सार्थक पहल है। इसमें समग्रता की दृष्टि का परिचय देते हुए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, हस्तकला, लोक विद्या इत्यादि के पाठ्यक्रम में स्थानीय व्यावसायिक ज्ञान के समावेशन और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास पर बल देने की बातें कही गई हैं, जो कहीं–न–कहीं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का ही संकेत है।

देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमारे छात्रों –युवकों तथा गांवो को आत्मनिर्भर बनाना होगा, जिसका महत्त्वपूर्ण माध्यम शिक्षा ही हो सकती है। हम जिस प्रकार के नागरिक, समाज और राष्ट्र को बनाना चाहते हैं ठीक उसी के अनुरूप ही देश की शिक्षा का स्वरूप भी होना चाहिए। इस

शिक्षा नीति के सही क्रियान्वयन के द्वारा छात्र केवल नौकरी के लिए कतार में नहीं खड़े होगें बल्कि अपने पैरो पर खड़े होने में सक्षम बनेंगे।

महात्मा गांधी ने ''हरिजन सेवक (10–11–1946) के अंक में ग्राम स्वराज के संदर्भ में लिखा था– "गांवों की पुनर्स्थापना का कार्य कामचलाऊ नहीं बल्कि स्थायी होना चाहिए। उद्योग, हुनर, तदुरूस्ती और शिक्षा इन चारों का सुन्दर समन्वय करना चाहिए और वह नई तालीम में किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ''मैं किसी उद्योग और शिक्षा को अलग नहीं मानूंगा, बल्कि उद्योग शिक्षा का जरिया है।''

गांधी की नई तालीम का आज का स्वरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस नीति में सैद्धातिक शिक्षा के साथ–साथ छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट), स्वास्थ्य शिक्षा आदि का समावेश किया गया है। छात्रो का माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा में एप्रेंटिशिप करने की बात भी जोड़ी गई है। इस नीति में वर्ष 2025 तक 50 लाख : छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें ऐसा लक्ष्य भी रखा गया है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है स्वयं पर निर्भर होना, आज हम भाषा–भूषा, खानपान, तकनीकी आदि अनेक बातों में अन्यों पर निर्भर हैं या दूसरो का अंधानुकरण कर रहे हैं। स्वयं पर निर्भरता का आधार है स्वदेशी, महात्मा गांधी ने स्वदेशी के संदर्भ में कहा था ''स्वदेशी की भावना का अर्थ है हमारी वह भावना जो हमें दूर को छोड़कर अपने समीपवर्ती प्रदेश का ही उपयोग और सेवा करना सिखाता है। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति में अनेक स्थान पर स्थानीय भाषा, तकनीक, कौशल, कला एवं कारीगरी आदि को प्राथमिकता देने की बात कही गई हैं।

आत्मनिर्भरता का आधार है निजीकरणः यह समझने की जरूरत है कि आत्मनिर्भरता के लिए सभी को रोजगार पहली कसौटी है

महात्मा गांधी का मानना है कि ''भारत की अधिकांश जनता की गरीबी का कारण यह है कि आर्थिक और औद्योगिक जीवन में हमने स्वदेशी के नियम का भंग किया है, वह आगे कहते है कि ''स्वदेशी को मैं ऐसा धार्मिक सिद्धांत मानता हूँ, जिसका पालन सब लोगों को करना चाहिए।''

प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा था कि "यह सरकार की नहीं समाज की नीति है। वास्तव में इस नीति को समाज की नीति बनाना है तो सरकार एवं शिक्षा जगत के लोगों द्वारा देशव्यापी शिक्षा नीति के प्रचार–प्रचार हेतु संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, वेबिनार आदि के आयोजन करके एक अभियान चलाना होगा, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा नीति की बात पहुंचने से परिणाम स्वरूप समाज की इस नीति के क्रियान्वयन में भी भूमिका सुनिश्चित की जा सकेगी। आवश्यकता है इस नीति के उचित क्रियान्वयन की। इस हेतु कई स्तर पर क्रियान्वयन की रणनीति बनाने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के साथ–साथ प्रत्येक जिले स्तर पर समितियों का गठन करना चाहिए।"

इन समितियों के द्वारा प्रत्येक स्तर पर विचार–विमर्श के माध्यम से क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करनी होगी। इस क्रियान्वयन के संदर्भ में कुछ बातें तो सभी स्थानों पर समान होंगी, परंतु कुछ बातों का सम्यक सम्पादन स्थानीय परिस्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना होगा। स्थानीयता को इस शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ताकि व्यावसायिक शिक्षा

और कौशल विकास से सम्बन्धित प्रावधानों को हर जिले और क्षेत्र के स्तर पर आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वयन हो सके तथा जो स्थानीय कृषि, उद्योग और वहां की नागरिक आवश्यकताओं का सही संस्पर्श कर सके। इसके परिणाम स्वरूप हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना, आर्थिक विकेन्द्रीकरण और स्वावलंबन के मूल्य में भी यही चिंता रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संक्षिप्त परिचय:

- भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1968 में कोठारी आयोग (1964–1966) की सिफारिशों के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई।
- वर्ष 1986 में देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों के साथ शिक्षा की पहुँच को मज़बूत करने और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं (विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगों तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों आदि के संदर्भ में) को दूर करने हेतु दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई।
- वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया, जिसके तहत देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एकल प्रवेश परीक्षा की अवधारण प्रस्तुत की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:

- NEP 2020 को पूर्व इसरो (ैत्व्) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है।
- NEP 2020 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाना है।
- इसके तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली (क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14, और 14–18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये) के आधार पर विभाजित किया गया है।
- NEP 2020 के तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अपनाने और आगे की शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
- इस नीति के तहत शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers& NPSTs) का विकास और चार वर्ष के एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम की अवधारण प्रस्तुत की गई है।
- साथ ही इसके तहत देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIT) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities& MERUs) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

नीतिगत सफलता का आधारः –

नीतियों के कार्यान्वयन से जुड़े अध्ययनों से पता चलता है कि नीतिगत विफलताओं से बचने में मज़बूत साधन, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन तंत्र की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

किसी नीति की असफलता के लिये ब्रिटिश शोधकर्त्ताओं बॉब हडसन, डेविड हंटर और स्टीफन पेकहम ने निम्न चार प्रमुख कारकों को उत्तरदायी बताया है।

- अत्यधिक आशावादी अपेक्षाएँ
- बिखरी हुई शासन व्यवस्था में कार्यान्वयन
- नीति निर्धारण में अपर्याप्त सहयोग
- राजनीतिक चक्र की अनियमितता

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी नीति की असफलता के ये चार खतरे इतने व्यापक हैं कि सामान्य प्रक्रिया से इसे हल करना एक बड़ी चुनौती होगी।

यदि सरकार किसी नीति को लागू करने के बारे में गंभीर है तो इसके लिये एक मज़बूत नीति समर्थन कार्यक्रम को विकसित करना बहुत ही आवश्यक है।

किसी भी नीति की सफलता के लिये उसके कार्यान्वयन की प्रणाली और इस दौरान प्रत्येक बिंदु पर समस्याओं के समाधान के संदर्भ में एक बेहतर समझ का होना बहुत ही आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा सहयोग, नए कानूनों का निर्माण या मौजूदा कानूनों में संशोधन सहित अन्य विधायी हस्तक्षेप, वित्तीय संसाधनों की वृद्धि और नियामकीय सुधार आदि शामिल हैं।

समाधानः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु पाँच बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

1. **उच्च शिक्षा सुधार हेतु विशेष कार्य बल की स्थापनाः –**
    - प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु बौद्धिक और सामाजिक पूंजी के निर्माण का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।
    - NEP के सफल कार्यान्वयन हेतु सहयोग के लिये एक विशेष कार्य बल (जेंथ्वतबम) की स्थापना की जानी चाहिये।
    - प्रधानमंत्री का यह कार्य बल एक सलाहकारी निकाय हो सकता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institutions& HEIs) के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
    - यह कार्य बल छम्ब् के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने और एक निश्चित जवाबदेही के साथ समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री की सहायता करेगा।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु स्थायी समितिः

- NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन एवं इसकी निगरानी हेतु एक स्थायी समिति की स्थापना बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है।
- इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के कुलपति/निदेशक इस समिति के सदस्य होंगे।
- इस समिति को समयबद्ध तरीके से छम्च् की कार्यान्वयन योजना को तैयार करने और इसकी निगरानी करने का कार्य सौंपा जाएगा।
- समिति के पास कुछ विशिष्ट शक्तियों के साथ इसमें विषयगत उप–समितियों और क्षेत्रीय समितियों को भी शामिल किया जाएगा।

3. राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री परिषदः –

- इस परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे तथा परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी।
- साथ ही यह NEP के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा और समस्याओं के निवारण के साथ राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

4. इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में सुधारः –

- प्रधानमंत्री द्वारा 'इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस' (Institutions of Eminence& IoE) की अवधारणा के तहत देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का दृष्टिकोण पेश किया गया था।
- इसके माध्यम से भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

5. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परोपकार परिषदः

वर्तमान में देश के 70% उच्च शिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र के हैं और 70% से अधिक छात्र उच्च शिक्षा के लिये निजी संस्थानों में प्रवेश करते हैं।

यह परिषद संभावित दाताओं को तीन बंदोबस्ती निधियों (उच्च शिक्षा अवसंरचना, छात्रवृत्ति और शोध अनुदान से संबंधित) की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कर प्रणाली में मूलभूत बदलावों को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती है।

अन्य चुनौतियाँः

वर्ष 1968 में जारी की गई पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अगली सभी शिक्षा नीतियों में दोहराया गया परंतु अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है, जो सरकार की नीतिगत असफलता और कमज़ोर राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

COVID–19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच राज्यों के लिये इन सुधारों को लागू करने के लिये आवश्यक धन एकत्र करना बहुत ही कठिन होगा।

आगे की राहः

सरकार के लिये किसी भी नीति के कार्यान्वयन में सफलता हेतु प्रोत्साहन, साधन, सूचना, अनुकूलनशीलता, विश्वसनीयता और प्रबंधन जैसे तत्त्वों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है।

साथ ही सरकार को कानूनी, नीतिगत, नियामकीय और संस्थागत सुधारों को अपनाने के साथ एक विश्वसनीय सूचना तंत्र का निर्माण और नियामक संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अनुकूलनशीलता के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा।

आत्मनिर्भर भारत एक परिचय – आत्मनिर्भर भारत,भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने सम्बन्धी एक दृष्टि (विजन) है। इसका पहली बार सार्वजनिक उल्लेख उन्होने १२ मई २०२० को किया था जब वे कोरोना–वाइरस विश्वमारी सम्बन्धी एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आशा की जा रही है कि यह अभियान कोविड–19 महामारी संकट से लड़ने में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। इसके तहत प्रधानमन्त्री पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है जो देश की सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है। इसकी खास बात यह है कि उन्होंने किसी को भी नगद बहुत कम दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था के सम्यक संचालन का जो अभूतपूर्व दृष्टिकोण दिया, उससे न तो देश घाटे में रहेगा, न ही किसी को आगे वित्तीय मनमानी करने की छूट मिलेगी, जैसा कि अब तक बताया जाता रहा है।

आत्मनिर्भर भारतः

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता ‷मसि–त्मसपंदबम) की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता ‷मसि–त्मसपंदबम), आत्म–केंद्रित ‷मसि–ब्मदजमतमक) से अलग है।

‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।

मिशन के चरणः– मिशन को दो चरणों में लागू किया जाएगाः

प्रथम चरण :– इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

द्वितीय चरण :– इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगाद्य

निष्कर्ष :–

किसी भी देश की प्रगति के साथ–साथ उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा को सबसे महत्त्वपूर्ण आधार माना गया है। देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक समय की ज़रूरतों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2020

में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (National Education Policy 2020) को मंजूरी दी गई। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि इसकी सफलता प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर अन्य सभी हितधारकों द्वारा इसके कार्यान्वयन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

- दृष्टि आईएएस संपादकीय पुस्तक 2020 (पृष्ठ संख्या – 9 से 15)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- दैनिकजागरण संपादकीय पृष्ठ – 14 (दिनांक – 25 अक्टूबर 2020)।
- शर्मा आर.ए. (2005) शिक्षा अनुसन्धान, आर. लाल बुक डिपो मेरठ।
- जॉर्ज, मोली दि साइंस ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च (1974)।
- भटनागर, आर.पी. (2003) शिक्षा अनुसन्धान, इंटरनेशनल पोब्लिशिंग हाउस मेरठ।
- जनसत्ता सम्पादीय पृष्ठ (15 से 17), (2020)
- शर्मा सीताराम ए. हैंड बुक ऑफ़ स्कीम फॉर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन 1998, मंगलदीप पब्लिकेशन, खेड़ी हाउस जयपुर (राजस्थान)।
- नायक जे.पी. एलिमणट्री एजुकेशन इन इंडिया।
- भगवान दयाल 'दि डेवलपमेंट ऑफ़ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन'।
- 'दी हिन्दू' (अंग्रेजी) संपादकीय पृष्ठ।
- नरेश प्रसाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अध्यापको की स्थिति और व्यावसायिक प्रतिबद्धता।

33.

नई शिक्षा नीति 2020 : पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

डॉ. संजीव कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षक शिक्षा)
कु.मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बादलपुर गौतमबुद्ध नगर

डॉ. विक्रान्त उपाध्याय
असिस्टेंट प्रोफेसर, (शिक्षक शिक्षा)
एन. एम. एस. एन. दास पी. जी. कॉलेज, बदायुँ

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये, शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ–साथ पूर्व–विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था।
- वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Eurolment Ratio&GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।

- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियाँ रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था?

नई शिक्षा नीति–2020 की मुख्य बातें..

1. नई शिक्षा नीति में पाँचवी क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है. इसे क्लास आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है.
2. विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी. हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा.
3. साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर (ळतवे म्दतवसउमदज त्ंजपव) के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फ़ॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है.
4. अभी स्कूल से दूर रह रहे दो करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा. इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापनी की जाएगी.
5. स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 की नयी पाठयक्रम संरचना लागू की जाएगी जो क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14, और 14–18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3–6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है.
6. नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और तीन साल की आंगनवाड़ी होगी. इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए तीन साली की प्री–प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है.

7. अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और पाँचवी क्लास को रखा गया है. इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6–8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा. सभी छात्र केवल तीसरी, पाँचवी और आठवी कक्षा में परीक्षा देंगे. 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी. लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा.
8. एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र 'परख (समग्र विकास के लिए कार्य–प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक–निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा.
9. पढ़ने–लिखने और जोड़–घटाव (संख्यात्मक ज्ञान) की बुनियादी योग्यता पर ज़ोर दिया जाएगा.
10. बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत ज़रूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए 'एनईपी 2020' में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना किए जाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है.
11. एन.सी.ई.आर.टी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफ़ईसीसीई) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा.
12. स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच ख़ास अंतर नहीं किया जाएगा.
13. सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूहों (SEDG) की शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा.
14. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफ़ेशनल मानक (एनपीएसटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा.
15. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे.
16. छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे. इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी. इसके अलावा म्यूज़िक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा. इन्हें पाठयक्रम में लागू किया जाएगा.
17. उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को

छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा.

18. एचईसीआई के चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे– विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (एनएचईआरसी), मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी).
19. उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी.
20. ई–पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे. वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फ़ोरम (NETF) बनाया जा रहा है।
21. निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहां छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ़्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
22. छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा.
23. एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा.
24. नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक ख़ास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं.
25. ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावाः हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफ़ारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई–शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी.
26. सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें और जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फ़ारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई), जैसे राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मज़बूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा का उपयोग

करने की सिफ़ारिश की गई है.

27. कोरोना महामारी के बीच सरकार द्वारा जारी की गई इस नीति को लेकर विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों की विभिन्न राय है. कुछ लोगों ने नई शिक्षा नीति को एक 'प्रगतिशील दस्तावेज' बताते हुए कहा है कि इसमें मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों की पहचान की गई है.

27. वहीं सरकार का दावा है कि नई नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह के सुधार करना है कि देश दुनिया में ज्ञान की 'सुपरपावर' कहलाए और बच्चों में राष्ट्रवादी गौरव का भाव उत्पन्न हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को कहा गया है.

शिक्षा से मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण –

1. मानसिक स्वास्थ्य के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। व्यक्तिगत पहलू यह बताता है कि व्यक्ति आंतरिक रूप से समायोजित है। वह आत्मविश्वासी, पर्याप्त और आंतरिक संघर्षों और तनावों या विसंगतियों से मुक्त है। वह नई परिस्थितियों में खुद को ढालने में सक्षम है। लेकिन वह एक सामाजिक सेटअप में इस आंतरिक समायोजन को प्राप्त करता है।
2. मानसिक स्वास्थ्य की अन्य परिभाषाएँ ऐसी क्षमताओं को संदर्भित करती हैं जैसे कि किसी की क्षमताओं के अनुसार ज़िम्मेदारियाँ तय करने के निर्णय लेना, रोज़मर्रा के कार्यों की सिद्धि में संतुष्टि, सफलता और खुशी पाना, दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से रहना और विचारशील व्यवहार दिखाना।
3. मानसिक स्वास्थ्य की नींव कुछ बुनियादी और महत्वपूर्ण कारकों को संदर्भित करती है जिन पर किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है।

जीवन में बौद्धिक विकास से ज्यादा जरूरी है भावनात्मक विकास। सुख–शांति हासिल करने और सफल व सार्थक जीवन जीने के लिए भावनात्मक विकास के लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सके। जैसे मजबूत नींव पर बहुमंजिले भवन की स्थिरता बनी रहती है वैसे ही भावना हमारे जीवन की नींव है। हमारी भावना जितनी सकारात्मक और नियंत्रित होगी, हमारा जीवन उतना ही सफल और सार्थक बनेगा। भावनाओं पर अनियंत्रण से ही जीवन लड़खड़ाने लगता है। तभी तो आए दिन जीवन में भावनात्मक समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपके व्यवहार में आपकी भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, उल्लास, खुशी, निराशा, पीड़ा–कैसे अभिव्यक्त होती हैं, इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के अवचेतन मन पर पड़ता है। आपका व्यवहार खींचे हुए फोटो की तरह मनुष्य के अवचेतन मन में फीड हो जाता है। दूसरी बात आप क्रोध और हर्ष की स्थिति में दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसका भी प्रभाव आपके भावनात्मक विकास पर पड़ता है।

भावनात्मक प्रतिभा के विकसित न होने के कारण ही भावना के प्रवाह में व्यक्ति अपने को नहीं संभाल पाता। नतीजतन अनहोनी घटनाएं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। ये घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि आधुनिक मनुष्य किस भावदशा में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जेटयुग में जीने वाले व्यक्ति के बौद्धिक विकास का स्तर तो अच्छी तरह बढ़ रहा है, पर भावनात्मक विकास का स्तर घट रहा है। इसके कारण उसके जीवन में एक ठहराव–सा आ जाता है। उसे क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह की वह कोई प्लानिंग ही नहीं कर पाता। ऐसा लगता है निषेधात्मक विचारों का कुछ ज्यादा ही दबाव मनुष्य के जीवन पर आ जाता है। इस कारण वह किसी के साथ सही तरीके से न रिश्ते निभा पाता है और न ही तालमेल बिठा पाता है। तभी तो आज भावनात्मक विकास का महत्व बढ़ रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवम स्वच्छता :

- मानसिक विकास एवं सामाजिक कल्याण में सुधार के साथ–साथ संक्रमण को रोकने के लिये स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है।
- विश्व स्तर पर पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग एक–चौथाई बच्चों को बार–बार दस्त और पर्यावरणीय आंत्र रोग प्रभावित करता है जिसे अस्वास्थकर स्थितियों में विकास की कमी (जनदजपदह) से जोड़ा गया।
- सुरक्षित स्वच्छता प्रणालियों की कमी रोगाणुरोधी प्रतिरोध के उद्भव तथा प्रसार में योगदान करती है।

स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन

- स्वच्छता कार्यक्रमों ने ऐतिहासिक रूप से विभिन्न सामग्रियों की व्यवस्था के माध्यम से तथा स्वास्थ्य शिक्षा या स्वास्थ्य संवर्द्धन के विभिन्न प्रारूपों की सहायता से स्वच्छता प्रथाओं को प्रभावित करने की कोशिश की है।
- लोग स्वास्थ्य में सुधार करने की इच्छा के अलावा कई कारणों से शौचालय का उपयोग तथा उससे संबंधित स्वच्छता आदतों का चयन करते हैं।
- स्वच्छता साधनों, घरों में स्वच्छता प्रथाओं तथा स्वच्छता योजनाओं के लिये उत्तरदायी संस्थानों के कार्य में सुधार और तेज़ी लाने हेतु व्यवहार परिवर्तन को स्वच्छता कार्यक्रमों के एक आवश्यक घटक के रूप में देखा जाता है।
- खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकना तथा सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं को अपनाना।
- साबुन, हैंडवाश से हाथ धोना।
- खाली न किये जा सकने वाले गड्ढे युक्त शौचालयों हेतु ऐसे गड्ढों का निर्माण जिन्हें भर जाने की स्थिति में खाली करने की बजाय ढक दिया जाए और नए गड्ढों का निर्माण कर दिया जाए।

- इस तरह की सुविधाओं की नियमित रूप से प्राप्ति सुनिश्चित करना तथा उपमृदा स्तर तक तरल अपशिष्टों की घुसपैठ या अन्य सुरक्षित निपटान मार्ग तक अपशिष्टों का पहुँचना।
- जहाँ उपलब्ध हो, वहाँ सीवरेज सिस्टम से जुड़ना एवं सेवा शुल्क देना।
- खाद्य उत्पादन एवं बिक्री में अपशिष्ट जल एवं मलीय गाद से निपटने की सुरक्षित प्रथा।

शारीरिक शिक्षा, योग एवं खेल

शारीरिक शिक्षा एवं योग का सुव्यवस्थित विकास राष्ट्र की आवश्यकता है। इसके समुन्नत विकास से ही मानव का वास्तविक विकास संभव है।

सरकार द्वारा बनाई जा रही नयी शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में योग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह बात प्रथम योग ओलंपियाड का उद्घाटन करने वाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव सुभाष चंद्र खुंटिया ने कही। खुंटिया ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई जा रही नयी शिक्षा नीति में योग का एक 'महत्वपूर्ण' स्थान होगा। योग को 'संतुलन बनाए रखने' और शरीर एवं मस्तिष्क का 'स्वास्थ्य' सुनिश्चित करने वाली कला बताते हुए उन्होंने कहा कि ओलंपियाड हर साल कराया जाएगा ताकि स्कूल जाने वाले हर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसके द्वारा योग सीखना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा, ''योग ओलंपियाड में सभी राज्यों की भागीदारी संभव बनाने के लिए हर साल आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्कूल के बच्चों को योग सिखाना होगा। एनसीईआरटी ने उच्चतम प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्रों के लिए योग पर किताबें प्रकाशित की हैं। यह छठी से दसवीं कक्षा तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का हिस्सा है।''

खुंटिया ने कहा कि बड़े स्कूलों में प्रमाणित योग शिक्षक हैं लेकिन जहां वे उपलब्ध नहीं हैं, वहां शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को योग संस्थानों की मदद से प्रशिक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक हृषिकेश सेनापति ने कहा कि योग अच्छे इंसान और नागरिक बनाने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, ''दुनिया में हमारी पहचान अच्छे पेशेवर तैयार करने को लेकर है और योग अच्छे लोग एवं नागरिक तैयार करने में हमारी मदद कर सकता है।''

नई राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली– छात्रों के सर्वांगीण विकास की आधारशिला

सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् जैकस डेलर्स की अध्यक्षता में गठित '21वीं सदी में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय आयोग जिसकी रिपोर्ट 1996 में यूनेस्कों द्वारा प्रकाशित की गई। जिसमें 21वीं सदी मे शिक्षा के चार आधार स्तम्भ बनाये गये। जिसके कुछ बिन्दु प्रमुख हैं:–

1. ज्ञान के लिए सीखना

2. करने के लिए सीखना
3. होने के लिए सीखना
4. साथ रहने के लिए सीखना

इस क्रांतिकारी रिपोर्ट ने शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों के लिए एक नयी और व्यापक दृष्टि दी। इस तारतम्य में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने है। उसकी विशेषता शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में पूर्व माध्यमिक शिक्षा से लेकर 12वी तक की पढ़ाई आसान हो जायेगी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन जाने से पर्यावरण हितैषी तो होगी ही तथा नागरिकों को समाज को ज्ञानवान बनाने के साथ ही समयानुसार उसमें परिवर्तन की भी गुंजाइश रहेगी। तीसरी विशेषता शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:30 हो जाने से शिक्षक विद्यार्थियों को समझकर उनकी समस्याओं से रूबरू हो पाएंगे। बहुस्तरीय (मल्टी लेबल) शिक्षण के तरीकों को अपनाना आज की एक महती आवश्यकता है। समय के साथ तेजी से होने वाले बदलाव में यह शिक्षण कारगर सिद्ध होगी। बालकों की चंचलता, निष्कपटता, बालकपन, सहजता कहीं दब सी गई। जिसे वास्तविक, मौलिक निखार की आवश्यकता है। चार्ली चैपलिन की कही गई यह बात सार्थक प्रतीत होती है। प्रश्न जीवंत हैं जिनके उत्तर मृत है। हमें उत्तरों की तलाश करनी होगी। चौथी विशेषता मिडिल स्तर पर 6वीं से 8वीं तक वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जायेगा साथ ही 6वीं से कोडिंग भी सिखायी जायेगी। जिससे विद्यार्थी स्कूल के बाद कोई न कोई एक स्किल के साथ ही निकलेगा। पांचवी विशेषता कहानी सुनाना, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन जैसी बातें भी खास रहेगी। लड़कियों को भावनात्मक रूप से सुरक्षात्मक वातावरण देने का सुझाव भी है। छठवीं विशेषता रेमेडियल (उपचारात्मक) शिक्षण को मुख्य धारा में शामिल करना।

शिक्षकों को भी नये टेकनिक के इस्तेमाल के काबिल बनाना। विषयवस्तु के बोझ को कम कर तार्किक और विश्लेषण क्षमता को बढ़ाना। वर्तमान शिक्षा पद्धति सूचना के भंडार तो है ही साथ ही साथ एक बच्चे में वैश्विक नैतिक और मानवीय मूल्यों का समुचित विकास नहीं कर पाया है। अधिक अंक पा लेने की अंधी होड़ में ज्ञानार्जन करना वास्तव में ज्ञान नहीं एक ज्वलन्त समस्या है। यही वजह है कि आज आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार हर छठवां भारतीय मानसिक रोगी है। मानसिक तनाव के इस बढ़ते ग्राफ को कम, बच्चों के उचित आंकलन विधि से ही संभव है। उसकी विशेषता यह भी है कि बच्चों का आंकलन केवल ढाई–तीन घंटे की लिखित परीक्षा से ना किया जाए। विद्यार्थी के प्रवेश लेने से अंत तक उसका आंकलन चलता रहेगा। जिसमें विद्यार्थी स्वयं, उसका व्यवहार, उसके मित्र,शिक्षक ये सभी शामिल होंगे। इसी प्रकार अंततः मल्टी एंट्री और मल्टी एक्जिट की व्यवस्था से विद्यार्थियों को कभी भी निराशा नही होगी। किसी कारणवश यदि कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्हें कॉलेज छोड़ना भी पड़े तो उतने दिनों के आधार पर एक सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा और यदि

बाद में उसे लगे कि विषय परिवर्तन करना है तो यह भी संभव हो सकेगा साथ ही कॉलेज पुनः प्रवेश कर अपनी अधूरी पढ़ाई पूर्ण करने में भी समर्थ होगा। अंत में प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिता को प्राथमिकता, पहली से पांचवीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल करना, जिससे बच्चे और शिक्षक में संवाद की स्थिति बेहतर हो सके। संवाद की सुगमता सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। बच्चे का बचपन गुम हो चुका है, उसे फिर से खोज निकालने की उनकी सृजनशीलता को नैसर्गिक तरीके से बढ़ाने की बहुत उत्कृष्ट पहल है, ताकि बच्चा रोते हुए नही बल्कि खुश होते हुए स्कूल जाए।

निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व–प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री–डी मशीन, डेटा–विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- डॉ. दामोदर सिंघल (2001), प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- डॉ. आर. एस. माथुर एवं डॉ. जैनेन्द्र गुप्ता (2005); यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- बी. एल. लूनिया (2008) भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1982); राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली।
- डॉ. वीरेंद्र पांडे (2015) भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्था का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- प्रोफेसर गिरीश पचौरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ, आर लाल; शैक्षिक प्रकाशक।
- जे. एस. वालिया (2018) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास; बुकमैन प्रकाशक।
- अतुल कोठारी (2022) राष्टीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरूत्थान; प्रभात प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

978-81-7524-899-1

ISO 9001-2015 certified

कु.मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

College Recognized under section 2 (f) & 12 (b) of UGC

Published by:
Khel Sahitya Kendra, New Delhi

Printed by :
K. S. Enterprises, New Delhi